Preservation Unit
12-8
Fumigated
Out 8.2.84
Parliament Library

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

(बारहवां सत्र)

(Twelfth Session)

31.3.71

सत्यमेव जयते

[खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 18, शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 1970/13 अग्रहायण, 1892 (शक)

No. 18, Friday, December 4, 1970/Agrahayana 13, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		1—20
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
513. ऋण की मांग के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया निदेश	Direction issued by Reserve Bank of India Regarding Demand for Credit ...	2—6
516. राष्ट्रीय परिवहन नीति	National Transport Policy	6—9
518. मुख्य हवाई अड्डों पर बड़े जेट विमानों के उतरने की व्यवस्था	Arrangement for receiving Bigger Jet Planes in Major Airports ...	9—13
519. तस्करी में अन्तर्ग्रस्त हिन्दी अधिकारी के विरुद्ध जांच	Enquiry against Hindi Officer involved in smuggling ...	13—18
525. उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक सहायता	Compensation to Government Employees following rise in prices of consumer goods ...	18—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		20—168
ता० प्र० संख्या S. Q .Nos.		
511. कोचीन शिपयार्ड, केरल में नियुक्तियां	Appointments in Cochin Shipyard, Kerala ...	20—21
512. भारत में 1974 के एशियाई खेलों का आयोजन करना	Holding of 1974 Asian Games in India ...	21

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sin + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
514. मैसर्स कपाडिया बन्धुओं के लेखों की जांच	Checking of Accounts of M/s. Kapadia Brothers ...	21—22
515. जीवन बीमा निगम पालिसी-धारियों से वसूल की जाने वाली ब्याज की दर में वृद्धि	Increase in the Rate of Interest to be charged from L.I.C. Policy Holders ...	22—23
517. एयर इण्डिया के केबिन क्रू द्वारा आन्दोलनात्मक तरीके अपनाया जाना	Resort to agitational Methods by Cabin Crew of Air India ...	23—24
520. राष्ट्रीय ऋण परिषद् को समाप्त करना	Winding up of National Credit Council ...	24
521. लघु उद्योगों को आसान शर्तों पर ऋण	Loans to Small Scale Industries on easy terms ...	24—25
522. कुछ समवायों द्वारा यूनिट रिकार्ड उपकरण के प्रयोगों हेतु लिये जाने वाले शुल्क की दरें	Rates charged by certain Companies for the use of Unit Record Equipment ...	25
523. लेखाबाह्य धन का प्रकटीकरण	Disclosure of unaccounted money	25—26
524. पर्यटन के विकास के लिये भारत आने वाला संयुक्त राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल	UN Expert Team visiting India for Development of Tourism ...	26
526. विदेशी पर्यटकों को भारतीय कलाओं से परिचित कराना	Familiarisation of Indian Arts to Foreign Tourists ...	26—27
527. वित्तीय संस्थाओं द्वारा बड़े व्यापार गृहों को ऋण देना	Loans to Big Business Houses by Financial Institutions ...	27—28
528. सरकारी क्षेत्र को ऋण	Credit to Public Sector ...	28—29
529. प्रस्तावित अलीगढ़ विश्व-विद्यालय विधेयक पर विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों की प्रतिक्रिया	Reaction of Students and others to proposed Aligarh University Bill ...	29—30

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
530. होटल आवास के बारे में संगणकों के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने की योजना	Scheme of Computerising Information on Hotel Accommodation ...	30
531. कुम्भी ग्राम, आसाम के निकट हुई विमान दुर्घटना की जांच	Enquiry into the plane-crash near Kumbhigram, Assam ...	30—31
532. जीवन बीमा निगम का कारोबार लक्ष्य	Business target of LIC ...	31
533. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधायें बढ़ाने के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रतिवेदन का पेश किया जाना	Submission of Report by Nationalised Banks Re. Increase in Banking Facilities in Rural Areas ...	31—32
534. छोटे ऋण लेने वाले व्यक्तियों को ऋण देने की जोखिम की सुरक्षा के लिए ऋण प्रत्याभूति संगठन की स्थापना	Creation of credit guarantee organisation to cover risks in granting loans to small borrowers ...	32
535. वाणिज्यिक मोटर गाड़ी के मूल्य में कर का शामिल होना	Tax element in the price of a commercial vehicle ...	32—33
536. केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में शंकुम्खोम स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना	Establishment of International Aerodrome in Shankumukhom district Trivandrum, Kerala ...	33
537. उत्तर भारत के लिये समवाय विधि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय का कानपुर से दिल्ली स्थानान्तरण	Transfer of location of Northern India Regional office of Company Law Department from Kanpur to Delhi ...	33—34
538. ईस्ट इण्डिया होटल लिमिटेड के लिये अमरीकी सहायता	U.S. Grant to East India Hotel Ltd. ...	34
539. 'उर्दू भाषा'	Urdu Language ...	34—35
540. लघु बचतों से प्राप्त धनराशि का राज्यों को आवंटन	Allocation of amount from Small Savings to States	35—36

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3289.	अकाल सहायता कार्यों के लिये राजस्थान को सहायता	Assistance to Rajasthan for Famine Relief Works ...	36—37
3290.	अधिकारियों को अपनी पत्नियों से ऋण लेने के लिये अनुमति	Permission to Officers for accepting Loans from their Wives ...	37—38
3291.	श्री के० वी० परसाई द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income Tax by Shri K.B. Parasi ...	38
3292.	चीनी शस्त्रास्त्र गोला-बारूद तथा माओ सम्बन्धी साहित्य ले जाने वाले जहाज का कलकत्ता बन्दरगाह से गायब हो जाना	Disappearnce of Ship carrying Chinese Arms, Ammunition and Maoist Literature from Calcutta Port ...	38—39
3293.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार के बारे में प्रमुख सतर्कता आयुक्त के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों के कस्टोडियनों की बैठक	Meeting of Custodians of Nationalised Banks with Chief Vigilance Commissioner regarding Corruption in Nationalised Banks ...	39—40
3294.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में समन्वय लाने के लिये योजनायें	Schemes for Coordination among Nationalised Banks ...	40—41
3295.	सर्व-साधारण को पढ़ना तथा लिखना सिखाने के लिये कालेज के विद्यार्थियों और स्नातकों से सहायता लेना	Utilization of College students and Graduates to teach people to read and write ...	41
3296.	छोटे ऋण लेने वालों को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में सुझाव	Suggestion regarding Procedure for granting Loans to Small Borrowers ...	41—42
3297.	एयर इण्डिया के कर्मचारियों द्वारा वर्दी पहनने सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन	Violation of Rules Regarding Wearing of Uniform by Air India Crew ...	43
3298.	बम्बई तथा नासिक के बीच विमान सेवा	Air Service between Bombay and Nasik ...	43—44
3299.	दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा	Free Education upto Higher Secondary Level in Delhi ...	44

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3300. राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्ति तथा फैलोशिप योजना के अधीन छात्रवृत्तियों तथा फैलोशिप सम्बन्धी विज्ञापन	Advertisement Regarding Scholarships and Fellowships under Commonwealth Scholarships and Fellowships Plan ...	44—45
3301. विभिन्न भाषाओं के लिये अलग-अलग विश्वविद्यालय	Separate Universities for different languages ...	45—46
3302. सरकारी अधिकारी का नवाब रामपुर के रत्नाभूषणों का मूल्यांकन	Valuation of Jewellery belonging to the Nawab of Rampur ...	46
3303. महाराष्ट्र के सूखा-ग्रस्त क्षेत्र के लिये वित्तीय सहायता देना	Financial assistance to Maharashtra for drought affected areas ...	46
3304. पश्चिमी बंगाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता के लिये अपर्याप्त वित्तीय सहायता	Inadequate Financial Assistance for Relief to flood affected areas in West Bengal ...	46—47
3305. हिमाचल प्रदेश में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	Central Government Employees posted in Himachal Pradesh ...	47—48
3306. हिमाचल प्रदेश में डिप्लोमा प्राप्त ओवर-सियरों का डिग्री प्राप्त इन्जीनियरों के समान समझा जाना	Equation of Diploma holder Overseers with Degree holder Engineers in Himachal Pradesh ...	48
3307. भारतीय अनुसंधान संस्थाओं की विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करने के लिये सहायता देने हेतु एक संगठन की स्थापना	Setting up of an organisation to help Indian Research Institutions reduce their dependence on Foreign financial assistance ...	48—50
3308. श्रीलंका प्रसारण निगम के अध्यक्ष का दौरा	Visit by Chairman of Ceylon Broad-Casting Corporation ...	50
3309. भारत सरकार के सचिवों, राज्यों के मुख्य सचिवों और इन्जीनियर तथा डाक्टरों के वेतनमानों में अन्तर	Disparity in Pay Scales of Secretaries of Government of India, Chief Secretaries of States and Engineers and Doctors ...	51

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3310. किसानों को सिंचाई के लिये ऋण देने सम्बन्धी नियमों को उदार बनाना	Liberalisation of Rules regarding Loans to Farmers for Irrigation purposes ...	51—52
3311. सहकारी बैंकों की बैठक	Conference of Co-operative Banks	52—53
3312. विदेशी पोतपरिवहन सेवाओं द्वारा माल भाड़े की दरों में की गई वृद्धि	Increase in freight by foreign shipping lines ...	53—54
3313. भारत में संकट ग्रस्त तथा बंदप्राय मिलों को वित्तीय सहायता देने हेतु पुनर्निर्माण एजेंसी	Reconstruction agency for financial assistance to sick and dying mills in India ...	54
3315. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता	Interim Relief for Workers of Hindustan Housing Factory, New Delhi ...	54—55
3316. मद्रास-सिंगापुर मार्गों पर एयर-इण्डियन द्वारा भारतीय यात्रियों के साथ किया गया भेदभाव	Discrimination against Indian passengers by Air India on Madras-Singapore routes ...	55
3317. भारत के सम्बन्ध में पुस्तकें तथा अन्य साहित्य तैयार करने का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा डोम मोरेस को सौंपा जाना	Commissioning of Dom Moraes by tourism department for preparation of books and literature on India ...	55—56
3318. भारतीय खनिज विकास का विश्व बैंक द्वारा किया गया मूल्यांकन	World Bank Assessment of India's Mineral Development ...	56—57
3320. केरल तथा अन्य राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Kerala and other States ...	57
3321. मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से व्यवसाय-कर की वसूली	Recovery of professional tax from Central Government Employees in Madhya Pradesh ...	57—58
3322. तस्करी में अन्तर्ग्रस्त मुस्लिम लीग से सम्बन्धित व्यक्ति	Persons belonging to Muslim League involved in smuggling ...	58

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3323. वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के वेतन तथा सेवा की शर्तें	Salaries and service conditions of Scientific and Technical Personnel ...	58—59
3324. पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मचारियों के लिये बीमा योजना	Insurance scheme for working policemen in West Bengal ...	59—60
3325. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में मुस्लिम संसत्सदस्यों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by Muslim M.Ps' regarding Aligarh Muslim University ...	60—61
3326. पेंशन भोगियों को सरकारी कर्मचारियों के समान समझना	Treatment of pensioners as Government servants ...	61—62
3327. दिल्ली विश्वविद्यालय में पदों पर भर्ती के लिये अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की उपेक्षा	Neglect of Scheduled Caste candidates for recruitment to posts under Delhi University ...	62
3329. कोलार क्षेत्र में मैसूर राज्य-क्षेत्र में खान विद्यालय	School of Mines, Kolar area (Mysore) State ...	62—63
3330. स्वर्गीय अमर सिंह सहगल, संसद सदस्य का शव रेल गाड़ी के डिब्बे में ले जाया जाना	Carrying of dead body of late Shri Amar Singh Sehgal, M.P. in a railway carriage van ...	63
3331. एक हिन्दी अधिकारी के तस्करी गिरोह में अन्तर्ग्रस्त होने के बारे में जांच	Enquiry into Involvement of Hindi Officer in Smuggling Racket ...	63—64
3332. वित्तीय संस्थाओं को नई ऋण नीति के परिणाम	Implications of New Credit Policy of the Financial Institutions ...	64
3333. कटक सम्बलपुर राष्ट्रीय राज मार्ग की मरम्मत करने के लिये धन की व्यवस्था करना	Funds for Repairs of Cuttack-Sambalpur National Highway ...	64—65
3334. पब्लिक स्कूलों को मान्यता प्रदान करना	Granting of Recognition to Public Schools ...	65

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3335. पश्चिम बंगाल के जिला मिदनापुर में नरघाट स्थान पर हाल्दी नदी पर पुल का निर्माण	Estimate for Construction of Bridge Across River Haldi at Narghat, District Midnapur, West Bengal ...	66
3336. डिघा पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना	Establishment of Central Research Station at Digha, West Bengal ...	66—67
3337. पारादीप बन्दरगाह पर माल चढ़ाने उतारने के लिए घाट बनाना	Cargo Berth in Paradeep Port	67
3338. सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की लंदन शाखा के कथित गबन की जांच	Enquiry into Alleged Defalcation in London Branch of Central Bank of India ...	67
3339. तस्करी के सामान का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods	67—68
3340. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा सरकारी उपक्रमों को वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की सेवायें पेश करना	Services of Finance Ministry Officers offered to various Ministries/Departments and Public Undertakings ...	68—69
3341. मार्च में मंत्रालयों द्वारा भारी खर्च	Heavy Expenditure by Ministries in March ...	69
3342. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरांत उद्योगों को दिया गया ऋण	Bank Credit to Industry Following Nationalisation of Banks ...	69—70
3343. मैसूर में सैंट्रल इन्स्टीट्यूट आफ लैंग्वेजेज	Central Institute of Languages at Mysore ...	70—71
3344. स्कूलों में बचत बैंक खोलना	Opening of Savings Banks in Schools ...	71—72
3345. मैसूर में फर्मों और व्यक्तियों द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income Tax by Firms and Individuals in Mysore ...	72—73
3346. फोयेनिक्स में निशानेबाजी की प्रतियोगिता में भाग न लेने का निर्णय	Withdrawal of Participants from Shooting Championship at Phoenix ...	73

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3347. बड़े उद्योगपतियों को दिया गया ऋण	Loans provided to big Industrialists ...	73—74
3348. मैसूर के दक्षिण कनारा जिले में उदीपि के निकट पुरा-तत्वीय महत्त्व की वस्तुओं का पाया जाना	Archaeological Finds near Udipi in South Kanara District of Mysore ...	74
3349. एयर इण्डिया के विदेशी पारपत्र-धारी कर्मचारी	Officials of Air India holding Foreign Passports ...	74—75
3350. उज्जैन में वीर दुर्गादास राठौर की मूर्ति पर लगे छत्र का नवीकरण	Renovation of Canopy on Statue of Veer Durgadas Rathore in Ujjain City ...	75
3351. मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Madhya Pradesh ...	75—76
3352. मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर को पर्यटक केन्द्र बनाने की योजना	Scheme to make Ujjain City in Madhya Pradesh as Tourist Centre ...	76
3353. भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों से विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange from Tourists visiting India ...	76
3354. दिल्ली में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई	Excavation in Delhi by Archaeological Department ...	76—77
3355. अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये बुनियादी बातों की ओर ध्यान केन्द्रित करना	Concentration on the Infra-structure to attract more Tourists ...	77
3356. आर्थिक सहयोग तथा विकास सम्बन्धी संगठन से सहायता	Aid from Organisation for Economic Cooperation and Development ...	77—78
3357. राष्ट्रीयकृत बैंकों से इन्जीनियरिंग के स्नातकों को वित्तीय सहायता	Financial Aid for Engineering Graduates from Nationalised Banks ...	78
3358. भारत की यात्रा के लिये ताईवान में पर्यटकों की बढ़ती हुई मांग	Rising Tourist Demand in Tairwan for visiting India ...	79

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3359.	दिल्ली परिवहन की परिचालन सम्बन्धी कार्य कुशलता में गिरावट	Fall in operational efficiency of D.T.U. ...	79—80
3360.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा कुशल क्रिकेट खिलाड़ियों को रियायतें देना	Concession given to talented Cricketers by State Bank of India ...	80—81
3361.	नई दिल्ली में एक नगर चुंगी स्थापित करने की इण्डियन एयर लाइन्स की एक योजना	Plans of Indian Airlines to Establish a City Terminal in New Delhi ...	81
3363.	रजवाड़ों के भूतपूर्व शासकों का पुरातन कलाकृतियों का परिरक्षण	Preservation of Ancient Objects of Art lying with Erstwhile Rulers of Princely States ...	81—82
3364.	शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक अनुभागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Staff in Administrative Sections of Ministry of Education ...	82
3365.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय/ वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अधिकारियों और शोध-सहायकों का प्रतिनियुक्ति पर जाना	Officers and Research Assistants of Central Hindi Directorate Commission for Scientific and Technical Terminology going on Deputation ...	82— 83
3366.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यार्थियों को स्नातकोत्तर अध्यापक के पदों पर पदोन्नत करने के लिये अपनाया गया मापदण्ड	Criteria followed for promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to post of Post-Graduate Teachers ...	83
3367.	पारादीप पत्तन पर मालवाहक जहाजों के लिये घाट का निर्माण करने के लिये टेंडर	Tenders for Construction of Cargo Berth in Paradeep Port ...	83—84
3368.	मैसर्स लारसेन एण्ड टोबरो लिमिटेड का प्रबन्ध	Management of M/s. Larsen and Toubro Ltd. ...	84—85
3369.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बड़े उद्योगपतियों और अन्यों को दिए गए ऋण	Loans given by Nationalised Banks to big Industrialists and others ...	85

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3370. गोयन्का समवाय समूह द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिये गए ऋण	Loans secured by Goenka Group of Companies from Financial Institutions ...	85
3371. कलकत्ता बन्दरगाह के माध्यम से किया गया निर्यात और आयात तथा उसका मूल्य	Volume and Value of Export and Import through Calcutta Port ...	86—87
3372. बड़े पत्तनों के गोदी कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय	Average per Capita annual Earnings of Port Workers in Major Ports ...	87
3373. दूर पूर्व के लिये भाड़े की दर में वृद्धि	Steep Rise in Far East Freight Rates ...	87
3374. रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, सिचलर	Regional Engineering College, Silchar ...	87—88
3375. राष्ट्रीय राजपथों पर सस्ते विश्राम-गृहों तथा गराजों का निर्माण	Construction of Cheap Rest Houses and Garrages on National Highways ...	88—89
3376. विमान-दुर्घटनाएं	Air Accidents ...	89
3377. प्रशांत क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा कम्पनियों द्वारा विमान किराये का घटाया जाना	Reduction in Air Fares by International Airlines to Promote Tourism in Pacific Region ...	89—90
3378. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों को दिया गया ऋण	Loans Advanced by Nationalised Banks to Different News Papers ...	90—92
3379. राज्यों को आयकर से हुई आय का नियतन	Allocation of Proceeds from Income Tax to States ...	92—93
3381. ग्वालियर की जे० सी० मिल्स द्वारा आय कर का भुगतान	Payment of Income Tax by J.C. Mills Gwalior ...	93—94
3382. उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा जे० सी० मिल्स, ग्वालियर पर छापा	Raid by the Officials of Excise Department on J.C. Mills Gwalior ...	94

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3383. असैनिक उड्डयन विभाग द्वारा तकनीशियन प्रशिक्षुओं को वेतन का भुगतान	Salary paid to Technician Trainees by Civil Aviation Department ...	94—95
3384. कर के ढाँचे के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ की सिफारिशें	Recommendations of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry on Tax Structure ...	95
3385. सिन्धी भाषा के विकास के लिए केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना	Setting up of a Central Board for Development of Sindhi Language ...	95—96
3386. चरस का पकड़ा जाना	Seizure of Hashish	96
3387. महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों को मिलाने के लिए असैनिक उड्डयन सेवा	Civil Aviation Service to Link Various Cities of Maharashtra ...	96—97
3388. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों तथा बैंक कर्मचारियों की समकक्ष श्रेणियों के वेतनमानों में विषमता	Disparities between the Wage Structure of Different Categories of Central Government Employees and Corresponding Categories of Employees in Banks ...	97—98
3389. मादक वस्तुओं की तस्करी को रोकने सम्बन्धी कार्यवाही	Steps to Check Smuggling of Narcotics ...	98—99
3390. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी	IAS Personnel in Public Sector Undertakings ...	99
3391. विश्व-बैंक से सहायता	Aid from World Banks	100
3392. मूल्यों में वृद्धि करने सम्बन्धी उद्योगपतियों का अनुरोध	Request from Industrialists for upward Revision of Prices ...	100—101
3393. सरकारी कर्मचारियों को योग की शिक्षा	Yoga instructions to Government employees ...	101
3394. ग्राम ऋण के बारे में समीक्षा समिति की स्थापना	Appointment of Review Committee regarding rural credit ...	101—104

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3395. किसानों की सहायता करने के लिए वित्त निगम की स्थापना	Setting up of Finance Corporation to help farmers ...	104
3396. परामर्शदात्री कम्पनियों पर आयकर लगाना	Income tax on consultancy Companies ...	104—107
3397. ऋषिकेश और हरिद्वार में पथ-कर को युक्ति-संगत बनाना	Rationalisation of Toll Tax at Rishikesh and Hardwar ...	107
3398. हवाई अड्डों पर प्रवेश शुल्क	Entry fee at Airports	107
3399. कृषकों की सहायतार्थ ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं	Branches of nationalised banks in rural areas to help farmers ...	108—109
3400. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में टैक्सी चालकों तथा रिक्शा चालकों को ऋण	Loans to taxi drivers and Rickshaw pullers by nationalised banks in Bihar ...	110—111
3401. एक कनिष्ठ अधिकारी द्वारा सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया की लंदन शाखा का ठगा जाना	Cheating of London branch of Central Bank of India by a Junior Officer ...	111—112
3402. पाकिस्तान को सिक्कों की तस्करी	Smuggling of coins into Pakistan	112
3403. त्रिपुरा की विमान यात्री एसोसिएशन की मांगें	Demands of Air Travellers Association of Tripura ...	113
3404. वित्त मंत्रालय के कर्मचारी तस्करी के गिरोह में शामिल	Employees of Ministry of Finance involved in smuggling ...	113—114
3405. राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को सी० पी० एड०/डी० पी० एड० के बराबर घोषित करना	Declaring of National Discipline scheme Instructors at par with C.P.ED./D.P. Ed. ...	114—116
3406. राज्य सरकारों को दिए गए ऋण की अप्रयुक्त बकाया धनराशि	Unspent balance of Loans given to State Governments ...	116

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3407. त्रिपुरा में नई सड़कों और पुलों का निर्माण	Construction of New Roads and Bridges in Tripura ...	116—117
3408. इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों की हड़ताल करने का निर्णय	Decision by Employees of I.A.S. to go on Strike ...	117
3409. विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विस्तार कार्यक्रम	Expansion programme for attracting Foreign Tourists ...	118—119
3410. जमा राशि में तेजी से वृद्धि करने के लिए अभियान	Drive for accelerating the growth of Deposits ...	119—121
3411. विदेशों में रहने वाले पंजाबियों द्वारा पूंजी निवेश	Investments by Punjabi's living Abroad ...	121—122
3412. नई दिल्ली नगर पालिका की इमारत में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा एक होटल चलाना	Running of a Hotel N.D.M.C. by India Tourism Development Corporation ...	122—123
3413. बुलन्दशहर के लाल किला में पाई गई पुरातत्व	Archaeological Finds at Lal Kila in Bulandshahar ...	123—124
3414. वित्त मंत्रालय के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के आचरण की जांच पड़ताल	Investigation into the Conduct of Class I and Class II Officers of Ministry of Finance ...	124—125
3415. वित्त मंत्रालय में अवर सचिव से नीचे के अधिकारियों को टेलीफोन देना	Providing of Telephones to Officers below the Rank of Under Secretary in the Ministry of Finance ...	125
3416. तस्कर व्यापारियों के साथ अधिकारियों के सम्पर्क	Officers Links with Smugglers	125—126
3417. प्रशासन के दोषों के सम्बन्ध में संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर की गई कार्यवाही	Action taken on Letters received from Members of Parliament regarding Defects in Administration ...	126—127
3418. भारत में चल रहे विदेशी बैंकों में काम कर रहे विदेशी राष्ट्रिक	Foreign National Working in Foreign Banks operating in India ...	127

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3419. बम्बई की फर्मों और व्यक्तियों द्वारा आयकर और धन-कर का भुगतान	Payment of Income Tax and Wealth Tax by Firms and Individuals of Bombay ...	128
3420. बादशाह खान को भेंट की गई थैली को विदेशी मुद्रा में बदलना	Conversion of Purse Presented to Badshah Khan into Foreign Currency ...	128
3421. जयपुर के निकट अफीम का पकड़ा जाना	Seizure of Opium near Jaipur	128—129
3422. फिल्म कलाकारों को जीवन बीमा निगम के माध्यम से भुगतान	Payment to Film Artists through L.I.C. ...	129
3423. कोवलम् केरल में पर्यटन परियोजना	Tourism Project in Kovalam, Kerala	129—130
3424. दिल्ली में बसों के किरायों में वृद्धि	Increased Bus Fares in Delhi	130
3425. विलासिता की वस्तुओं पर कर	Taxation of Luxury Goods	131
3426. राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने के लिए अपेक्षित जमानत	Security required to get Loans from Nationalised Banks ...	131—132
3427. कलकत्ता में विद्यार्थियों के लिए दिवस-गृह (डे-होम)	Day Homes for Students in Calcutta ...	132
3428. कलकत्ता में विद्यार्थियों के लिए (आउट-डोर) मनोरंजन	Outdoor Recreations for Students in Calcutta ...	132
3429. हुगली नदी में नौगम्यता बनाए रखने के लिए की गई कार्यवाही	Steps taken to maintain navigability of Hooghly River ...	133
3430. निर्यात नीति संकल्प तथा नई लाइसेंसिंग नीति में निर्धारित नीतियों के समन्वयन के लिए एकाधिकार अधिनियम का संशोधन	Amendment of Monopolies Act to Coordinate the policies envisaged in Export Policy Resolution and in New Licensing Policy ...	133

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3431. पोद्धार खान मालिकों द्वारा आयकर का न दिया जाना	Non Payment of Income Tax by Poddar Mines Owners ...	133—134
3433. विदेशों से लिए गये ऋणों की अदायगी	Repayment of Foreign Loans	134—137
3435. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए कृषि ऋण	Agricultural Loans Advanced by Nationalised Banks in Madhya Pradesh ...	137
3436. पश्चिमी बंगाल में नगर-पालिका द्वारा प्रशासित स्कूलों के गैर-अध्यापक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोका जाना	Withholding of D.A. to Non-Teaching Staff of Municipal Administered Schools in West Bengal ...	137—138
3437. जीवन बीमा निगम द्वारा गांवों में पालिसी होल्डरों को मकान बनाने के लिए ऋण देना	House Building Loans to Rural Policy Holders Granted by Life Insurance Corporation ...	138
3439. एयर इण्डिया में हड़तालें	Strikes in Air India	138—139
3440. स्मृति-सिक्के/करंसी नोट जारी करने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines for Issuing Commemorative Coins/Currency Notes ...	139
3441. जयपुर में पर्यटक केन्द्र के लिए परियोजना	Project for Tourist Centre at Jaipur	139—140
3442. चाणक्य पुरी में नई दिल्ली नगर पालिका की बहु-मंजिली इमारत में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाया जाने वाला होटल	Hotel to be run by India Tourism Development Corporation in N.D.M.C. Multistoreyed building in Chanakya Puri ...	140
3443. मदुरै में सोना पकड़ा जाना	Seizure of gold in Madurai	140—141
3444. बम्बई में सोना तथा तस्करी की अन्य वस्तुयें पकड़ी जाना	Seizure of gold and other smuggled articles in Bombay ...	141
3445. बम्बई के निकट एक नौका से सोना पकड़ा जाना	Seizure of gold from a boat near Bombay ...	141—142

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3446. बम्बई में सोना तथा घड़ियों का पकड़ा जाना	Seizure of gold and watches in Bombay ...	142
3447. खराब नोटों का परिचलन	Soiled notes in circulation	142—143
3448. अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन से प्राप्त सहायता का राज्यों को वितरण	Distribution of Aid to States received from International Development Association ...	143—144
3449. राज्य सरकारों के घाटे के बजट	Deficit Budgets of State Governments ...	145
3450. विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा चोरी-छिपे किराया कम करना	Under Cutting of fares by foreign airlines ...	145
3451. एयर-इण्डिया के लिए बोइंग विमानों की खरीद	Purchase of Boeing planes for Air India ...	145—146
3452. पर्यटन के विकास के लिए बजट व्यवस्था	Budget Provision for development of Tourism ...	146
3453. राष्ट्रीयकृत बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण	Interest free loans through Nationalised Banks ...	146
3454. चौथी योजना में पोत परिवहन और परिवहन की क्षमता में वृद्धि	Increased shipping and transport capacity during Fourth Plan ...	146—147
3455. लाभांश घोषित न करने वाली पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां	Public Limited Companies not declaring dividends ...	147
3456. मनीपुर के खानगाबोक और आंद्रो गांवों में हाई स्कूलों की स्थापना	Setting up of High Schools and Khangabok and Andro Villages in Manipur ...	147—148
3457. मनीपुर में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres in Manipur	148
3458. मनीपुर के एल० पी० स्कूलों के चौकीदारों के वेतन का पुनरीक्षण	Revision of pay scale of chowkidars of L.P. Schools, Manipur ...	148—149

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
3459.	विस्थापित स्वर्णकारों के लिए मनीपुर की वित्तीय सहायता	Financial assistance to Manipur for displaced goldsmiths ... 149
3460.	मनीपुर में समाज शिक्षा आयोजकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of pay scales of Social Education Organisers in Manipur ... 149—150
3461.	औद्योगिक ऋण	Industrial Borrowing 150
3463.	बम्बई के कम्बाटा एवियेशन द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations by Cambata Aviation, Bombay ... 150—151
3464.	वायदा व्यापार के सम्बन्ध में अन्जारिया समिति का प्रतिवेदन	Report of Anjaria Committee Re. Forward Trading ... 151
3465.	मद्रास में पतन अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श	Inter Port Consultations held in Madras ... 151—152
3467.	नाई की दुकानों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण	Loans for Hair Cutting Saloons by Nationalised Banks ... 152—153
3468.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विज्ञापनों पर किया गया व्यय	Amount Spent by Nationalised Banks on Advertisement ... 153
3469.	आयकर अपवंचकों की सूचना देने वाले व्यक्तियों के लिए इनाम देना	Rewards to the Informers of Income tax Evaders ... 153—154
3470.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को विशेष धन निकालने वाले अधिकारों सम्बन्धी योजना के लिए भारत का अंशदान	India's Contribution to International Monetary Funds Special Drawing Rights Scheme ... 154—155
3471.	कोचीन पत्तन की चैनलों और पहुंचमार्गों की मिट्टी निकालने के लिए विश्वव्यापी टेंडर	Global Tenders for dredging of the Channel and approach of Cochin port ... 155
3472.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा दिए गए ऋण	Loans Advanced by State Bank of Indore ... 156

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3473. संसद्-कार्य मंत्री द्वारा बनाई गई समितियां तथा उपसमितियां	Committees and Sub-Committees Constituted by the Minister of Parliamentary Affairs ...	157—158
3474. इन्स्टीट्यूट आफ इडवांस्ड स्टडीज, शिमला द्वारा आयोजित विचार गोष्ठियों तथा संगोष्ठियों में भाग लेने वाले व्यक्ति	Participants at Seminars and Symposia held by Institute of Advanced Studies Simla ...	158—159
3475. भूतपूर्व नरेशों के विदेशों में बैंक-खातों का निर्धारण	Assessment of Bank Accounts of Former Rulers in Foreign Countries ...	159
3476. महानदी पर एक उपरिपुल का बनाया जाना	Construction of Over Bridge on Mahanadi River ...	159—160
3477. मीठापुर उर्वरक परियोजना	Mithapur Fertilizer Project	160
3478. राजस्थान में राष्ट्रीय राजपथों का चौड़ा करना	Widening of National Highways in Rajasthan ...	160—161
3479. रायसीना पब्लिकेशन्ज़ लिमिटेड और यूनाइटिड इण्डिया पीरिआडिकल्स लिमिटेड के निदेशक बोर्ड	Boards of Directors of Raisina Publication Ltd. and United India Periodicals Ltd. ...	161—162
3480. मिश्रित अर्थ-व्यवस्था	Mixed Economy	162—163
3481. बोम्बे कम्पनी लि० के प्रबन्ध निदेशक द्वारा सीमा शुल्क का अपवंचन	Evasion of Custom duty by Managing Director of Bombay Co. Ltd. ...	163
3482. विभिन्न मंत्रालयों की परामर्श-दात्री समितियों की कार्य-वाहियों की रिपोर्ट	Reports regarding proceedings of Consultative Committees of various Ministries ...	163—164
3483. दिल्ली नगर निगम के प्राइमरी स्कूलों में फ्लाइंग क्लब खोलने के लिए सहायता	Aid for opening Flying Clubs in D.M.C. Primary Schools ...	164
3484. कुतुब मीनार दिल्ली पर प्रवेश शुल्क	Entry fee at Qutab Minar Delhi	164—165

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3485. दिल्ली में उर्दू घर के निर्माण के लिए अनुदान	Grant for construction of Urdu Ghar in Delhi	165—166
3486. दिल्ली परिवहन की वित्तीय स्थिति	Financial position of Delhi Transport Undertaking ...	166—167
3487. कोचिन पत्तन न्यास में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का आरक्षण	Reservation of Posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Cochin Port Trust ...	167
3488. खेल-कूद तथा शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए एक संगठन की स्थापना	Setting up of an Organisation for Development of Sports and Physical Education ...	167—168
अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	168—174
भारत के मानचित्रों को शुद्ध करने के बारे में सोवियत संघ का प्रतिरोध	Soviet Union's reported resistance to correct Indian maps ...	168—169
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	169—170
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh ...	170—174
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	175
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	175
सभा का कार्य	Business of the House	175—180
वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation	180
(श्री सन्त बख्श सिंह)	(Shri Sant Bux Singh)	180
समाचार-पत्र वित्त निगम विधेयक	Newspaper Finance Corporation Bill	181
पुरःस्थापित	Introduced	181
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय विधेयक परिषद् विधेयक	Indian Medicine Central Council Bill ...	182

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य-सभा द्वारा पारितरूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha ...	
श्री ब० सू० मूर्ति	Shri B. S. Murthy	182
गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions ...	182
69 वां प्रतिवेदन	Sixty-ninth Report	182
अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों के बारे में संकल्प	Resolution Re : Prices of Essential Articles ...	183
श्री इन्द्रजीत गुप्ता	Shri Indrajit Gupta	183
श्री फ० गो० सेन	Shri P. G. Sen	189
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	189
श्री रंगा	Shri Ranga	189
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary	190
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	191
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	192
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra ...	194
श्री सत्य नारायण सिंह	Shri Satya Narain Singh ...	194
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N.K.P. Salve	195
श्री मुत्तु गौंडर	Shri Muthu Gounder	196
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	198
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	198
भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पुनः आरम्भ किए जाने के बारे में आधे-घण्टे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion Re : Resumption of Trade between India and Pakistan ...	198
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	198

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	...	199
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha		200
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta		200
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	...	200

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 1970/13 अग्रहायण, 1892 (शक)

Friday, December 4, 1970/Agrahayana 13, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर 5 मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at five minutes past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**

Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री बलराज मधोक : इससे पहले कि आप प्रश्नों पर चर्चा आरम्भ करें मुझे आज के प्रश्नों के बारे में कुछ कहना है। यह बहुत आवश्यक बात है। मैंने प्रधान मंत्री के एयर इंडिया द्वारा न्यूयार्क जाने पर राजकोष के 33 लाख रुपये खर्च होने के बारे में एक प्रश्न का नोटिस 21 दिन पूर्व दिया था। वह प्रश्न आज के लिए था। मुझे आज सुबह एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि मेरा प्रश्न स्वीकार नहीं किया जा सकता लेकिन उसको अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिया गया था।

यह संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का मामला है···(**अन्तर्बाधाएं**) यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि मुझे उत्तर पहले मिल गया होता तो मैंने आपसे आपके कक्ष में बात कर ली होती। प्रश्न आज के लिए था और मुझे उसके बारे में अभी सूचना मिली है। क्या संसद सदस्यों से इस प्रकार व्यवहार किया जाता है ? यह प्रश्न समाजवादी कहे जाने वाले प्रधान मंत्री द्वारा असमाजवादी गतिविधियों पर जनता का 33 लाख रुपया खर्च करने से सम्बन्धित है। यदि सदन में इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाता तो किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है ? इस बारे में कोई कारण भी नहीं दिया गया है। यदि सचिवालय मुझे पहले इस बारे में सूचित कर देता तो मैं इस बारे में आपसे बात कर लेता।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The question was submitted 21 days before. I do not want to go into its merits. If the question was not going to be admitted, the information ought to have been given earlier with assigning the reasons. I could not understand why information in this regard given to-day. You may kindly obtain information from the Secretariat in this regard.

Shri Kanwar Lal Gupta : The inconvenient questions are rejected. An enquiry should be made in this regard.

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में हम प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। यदि आपको इस बारे में कोई शिकायत है तो उसकी मुझे सूचना दें, लेकिन अभी नहीं।

श्री चेंगलराया नायडू : मुझे अपने प्रश्न के बारे में अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। कम से कम मुझे इस बारे में सूचित किया जाना चाहिये था। आप मुझे उत्तर देना नहीं चाहते। आप इस बात का प्रबन्ध करें कि मुझे उत्तर मिल जाये।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि मैं भी मंत्रियों की भांति सभा में उत्तर दूं ?

श्री चेंगलराया नायडू : आप अपने सचिवालय से मुझे लिखने को कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने समझा था आज का दिन शांति से गुजर जायेगा, मगर आप तो इस तरह कर रहे हैं। मैं तो यहां आने के पूर्व हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वह आज का दिन शांति से गुजार दे, मगर ऐसा लगता है कि प्रभु मेरी सुनता ही नहीं। मैं चाहता हूं कि प्रभु मेरी सुनें।

ऋण की मांग के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया निदेश

*513. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को एक निदेश जारी किया है कि उन बैंकों को नवम्बर से प्रारम्भ होने वाली व्यस्त अवधि में ऋण की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये खातों में अतिरिक्त जमा राशि जुटानी पड़ेगी और भारतीय रिजर्व बैंक 'मुद्रा सर्जन' द्वारा उनकी सहायता नहीं कर सकता।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए उक्त निदेश का क्या प्रभाव होगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). रिजर्व बैंक ने नवम्बर, 1970 से चालू समझे गये अधिक काम-काज के मौसम के लिए, बैंकों को यह परामर्श दिया है कि वे जमा की रकमें जुटाने के लिए और अधिक प्रयास करें ताकि जहां तक संभव हो, ऋण सम्बन्धी अतिरिक्त मांग को उनके साधनों से ही पूरा किया जा सके। वे केवल अन्तिम उपाय के तौर पर तथा बहुत थोड़ी अवधि के लिए ही रिजर्व बैंक से ऋण ले सकेंगे। किन्तु रिजर्व बैंक उत्पादनशील प्रयोजनों की न्यायोचित आवश्यकताएं पूरी करता रहेगा और उपयुक्त मामलों में विवेकानुसार सुविधा देता रहेगा। इस नीति का उद्देश्य यह है कि सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादन कार्य

में बाधा पहुंचाने से जोखिम से बचा जा सके और इसके साथ ही ऋण के अत्यधिक विस्तार को भी रोका जा सके और इस तरह अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले मुद्रा-स्फीति दबाव को नियन्त्रित रखने में सहायता मिलेगी ।

श्री देविन्दर सिंह गार्चा : मैंने यह प्रश्न मुख्य रूप से इसलिए पूछा था कि नैशनल प्रेस में प्रकाशित हुए समाचार से यह बोध होता था कि एक ऐसा आदेश पास किया गया है जिसके अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक से धनराशि उपलब्ध नहीं होगी । क्या उक्त आदेश में छूट देने की कोई व्यवस्था की गई है । मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में सावधानी बरतें कि उक्त उपबन्ध का उचित तथा उदारता से प्रयोग किया जाये जिससे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में उत्पादन में कमी न हो ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसे उपबन्धों की व्यवस्था उचित प्रयोग के लिए की गई है । मैं यह नहीं चाहता कि इन उपबन्धों का इतनी अधिक उदारता से प्रयोग न हो कि उन उपबन्धों का कोई महत्व ही न रह जाये ।

श्री लोबो प्रभु : माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि जमा राशि तथा अग्रिम धन में अन्तर बढ़ रहा है । इन परिस्थितियों में यह बढ़ता हुआ अन्तर उन लोगों के लिए उचित नहीं है जो बैंकों से ऋण लेना चाहते हैं । ऐसा पता लगा है कि गत महीने जब से ये निदेश जारी किये गये हैं रिजर्व बैंक तथा अनुसूचित बैंकों ने दी गई धनराशि की मांग को 113 करोड़ रुपये से घटाकर 43 करोड़ रुपये कर दिया है । यह भी अनुमान लगाया गया है कि आगामी वर्ष में यह अन्तर 500 करोड़ रुपये का होगा । इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री महोदय का यह विचार नहीं है कि उक्त निदेशों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए जिससे ऋण उपलब्ध हो सके और वे उचित दर पर उपलब्ध हों क्योंकि न केवल बैंकों की बल्कि बाहर भी ऋण की वर्तमान दरें उचित नहीं हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : न तो रिजर्व बैंक और ना ही अनुसूचित बैंक इस मामले में पुनर्विलोकन न करने का रुख अपना सकते हैं । मामले की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी । यह बात अर्थव्यवस्था के सामान्य रुख पर निर्भर करती है । वर्तमान परिपत्र में न्यायोचितता यह है कि नमीं के वर्तमान मौसम में नमीं की पूरी कमी थी । सामान्य आशा के विपरीत अर्थात् नमीं के मौसम के दौरान रिजर्व बैंक से फिर से धन लगाने के लिए ऋण लेने में कमी हुई है । इस बार इसमें असामान्य वृद्धि हुई है । इसमें कमी नहीं हुई है बल्कि वृद्धि हुई है । यह अत्यावश्यक पहलू है क्योंकि इससे इस तथ्य पर जोर पड़ता है कि बैंकों द्वारा धनराशि जमा करने के लिए प्रयास किये जायेंगे । यदि वे ऋण को बढ़ाने के लिए कार्यवाही करना चाहते हैं तो उन्हें अन्य साधनों पर निर्भर रहना होगा । प्रश्न मांगों को पूरा करने का नहीं है बल्कि उत्पादन तथा सामाजिक प्रयोजनों के लिए उचित और वास्तविक मांगों को पूरा करने में प्राथमिकता दी जायेगी । इन विभिन्न बातों पर विचार करना पड़ता है और स्वभावतया बैंक अर्थव्यवस्था के नये पहलू की ओर भी निरन्तर ध्यान देते रहेंगे ।

श्री उमानाथ : बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व खाद्यान्नों के बारे में सट्टा व्यापार करने के लिए बड़ी मात्रा में ऋण दिए जाते थे । इसके परिणामस्वरूप मुद्रा-स्फीति हुई है । मैं

माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् अनाज में सट्टे का व्यापार करने के लिए रिजर्व बैंक अथवा सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि माननीय सदस्य गत कुछ सप्ताह के दौरान सभा में उपस्थित होते तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की उन्हें जानकारी होती। मैं इस प्रश्न का पहले विस्तार से उत्तर दे चुका हूं।

इस सम्बन्ध में ध्यानपूर्वक जाँच की जा रही है और बड़े-बड़े खातों के बारे में जोर दिया जाता है। एक नये प्रकार का फार्म तैयार किया गया जिसमें विस्तृत जानकारी मांगी गई है जिससे यह पता लग सके कि किसी व्यक्ति की ऋण की आवश्यकता वास्तविक है अथवा नहीं। एक प्रश्न के उत्तर में मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि रिजर्व बैंक ने नकदी अनुपात तथा अन्य बातों के बारे में नई मुद्रा सम्बन्धी नीति बनाई है। उसने ब्याज की दर भी बढ़ाई है। उक्त धनराशि का सट्टा व्यापार के लिए उपयोग रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई है।

श्री मुरासोली मारन : बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य खर्चे को कम करना था। लेकिन प्रशासन पर बहुत बड़ी धनराशि अभी भी व्यर्थ खर्च की जा रही है। उदाहरण के तौर पर रिज़र्व बैंक के गवर्नर को 4500 रुपये प्रतिमास, स्टेट बैंक आफ इण्डिया के चेयरमैन को 4000 प्रतिमास मिलता है जबकि कुछ कस्टोडियनों को 3500 से 6000 रुपये प्रतिमास वेतन मिलता है। उदाहरण के तौर पर इंडियन ओवरसीज बैंक के कस्टोडियनों को 6000 रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन मिलता है। क्या सरकार का विचार इन इतने अधिक वेतनों का युक्तिकरण करने का है ?

विलय तथा एकीकरण से हमारे खर्चे पर प्रभाव पड़ सकता है। यह सुझाव दिया गया है कि देना बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को वैस्ट्रन रीजनल बैंक के नाम के अन्तर्गत विलय किया जा सकता है। इसी प्रकार कनारा बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक और इंडियन ओवर सीज बैंक को सदर्न रीजनल बैंक के अन्तर्गत विलय किया जा सकता है। इलाहाबाद बैंक और युनाइटिड कर्माशियल बैंक और युनाइटिड बैंक आफ इण्डिया का ईस्ट्रन रीजनल बैंक के अन्तर्गत विलय किया जा सकता है और पंजाब नैशनल बैंक को नादर्न रीजनल बैंक बनाया जा सकता है। ऐसा करने से प्रादेशिक पिछड़ापन और असंतुलन को समाप्त करने में सहायता मिलेगी और वे बैंक रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्थानीय जोनो के रूप में काम कर सकते हैं। क्या सरकार उक्त सुझाव पर विचार करेगी। इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रश्न के पहले भाग के लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता होगी क्योंकि उन्होंने सामान्य वेतनमानों के बारे में प्रश्न उठाया है, जो प्रत्येक बैंक में भिन्न-भिन्न है।

दूसरा प्रश्न सामान्य प्रश्न है। इस विषय पर प्रबन्ध संगठन की योजना पर विचार विमर्श करते समय चर्चा की जा सकती है क्योंकि इस विषय पर विस्तार से चर्चा करनी होगी ।

Shri Maharaj Singh Bharati : Hon. Minister has stated that the demand of loan has been increased during the slack season. I want to know the reasons for increasing this demand whether it is due to increasing economic activities in the country or due to some other reason.

If economic activities are being increased, the Government should fulfil the increasing demand of loan and if it is due to some other reason the hon. Minister should disclose that reason.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है क्योंकि इससे मूल्यों में वृद्धि हुई है और मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला है। हमें यह पता लगाना है कि ऐसा क्यों होता है। इस सम्बन्ध में सावधानी से जांच करनी होगी। लेकिन प्रश्न यह है कि इसका पता कैसे लगाया जाये ।

मैं इसके लिए केवल एक स्पष्टीकरण दे सकता हूं। जिन वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है उनके बारे में ऋण की अधिक मांग की गई थी। उदाहरण के तौर पर चीनी। जब किसी वस्तु का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है तो उसका स्टाक करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है ।

श्री महाराज सिंह भारती : यह वास्तविक मांग है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हां यह वास्तविक मांग है। लेकिन इससे अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता। मैं केवल अधिक ऋण की आवश्यकता के बारे में उल्लेख कर रहा था, जो मुख्य प्रश्न था। ऐसे ही कुछ कारण हैं और हम इन कारणों पर विचार कर रहे हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : So far as the aggregate deposits of the banks are concerned, their increase in deposits in 1968-69 were 16.4 per cent whereas there was an increase of 16.1 per cent in it last year. It shows that there is reduction in deposits. In the first year there was an increase of 15 per cent in bank credit, whereas the increase now is 21 per cent. Thus there is an increase of 6 per cent. I want to know whether it is a fact that that increase in credit is not productive purposes but non-productive purposes as Rs. 300 crores have been invested in the stock of sugar and food procurement and iron and steel ? In order to give more loans for productive purposes whether Government have decided the number of persons should go to agricultural sector and the number of persons should go to small scale sector and the number of persons should go to other sectors ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आप यह जानना चाहते हैं कि क्या हमने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए कोई औसत या अनुपात निर्धारित किया है। यदि हम केवल मशीनी तरीके से काम करेंगे तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रीयकरण के बाद निश्चित तौर पर एक अच्छा परिवर्तन हुआ है और वह यह कि अब तक ऋण संस्थाएं प्राथमिकता दिए जाने

वाले क्षेत्रों की ओर कम ध्यान दे रही थीं लेकिन अब इसमें सुधार किया गया है और इस ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है ।

आर्थिक विकास के कारण ऋणों की मांग में वृद्धि हुई है । उनके लिए बैंकों के पास अधिक साधन होने चाहिए । अतः अधिक धनराशि जमा करने पर जोर दिया जा रहा है ।

मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि बैंकों में जमा की गई धनराशि में कमी हुई है । मैं यह नहीं जानता यदि सदस्यों के पास अनुबन्ध दो हो...यह सच नहीं कि बैंकों में जमा धनराशि में गतवर्ष की तुलना में कमी हुई है । मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं ।

श्री कंवर लाल गुप्ता : मैंने कहा था तुलनात्मक कमी हुई है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : 27 दिसम्बर, 1968 से 31 दिसम्बर, 1969 तक जमा धनराशि में 567.1 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । जबकि 26 दिसम्बर, 1969 से 30 अक्तूबर, 1970 के बीच उक्त वृद्धि 710 करोड़ रुपये थी । इससे यह सिद्ध होता है कि जमा धनराशि में वृद्धि हुई है । लेकिन प्रश्न यह है कि जमा राशि में वृद्धि होने और ऋण की मांग में वृद्धि होने के अन्तर में वृद्धि हो रही है । इस को पूरा करना आवश्यक है । यही हमारी समस्या है ।

राष्ट्रीय परिवहन नीति

*516. **श्री न० कु० सांघी :** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक पहली अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति की सिफारिश के अनुसार विभिन्न परिवहन साधनों के विकास में समन्वय स्थापित करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर तकनीकी बोर्ड स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाने का है ; और

(ख) गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जल परिवहन विकास के लिए कितना प्रस्तावित पूंजी परिव्यय था और इसमें से वास्तव में कुल कितना व्यय किया गया ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) श्री बी० भगवती की अध्यक्षता में स्थापित अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय परिवहन नीति का आशय परिवहन के सभी साधनों के अन्तर्निहित लाभों की खोज से इस उद्देश्य के लिए होना चाहिए कि वह परिवहन के सभी साधनों के इस अनुपात तथा सम्मिश्रण से विकास के लिए स्थिति पैदा करे जिससे निम्नतम लागत से सम्पूर्ण परिवहन प्रणाली में उगाये गए धन से समाज की हर समय सारी परिवहन आवश्यकताओं को

पूरा करने हेतु अधिकतम प्रतिलाभ सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकारों के विचारों को लेकर तथा सम्बन्धित मंत्रालयों से परामर्श से समिति की इस सिफारिश पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

पूर्व समिति (गोखले) द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसरण में केन्द्र में एक तकनीकी निदेशालय की स्थापना की गई थी। आसाम, पश्चिमी बंगाल तथा केरल की राज्य सरकारों ने भी अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी मामलों को सुलझाने के लिए तकनीकी संगठनों की स्थापना की है। प्रत्येक राज्य स्तर पर ऐसे संगठनों या कम-से-कम अलग कक्षों (सैल) की स्थापना की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया। महाराष्ट्र तथा बिहार राज्य इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। अन्य राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि फिलहाल अलग सैल या संगठनों का वनाया जाना आवश्यक नहीं समझा गया था क्योंकि वहां पर पर्याप्त कार्य नहीं है तथा उन राज्यों में अन्तर्देशीय जल सम्बन्धी सभी मामले या तो उनके सिंचाई / सार्वजनिक कार्य विभागों द्वारा और/या राज्य पत्तन अधिकारियों द्वारा निपटाये जाते हैं।

(ख) यद्यपि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन से विकास के लिए कोई अलग विनिधान नहीं किया गया था, तथापि 33.08 लाख रु० गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के लिए अनुदानों तथा अंशदानों, जो कि जलयानों के अर्जन के लिए तथा साधारण खर्चे के लिए था, इसमें से व्यय किया गया। दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में क्रमश: 143.32 लाख रु० तथा 548.00 लाख रु० की नियोजन व्यवस्था में से क्रमश: 72.34 लाख रु० तथा 307.40 लाख रु० की राशि व्यय की गई।

श्री न० कु० सांघी : क्या यह सच है कि भगवती कमेटी ने इस हेतु चौथी योजना के लिए 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की सिफारिश की है जबकि योजना में 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिसमें से 50 प्रतिशत राज्यों का अंशदान होगा ? पश्चिम बंगाल तथा बिहार जहां जल परिवहन पर अधिक व्यय करना पड़ेगा की आर्थिक स्थिति डावांडोल है। इस अन्तर को दूर करने के लिए सरकार क्या करेगी ताकि 8 करोड़ की राशि का उपयोग अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए किया जा सके ?

श्री इकबाल सिंह : भगवती कमेटी ने कुछ विशेष सिफारिशें की हैं। हमने इन्हें राज्य सरकारों को भेज दिया है। अन्तर्देशीय जल परिवहन तथा इन सारी बातों से लिए चौथी योजना में 13 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है जिसमें से 5 करोड़ केन्द्रीय क्षेत्र के लिए, 4 करोड़ केन्द्रीय योजनाओं के लिए तथा 4 करोड़ राज्य क्षेत्रों के लिए है। हम इन्हें एक-एक करके परि-शोधित करेंगे और परियोजनाओं से सम्बन्धित राज्य सरकारों की सिफारिशों पर भी विचार करेंगे।

श्री न० कु० सांघी : सरकार द्वारा समन्वित परिवहन योजना प्रणाली की व्यवस्था का अभाव हो रहा है। फरक्का बांध के लिए समन्वित रेल-सड़क जल परिवहन बनाने की दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ? और राजस्थान नहर को भी संतोषजनक जल परिवहन बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री इकबाल सिंह : भगवती कमेटी की स्थापना अन्तर्देशीय जल-परिवहन के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए की गयी थी। कमेटी ने राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके इस पर विचार किया है। हम इनकी सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं। हमने राज्य सरकारों को अपने सुझाव देने के लिए कहा है।

फरक्का के बारे में हमने कमेटी की सिफारिशों को राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को भेज दिया है।

श्री न० कु० सांधी : राजस्थान नहर के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री धीरेश्वर कलिता : माननीय सदस्य ने कहा है कि भगवती कमेटी की स्थापना का उद्देश्य अन्तर्देशीय जल परिवहन का अध्ययन करना था। कमेटी ने विशेष रूप से सिफारिश की है कि ब्रह्मपुत्र के जल परिवहन, जिसका प्रबन्ध आर० एस० एन० कम्पनी करती आ रही है, जो कि अब अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को सौंपा गया है। यह नया प्रबन्ध शीघ्र लागू होना चाहिए जिसके लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार को करनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि भगवती कमेटी की सिफारिशों के इस पहलू पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्री इकबाल सिंह : भगवती कमेटी की सिफारिशें 27 अक्तूबर 1967 को प्राप्त हुईं और इसके एक महीने के भीतर ही हमने ये सिफारिशें राज्य सरकारों के सुझावों के लिए भेजीं। इन सिफारिशों को रचनात्मक रूप देने के लिए हमने हर प्रकार की कार्यवाही की है।

ब्रह्मपुत्र सम्बंधी कमेटी की सिफारिशों पर हमने राज्य सरकार के विचार मांगे हैं।

श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्या मैं जान सकता हूं कि इस अन्तर्देशीय जल परिवहन का सड़क तथा रेल परिवहन के साथ समन्वय करने के लिए सरकार क्या कर रही है और राज्य सरकार द्वारा स्वयं या केन्द्रीय सरकार की सहायता से सारा साल बहने वाली नदियों पर जल स्टीमर परिवहन की व्यवस्था करने का कोई विचार है ?

श्री इकबाल सिंह : भगवती कमेटी ने गंगा में स्टीमर चलाने की सिफारिश की थी। हम इस पर उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों के परामर्श से विचार कर रहे हैं। जब तक राज्य सरकार अपने हाथ में काम न ले उस समय तक यह कार्य सम्भव नहीं। हम तो केवल सहायता ही दे सकते हैं। आसाम के बारे में हमारा अनुभव यह है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी प्रगति न हो सकी। अतः हमने उत्तर प्रदेश तथा बिहार की राज्य सरकारों को यह काम सम्भालने के लिए कहा है और हम उनकी सहायता करने को तत्पर हैं।

श्री ए० जार्ज : मंत्री महोदय ने कहा है चौथी योजना के अन्तर्गत पांच करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय क्षेत्र के लिए और चार करोड़ की राशि केन्द्र द्वारा आरम्भ की योजनाओं के लिए निर्धारित की गयी है। केरल में अन्तर्देशीय परिवहन की क्षमताओं को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि केरल को कितना रुपया दिया गया है और क्या इसके राज्य की मांगें पूरी हो जायेंगी ?

श्री इकबाल सिंह : केरल की विशेष मांगों-सम्बन्धी सूचना अभी मेरे पास नहीं है। भगवती कमेटी ने एक योजना की सिफारिश की है। उसे हाथ में लेने के बारे में हमने राज्य सरकार को कहा है और उन्होंने नन्दीकेरा नामक योजना भेज दी है। हमने उन्हें उन योजनाओं के बारे में भी कहा है जिसकी सिफारिश की गयी है। चम्पाकरन नहर के लिए 167 लाख रु०, नन्दीकेरा नहर के लिए 41 लाख रु० और यात्री नावों के लिए 30 लाख रु० की व्यवस्था की गयी है।

मुख्य हवाई अड्डों पर बड़े जैट विमानों के उतरने की व्यवस्था

*518. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सभी मुख्य हवाई अड्डों पर बड़े जैट विमानों के उतरने के बारे में प्रबन्ध कर लिये गये हैं ; और

(ख) हवाई अड्डों में सुधार करने सम्बन्धी परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास के अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र अब भी बोइंग 747 विमानों को लेने की स्थिति में हैं। तथापि, आवश्यकताओं की अधिक उपयुक्त तरीके से पूर्ति करने के लिए कई आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं तथा अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। लगभग सभी देशीय विमानक्षेत्र, जिनके लिए इंडियन एयरलाइंस द्वारा बोइंग 737 विमान परिचालित किये जाने की संभावना है, इस विमान के परिचालन के लिए उपयुक्त हैं।

(ख) चौथी योजना में चार अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों का विकास करने के लिए 37.50 करोड़ रुपये की तथा देशीय विमानक्षेत्रों के लिए 5.00 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : वर्तमान योजना के अन्तर्गत ही चार बड़े अड्डों पर ये योजनाएं आयेंगी। क्या मैं जान सकता हूं कि ये बड़ी योजनाएं और अड्डों के लिए भी लागू होंगी; यदि हां, तो ये योजनाएं विस्तार से क्या हैं ?

पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : बड़ी योजनाओं का तात्पर्य यदि माननीय सदस्य का बोइंग 747, तथा जम्बो जैट से है तो हम अभी उसे लागू नहीं कर रहे; आने वाले वर्षों में ज़रूरत पड़ने पर हम ऐसा कर सकते हैं। यदि उनका अर्थ बोइंग 737 से है तो ये 4 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उतर रहे हैं और साथ-साथ 15-20 अन्य अड्डों पर भी।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : अभी हाल ही में कमर्शियल पाइलेट एसोसियेशन तथा सरकार के बीच यह झगड़ा था कि इन जहाजों को उड़ाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला। यह आरोप क्या सच है ?

डा० कर्ण सिंह : बोइंग 737 का प्रशिक्षण सुचारु रूप से चल रहा है। आखिरी बैच में कुछ कठिनाई हो गयी थी, अब वह भी ठीक कर दी गई है और वे दिसम्बर में जा रहे हैं। जब यह कार्यक्रम समाप्त होगा तो हमारे नये जहाज़ पहली जनवरी से चलने शुरू हो जावेंगे।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम् : मन्त्री महोदय ने बताया कि बोइंग 737 अन्य अड्डों पर भी जावेगा। क्या विजगापट्टम भी इन अड्डों में शामिल है ?

डा० कर्ण सिंह : मेरे विचार में यह अभी शामिल नहीं है। आने वाले वर्ष में मांग बढ़ने पर शायद यह जहाज वहां भी जाने लग जावेगा।

श्री बसुमतारी : यहां आश्वासन दिये गये कि दिल्ली से गोहाटी तक जैट जहाज़ चलेगा। उसकी क्या स्थिति है ?

डा० कर्ण सिंह : कलकत्ता-गुहाटी मार्ग, नये जैट जहाज़ों के मार्गों में से एक है।

वेदव्रत बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गोहाटी एक बड़ा हवाई अड्डा है और चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से अधिक लाभकारी है, तो गोहाटी की मौजूदा स्थिति ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

डा० कर्ण सिंह : जैसे कि मैंने कहा हमने गोहाटी को 737 कार्यक्रम में शामिल कर लिया है.....(**व्यवधान**)। इसके अतिरिक्त हम पूर्वी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री रंगा : क्या यह सच है कि विज़ोग की पूरी तरह से उपेक्षा की गयी है ?

डा० कर्ण सिंह : जी नहीं।

Shri Bal Raj Madhok : Is it fact that you have enlarged the runways for these major planes and have acquired additional land at Delhi and other places. May I know whether compensation was paid to the individuals whose land was acquired ? Is it also fact that you have encircled the entire Mangla village with a view to enlarge the Palam Airport and the villagers have no path to enter their village.....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री बलराज मधोक : प्रश्न पर विचार करें ; हम कोई बेवकूफ नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपको चाहिए...

श्री बलराज मधोक : आपको प्रश्न देखना चाहिए जो प्रासंगिक है। इन्होंने हवाई अड्डे को बढ़ा दिया है जिसके फलस्वरूप कुछ समस्याएं खड़ी हो गयी हैं और मैं मन्त्री महोदय का ध्यान उस ओर आकृष्ट कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे ठीक नहीं मानता, मैं यूं ही नहीं चिल्लाता।

श्री बलराज मधोक : आप इसे ठीक न समझें पर यह ठीक है।

श्री सु०कु० तापड़िया : इन्होंने बड़े-बड़े जहाजों के उतरने की बात की है। मुझे आशा है कि उनका उत्तर जहाजों के उतरने तक ही सीमित नहीं। यात्रियों के सामान को शीघ्र प्राप्त करने तथा जांच के बूथ बढ़ाने के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है। जब अधिक यात्रियों वाले केरेवलेस को चालू किया गया तो जांच के बूथ नहीं बढ़ाये गये लेकिन समयानुकूल जाँच बढ़ायी गयी। मैं जानना चाहता हूं कि जांच के बूथ बढ़ाये जावेंगे और बोइंग 737 के हवाई अड्डों पर सामान जल्दी इधर-उधर भेजने का प्रबन्ध किया जावेगा ?

डा० कर्ण सिंह : ये प्रबन्ध जरूरी हैं। हमारे हवाई अड्डों पर, जहां तक बोइंग का सम्बंध है, हमने सीमा शुल्क, आप्रवास आदि-आदि सम्बंधी अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की है ताकि यात्रियों को अधिक देर तक न प्रतीक्षा करनी पड़े...**(व्यवधान)** अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी स्थानीय उड़ानों के लिए ये सुविधाएं प्रदान की जावेंगी। अन्य हवाई अड्डों पर भी अपने सीमित साधनों के साथ हम सामान सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने जा रहे हैं।

श्री कंवरलाल गुप्त : इसमें दो घन्टे लगते हैं...**(व्यवधान)**

श्री सु०कु० तापड़िया : यह सरलता से कैसे मिल सकती हैं ?

श्री रंगा : विशाखापटम के औद्योगिक विकास तथा चालू होनें वाले इस्पात परियोजन को देखते हुए क्या कारण है कि सरकार उस अड्डे के साधारण सुधारों को भी नहीं करती और जिन सुधारों का सुझाव दिया गया, उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा क्यों समझा गया ? मद्रास-विशाखापटम-कलकत्ता की हवाई उड़ानों को सरकार नें क्यों बन्द किया है ?

डा० कर्ण सिंह : मैं इसका उत्तर अभी नहीं दे सकता लेकिन माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि विशाखापटम की सही ज़रूरतों को पूरा करनें के लिए हम अवश्य ध्यान देंगे।

श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या बोइंग 737 भुवनेश्वर जायेगा ? क्या भुवनेश्वर हवाई अड्डे को इन जहाजों के लिए सुधारा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : हर समय हर सदस्य जिस किसी भाग के बारे में पूछ रहा है **(व्यवधान)** अगर ये तैयार हैं तो उत्तर देंगे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आपने गोहाटी तथा विशाखापटम के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति दी है, आप भुवनेश्वर सम्बन्धी प्रश्न की अनुमति क्यों नहीं देते ?

श्री श्रीनिवास मिश्र : उन्हें उत्तर देने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे रोका नहीं । शायद आपने मुझे गलत समझा है। मैंने कहा कि वे यदि तैयार हों तो उत्तर देंगे...(**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्हें उत्तर देने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास इस बारे में कोई सूचना है...(**व्यवधान**) ।

श्री फ० गो० सेन : एक तरफ तो वायुयान चालकों ने एवरो उड़ानों को छोड़ दिया है और दूसरीं ओर सरकार कहती है कि कहीं भी कोई खराबी नहीं । मैं जानना चाहता हूँ कि वास्तव में स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी आज्ञा नहीं दूंगा । यह प्रश्न एवरो की उड़ानों से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री ए० श्रीधरन : हवाई यात्रा के विकास तथा विस्तार के साथ-साथ बंगलौर तथा मद्रास के हवाई अड्डों की उपेक्षा की जा रही है । मैं जानना चाहता हूँ कि कोचीन तथा त्रिवेन्द्रम के हवाई अड्डों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं और क्या बोइंग 737 इन हवाई अड्डों पर उतरेगा ?

डा० कर्ण सिंह : कुछ समय पहले मैं स्वयं त्रिवेन्द्रम गया था तथा अधिक जमीन अधिग्रहण करने के लिए बातचीत की । हम त्रिवेन्द्रम को प्राथमिकता देने के लिए सहमत हैं । हम उस दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं ।

कोचीन का अड्डा रक्षा मंत्रालय के अधीन है । मैंने यह बात रक्षामंत्री से चलायी है और हम महसूस करते हैं कि इस वायुमार्ग में काफी यात्री होते हैं । जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा, हम कोचीन के अड्डे के लिए जरूर करेंगे ।

श्री ए० श्रीधरन : क्या बोइंग 737 भी वहां जायेगा ?

डा० कर्ण सिंह : अभी कोचीन का अड्डा इतना बड़ा नहीं कि उस पर बोईंग 737 उतर सके यद्यपि हम चाहते हैं कि यह हवाई जहाज वहां उतरे । अतः हमने रक्षा मंत्रालय से कहा है कि इसका विस्तार करे ताकि वहां बोइंग 737 को उतारा जा सके ।

Shri Shinkre : Small Goa is an attractive centre from the point of view of tourism. Has the hon. minister any scheme to develop the Dabolim airport.....

श्री श्रीनिवास मिश्र : आपने गोहाटी तथा विशाखापटम के बारे में प्रश्नों की अनुमति दी है । आपने भुनेश्वर सम्बन्धी मेरे प्रश्न के लिए क्यों नहीं अनुमति दी...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे रोका तो नहीं ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : आप मुझे शोर मचाने पर मजबूर कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : गलतफहमी हो गयी है । मैंने इसे रोका नहीं । मैंने कहा कि सदस्य एक साथ बोल रहे हैं । मैंने कहा कि ये उत्तर दे सकते हैं यदि इनके पास इस बारे में सूचना हो ।

Dr. Karan Singh : So far as Goa is concerned, we admit that Goa is an attractive place from the point of view of tourism. We are formulating schemes for flying new planes to Goa

So far as Bhuvneshwar is concerned, as far as I know, our new planes are also being introduced there. But I will give full details about it after 12 A. M. today after collecting the information.

अध्यक्ष महोदय : मुझे खुशी है कि किसी भी सदस्य ने सत्कारिणियों की बढ़ोतरी के लिए नहीं कहा ।

तस्करी में अन्तर्ग्रस्त हिन्दी अधिकारी के विरुद्ध जांच

*519. **श्री जगेश्वर यादव :**
श्री रामजी राम :

क्या **वित्त** मंत्री 6 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 813 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक तस्करी गिरोह में कथित रूप से अन्तर्ग्रस्त वित्त मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी के विरुद्ध जांच का मामला, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने जांच का वचन दिया था, अभी तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नहीं सौंपा गया है ; और

(ख) इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को न सौंपने और अधिकारी के विरुद्ध जांच को अन्तिम रूप न देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) यह आरोप लगाया गया था कि एक विदेशी राष्ट्रजन के साथ इस अधिकारी का मेलजोल, तस्कर-कार्य में संलग्न होने की दृष्टि से संदेहास्पद है। इससे पहले की एक शिकायत में भी संभावित सुरक्षा के पहलू की ओर संकेत किया गया था । इसलिए जांच का काम, राजस्व आसूचना और जांच निदेशालय के महा-निदेशक को सौंपा गया था जो भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और इस बात के अलावा कि वे आजकल तस्कर-विरोधी कार्य और प्रवर्तन-सम्बन्धी काय कर रहे हैं, उन्हें इससे पहले खुफिया ब्यूरो (इन्टैलिजैंस ब्यूरो) में काम करने का काफी अनुभव प्राप्त है ।

महा-निदेशक की रिपोर्ट को देखते हुए, इस आरोप को कि इस अधिकारी की परिसम्पत्ति उसकी आय के ज्ञात साधनों के अनुपात से अधिक है, जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है, जिसने इस मामले को दर्ज कर लिया है ।

Shri Jageshwar Yadav : Sir, why this darkness below the lamp ? The Hindi Officer has accumulated so much of property and even then why leniency is being shown towards him ? The Prime Minister Shrimati Indira Gandhi had promised in this House full enquiry in the matter but in spite of that leniency is being shown to him. It appears that second orders have been issued inwardly. It was stated in the House that stern action would be taken and enquiry would be conducted but even then no attention has been paid towards the property held by this officer. This officer has accumulated so much of property on the face of Palmistry.

Shri Vidya Charan Shukla : Departmental enquiry has been conducted in accordance with the assurance given in this House and thereafter it was found that the assets being owned by this officer, were disproportionate to his known means of income. The case was, therefore referred to C.B.I. As I have already stated in reply to the main question a case has been registered and investigations are continuing. Whatever the assurance was given in this regard in this House, it has been fulfilled and there has not been any dereliction in this regard.

Shri Jageshwar Yadav : It is the third time that question has been raised about this man. As much delay is being made in this regard it is causing increased opposition in the House. If investigations are not carried out at an early date the question would be raised off and on. Why leniency is being shown in this case ?

Mr. Speaker : It has been replied.

श्री क० लकप्पा उठे ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलें ।

श्री क० लकप्पा : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हालांकि देखने में यह सरल के समान प्रतीत होता है । वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध हिन्दी अधिकारी न केवल विदेशी मुद्रा के गड़बड़-घोटाले में अन्तर्ग्रस्त हुए हैं परन्तु उनके विरुद्ध कुछ विशिष्ट आरोप भी हैं । इस अधिकारी के नाम पर बेंकाक से एक पत्र प्राप्त हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें । आप सीधा प्रश्न पूछें । यह प्रश्नों का घंटा है न की चर्चा का ।

श्री क० लकप्पा : वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यवाई क्यों नहीं की जा रही है ? इसके पीछे क्या गोपनीयता है ? वह उसे प्रकट करें और मैं सीधा प्रश्न पूछूंगा । बेंकाक के एक व्यापारी, मिस्टर पॉल ग्रेडी से उनके नाम एक पत्र है । इस व्यक्ति तथा इन हिन्दी अधिकारी के पुत्र के बीच कुछ पत्र-व्यवहार हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री क० लकप्पा : क्योंकि वह पत्र मेरे पास है इसलिए मैं इस प्रकार पूछ रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस ढंग की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि किसी व्यापारी के साथ पत्र-व्यवहार हुआ है और वह पत्र उनके अधिकार में है तो उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए ।

श्री क० लकप्पा : प्रश्न पूछने से पूर्व मैं आप को इस प्रश्न की प्रासंगिकता के सम्बन्ध में बताना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रासंगिकता का निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं तो मेरे यहां पर होने की क्या उपयोगिता है ?

श्री क० लकप्पा : पत्र इस प्रकार है :

"आज छुट्टी का दिन होने के कारण कुछ विचार भेजे बिना मैं इसे व्यतीत नहीं होने देना चाहता । इस विश्वास के साथ कि यह पत्र आपको तथा आपके परिवार को स्वस्थ तथा प्रसन्नतापूर्वक पायेगा एडवाइन एवं डेनी भी मेरी इन सद्भावनाओं के सहयोगी हैं । हम अच्छी प्रकार से हैं ।"

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पत्र को पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा । प्रश्न पूछें ।

श्री क० लकप्पा :

"अब व्यापार भी अच्छा चल रहा है और मैं जानता हूँ कि मैं इसे अच्छा बना लूंगा । इस का लेखा अभी तक नहीं प्राप्त हुआ परन्तु मेरा विचार है कि वह कम्पनी विक्रय बढ़ाने के लिए विज्ञापन कला का उपयोग करेगी, पी० ए० जी० लेखा तैयार करवायेंगे ।"

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुःख है कि मैं इस पत्र को पढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता । आप मेरी अनुमति के बिना ऐसा कर रहे हैं ।

श्री क० लकप्पा : यह एक लम्बा पत्र है ।

अध्यक्ष महोदय : पत्र में से उद्धरण प्रस्तुत करना कभी-कभी अच्छा होता है परन्तु रोज ऐसा करना अच्छा नहीं । कभी-कभी ऐसा करने को मैं अनुचित नहीं समझता । परन्तु इसे दैनिक घटना न बनाएं ।

श्री क० लकप्पा : हिन्दी अधिकारी के पुत्र तथा बेंकाक के व्यापारी के मध्य यह एक लम्बा पत्र है । इस पत्र से पता चलता है कि विदेशी मुद्रा के गड़बड़ घोटाले में वित्त मन्त्रालय का कोई अधिकारी अन्तर्ग्रस्त है । बेंकाक के इस व्यापारी की सहायता हेतू यह हिन्दी अधिकारी वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है । काफी लम्बे समय से ऐसा चल रहा है । इस सम्बन्ध में एक नहीं अनेक प्रश्न पूछे गए हैं । जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को निर्देशित फाइल में से यह लम्बा पत्र गुम है । क्या इस गड़बड़ घोटाले के सम्बन्ध में संसद सदस्यों

की एक जांच समिति गठित करने के बारे में मन्त्रालय विचार करेगा ? वित्त मन्त्रालय इस जांच में देरी इस कारण से कर रहा है क्योंकि उस मन्त्रालय में कार्य करने वाले लोग भी इस मामले में अन्तर्ग्रस्त हैं । क्या यह सच नहीं है कि यह अधिकारी अधिकारियों को "सुनहरी राहों" जैसीसुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और यही कारण है कि सम्बद्ध अभिलेख केन्द्रीय जांच ब्यूरो को उपलब्ध नहींकरवाये गए थे ? क्या जांच में तेजी लाने के लिएसरकार कोई कार्रवाई करने का विचार करती है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप का प्रश्न समाप्त हो गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि मेरे द्वारा दिया गया मूल उत्तर माननीय सदस्य ने सुना होता तो शायद वह इतने क्रुद्ध न होते । मैंने बताया था कि इस अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों के दो पहलू थे सुरक्षा तथा विदेशी मुद्रा । परन्तु इन आरोपों के संबन्ध में एक ऐसे अधिकारी द्वारा गंभीरता से जांच की गई थी जिन्हें इस संबन्ध में काफी अनुभव है और बहुत ही विस्तृत जांच एवं अन्वेषण के पश्चात् यह पाया गया कि इस मामले में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं ।

पत्र के बारे में यह आरोप लगाया गया है कि वह गुम है, परन्तु पत्र गुम नहीं है । वह पत्र जांच अधिकारी को दिखाया गया था जिसने उसकी एक प्रति लेकर मूल पत्र को वापिस कर दिया था, क्योंकि जांच के लिए उसकी आवश्यकता थी । अगर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लिए उस पत्र की आवश्यकता हो तो उसे वापिस भी लाया जा सकता है । जैसा कि मैंने अपने मूल उत्तर में कहा हैं, इस पूरे मामले पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है और वहां यह मामला दर्ज भी कर लिया गया है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो पूरे मामले की जांच-पड़ताल कर रहा है और मुझे आशा है कि जल्दी ही उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा और उस प्रतिवेदन के आधार पर जो भी कार्यवाही उचित होगी, हम करेंगे ।

श्री क० लकप्पा : मेरा आरोप यह था कि वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें बैंकाक ने लड़कियां सप्लाई की जा रही हैं ताकि वह रिकार्ड को नष्ट कर दें और उस अधिकारी के विरुद्ध जो जांच है, उसमें विघ्न डाला जा सके । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह पत्र मिल गया है और क्या वह वहां है ; या नहीं । यही मेरा आरोप है । आप इसका उत्तर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं, अपितु यह एक आरोप है ।

श्री क० लकप्पा : प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय में कार्य कर रहे अधिकारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बैंकाक से लड़कियां सप्लाई करने पर, कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि ऐसा पत्र रहा है । माननीय सदस्य ने कहा कि जो कुछ वह कह रहे हैं, पत्र में भी उसका उल्लेख है । जब तक मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण नहीं करते, इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इसका स्पष्टीकरण करने को तैयार हूं । माननीय सदस्य ने अभी-अभी जो आरोप लगाया है उसके बारे में अब तक की गई जांच में कुछ भी नहीं मिला ।

श्री स० मो० बनर्जी : जांच आपके अधिकारी द्वारा की गई थी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, is it apparent from the seized documents, that officer concerned was making use of code words for smuggling and uptil now C.B.I. has not succeeded to trace out the meaning of these codes ?

Secondly, so long as the enquiry lasts, whether the concerned officer will be suspended, or has been suspended or is still working in the office ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already submitted that the object of departmental enquiry was to find out whether he was involved in smuggling or not, whether it has got any link with security or not or whether he is having malafide relations with any foreign citizen ? It was also ascertained whether any code words were used or not and it was brought to light in that enquiry that no such code words were used. It was just an ordinary letter. There is no such important clue in the letter on the basis of which any action can be taken against him. But as I have already submitted that it was revealed by the enquiry that the property of concerned officer was much more than his resources and salary. Therefore, it was considered that his entire case should be given to C.B.I. Usually the officer in such circumstances is transferred or suspended on the advice of Investigating Authority. But no such recommendation has been received in this case from C.B.I.

As regards his official duties, he is doing the job of translation. He is doing Hindi translation and no complaint has been received about his work. In case there had been a little hint from C.B.I. that, that officer should be removed or suspended, we would have done that. But as C.B.I. has not given any hint, so no action has been taken.

Shri S. M. Banerjee : In this connection, Shri Hem Barua and myself wrote so many letters to the then Finance Minister, Shri Morarji Desai. We are told that every Minister and high Government Officer is taken in by the Mantras and magical powers of this man. This man has got certain qualities such as he knows palmistry and astrology. What I mean to say is, that he impresses the people by various ways. I would like to know from the hon. Minister whether this man got a quarter allotted to him on the plea that he is worshipping the Goddess there ? In this way this person impressed the Finance Minister and the other high officers of the Ministry by using his knowledge of astrology or occult powers. That is how he gets his work done, whether it is his promotion or allotment of a quarter by Ministry of Works and Housing. Whether C.B.I. also enquire into all such works which he got done by the influence of his astrology or occult powers or a departmental enquiry will be instituted ? The minimus that the Government must do in this connection is that the officer must be transferred even if for doing so, promotion may have to be given to him, so that this officer may not defame the Hindi and the Hindi people.

Shri Atal Bihari Vajpayee : He is bringing a bad name to Hindi.

Shri Vidya Charan Shukla : As regards his promotion, he got it through UPSC. UPSC advertised a class one post, so many officers participated in it and he was selected. No promotion has been given by Finance Ministry. It is true that those who know astrology or possess certain occult powers, they come into easy contact with other people. But he has neither seen my palm nor that of Finance Minister. We know nothing beyond that. I may add here that those who are in possession of such howers they can use or misuse such powers. He might have done so. I know nothing about the allotment of his quarter.....(*Interruptions*).

श्री म० ला० सोंधी : इन्होंने काफी कुछ कह लिया है। बहुत के महत्त्वपूर्ण प्रश्न अभी बाकी हैं। असंगत प्रश्न पूछे गये हैं। आप उनकी अनुमति दे रहे हैं। मैं यह सब देख रहा हूं। आप दोहरे स्वर अपना रहे हैं ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया बैठ जायेंगे ? इस प्रकार खड़े होने की आपने आदत ही बना ली है।

श्री म० ला० सोंधी : न्याय पाने के लिए मैं इसे आदत ही बना लूंगा। किसी धमकी के...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था, व्यवस्था, मैं इसका बहुत विरोध करता हूं।

श्री बलराज मधोक : मैं भी इसका विरोध करता हूं। जितने भी प्रश्न पूछे गये हैं उनमें से केवल मेरा प्रश्न ही विषय से सम्बद्ध था। क्योंकि आप कुर्सी पर बैठे हैं, अतः आप जो भी कहते हैं, वह हमें स्वीकार करना पड़ता है। मेरा प्रश्न ही विषय से सम्बद्ध था।

अध्यक्ष महोदय : वह विषय से सम्बद्ध नहीं था।...(**व्यवधान**) आप सोचते हैं कि शोर करने से सब कुछ हो सकता है।

श्री म० ला० सोंधी : महात्मा गांधी ने शोर किया, लोकमान्य तिलक ने शोर किया, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने शोर किया...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जो लोग यहां नहीं हैं आप उनके स्वर क्यों अपनाते हैं ? उन्होंने जो कुछ कहा, क्या आप उस सब का पालन कर रहे हैं ? अगला प्रश्न ; श्री म० ला० सोंधी।

एक माननीय सदस्य : इसीलिए वह इस प्रकार शोर कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि दो मिनट में प्रश्नकाल समाप्त हो जायेगा। खैर मैं बहुत अनमने मन से श्री म० ला० सोंधी को बुला रहा हूं।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक सहायता

*525. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **उपभोक्ता** वस्तुओं के मूल्य में हाल ही में हुई वृद्धि से केन्द्रीय सरकार के कम **वेतन वाले** कर्मचारियों पर पड़े प्रभाव का सरकार ने कोई अध्ययन किया है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता के रूप में दी गई राशि के अतिरिक्त कोई और सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तृतीय वेतन आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में सिफारिश की है कि यदि कीमतों की स्थिति **अदम्य** बनी रहे तो जब **सूचकांक** का बारह महीनों का औसत 228 पर पहुंच जाय, तब अन्तरिम राहत की मात्रा की समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है। सितम्बर 1970 में जीवन-निर्वाह मूल्य **सूचकांक** का बारह महीनों का औसत केवल 220.17 था, इसलिए इस समस्या के किसी विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

श्री म० ला० सोंधी : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि इस मामले का दायित्व उन पर है और वेतन आयोग पर नहीं है ? केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने 70 रुपये की अंतरिम सहायता की मांग की थी। उन्हें केवल 15 रुपये या कुछ अधिक दिए गये हैं। वहां भेदभाव क्यों है और चतुर्थ श्रेणी तथा निम्न वेतन वाले कर्मचारियों का पक्ष क्यों नहीं लिया गया ? प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बार-बार केवल इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि निम्न वेतन वाले कर्मचारियों का पक्ष लेने के लिए ही भेदभाव किया जाना चाहिए। क्या वित्त मंत्री ने प्रधान मंत्री के सिद्धांतों का खंडन करने के लिए ही यह कार्य किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : दायित्व की बात तो बहुत स्पष्ट है। दायित्व तो सरकार का ही है क्योंकि वही तो संसद के समक्ष उत्तरदायी है। परन्तु इस मामले में, जैसे कि हमने पहले भी अनेक बार कहा है, हम वेतन आयोग के विशेषज्ञों की राय जानना चाहते थे। उनको सैकड़ों ज्ञापन तथा अनेक आवेदन भेजे गये। वेतन आयोग ने उन सभी पर विचार किया और अपनी सिफारिशें पेश कीं और अपनी सिफारिशों के साथ ही उनका औचित्य भी स्पष्ट बता दिया। वित्त मंत्रालय ने इन सिफारिशों की सूक्ष्म छानबीन की और जब हमें यह विश्वास हो गया कि उनकी सिफारिशें न्यायोचित हैं, तभी सरकार ने उन्हें स्वीकार कर क्रियान्वित किया। इसीलिए तो मैंने अपने मौखिक उत्तर में यह कहा है कि यह सूचकांक पर भी निर्भर करता है और चूंकि सूचकांक अभी उस स्थिति को नहीं पहुंचा जहां कि इसके पुनरीक्षण की आवश्यकता हो, अतः अभी पुनरीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु जब ही पुनरीक्षण की स्थिति उत्पन्न होगी, हम उसे निश्चय ही करेंगे।

श्री म० ला० सोंधी : मेरा अगला प्रश्न जो कि लगभग 67 लाख निम्न वेतन वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में था, उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। मेरा प्रश्न बहुत ही स्पष्ट और सीधा है। मंत्री महोदय को सभा को भ्रम में नहीं डालना चाहिए। क्या यह सच है कि सितम्बर 1970 का सूचकांक 228 है ? यह आंकड़े मुझे अभी संसद पुस्तकालय से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने मुझे टेलीफोन किया है। औसत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। औसत की इन्तजार तो दुनिया के अन्त तक भी की जा सकती है। सितम्बर 1970 में यह 228 है। अध्ययन के लिए यह बहुत स्पष्ट आधार है कि मकानों का किराया 70 से 75 रुपये तक है और यह केवल 15 रुपये की अल्प वृद्धि से ही उन लोगों की आवश्यकताओं की क्या पूर्ति होगी जिन्हें 70 रुपये पर केवल एक कमरा किराये पर मिलता है जिसके साथ न कोई रसोई होती है और न ही स्नानगृह। आप मेरे साथ चलिए और मैं आप को अगली कालोनी के मकानों में ले चलूं। अतः क्या मैंने इनकी बात ठीक ही

सुनी है कि वह आप इस बारे में कोई अध्ययन नहीं करना चाहते ? निम्न वेतन वाले कर्मचारियों का जो अध्ययन, उनके मंत्रालय ने करना है, यदि वह उसे आरम्भ करने से इन्कार करते हैं तो क्या वह अपनी आंखों पर काला चश्मा या अन्धेरी लगा लेंगे ? क्या वह इस प्रश्न का उत्तर देंगे और इसे टालेंगे नहीं ? प्रश्न यह है : क्या सितम्बर 1970 के सूचकांक 228 को ध्यान में रखते हुए क्या उनका मन्त्रालय दिल्ली के निम्न वेतन वाले कर्मचारियों के अध्ययन का कार्य आरम्भ करेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ऐसा अध्ययन हम निरन्तर करते रहते हैं और मैं इस समस्या के अध्ययन के लिए माननीय सदस्य का सहयोग लेने को भी तैयार हूँ। मेरा उनके साथ कोई द्वेष नहीं है। हम केवल न्याय चाहते थे, हम केवल उचित बात चाहते थे। इसीलिए हमने सोचा कि वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना ही सबसे अच्छा है। माननीय सदस्य को अच्छी तरह मालूम है कि मासिक औसत की गणना नहीं की जाती। श्रमिक आयोग द्वारा स्वीकार किए गए सूत्र के अनुसार ही केवल वार्षिक औसत को ही गिना जाता है। मासिक औसतों को नहीं गिना जाता और अभी वार्षिक औसत के आँकड़े नहीं आये, इसीलिए अभी कोई अध्ययन आरम्भ नहीं किया गया। ज्यों ही यह आंकड़े वार्षिक औसत को पहुंच जायेंगे, हम निश्चय ही इस मामले का पुनरीक्षण करेंगे।

श्री म० ला० सोंधी : उच्च वेतन वालों को आपने 45 रुपये दिए हैं। निम्न वेतन वाले के बारे में क्या किया है ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कोचीन शिपयार्ड, केरल में नियुक्तियाँ

*511. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में कोचीन शिपयार्ड में अनेक पदों के लिए पहले ही नियुक्तियां कर ली गई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या नियुक्तियाँ करते समय कोचीन शिपयार्ड स्थल से निष्कासित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी और यदि हां, तो किस प्रकार ?

संसदकार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां। कोचीन शिपयार्ड परियोजना संगठन में अब तक जिन पदों पर नियुक्तियां की गयीं उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4482/70]

(ख) परियोजना के निर्माण के लिए अधिकारियों तथा अमला की तुरंत आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए कुछ राजपत्रित पदों पर केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, संगठनों तथा केरल सरकार के उपयुक्त उम्मीदवारों में से चयन करके एवम् प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती किए गए। तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अधिकांशतः रोजगार कार्यालय के मार्फत भर्ती की गई।

ज्ञात हुआ है कि परियोजना संगठन का नाम अग्रेषित करते समय रोजगार कार्यालय द्वारा यथा संभव किस हद तक तथा उनके अन्यथा उपयुक्त होने के अधीन शिपयार्ड स्थल से निष्कासित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। वास्तव में कुछ निष्कासित व्यक्तियों को पहले ही शिपयार्ड में भर्ती तथा नियुक्त किया गया है।

भारत में 1974 के एशियाई खेलों का आयोजन करना

*512. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद ने सरकार से निवेदन किया है कि वह भारतीय ओलम्पिक संगठन में वर्ष 1974 में होने वाले एशियाई खेलों को भारत में आयोजन करने के बारे में प्रयास करने के लिए कहे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारतीय ओलम्पिक संस्था ने, 1974 के एशियाई खेलों के लिए भारत में आमन्त्रित करने की आवश्यक अनुमति के हेतु सरकार से प्रस्ताव किया था और अखिल भारतीय खेलकूद परिषद ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया था।

(ख) विषय विचाराधीन है।

मैसर्स कपाडिया ब्रदर्स के लेखों की जांच

*514. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स कपाडिया ब्रदर्स द्वारा अपने आयकर विवरणों में बहुत कम आय दिखाने के बावजूद क्या उन्होंने नेशनल रेयन के शेयर लिये हैं और किर्लिका निक्सन जैसी अनेक बड़ी फर्मों को अपने नियंत्रण में ले लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने इन शेयरों का क्रय तथा अनेक फर्मों को अपने नियंत्रण में काले धन से लिया है जो कि उन्होंने स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त इस्पात की चादरों की बिक्री से अर्जित किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उनके लेखों की जांच तथा करोड़ों रुपयों के काले धन का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सम्भवतः संकेत मैसर्स मगनलाल छगनलाल प्राइवेट लिमिटेड की ओर है जिसके शेयर कापडिया ब्रदर्स ने ले रखे हैं। यह सच है कि मैसर्स मगनलाल छगनलाल प्राइवेट लिमिटेड ने नेशनल रेयन तथा कुछ अन्य कम्पनियों के शेयर बड़ी संख्या में प्राप्त कर रखे हैं। कापडिया ब्रदर्स और उनके द्वारा नियंत्रित विभिन्न कम्पनियों द्वारा अदा किये जाने वाले कर नगण्य नहीं हैं।

(ख) मैसर्स मगनलाल छगनलाल प्राइवेट लिमिटेड ने और उस समूह की अन्य कम्पनियों ने विभिन्न कम्पनियों के शेयर इन साधनों से प्राप्त किए हैं :—

(i) कम्पनियों की चुकता पूंजी और उन कम्पनियों के लाभ, जिनमें वे लेखाबाह्य लाभ भी शामिल हैं जिनको स्वेच्छा से आय प्रकट करने की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रकट किया गया था ;

(ii) ऋण ;

(iii) जिस ब्रिटिश पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड को इस समूह ने 1966 में प्राप्त किया उस कम्पनी में उपलब्ध बड़ी भारी नकद रकम ।

मैसर्स मगनलाल छगनलाल प्राइवेट लिमिटेड को मिली स्टील की चादरों में उन्हें जितना लाभ हुआ उसके बारे में जांच-पड़ताल चल रही है ।

(ग) पहले की गई जांच-पड़तालों से लगभग 66 लाख रुपये की छिपाई गई आय का पता चला था । इस आय में वह आय भी शामिल है जिसका पता स्वेच्छया आय प्रकट करने से पहले नहीं लग सका था। इस सबके अतिरिक्त भी छिपायी गयी आय सम्बन्धी शिकायतों की जांच की जा रही है। सम्यक् जांच के लिए इस समूह के मामलों को ऐसे एक केन्द्रीय आयकर आयुक्त के अधिकार-क्षेत्र में भेज दिया गया है, जहां बड़े पैमाने के कर-अपवंचन के मामलों की जांच की जाती है ।

जीवन बीमा निगम पालिसी-धारियों से वसूल की जाने वाली ब्याज की दर में वृद्धि

*515. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के जीवन बीमा निगम ने पालिसी-धारियों की पालिसी पर उन्हें ऋण देने के लिए उनसे वसूल की जाने वाली ब्याज की दर में हाल में वृद्धि की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी, वृद्धि की गई है ; तथा उक्त वृद्धि के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) ब्याज की दर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दी गयी है । यदि उसी पालिसी पर अतिरिक्त ऋण नहीं लिया जाता है तो ब्याज की निम्नतर दर लगती रहेगी । कारण ये हैं :—

(i) हाल में, अन्य निवेशों से होने वाले लाभ में वृद्धि हुई है, जैसे प्रथम श्रेणी के ऋणपत्रों पर लाभ अब 9 प्रतिशत से भी अधिक है, प्रथम श्रेणी के शेयरों पर लाभ 9 से 12 प्रतिशत के बीच है, और बैंक में जमा रकमों पर 7 प्रतिशत है । इसके अतिरिक्त, जो बैंक बीमा पालिसियों पर ऋण देते हैं, वे 9 और $10\frac{1}{2}$ प्रतिशत के बीच ब्याज लेते हैं ।

(ii) पालिसियों पर दिए गए ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज में से कार्यालयी व्यय को घटाने के बाद जो दर रहती है उसका, ऋण देने सम्बन्धी सेवा की लागत में वृद्धि होने से, क्षरण हो रहा है । इसलिए, अन्यथा निवेश किए जाने पर रकम से जो लाभ प्राप्त होता, उसके मुकाबले प्रभावी ब्याज की दर में जितनी कमी रहती है उतने अंश तक, ऋण नहीं लेने वाले पालिसी-धारियों को हानि होकर, उनके पेटे ऋण लेने वाले पालिसी-धारियों को लाभ होता है । ऐसा करना समता के सिद्धान्त के विरुद्ध जाता है ।

(iii) जीवन बीमा निगम का यह भी विचार है कि अब अधिक सम्पन्न पालिसी-धारी ही ऐसे ऋण लेते हैं, और इसलिए नहीं कि उनको रकम की जरूरत है, बल्कि रकम को ब्याज की उच्चतर दर पर लगाने के लिए ऋण लेते हैं ।

एयर इण्डिया के केबिन क्रू द्वारा आन्दोलनात्मक तरीके अपनाया जाना

*517. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या अधिक बोनस देने के लिए एयर इण्डिया के केबिन क्रू ने आन्दोलनात्मक तरीके अपनाये ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप एयर इण्डिया को कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं ; और

(ग) एयर इण्डिया को इससे कितना घाटा हुआ है ; और

(घ) एयर इण्डिया के कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां ; 23 अक्तूबर से 6 नवम्बर, 1970 तक ।

(ख) 6 नवम्बर, 1970 को दो उड़ानें रद्द की गयीं ।

(ग) लगभग दो लाख रुपये ।

(घ) मामले को अधिनिर्णयन (एडजुडिकेशन) के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया है ।

राष्ट्रीय ऋण परिषद् को समाप्त करना

*520. **श्री रवि राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय ऋण परिषद् को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके स्थान पर एक नई संस्था स्थापित की जा रही है ; और

(घ) इस संस्था का क्या विशिष्ट कार्य होगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). जी, हां । 14 प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने से, जिस परिस्थिति में राष्ट्रीय ऋण परिषद् की स्थापना की गयी थी उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो गया है । इसलिए सरकार ने यह निश्चय किया है कि उक्त परिषद् के स्थान पर एक वित्तीय सलाहकार समिति बनायी जाय । इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होंगे और इसके सदस्य बड़े और छोटे पैमाने के उद्योग, सहकारिता और निर्यात जैसे अर्थ-व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रमुख प्रतिनिधि होंगे । यह समिति कुछ बड़े-बड़े गैर-सरकारी व्यक्तियों और अर्थ-शास्त्रियों तथा वित्तीय संस्थाओं, सरकारी उद्यमों और श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के विचारों का भी लाभ उठा सकेगी । योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी इस समिति के पदेन सदस्य होंगे, और उनका परामर्श भी समिति को मिलता रहेगा ।

(घ) सलाहकार समिति समय-समय पर वित्तीय और आर्थिक नीति के मोटे-मोटे सवालों पर विचार-विमर्श करेगी ।

लघु उद्योगों को आसान शर्तों पर ऋण

*521. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को बैंकों से आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा ऋण किन शर्तों पर दिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). जी, नहीं । परन्तु बैंक छोटे पैमाने के उद्योगों को पहले से ही उदार शर्तों पर ऋण दे रहे हैं ।

कुछ समवायों द्वारा यूनिट रिकार्ड उपकरण के प्रयोगों हेतु लिए जाने वाले शुल्क की दरें

*522. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स तथा इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स लिमिटेड का एकीकरण हो गया है और उन्हें लगभग एकाधिकार प्राप्त हो गया है तथा वे बिक्री के और किराए के लिए मनमाने मूल्य लेने की स्थिति में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह जांच कराने का है कि क्या इन कम्पनियों द्वारा यूनिट रिकार्ड उपकरण के प्रयोग के लिए लिया जाने वाला शुल्क उचित है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) मै० इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स तथा मै० इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स लिमिटेड, दो पृथक् कम्पनियां हैं । सरकार को उनके सम्मिलित हो जाने की कोई सूचना नहीं है । उनके उपकरणों की बिक्री तथा भाटक की कीमतें भिन्न हैं । यह, उन कीमतों, जो इन दोनों कम्पनियों द्वारा अन्य देशों में प्राप्त की जाती हैं से, एक समान होना, अवरुद्ध है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

लेखाबाह्य धन का प्रकटीकरण

*523. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 से जून, 1970 तक लेखा-बाह्य धन के प्रकटीकरण के द्वारा कितना धन प्राप्त हुआ ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 31-3-1970 को समाप्त हुए तीन वर्षों में स्वेच्छा से कुल 43.17 करोड़ रुपये की लेखा-बाह्य आय प्रकट की गयी ।

(ख) कर-अपवंचन की समस्या की ओर सरकार का ध्यान बराबर लगा हुआ है और समय-समय पर उचित उपाय किये जाते हैं । भविष्य में जो उपाय किये जायेंगे उनको बताना सम्भव

नहीं है। तथापि, सरकार ने श्री के० एन० वांचू की अध्यक्षता में प्रत्यक्ष कर जांच समिति नियुक्त की है और उस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिरिक्त कार्यवाही की जाएगी।

पर्यटन के विकास के लिए भारत आने वाला संयुक्त राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल

*524. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री न० रा० देवधरे :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संयुक्त राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल हाल ही में भारत आया है जो छः सप्ताह तक अध्ययन करने के बाद भारत में पर्यटन के विकास की एक योजना तैयार करेगा ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल के सदस्य किस-किस देश के हैं ;

(ग) उक्त दल किस प्रकार का अध्ययन करेगा और पर्यटन विकास के किन-किन पहलुओं के लिए योजना तैयार करेगा ; और

(घ) क्या उसने अभी तक ऐसी कोई योजना प्रस्तुत की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यटन से सम्बन्धित यू० एन० विशेषज्ञों का एक दल हाल ही में भारत आया है। दल के सदस्य लगभग छः सप्ताह भारत में ठहरेंगे। इस समय वे उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण करने तथा अपेक्षित आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए देश में पर्यटकीय महत्त्व के विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे हैं। इस दल में पश्चिमी जर्मनी से एक होटल विशेषज्ञ, यू० एस० ए० से एक यात्रा परिचालन विशेषज्ञ तथा आस्ट्रिया से एक पर्यटन सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था विशेषज्ञ सम्मिलित है और आयरिश पर्यटन बोर्ड के महानिदेशक इस दल के अध्यक्ष हैं। दल द्वारा ऐसी विशिष्ट सिफारिशें किए जाने की आशा है जिन का व्यवहारिक दृष्टि से तुरन्त क्रियान्वयन किया जा सके। यह भी आशा की जाती है कि उनकी रिपोर्ट और आगे दीर्घ-कालीन विकास का आधार बन सकेगी।

Familiarisation of Indian Arts to Foreign Tourists

*526. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the arrangements made by Government in order to familiarise foreign tourists with the Indian Arts viz., music, dance instrumental music, folk-songs, folk dances etc. and the places where such arrangements have been made ;

(b) whether Government propose to issue instructions for the presentation of Indian music, dance etc. as a recreation in all public sector hotels ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c). A number of cultural programmes are arranged by private organisations at Delhi, Bombay and other places. Such programmes are also arranged in public sector hotels specially the Ashoka.

वित्तीय संस्थाओं द्वारा बड़े व्यापार गृहों को ऋण देना

*527. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा बड़े व्यापार गृहों को ऋण देने के बारे में औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की टिप्पणियों पर सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : एक विवरश-सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति की उन सिफारिशों के फल-स्वरूप जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रश्न में उल्लिखित टिप्पणियों पर आधारित थीं, ये उत्पन्न होने वाली "संयुक्त क्षेत्र" की धारणा को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है और यह फैसला किया कि भविष्य में इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था कर ली जाए कि सरकारी वित्तीय संस्थाओं से अधिक मात्रा में सहायता पाने वाली बड़ी-बड़ी प्रायोजनाओं के प्रबन्धकार्य में, विशेष कर नीतिनिर्धारण के स्तर पर पहले से अधिक भाग लिया जाए । सरकारी वित्तीय संस्थाएं भी उनके वित्तीय सहायता समझौतों के भाग के रूप में, भविष्य में उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋणों और जारी किये जाने वाले ऋण-पत्रों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में, निर्धारित समय के भीतर सामान्य शेयरों में परिवर्तित करने के विकल्पाधिकार का प्रयोग कर सकेगी । जहां तक पहले दिए गए ऋणों और जारी किए गए ऋण-पत्रों का सम्बन्ध है सम्बद्ध वित्तीय संस्थाएं यदि चाहें तो उन मामलों में, परिवर्तन के लिए ही कह सकती हैं जिनमें समय पर अदायगी करने में चूक हो गयी हो ।

18 फरवरी 1970 को जारी की गयी अधिसूचना के द्वारा, सरकार ने जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का 60वां) के आधीन एक-सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त किया है जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री ए० के० सरकार हैं । आयोग के विचारणीय विषयों में एक यह भी है कि वह भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक-विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि० द्वारा समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों को दी गयी वित्तीय सहायता की जांच करे

और उस पर अपनी रिपोर्ट दे ताकि उन परिस्थितियों के बारे में निश्चय किया जा सके जिन में ऋण दिए गये हैं, और यह मालूम किया जा सके कि क्या ऋण सहायता की मंजूरी के लिए अथवा उसके लिए शर्तें निर्धारित करने में अनुपयुक्त पक्षपात किया गया है या अनुचित दवाब डाला गया है और यदि ऐसा हुआ है तो उसके लिए कौन-कौन सी कम्पनियां/संस्थाएं अथवा व्यक्ति जिम्मेदार हैं।

सरकारी क्षेत्र को ऋण

*528. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हुई एक बैठक में अखिल भारतीय वित्तपोषक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इस आशय के विचार व्यक्त किये हैं कि वे सरकारी क्षेत्र द्वारा उनसे अधिक राशि की मांग किये जाने के विरुद्ध हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त बैठक में यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि उद्योगों से ऋण की मांग अपेक्षाकृत कम होगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए कोई ऋण नीति निर्धारित की है ; और

(ग) उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ).

अक्टूबर 1970 में वित्त मंत्री की अखिल-भारतीय दीर्घावधिक वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और कृषि पुनर्वित्त निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई थी। बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ संस्थाओं की साधन-सम्बन्धी स्थिति के बारे में चर्चा हुई थी। बैठक में सामान्य मत यह था कि इस समय उद्योग के गैर-सरकारी क्षेत्र से दीर्घावधिक ऋण की अपेक्षाकृत कम मांग को देखते हुए आगामी एक या दो वर्ष तक संस्थाओं को सम्भवत: कुछ अधिक कठिनाई नहीं होगी। जहां तक सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से धन की मांग का प्रश्न है यह महसूस किया गया कि जब तक अलग-अलग प्रायोजनाओं द्वारा इन संस्थाओं से कोई बहुत बड़ी मांग नहीं की जाती है, तब तक वे बिना किसी कठिनाई के उन आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकेंगी।

सहायता के लिए आवेदन-पत्रों को निपटाते समय ये संस्थाएं सभी प्रायोजनाओं पर, चाहे वे सरकारी क्षेत्र की हों अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र की, विशेष रूप से उनकी तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता और योजनागत प्राथमिकता की दृष्टि से विचार करेंगी। दीर्घावधिक

वित्तीय संस्थाओं के लिए सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच साधनों के निर्धारण के बारे में सोचना लाभदायक नहीं होगा ।

उद्योग में निवेश में काफी अधिक वृद्धि करने के लिए संस्थाओं के पास सहायता की कई योजनाएं हैं अर्थात् निर्यात का सीधे वित्तपोषण, दोबारा भुनाने की योजनाएं और पिछड़े हुए क्षेत्रों में, स्थापित कम्पनियों को रियायती दरों पर सहायता देने की योजनाएं, आदि । विभिन्न प्रदेशों में उद्यमकर्त्ताओं को सहायता देने के लिए संस्थाएं अपने काम का अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण कर रही हैं । इन संस्थाओं ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तत्वावधान में, उत्पादन की सम्भावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का गहन सर्वेक्षण किया है ताकि उन क्षेत्रों में निवेशों को आकर्षित किया जा सके ।

प्रस्तावित अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक पर विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों की प्रतिक्रिया

*529. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रस्तावित अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक से अलीगढ़ की जनता में सामान्यतः तथा विद्यार्थियों में विशेषकर बहुत रोष है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे यह मांग कर रहे हैं कि अलीगढ़ के सभी स्थानीय कालेजों को अलीगढ़ विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध किया जाए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्कूलों को उत्तर प्रदेश के हायर सैकण्डरी एजूकेशन बोर्ड के अन्तर्गत लाया जाए तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में साम्प्रदायिक आधारों पर मुसलमानों को दी जाने वाली प्राथमिकता को समाप्त किया जाए ; और

(ग) यदि हां, तो अलीगढ़ के विद्यार्थियों की इन मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, तथा अन्य व्यक्तियों और संगठनों का भी एक वर्ग विशेष, जो 31 अगस्त, 1970 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल 1970 के विरुद्ध आन्दोलन कर रहा है । उनकी मुख्य मांग यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के संशोधन तथा उसे नया रूप देने के सम्बन्ध में काफी मुसलमानों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के लिए श्री फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा नियुक्त 8 सदस्यीय समिति की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाए और इस सिलसिले में बनाए जाने वाले कानून में शामिल किया जाए और विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक तथा आवासी-स्वरूप सुरक्षित रखा जाए । दूसरी ओर अलीगढ़ के स्थानीय कालेजों के विद्यार्थियों का, कुछ अन्य व्यक्तियों तथा संगठनों का एक दूसरा वर्ग यह मांग करते हुए

भी आन्दोलन कर रहा है कि स्थानीय कालेजों को विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध किया जाए, विश्वविद्यालय के स्कूलों का उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत स्थानान्तरण किया जाए और धर्म के आधार पर विश्वविद्यालय में प्रवेश तथा नौकरियों के मामले में भेदभाव को समाप्त किया जाए ।

(ग) संशोधी विधेयक, जिसका बहुत ही सीमित क्षेत्र है, इस तथ्य को देखते हुए पेश किया गया था, कि दिसम्बर 1970 में होने वाले स्वर्ण जयन्ती समारोह से पूर्व ही, विश्वविद्यालय की परिषद (कोर्ट) तथा कार्यकारी परिषद में लोकतन्त्रीय ढांचे को लाने की मांग थी । विश्वविद्यालयों के अभिशासन पर गजेन्द्रगढकर समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तथा विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा उस पर विचार हो जाने के बाद विश्वविद्यालय के लिए दीर्घ-कालिक विधान बनाते समय सभी सम्बन्धित पहलुओं पर विचार किया जाएगा ।

होटल आवास के बारे में संगणकों के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने की योजना

*530. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल आवास के बारे में संगणकों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में योजना चालू करने की सम्भावनाओं पर सरकार ने "अमेरिकन एक्सप्रेस स्पैन बैंक सिस्टम" से विचार-विमर्श पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुए करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) संगणकों द्वारा जानकारी प्राप्त करने सम्बन्धी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस प्रणाली में कम्प्यूटरों की व्यवस्था अपेक्षित है जिनके द्वारा यात्रा अभिकर्त्ता, हवाई कम्पनियां तथा अन्य लोग उक्त योजना में सम्मिलित होटलों में आवास का तत्क्षण आरक्षण करा सकते हैं ।

कुम्भी ग्राम, आसाम के निकट हुई विमान दुर्घटना की जांच

*531. **श्री हेम बरुआ** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुम्भी ग्राम, आसाम के निकट हुई विमान दुर्घटना की जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जांच अभी की जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जीवन बीमा निगम का कारोबार लक्ष्य

*532. **श्री धी० ना० देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के लिए जीवन बीमा निगम का कारोबार लक्ष्य क्या है ; और

(ख) क्या लक्ष्य पूरा हो जाने की सम्भावना है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1970-71 के लिए अपने कारोबार का लक्ष्य 1200 करोड़ रुपये का रखा है ।

(ख) जीवन बीमा निगम को लक्ष्य-प्राप्ति की आशा है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधायें बढ़ाने के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रतिवेदन का पेश किया जाना

*533. **श्री शंकरराव माने** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधायें बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). यद्यपि सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऐसा कोई औपचारिक निदेश जारी नहीं किया गया है लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक दोनों इन बैंकों के निकट सम्पर्क में हैं और इन बैंकों को, देहाती इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाने की अविलम्ब आवश्यकता की पूरी-पूरी जानकारी है और वे इस सम्बन्ध में कदम उठाते रहे हैं । ये बैंक, रिजर्व बैंक को इस बात की नियमित रूप से जानकारी देते रहते हैं कि देहाती इलाकों में शाखाएं खोलने के मामले में उन्होंने कितनी प्रगति की है । इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सरकार और रिजर्व बैंक दोनों को इस बारे में नियतकालिक रिपोर्टें

भेजी जाया करती हैं कि कृषि-कार्य के वित्तपोषण के मामले में उन्होंने कितनी प्रगति की है। इसके अतिरिक्त, वे, बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि की गुंजाइश का पता लगाने के लिए, 'बैंक नेतृत्व योजना' के अन्तर्गत उन्हें सौंपे गए जिलों का सर्वेक्षण भी करते रहे हैं। सर्वेक्षण-रिपोर्ट तैयार हो जाने पर, रिजर्व बैंक को पेश कर दी जाती हैं।

छोटे ऋण लेने वाले व्यक्तियों को ऋण देने की जोखिम की सुरक्षा के लिए ऋण प्रत्याभूति संगठन की स्थापना

*534. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा छोटे ऋण लेने वालों को दिए जाने वाले ऋण की जोखिम की सुरक्षा के लिए एक व्यापक योजना आरम्भ करने हेतु केन्द्रीय सरकार एक नया ऋण प्रत्याभूति संगठन स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा छोटे ऋणकर्ताओं को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के लिए व्यापक गारंटी योजना लागू करने का फैसला पहले ही कर लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक में उक्त योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और आशा है, कुछ ही हफ्तों में उसे अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

वाणिज्यिक मोटर गाड़ी के मूल्य में कर का शामिल होना

*535. **श्री नन्द कुमार सोमानी** :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक वाणिज्यिक मोटर-गाड़ी के मूल्य में कर का भाग उसके कारखाना-मूल्य का 48 प्रतिशत होता है ; और

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात नहीं आई है कि अधिकांश परिवहन कम्पनियां (गैर-सरकारी अथवा सरकारी) कर की केवल इसी ऊंची दर के कारण अपनी पुरानी मोटर गाड़ियों के स्थान पर नई मोटर गाड़ियां नहीं खरीदतीं ?

संसद्कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद, जिसने 1963-64 में मोटर-गाड़ियों की मूल्य-संरचना

में कराधान-तत्त्व का अध्ययन किया था, के अनुसार उपभोक्ता के लिए एक्स-फैक्ट्री मूल्य का 43 प्रतिशत करों और शुल्कों के कारण होता है । बाद में मोटर-गाड़ियों के केन्द्रीय तथा राज्य शुल्कों तथा उगाही में वृद्धि हुई है । सड़क परिवहन कराधान जांच समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट (नवम्बर 1969) में यह अनुमान लगाया कि 1963-64 से किसी एक वाणिज्यिक मोटर-गाड़ी के मूल्य में शामिल कराधान-तत्त्व में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप मोटर गाड़ियों के एक्स-फैक्ट्री मूल्य का 48 प्रतिशत कुल कराधान तत्त्व है ।

(ख) ऐसी शिकायत सरकार की दृष्टि में नहीं आयी है ।

केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में शंकुम्खोम स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना

*536. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में शंकुम्खोम स्थान पर वर्तमान हवाई अड्डे की जगह एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय कर लिए जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). त्रिवेन्द्रम के वर्तमान विमान क्षेत्र का, इस स्टेशन को कोलम्बो से जोड़ने वाली सेवाओं के लिए पहले ही प्रयोग किया जा रहा है ।

उत्तर भारत के लिए समवाय विधि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय का कानपुर से दिल्ली स्थानान्तरण

*537. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाक एक्सचेंजों तथा अन्य प्राधिकारियों से सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उत्तर भारत के लिए समवाय विधि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को कानपुर में स्थापित करने से जनता को बड़ी कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कार्यालय को कानपुर की बजाय दिल्ली में स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का है ; और

(ग) क्या यह सच है कि उत्तरी क्षेत्र के समवायों में से आधे से अधिक समवाय दिल्ली क्षेत्र में स्थित हैं ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) उत्तरी प्रदेश की कम्पनियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कम्पनी विधि बोर्ड का दिल्ली में मुख्यालय सहित एक नवीन प्रादेशिक कार्यालय, खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) हां, श्रीमान ।

ईस्ट इण्डिया होटल लिमिटेड के लिए अमरीकी सहायता

*538. **श्री ए० श्रीधरन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने ईस्ट इण्डिया होटल लिमिटेड को बम्बई में एक होटल का निर्माण करने के लिए हाल ही में 44 करोड़ रुपये का ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस ऋण की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या ऋण के लिए आवेदन करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से अनुमति ले ली गई थी और यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं । अमरीका सरकार ने उनको पी० एल० 480 कूले निधि में से 4.35 करोड़ रुपये का ऋण दिया है ।

(ख) यह ऋण 18 वर्ष की अवधि के दौरान रुपयों में चुकाया जाएगा, इसमें 2 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है । इस ऋण पर 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा ।

(ग) कूले निधि में से कोई ऋण देने से पहले अमरीका सरकार भारत सरकार की सहमति प्राप्त कर लेती है । इस मामले में भी ऐसा किया गया था ।

"उर्दू भाषा"

*539. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्दू भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए और क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या कुछ संस्थाओं को इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं और उन्हें वर्ष में कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) उर्दू भाषा के विकास के लिए भारत सरकार ने पहले ही तरक्की-ए-उर्दू-बोर्ड नामक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की है ताकि भारतीय भाषाओं में साहित्य निर्माण की केन्द्र प्रायाजित योजना के अन्तर्गत उर्दू में शैक्षिक साहित्य के साथ-साथ अन्य प्रकार का साहित्य आधुनिक ज्ञान के प्रसार के लिए विज्ञान की पुस्तकें और बाल साहित्य, संदर्भ ग्रंथ और विश्वकोश तथा मूल पाठ आदि उपलब्ध हो सकें। बोर्ड न केवल मानविकी साहित्य बल्कि विज्ञान टैक्नोलोजी तथा आधुनिकता पर विशेष ध्यान के साथ उर्दू में ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र की सम्पन्नता की ओर अपने प्रयासों को जुटा रहा है। उर्दू के लगभग 1000 विद्वान इस बोर्ड के कार्यक्रम में बोर्ड के विभिन्न समितियों के तथा विषय-नामिकाओं के सदस्यों के रूप में, तथा अनुवादक और लेखक के रूप में सम्बद्ध हैं। विषय-नामिकाओं की सिफारिशों पर बोर्ड ने अब तक 583 शीर्षक अनुवाद तथा मौलिक लेखन के लिए चुने हैं जिनमें से 400 ग्रन्थ अनुवादकों और लेखकों को दिए जा चुके हैं। कार्य सुचारु रूप से प्रगति कर रहा है।

(ख) और (ग). उर्दू साहित्य के निर्माण के लिए तरक्की-ए-उर्दू-बोर्ड को उपलब्ध कराई गई एक करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त, मंत्रालय ने विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं को उर्दू भाषा के विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। सिद्धान्त रूप में, यह निर्णय ले लिया गया है कि अंजुमन-तरक्की-उर्दू हिन्द, अलीगढ़ को दिल्ली में 'उर्दू-घर' के निर्माण के लिए इस शर्त पर चार लाख रुपये का अनुदान दिया जाय कि वह तरक्की-ए-उर्दू-बोर्ड के कार्यालयों के लिए उपयुक्त स्थान देगा। 1969 में जिन अन्य संस्थाओं को सहायता मिली वे निम्नलिखित हैं :—

1. अदबी मरक़ज, नई दिल्ली	595.00	रुपये
2. मजलिस-इषहात-ए-अदब, दिल्ली	4,000.00	,,
3. अन्जुमन-तरक्की-उर्दू-हिन्द, अलीगढ़	38,000.00	,,
4. अबुल कलाम आजाद ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, हैदराबाद	12,000.00	,,

लघु बचतों से प्राप्त धनराशि का राज्यों को आवंटन

*540. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्यों को दी गई लघु बचतों की दो-तिहाई राशि को चिरस्थायी ऋण माना जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की इस दलील को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सुझाव स्वीकार करना सम्भव-नहीं समझा गया कि इन ऋणों को चिरस्थायी ऋण माना जाए । फिर भी, ऋणों की शर्तों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) ऋण अपनी परिभाषा के अनुसार परिशोध्य ही होते हैं । इसके अलावा, चूंकि राज्यों द्वारा चुकाई जाने वाली धनराशि केन्द्रीय सरकार के अनुमानित साधनों का एक भाग होती है, इसलिए यदि उसमें कुछ भी कमी की गयी, तो आयोजना के लक्ष्य प्राप्त करने की, केन्द्रीय सरकार की क्षमता पर उसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

अकाल सहायता कार्यों के लिए राजस्थान को सहायता

3289. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान में अकाल सहायता कार्यक्रम के लिए अब तक कितना धन व्यय किया गया है ;

(ख) क्या सड़क निर्माण परियोजना असफल रही है और एक केन्द्रीय दल ने इसकी कटु आलोचना की है और कहा है कि सड़कों को बिना तकनीकी मापदण्डों तथा विवरणों के अनुसार नहीं बनाया गया था और इन खराब सड़कों का उचित रखरखाव भी नहीं किया गया था ; और

(ग) क्या सरकार का विचार मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). 1969-70 से, राजस्थान सरकार को, उनके द्वारा सूखे से सम्बन्धित राहत कार्यों पर अब तक किये गए व्यय के सम्बन्ध में 70 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी है ।

सूखे से सम्बन्धित स्थिति की समीक्षा करने और केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए, राहत कार्यों के लिए धन की आवश्यकताओं का जायजा लेने के लिए मई 1970 में जो केन्द्रीय दल राजस्थान गया था, उसने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न राहत कार्यों के, जिसमें सड़कों का निर्माण कार्य भी शामिल है, प्रशासन और अधीक्षण में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे । यह सुझाव जो राहत सम्बन्धी निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने और बाद में उन के

समुचित अनुरक्षण की दृष्टि से दिए गए थे, राज्य सरकार को उसके विचारार्थ भेज दिए गए थे ।

प्राकृतिक विपत्तियों से सम्बन्धित राहत कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता, सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा किये गए खर्च को देखते हुए, इस प्रयोजन के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा के अन्दर-अन्दर, प्रतिपूर्ति के आधार पर दी जाती है । सहायता के बारे में अन्तिम निश्चय, राज्य के महालेखाकार द्वारा प्रमाणित, लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर किया जाता है । राहत कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, जो अपने-अपने विधान-मंडलों के सम्मुख उत्तरदायी है । जहां तक राहत कार्यों के निष्पादन में अनियमितताओं के प्रश्न का सम्बन्ध है, राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि उसने जहां कहीं कोई ऐसी बात देखी है, वहां उसने उपयुक्त कार्रवाई की है । इस बात को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा इस मामले में कोई जांच करने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

अधिकारियों को अपनी पत्नियों से ऋण लेने के लिए अनुमति

3290. **श्री रामजी राम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में ऐसे कितने श्रेणी एक के अधिकारी हैं जिन्होंने वर्ष 1968 में अपनी पत्नियों से ऋण लेने के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी तथा प्रत्येक मामले में कितना ऋण अन्तर्ग्रस्त था तथा यह किस उद्देश्य के लिए लिया गया था ;

(ख) कितने मामलों में अनुमति दी गई अथवा नहीं दी गई ;

(ग) उन अधिकारियों की पत्नियों की आय के क्या साधन हैं तथा क्या उनकी आय पर आय-कर लगता है ; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक मामले में उनकी कराधीन आय कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1968 में वित्त मंत्रालय के सचिवालय के प्रथम श्रेणी के एक अधिकारी ने सरकार से मकान बनाने के लिए अपनी पत्नी से 3000 रु० का ऋण लेने की अनुमति मांगी थी ।

(ख) उपर्युक्त मामले में अनुमति दे दी गई थी ।

(ग) उपर्युक्त मामले में अधिकारी की पत्नी की आय का स्रोत उसके (पत्नी के) अपने मकान का किराया बताया गया था । सम्बद्ध अधिकारी ने अपनी सम्पत्ति की विवरणियों में बताया था कि उसकी पत्नी समुचित प्राधिकारी को नियमित रूप से आयकर विवरणियां पेश करती हैं और उसकी आय पर कर लगता है ।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी आय पर कर लगाया गया है इसके आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इस विषय में सम्बद्ध आयकर कार्यालय से पता लगाना होगा। सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

श्री के० बी० परसाई द्वारा आयकर का भुगतान

3291. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या **वित्त** मंत्री 18 मई 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10025 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री के० बी० परसाई तथा उनकी पत्नी के नाम कोई आयकर का निर्धारण करना बाकी है ;

(ख) यदि हां, तो यह किन वर्षों के लिए है ;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को मध्य प्रदेश में आयकर अधिकारियों से इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उक्त अधिकारी ने आयकर विभाग को अपनी आय नहीं बताई है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अधिकारी से बकाया आय कर वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) श्री क० भ० परसाई—कर-निर्धारण वर्ष 1970-71

श्रीमती परसाई—कर-निर्धारण 1967-68, 1969-70 तथा 1970-71.

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

चीनी शस्त्रास्त्र, गोला बारूद तथा माओ सम्बन्धी साहित्य ले जाने वाले जहाज का कलकत्ता बन्दरगाह से गायब हो जाना

3292. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हांगकांग के उस जहाज तथा उसके मालिकों के, जिसमें एक ब्रिटिश कैप्टन था, नाम क्या हैं जो मई, 1970 में कलकत्ता आया था तथा जिसमें बड़ी मात्रा में चीनी शस्त्रास्त्र, गोला बारूद और माओ सम्बन्धी साहित्य थे तथा साथ ही बड़ी संख्या में चीनी नागरिक थे ;

(ख) कलकत्ता की उस फर्म का नाम क्या है जिसके नाम यह जहाज कुछ माल ला रहा था ;

(ग) क्या यह सच है कि जब सीमा-शुल्क अधिकारियों ने उस जहाज की 8 मई, 1970 को तलाशी ली तो उनको कई केबिनों में जाने से रोका गया था ;

(घ) क्या जब सीमा शुल्क अधिकारी वहां अगले दिन तलाशी लेने तथा गिरफ्तारी का वारन्ट लेकर पहुंचे तो वह जहाज गायब हो गया था ; और

(ङ) क्या यह सच है कि उस जहाज में से नक्सलवादियों की सहायता से तथा सीमा-शुल्क अधिकारियों को बिना बताये लगातार तीन रातों तक लगभग 340 नावों में शस्त्रास्त्र तथा गोला बारूद भर कर और 17 चीनी नागरिकों को उतारा गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सम्भवतः इस प्रश्न का सम्बन्ध एम० वी० "गोल्डन हारबर" के मामले से है जिसकी मालिक मैसर्स ग्वान एण्ड ग्वान शिपिंग कम्पनी लिमिटेड है और जो सिंगापुर में पंजीकृत है। यह जहाज एक अंग्रेज कप्तान तथा सिंगापुर की राष्ट्रिकता के चीनी कर्मीदल सहित 3-5-1970 को पैनांग से कलकत्ता में नीरम जल (वाटर बैलस्ट) में (अर्थात् बिना किसी माल के) आया। इसमें आग्नेय अस्त्रों का कोई भण्डार नहीं था तथा कर्मीदल की कुछ व्यक्तिगत प्रतियों के अलावा इसमें माओ सम्बन्धी साहित्य का कोई भण्डार नहीं था।

(ज) जहाज द्वारा कलकत्ता में कोई माल नहीं लाया गया था, इसलिए यह सवाल नहीं उठता।

(ग) तथा (घ). 5-5-1970 को कर्मीदल द्वारा, सीमा-शुल्क अधिकारियों को जहाज की तलाशी का काम पूरा करने से रोका गया था। बाद में, पुलिस की सहायता से उसी दिन तलाशी पूरी कर ली गई। सीमा-शुल्क विभाग तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से निकासी प्राप्त कर लेने के बाद जहाज 9-5-1970 को कलकत्ता से चला गया।

(ङ) यह सही नहीं है कि जहाज़ ने पत्तन पर रुके रहने की अवधि में सीमा-शुल्क विभाग की जानकारी के बिना हथियार तथा गोला-बारूद अथवा 17 चीनी राष्ट्रिक उतारे।

लेकिन, सीमा-शुल्क विभाग कर्मीदल के उन तीन सदस्यों को गिरफ्तार नहीं कर सका जिन्होंने शुरू में सीमा-शुल्क अधिकारियों को जहाज की तलाशी लेने से रोका था। जब गिरफ्तारी का वारंट जहाज पर तामील करने के लिए ले जाया गया तो ये तीन व्यक्ति लापता थे। बाद में कप्तान द्वारा जहाज़ के एजेंटों को भेजे गये एक रेडियो संदेश में यह कहा गया कि कर्मीदल के ये तीन लापता सदस्य जहाज में उस समय पाये गए जब जहाज सैण्डहैड्स के परे समुद्र में प्रविष्ट हो रहा था अर्थात् समुद्र में वह स्थल जहां पर नदी पोत वाहक (रिवर पायलेट) जहाज को पोत कप्तान (शिप मास्टर) के सुपुर्द कर देते हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार के बारे में प्रमुख सतर्कता आयुक्त के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों के कस्टोडियनों की बैठक

3293. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणि भाई जे० पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के कस्टोडियनों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्यवाही करने के उपायों पर विचार करने के लिए 4 नवम्बर, 1970 को प्रमुख सतर्कता आयुक्त के साथ एक बैठक आयोजित की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किए गए निर्णयों का स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यक्षेत्र और कार्यों के बारे में तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को निपटाने के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली कार्य विधि के बारे में बताया । बैंकों में समुचित सतर्कता संगठन स्थापित करने के बारे में भी विचार विमर्श हुआ ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में समन्वय लाने के लिए योजनायें

3294. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों तथा औद्योगिक वित्त निगम और औद्योगिक विकास बैंक जैसी ऋण देने वाली सरकारी संस्थाओं के बीच अधिक समन्वय लाने के लिए बृहत योजनाओं पर विचार कर रही है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने ऋण देने वाली सभी संस्थाओं के अध्यक्षों से इस विषय पर कई बार विचार-विमर्श किया था कि ऐसा समन्वय कहां तक लाया जा सकता है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार एक केन्द्रीय समन्वय निकाय बनाने का है जो कि सरकारी वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के बीच सूचना के निर्बाध आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाये ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). अक्टूबर 1970 में अखिल भारतीय दीर्घावधिक वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में एक ओर वित्तीय संस्थाओं तथा वाणिज्यिक बैंकों और दूसरी ओर अखिल भारत स्तरीय तथा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय के प्रश्न पर चर्चा हुई थी । वित्त मंत्री ने राज्यों के सहकारी बैंकों के अध्यक्षों की एक अन्य बैठक में सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के बीच समन्वय की समस्या पर भी चर्चा की थी ।

वाणिज्यिक और सहकारी बैंकिग संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्तर की परामर्शदात्री समिति नियुक्त की गयी है । समुचित समन्वय का सुनिश्चय करने के लिए रिजर्व बैंक इस समिति के कार्यों का मार्ग-दर्शन करेगा ।

जहां तक अखिल भारत स्तर की दीर्घावधि वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय का प्रश्न है, प्रति मास अन्तर-संस्था बैठकें आयोजित की जाती हैं जिनमें प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की जाती है ।

सर्व साधारण को पढ़ना तथा लिखना सिखाने के लिए कालेज के विद्यार्थियों और स्नातकों से सहायता लेना

3295. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोग के इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए कि सर्व-साधारण को पढ़ना तथा लिखना सिखाने के लिए "राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर नवीन प्रयास" किया जाना चाहिए, क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिए कालेजों के 150 लाख छात्रों तथा 120 लाख स्नातकों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए कार्यवाही करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) से (ग). इस समय राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत निरक्षरता के उन्मूलन के लिए 120 लाख कालेज छात्रों तथा 120 लाख स्नातकों की सेवाओं का उपयोग किया जा सके। राष्ट्रीय सेवा के एक सीमित कार्यक्रम का चुने हुए कालेजों में परिचालन हो रहा है तथा ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के प्रौढ़ साक्षरता के कार्य को हाथ में लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है ।

प्रौढ़ साक्षरता के कार्य को करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को यह मंत्रालय वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है ।

छोटे ऋण लेने वालों को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में सुझाव

3296. **श्री मणि भाई जे० पटेल** :

श्री हेम राज :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने स्टेट बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों की एक बैठक में छोटे ऋण लेने वालों को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया आसान बनाने का सुझाव दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर उन प्रमुख अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया थी ; और

(ग) उक्त बैठक में और क्या-क्या प्रस्ताव पेश किए गए अथवा निर्णय लिए गए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) सुरक्षा और कार्यकुशलता की न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूप बैंक, छोटे ऋण-कर्ताओं को ऋण देने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने का हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की विशेष ऋण योजनाओं के बारे में हाल में एक समिति नियुक्त की है । इस समिति के विचारणीय विषय ये हैं :

(1) विभिन्न वर्गों के आत्म-नियोजित व्यक्तियों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान संस्थागत व्यवस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों (खास तौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित) द्वारा आजकल चलायी जाने वाली विशेष योजनाओं की समीक्षा करना ;

(2) आत्म-नियोजित व्यक्तियों के उन वर्गों का पता लगाना जिनके सम्बन्ध में विशेष वित्त-व्यवस्था के लिए विचार किए जाने की आवश्यकता है ; और

(3) सुरक्षा, ब्याज की दर, वापसी की अवधि और अन्य शर्तों के बारे में मार्ग-दर्शक सिद्धान्त निर्धारित करना ।

समिति की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) मैंने जुलाई और नवम्बर 1970 में राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों की दो बैठकें बुलाई थीं । इन बैठकों में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था :

(1) जमा की रकमें जुटाना ।

(2) ग्राहक-सेवा ।

(3) विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्यों में कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना ।

(4) छोटे किसानों को ऋण ।

(5) "बैंक नेतृत्व" योजना के बाद की कार्रवाई ।

(6) जन-शक्ति आयोजन ।

(7) विभिन्न दरों पर ब्याज लिये जाने की व्यवहार्यता ।

(8) मूल्यों को स्थिर बनाये रखने में बैंकों द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका ।

एयर इण्डिया के कर्मचारियों द्वारा वर्दी पहनने सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन

3297. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के कर्मचारियों ने नवम्बर, 1970 के प्रथम सप्ताह में अपना विरोध प्रकट करने के लिए कार्य पर रहते वर्दी पहनने सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विरोध के क्या कारण थे तथा कर्मचारियों की मांगों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त विरोध-प्रदर्शन में विमान परिचारिकाओं ने भी भाग लिया था ; यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) उक्त विरोध प्रदर्शन किस समझौते के बाद समाप्त किया गया ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। केबिन कार्मिकों ने "एयर कारपोरेशन एम्प्लाइज़ यूनियन" के निर्देश के अनुसार वर्दी सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन किया।

(ख) यह आन्दोलन बोनस के अतिरिक्त एक आनुग्राहिक उपदान (एक्सग्रेशिया पेमेंट) की मांग के सम्बन्ध में प्रारम्भ किया गया था।

(ग) विमान परिचारिकाओं ने विरोध प्रदर्शक लेबल लगाकर आन्दोलन में भाग लिया। उन्हें ऐसे लेबल लगाए हुए उड़ान पर कार्य करने की अनुमति नहीं दी गयी।

(घ) चेयरमैन तथा एयर इण्डिया के यूनियनों व एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होने पर आन्दोलन को वापस ले लिया गया। मामले को अधिनिर्णयन (एडजुडिकेशन) के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया है।

बम्बई तथा नासिक के बीच विमान सेवा

3298. **श्री ज० मं० काहानडोल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और नासिक के बीच विमान सेवा का संचालन एक गैर-सरकारी विमान परिवहन कम्पनी करेगी ;

(ख) यदि हां, तो उस कम्पनी का नाम क्या है ;

(ग) इसके लिए किस तिथि को लाइसेंस दिया गया था ; और

(घ) इस सम्बन्ध में किराया, समय तथा उड़ानों की संख्या के बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). मैसर्ज एरियल ओपरेटर्ज़ प्राइवेट लिमिटेड ने बम्बई/नासिक/अकोला/नागपुर/गोंडिया के बीच डी० सी-3 विमान द्वारा विमान सेवाएं परिचालित करने की अनुमति प्रदान करने के लिए एक आवेदन पत्र दिया है । आवेदन- पत्र पर विचार किया जा रहा है ।

Free Education upto Higher Secondary Level in Delhi

3299. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Metropolitan Council has in a Resolution recommended to the Central Government that education upto Higher Secondary level should be provided free ;

(b) whether it has also been stated in the said resolution that children of the guardians earning less than Rs. 300/- per month should be given text-books free of cost ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) No formal proposal based on Metropolitan Council's Resolution adopted on October 5, 1970 has been received by the Government of India.

राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्ति तथा फैलोशिप योजना के अधीन छात्रवृत्तियों तथा फैलोशिप संबन्धी विज्ञापन

3300. **श्री मधु लिमये** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन, कनाडा सरकारों की राष्ट्रमण्डलीय छात्रवृत्ति तथा फैलोशिप योजना के अधीन छात्रवृत्ति तथा फैलोशिप प्रदान करने हेतु कोई विज्ञापन निकाला है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके लिए क्या अर्हताएं नियत की गई हैं;

(ग) क्या इसके लिए चयन योग्यता के आधार पर होगा और यदि नहीं तो उम्मीदवारों के चयन हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित किये गए हैं;

(घ) क्या कुछ छात्रवृत्तियां तथा फैलोशिप पिछड़ी जातियों तथा समुदायों के लिए भी आरक्षित किए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा आरक्षण न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) राष्ट्रमण्डलीय छात्रवृत्ति तथा फैलोशिप योजना के अधीन ब्रिटेन तथा कनाडा सरकारों द्वारा 1971 के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियां हेतु भारत सरकार ने विज्ञापन निकाला है ;

(ख) वन विज्ञान तथा ललित कला को छोड़ कर विभिन्न विषय क्षेत्रों में मास्टर अथवा स्नातक स्तर की प्रथम श्रेणी सहित संबन्धित विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। वन विज्ञान तथा ललित कला के लिए निर्धारित सैक्षणिक अर्हतायें इस प्रकार हैं :

(i) वन विज्ञान : वन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(ii) ललित कला : एक मान्यता-प्राप्त संस्था से ललित कला से प्रथम श्रेणी डिग्री/डिप्लोमा।

(ग) जी, हां। छात्रों का चयन अर्हतायें, आयु, अनुभव, किए गए अनुसंधान कार्य, तथा प्रकाशित पत्र, कार्यक्रम में लिये जाने वाले कार्य आदि को ध्यान में रखते हुए एक उचित प्रकार गठित प्रवरण समिति द्वारा किया जाता है।

(घ) और (ङ). जी नहीं। अन्य अर्हतायें समान होती हैं, तथापि पिछड़े क्षेत्रों और/अथवा अधिसूचित आदिम जातियों के छात्रों को तरजीह दी जाती है।

विभिन्न भाषाओं के लिए अलग-अलग विश्वविद्यालय

3301. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं की शिक्षा देने तथा उनकी परीक्षा लेने के लिए अलग-अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने सम्बन्धी एक विधेयक पेश करने का है ;

(ख) क्या किसी भी भाषा की शिक्षा की सुविधा देने वाले कालेजों को उक्त भाषा की सुविधा देने वाले विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाएगी ;

(ग) इस प्रकार के विश्वविद्यालयों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का किस प्रकार का नियन्त्रण होगा ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी अधिकारी का नवाब रामपुर के रत्नाभूषणों का मूल्यांकन

3302. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या **वित्त** मन्त्री 31 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4524 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा अथवा उसकी सलाह पर नियुक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा पहले कभी रामपुर के नवाब के रत्नाभूषणों का मूल्यांकन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक आभूषण का कितना मूल्य आंका गया था तथा तत्सम्बन्धी पूरा विवरण क्या है ; और

(ग) यह मूल्यांकन कब किया गया था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) लोक-सभा में 31 अगस्त, 1970 को अतारांकित प्रश्न सं० 4524 के उत्तर में उल्लिखित 66 मदों का मूल्यांकन 8-9-1969 को आयकर विभाग द्वारा नियुक्त एक स्वीकृत मूल्यांकन द्वारा किया गया था। उक्त मूल्यांकन से पूर्व वित्त मन्त्रालय द्वारा नियुक्त अथवा उसके आदेश पर किसी व्यक्ति द्वारा उक्त रत्नाभूषणों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था ।

(ख) तथा (ग). उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र के सूखा-ग्रस्त क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता देना

3303. **श्री ज० म० काहानडोल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के नासिक जिले की कई तहसीलों में अकाल की स्थिति व्याप्त है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए अनुदान देने की मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). चालू वित्तीय वर्ष में महाराष्ट्र सरकार से राज्य के सूखा संबन्धी राहत कार्यों के व्यय के संबन्ध में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार को अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता के लिए अपर्याप्त वित्तीय सहायता

3304. **श्री समर गुह** :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री सरदार अमजद अली :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को केवल तीन करोड़ रुपये दिए गए हैं;

(ख) क्या हाल की बाढ़ से राज्य के लगभग एक करोड़ लोगों पर प्रभाव पड़ा है और इससे लगभग 150 करोड़ रुपये की सम्पत्ति को हानि पहुंची है ;

(ग) क्या बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने हेतु उक्त सहायता अनुदान/ऋण/सहायता बहुत अपर्याप्त है और जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा सहायता कार्य लगभग बन्द कर दिए गए हैं;

(घ) क्या सम्पत्ति तथा फसलों की बड़ी मात्रा में हुई हानि को देखते हुए सहायता कार्य जारी रखने होंगे अन्यथा लोग भूख से मरने शुरू हो जायेंगे ; और

(ङ) राज्य सरकार द्वारा सहायता कार्यों के लिए ऋण/अनुदान/सहायता सम्बन्धी किये गए अनुरोध को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). अनुमान है कि पश्चिम बंगाल में अभी हाल में आई बाढ़ से 92·7 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और 85·7 करोड़ रुपये की फसल और सम्पत्ति बरबाद हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बाढ़ सम्बन्धी विभिन्न राहत कार्यों, मरम्मत और पुनर्वास सम्बन्धी कार्यों पर व्यय के लिए 66 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था। मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने और आवश्यक रकमों का अनुमान लगाने के उद्देश्य से अधिकारियों के एक केन्द्रीय दल ने पिछले सितम्बर में उक्त राज्य का दौरा किया था और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से बातचीत की थी। इस मूल्यांकन के आधार पर, केन्द्रीय दल ने, राहत कार्यों, मरम्मत और पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए व्यय की 19·85 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। भारत सरकार ने यह सीमा स्वीकार कर ली है और उसकी सूचना राज्य सरकार के पास भेज दी है। इस सम्बन्ध में 7 करोड़ रुपये की रकम पहले ही राज्य सरकार को दी जा चुकी है और जैसे-जैसे राज्य सरकार व्यय की सूचना देगी वैसे-वैसे और सहायता उसे दी जाएगी।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बाढ़ संबन्धी राहत कार्य अभी बन्द नहीं किया गया है और जब तक आवश्यकता होगी तब तक उसे चलाया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

3305. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री हेम राज :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में नियुक्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिमाचल सरकार के कर्मचारियों की तुलना में निम्न ग्रेड एवं भत्ते मिल रहे हैं ;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश में नियुक्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला पर्वतीय भत्ता हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले पर्वतीय भत्ते की तुलना में बहुत कम है ;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश में नियुक्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान पर्वतीय भत्ते दिए जायें ; और

(घ) क्या सरकार इस असमानता को दूर करने का विचार कर रही है ; और यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिवालयी कर्मचारी केन्द्रीय प्रतिमान से वेतन और भत्ते पाते हैं । हिमाचल सरकार के गैर-सचिवालयी कर्मचारी पंजाब सरकार के प्रतिमान से वेतन और भत्ते पाते हैं, और उनकी तुलना केन्द्रीय दरों के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि वेतन और भत्तों के मामले में पंजाब सरकार के अपने प्रतिमान हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के सम्पूर्ण ढांचे की, इस समय, वेतन आयोग द्वारा जांच की जा रही है ।

हिमाचल प्रदेश में डिप्लोमा प्राप्त ओवरसियरों का डिग्री प्राप्त इन्जीनियरों के समान समझा जाना

3306. **श्री हेम राज** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिप्लोमा प्राप्त ओवरसियरों को डिग्री प्राप्त इन्जीनियरों के समान समझा है और इसके परिणामस्वरूप अर्हता प्राप्त और डिग्री प्राप्त कर्मचारियों में असन्तोष है ; चूंकि इसका उनकी वरिष्ठता और पदोन्नति पर खराब असर पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अन्याय को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय अनुसंधान संस्थाओं को विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करने के लिए सहायता देने हेतु एक संगठन की स्थापना

3307. **श्री केदार नाथ सिंह** :
श्री दे० अमात :
श्री अदिचन :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में विदेशी धन के प्रचलन पर नियन्त्रण रखने के लिए

सर्वप्रथम भारतीय अनुसंधान संस्थानों को विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करने के लिए सहायता देने हेतु एक संगठन की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके गठन तथा कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). भारत सरकार ने देश में सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना की है। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सोसायटी के रूप में पंजीकृत यह एक स्वायत्तशासी संगठन है। संस्था के ज्ञापन-पत्र के अनुसार इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

(क) सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की प्रगति का पुनरीक्षण करना और सरकार में और सरकार के बाहर, इसके प्रयोगकर्ताओं को सलाह देना ;

(ख) -सामाजिक विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रमों और अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित करना और सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान हेतु संस्थाओं तथा व्यक्तियों के अनुदानों का संचालन करना तथा विद्वान संस्थाओं, मानक पत्रिकाओं और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को चलाने अथवा उसको प्रायोजित करने में लगी संस्थाओं अथवा संगठनों को वित्तीय सहायता देना।

(ग) सामाजिक विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रमों को तैयार करने तथा व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं को परिकल्पित करने के लिए तकनीकी सहायता की व्यवस्था करने और अनुसंधान रीतिविधान में प्रशिक्षण आयोजित करने तथा संस्थागत प्रबन्ध के लिए सहायता देना।

(घ) समय-समय पर ऐसे क्षेत्रों और विषयों को बताना, जिनमें सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देना हो और उपेक्षित अथवा नए क्षेत्रों में अनुसंधान को विकसित करने के लिए विशेष उपाय करना ;

(ङ) सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यकलापों का समन्वय करना और अन्तर-पाठ्यचर्चा अनुसंधान के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना ;

(च) प्रलेखन, सेवा अनुरक्षण और आंकड़े देने, आधुनिक सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सूची-तालिका, केन्द्रों को विकसित करना तथा उनकी सहायता करना और सामाजिक वैज्ञानिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करना ;

(छ) अनुसंधान को बढ़ावा देने अथवा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के उपयोग के लिए सेमिनारों, वर्कशापों, अध्ययन केन्द्रों, कार्यकरण दलों/पार्टियों, और सम्मेलनों का संगठन, प्रायोजित करना तथा उन्हें वित्तीय सहायता देना ;

(ज) सामाजिक विज्ञान अनुसंधान कार्य के प्रकाशनों के लिए अनुदान देना और ऐसे कार्य के लिए समर्पित सार संग्रह (डाइजेस्ट) पत्रिकाओं और पुस्तिकाओं का प्रकाशन अपने हाथ में लेना ।

(झ) भारत अथवा विदेशों में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अन्य अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान कार्य के लिए छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियां और पुरस्कार शुरू करना तथा उनका संचालन करना और विशेषकर सामाजिक विज्ञान अनुसंधान कार्य में ऐसी वरिष्ठ अधिछात्रवृत्तियां देना, जिससे विश्वविद्यालयों के कार्यकर्त्ता, अपने प्रकाशन कार्य को पूरा करने अथवा ऐसे विषयों पर पूर्णकालिक अनुसंधान कार्य किसी निश्चित अवधि के लिए अपने हाथ में लेने में समर्थ हो सकें, जिनमें उनकी विशेष रुचि हो । और ऐसे अनुसंधान कार्य करने के लिए जिसके लिए वे विशेष रूप से अर्हता-प्राप्त हों ।

(ञ) भारत सरकार को ऐसे सभी मामलों पर सलाह देना, जिनका संबन्ध सामाजिक विज्ञान अनुसंधान से हो और जो समय-समय पर, उसे भेजे जायें , जिनमें विदेशी अभिकरणों के साथ सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सहयोगात्मक/प्रबन्ध भी शामिल हैं ; और

(ट) आमतौर पर ऐसे सभी उपाय करना, जो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान और देश में उनके उपयोग करने को बढ़ावा देने से लिए समय-समय पर आवश्यक पाए जायें ।

यह ठीक है कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के प्रतिष्ठान ने जो भारत में अनुसंधान संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सहायता देता है, तदनुरूप, बाहरी वित्तीय सहायता पर निर्भर रहना कम कर दिया है । किन्तु, इसे परिषद् का प्राथमिक उद्देश्य नहीं कहा जा सकता ।

श्रीलंका प्रसारण निगम के अध्यक्ष का दौरा

3308. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका प्रसारण निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में उक्त निगम के एक प्रतिनिधि-मण्डल ने भारत का दौरा किया था ;

(ख) क्या उक्त प्रतिनिधिमण्डल ने भारत में व्यापारिक प्रसारण सेवाओं की निधि (राजस्व) को भारत में बसें खरीदने के लिए उपयोग में लाने की मांग की थी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय दिया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). श्रीलंका प्रसारण निगम (सिलोन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन) के अध्यक्ष ने श्रीलंका की सरकार के दो अधिकारियों और श्रीलंका के उप-उच्चायुक्त के साथ वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के साथ भेंट की थी । लेकिन इस मुलाकात के दौरान ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की गयी ।

भारत सरकार के सचिवों, राज्यों के मुख्य सचिवों और इंजीनियर तथा डाक्टरों के वेतनमानों में अन्तर

3309. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व संयुक्त सचिवों के वेतन में अत्यधिक वृद्धि और अतिरिक्त सचिवों तथा राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों के वेतन में वृद्धि करने के अभी हाल के निर्णय के परिणामस्वरूप इंजीनियरों और डाक्टरों के वेतन और सामान्य प्रशासकों के वेतन के बीच अन्तर और अधिक बढ़ गया है ;

(ख) क्या सरकारी सेवा के सामान्य प्रशासकों के वेतन और इंजीनियरों तथा डाक्टरों के वेतन के बीच बढ़ते हुए अन्तर के परिणामस्वरूप डाक्टरों और इंजीनियरों में अत्यधिक असंतोष है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वर्तमान अन्तर को कम करने के लिए कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिवों तथा अपर सचिवों के वेतनमानों का, 1965 के बाद, कोई ऊर्ध्वगामी संशोधन नहीं हुआ है। राज्य मुख्य सचिवों के कर्त्तव्यों और जिम्मेवारियों में वृद्धि हो जाने के कारण केवल उनके वेतनमानों का 1 मार्च 1970 से संशोधन किया गया है। इसी प्रकार इन्हीं कारणों से रेलों के वरिष्ठ इंजीनियरों के वेतनमानों का 1 अक्तूबर 1970 से संशोधन किया गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के वेतनमानों का संशोधन 1 सितम्बर 1966 से किया गया था।

(ग) केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों की, जिनमें इंजीनियर और डाक्टर भी शामिल हैं, परिलब्धियों के ढांचे की तृतीय वेतन आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

किसानों को सिंचाई के लिए ऋण देने सम्बन्धी नियमों को उदार बनाना

3310. **श्री नारायणन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वित्त निगम ने, जो कि किसानों को लघु सिंचाई योजनाओं के लिए केवल 90 प्रतिशत और अन्य सभी परियोजनाओं के लिए 75 प्रतिशत ऋण देने की व्यवस्था करता था ; छोटे किसानों को 100 प्रतिशत ऋण देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऋण देने सम्बन्धी नियमों को भी बिना अधिक शर्तें लगाए उदार बना दिया गया है ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) कृषि पुनर्वित्त निगम ने सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे किसानों के विकास अभिकरणों में छोटे किसानों को दिए गए ऋणों के बदले, 30 जून 1970 तक उनके लिए 100% तक वित्त व्यवस्था करने का निर्णय किया है ।

(ख) ऊपर (क) में वर्णित सीमा तक नियमों में ढील दे दी गयी है ।

(ग) जी हां ।

सहकारी बैंकों की बैठक

3311. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अक्तूबर के महीने में सहकारी बैंकों की एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय किए गए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां । वित्त मंत्री ने 27 अक्तूबर, 1970 को नया दिल्ली में राज्यों के सहकारी बैंकों के अध्यक्षों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी ।

(ख) बैठक में निम्नलिखित विषयों पर बातचीत की गयी :—

1. सहकारी बैंकों द्वारा जमा की रकमों का जुटाया जाना ।

2. कृषि उत्पादन के वित्त-पोषण के लिए सहकारी ऋण संस्थाओं तथा वाणिज्यिक बैंकों के बीच समन्वय स्थापित करना ।

3. कुछ चुने हुए राज्यों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए वित्त व्यवस्था का किया जाना ।

4. केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की भारी बकाया रकमों की स्थिति ।

5. वित्तीय दृष्टि से कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों की स्थिति को फिर से सुदृढ़ करना ।

6. मध्यावधिक ऋणों के वितरण की अपर्याप्तता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में जमा की रकमें जुटाने और ऋण देने के सम्बन्ध में दोनों प्रकार की ऋणदाता संस्थाओं के क्षेत्र के बारे में बैठक में मतैक्य पाया गया । जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावकारी ढंग से काम करने की दृष्टि से इन दोनों प्रकार के संस्थागत अभिकरणों

में ताल-मेल बैठाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस बात पर भी सहमति प्रकट की गयी कि राज्यों के सहकारी बैंकों को प्राथमिक ऋण समितियों का पुनर्गठन करने के काम में पूरी तरह शामिल किया जाना चाहिए तथा इन समितियों का विलय करने के बजाय उनका कारबार बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

प्राथमिक कृषि समितियों के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्त व्यवस्था किए जाने की योजना का सामान्यतः स्वागत किया गया।

शेष तीन मदों की प्रगति की समीक्षा की गयी तथा उसे नोट किया गया। यह भी स्वीकार किया गया कि कमजोर सहकारी संस्थाओं को फिर से सुदृढ़ करने के लिए जोरदार कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए ताकि इन संस्थाओं को संचित बकाया रकमों के दलदल से निकाला जा सके।

विदेशी पोतपरिवहन सेवाओं द्वारा माल भाड़े की दरों में की गई वृद्धि

3312. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पोतपरिवहन कम्पनियों ने भाड़े की दरों में बार-बार वृद्धि की है जिससे भारत के वैदेशिक व्यापार पर कुप्रभाव पड़ता है ;

(ख) क्या कुछ विदेशी पोतपरिवहन कम्पनियों का विचार भाड़े की दरों में आगे और वृद्धि करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो भाड़े की दरों में और वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 1969 में 13 सम्मेलन पोतपरिहन सेवाओं तथा 1970 में लगभग 11 सम्मेलन पोतपरिवहन सेवाओं ने अपने भाड़े की दरों में वृद्धि की है। देश के विदेशी व्यापार पर पोतपरिवहन-भाड़ा, प्रभाव डालने वाली सारी बातों में से एक ही बात है अतः केवल एक कारण के प्रभाव को अलग करना कठिन है।

(ख) जी हां। अभी तक 13 सम्मेलनों ने 1971 में भाड़े की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है।

(ग) सरकार ने विचार विमर्श फार्मूले के माध्यम से उससे सहमत संमेलनों को 2 वर्ष की अवधि से पूर्व बार-बार तथा ऐसे तरीके से भाड़ा दरों को न बढ़ाने के लिए कहा है जिससे विदेशी व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़े। पोत वणिक परिषद तथा सरकार भाड़ा दरों

में वृद्धि न करने तथा प्रस्तावित वृद्धि की दरों में कमी करने और निर्यात की सम्बेदी अथवा गैर परंपरागत मदों के साथ विशिष्ट व्यवहार करने के लिए सम्मेलनों से कहते आ रहे हैं ।

भारत में संकटग्रस्त तथा बंदप्राय मिलों को वित्तीय सहायता देने हेतु पुनर्निर्माण एजेंसी

3313. **श्री क० हाल्दर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में संकटग्रस्त तथा बन्द-प्राय मिलों को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार का विचार एक नई पुनर्निर्माण एजेंसी स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उक्त योजना सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में लागू की जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). जूट, वस्त्र और अन्य औद्योगिक कारखानों को, जो संकटग्रस्त हैं और बन्द होने वाले हैं अथवा जो पहले ही बन्द हो चुके हैं, फिर से चलाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने हाल ही में एक औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम बनाने का प्रस्ताव किया है जिसका मुख्य कार्यालय कलकत्ता में हो । यह सुझाव दिया गया था कि प्रस्तावित निगम केवल वित्तीय संस्था के रूप में ही कार्य न करे बल्कि उसे उन कारखानों को अपने हाथ में ले लेने का अधिकार भी हो जो अच्छी तरह काम नहीं कर रहे हैं । यह भी प्रस्ताव किया गया था कि (1) यह संस्था कानूनी निगम हो अथवा यह एक कम्पनी हो जो औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के संयुक्त स्वामित्व में रहे । (2) इसकी अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपये और चुकता पूंजी 5 से 10 करोड़ रुपये होनी चाहिए । (3) काम शुरू करने के लिए संस्था को सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाना चाहिए । (4) संस्था को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से पुनर्वित्त सम्बन्धी सुविधाएं मिलनी चाहियें और (5) संस्था की आय पर आयकर की छूट दी जानी चाहिए ।

इन प्रस्तावों पर, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, विचार किया जा रहा है ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

3315. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को दी गई अन्तरिम सहायता का लाभ हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री, नई दिल्ली तथा दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों को भी दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). अन्तरिम सहायता देने के बारे में, तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें और उस पर सरकार का निर्णय केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है। इसलिए अन्तरिम सहायता की मंजूरी से सम्बन्धित सरकार के आदेश, सरकारी क्षेत्र के उन उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होते जिनका वेतन बोर्डों आदि के साथ अपना-अपना सम्बन्ध है। किन्तु सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली स्थित हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री और केन्द्रीय सरकार के कुछ अन्य उपक्रमों ने अपने-अपने कर्मचारियों को हाल में किसी न किसी रूप में अतिरिक्त भत्ते दिए हैं ।

मद्रास-सिंगापुर मार्गों पर एयर-इण्डिया द्वारा भारतीय यात्रियों के साथ किया गया भेद-भाव

3316. **श्री सं० चं० सामन्त** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इकानामिक एण्ड पालिटिकल वीकली' के 24 अक्तूबर, 1970 के अंक में "इज एयर इण्डिया फार इण्डियन्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि मद्रास-सिंगापुर मार्गों पर एयर इण्डिया द्वारा भारतीय यात्रियों के प्रति भेदभाव किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या विशेषज्ञों की एक समिति के माध्यम से सरकार का विचार एयर इण्डिया की कार्यप्रणाली का पुनर्विलोकन कराने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) लेख की ओर एयर इण्डिया का यथा-आवश्यक कार्यवाही के लिए ध्यान दिला दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

भारत के सम्बन्ध में पुस्तकें तथा अन्य साहित्य तैयार करने का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा डोम मोरेस को सौंपा जाना

3317. **श्री सं० चं० सामन्त** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सम्बन्ध में पुस्तकें तथा अन्य साहित्य तैयार करने का कार्य पर्यटन विभाग तथा सरकारी क्षेत्र की विमान कम्पनियों द्वारा डोम मोरेस को सौंपा गया है ;

(ख) क्या उनका मंत्रालय ब्रिटिश ब्रोडकास्टिंग कारपोरेशन के लिए डोम मोरेस द्वारा निर्मित किए गए चलचित्रों पर सरकार की प्रतिक्रिया से अवगत है ; और

(ग) पर्यटक-साहित्य तैयार करने हेतु इस लेखक का चयन करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) डोम मोरेस को भारत के सम्बन्ध में पुस्तकें तथा अन्य साहित्य तैयार करने का काम पर्यटन विभाग द्वारा नहीं सौंपा गया है। परन्तु, श्री मोरेस ने भारत के सम्बन्ध में अपनी प्रस्तावित पुस्तक के लिए सामग्री एकत्रित करने के लिए भारत की यात्रा करने के लिए सुविधायें प्राप्त करने के लिए लन्दन स्थित एयर इण्डिया के कार्यालय से आवेदन किया था। तदनुसार, नवम्बर, 1968 में श्री मोरेस द्वारा अपनी प्रस्तावित पुस्तक में एयर इण्डिया के प्रचार के आश्वासन के बदले उसके साथ एक परिवहन सेवा संबंधी समझौता किया गया । पता चला है कि पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई है। भारत पर्यटन विकास परिषद् ने भी श्री मोरेस को मई-जुलाई, 1969 में खजुराहो के संबंध में एक पुस्तक लिखने का कार्य सौंपा जिसे कि भारत पर्यटन विकास परिषद् सामान्य जनता में बिक्री के लिए तैयार कराना चाहती थी। पुस्तक की पाण्डुलिपि अभी तक श्री मोरेस से प्राप्त नहीं हुई है। इनके अतिरिक्त, दो फोल्डरों को तैयार करने के लिए भारत पर्यटन विकास परिषद् द्वारा नियुक्त एक एजेंसी ने भी श्री मोरेस को राजस्थान तथा गोवा फोल्डरों के मूलपाठ (टेक्स्ट) लिखने का कार्य सौंपा था। मूलपाठ प्राप्त हो चुके हैं तथा विचाराधीन हैं और प्रकाशन से पूर्व उन्हें उपयुक्त रूप से सम्पादित किया जायेगा।

(ख) जी, हां।

(ग) श्री मोरेस का चयन एक पत्रकार एवं यात्रा लेखक के रूप में उनकी सुप्रतिष्ठित ख्याति के आधार पर किया गया था। उस समय, उन फिल्मों के स्वरूप का कोई संकेत नहीं था जोकि उन्होंने अन्ततः ब्रिटिश ब्रौडकास्टिंग कारपोरेशन के लिए तैयार कीं।

भारतीय खनिज विकास का विश्व बैंक द्वारा किया गया मूल्यांकन

3318. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने मूल्यांकन किया है कि भारत का खनिज विकास उतना नहीं हुआ है जो उसके उत्पादों की मांग तथा उसकी सम्भावनाओं के अनुरूप हो ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). विश्व बैंक ने, खनिज उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमारे खनिज साधनों के विकास पर, समय-समय पर, बल दिया है। "चौथी पंचवर्षीय आयोजना में, खनिज उत्पादों का बढ़ती हुई मांग के अनुरूप, खनिज

विकास की रफ्तार तेज करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है । आन्तरिक मांग में होने वाली प्रत्याशित वृद्धि की पूर्ति करने, आयात में कमी करने, और निर्यात के भावी अवसरों से लाभ उठाने के लिए देश के अन्दर कई खनिज उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने का विचार है । चौथी आयोजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में, संगठित उद्योग और खनिज उद्योग के विकास के लिए निर्धारित 3,338 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से, 661 करोड़ रुपया (अर्थात् कुल राशि का लगभग 20 प्रतिशत) खनिज-विकास के लिए रखा गया है ।

Financial Assistance to Kerala and Other States

3320. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Kerala have demanded from the Central Government financial assistance to give dearness allowance to their non-gazetted employees at par with the Central Government employees ;

(b) if so, whether any other State Government has also made such a demand to the Central Government ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The State Minister in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) A reply has been given to the State Government regretting the inability of the Central Government to provide any assistance towards such expenditure. Any decision that the State Government may take in respect of the level of emoluments of their employees has to be based on their own best judgment, both as regards the propriety of any increase in the emoluments and availability of resources.

Recovery of Professional Tax from Central Government Employees in Madhya Pradesh

3321. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of Central Government employees in Madhya Pradesh at present ;

(b) whether it is a fact that Government of Madhya Pradesh recovers some sort of profession tax from the employees, like income-tax ;

(c) the amount of tax so recovered during the last two years ; and

(d) the steps Central Government propose to take to abolish this tax ?

The State Minister in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) As on 31-3-1970, the number of Central Government employees in Madhya Pradesh was 1,57,200.

(b) Yes, Sir. The approximate number of Central Government employees paying profession taxes is reported to be 5000.

(c) The amount of tax recovered in 1968-69 was Rs. 1,65,000 and the amount recovered in 1969-70 was Rs. 2,15,000.

(d) Taxes on professions, trades, callings and employments are a State subject included in List II of the Seventh Schedule of the Constitution of India. Accordingly, the question of Central Government taking any steps to abolish this tax does not arise.

Persons Belonging to Muslim League Involved in Smuggling

3322. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the son of the President of Kerala Muslim League and other persons belonging to the League had been found involved in smuggling on a large scale with Arab Countries ; and

(b) if so, the full details thereof ?

The State Minister in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The son of the President of the Kerala Muslim League has been alleged to be involved in smuggling. No other person belonging to the League has been found involved in smuggling.

(b) Due to his alleged complicity in a case of illicit importation of 32 bundles of synthetic fabric valued at Rs. 3,91,500.00 which were seized by the customs authorities, the business premises of Shri Syed Mohamed Baffaki Thangal son of the President of the Kerala Muslim League were searched on 26.5.70 and one empty cloth jacket with pouches generally used for transporting contraband gold, one empty cloth belt which is also generally used for transporting gold, two pieces of tetron cloth and two cylinders containing gas for mechanical lighters and four tapes for Tape-recorder together with some incriminating documents were seized. Shri Syed Mohamed Baffaki Thangal was arrested and later on released on bail by the Magistrate. Investigations in this case have been finalised and Shri Thangal and 11 other offenders have been served with show cause memos. The departmental adjudication in this case will be finalised shortly. Shri Thangal is also alleged to be one of the persons connected with another case in which 198 bars of gold were seized at Kozhikode on 9.7.70 from two persons. Investigations in this case are in progress.

वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के वेतन तथा सेवा शर्तें

3323. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अगस्त, 1970 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार के अनुसार, 21 अगस्त 1970 को आयोजित भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की बैठक

की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के वेतन तथा सेवा की शर्तों के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) क्या ऐसी मांग की गई है कि वैज्ञानिक तथा चिकित्सा के क्षेत्र में सरकारी नीतियों का निर्माण उचित लोगों द्वारा किया जाये तथा नीतियों के निर्माण के लिए वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों और अन्य लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाये ;

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) उक्त विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार चिकित्सा क्षेत्र तथा अन्य वैज्ञानिकों से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के बारे में अपनी नीतियों का पुनर्निर्धारण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हाँ। वैज्ञानिकों के वेतनमान तथा सेवा की शर्तों का ज्ञापन तैयार करके वेतन आयोग को देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अकादमी के तत्वावधान में वैज्ञानिकों की एक बैठक 21 अगस्त, 1970 को हुई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मचारियों के लिए बीमा योजना

3324. **श्री वेणी शंकर शर्मा** :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने जीवन बीमा निगम की सलाह से पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मचारियों के लिए एक बीमा योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उक्त योजना को अन्य राज्यों के पुलिस कर्मचारियों के लिए भी लागू करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). मृत्यु तथा विकलांगता के जोखिम के प्रति कलकत्ता नगर काम्बेटेन्ट पुलिस फोर्स को बीमा योजना के अन्तर्गत

लाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त होने पर, जीवन बीमा निगम ने उस सरकार के विचारार्थ एक समूह बीमा योजना पेश की। परन्तु यह पता चला है कि राज्य सरकार ने, पुलिस कार्यवाही के दौरान हुई मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति की एक योजना लागू की है।

(ग) इस पर निर्णय करना राज्य सरकारों का काम है।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में मुस्लिम संसत्सदस्यों द्वारा दिया गया ज्ञापन

3325. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सत्ताधारी कांग्रेस दल के मुस्लिम संसत्सदस्यों ने हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में मुसलमानों में "बढ़ रहे असंतोष" की ओर ध्यान दिलाने तथा "इस विस्फोटक स्थिति में कोई जल्दबाजी का कदम न उठाने" का अनुरोध करने हेतु प्रधानमंत्री को कोई गोपनीय ज्ञापन पेश किया है ;

(ख) उक्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले संसत्सदस्यों के क्या नाम हैं तथा इस ज्ञापन की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में प्रधानमंत्री द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसका स्वरूप क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). 15 संसद सदस्यों के हस्ताक्षरों से युक्त एक पत्र, 6 अगस्त, 1970 को प्रधान मंत्री को पेश किया गया था, जिसमें कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भविष्य से सम्बन्धित प्रश्न देश के मुस्लिम सम्प्रदाय के सभी वर्गों के मानस को व्याकुल करने वाली समस्याओं में से एक है और विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले भावी आकार-प्रकार को देश में मुस्लिम संस्कृति और जीवन पद्धति को अक्षुण्ण करने के लिए, व्यापक रूप से अनिवार्य शर्त माना जाता है। हस्ताक्षर-कर्त्ताओं ने अनुरोध किया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के संबंध में अनेक मुसलमानों से प्राप्त दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए, श्री फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा नियुक्त की गई 8 व्यक्तियों की समिति द्वारा जिसमें श्री एस० एस० बेग भी शामिल थे, के द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार को स्वीकार करके उन्हें, इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले विधान में शामिल कर लेना चाहिए।

भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिम सम्प्रदाय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को स्थापित किया, इसको मानने की मांग और विश्वविद्यालय की आवासिक विशिष्टता को बनाये रखना समिति की मुख्य सिफारिशों में शामिल थे।

पत्र पर निम्नलिखित ने हस्ताक्षर किये थे :—

1. श्री मोहम्मद शफी कुरेशी

2. श्री एम० वाई० सलीम

3. श्री मुशार अहमद खान

4. श्री पी० एम० सईद

5. श्री एम० एस० सईद

6. श्री मोहम्मद युसुफ

7. श्री सैयद अहमद

8. श्री लुतफल हक हाजी

9. श्री एफ० एच० मोहसिन

10. श्री सैयद अहमद आगा

11. श्री मुस्तफा रशीद

12. श्री ए० क्यू० अंसारी

13. श्री गुलाम नबी उर्टु

14. श्री एम० असद मदनी

15. श्री हयातुल्ला अन्सारी

(ग) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय दोनों के लिए ही, व्यापक और दीर्घकालिक विधान सम्बन्धी निर्णय अभी लिये जाने हैं। तथापि, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की दिसम्बर, 1970 को होने वाली स्वर्ण जयन्ती को ध्यान में रखते हुए, 31 अगस्त, 1970 को राज्य सभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया था, ताकि समारोह से पहले विश्वविद्यालय परिषद और कार्यकारी परिषद को प्रजातांत्रिक रूप देने की व्यवस्था की जा सके।

Treatment of Pensioners as Government Servants

3326. Shri Om Prakash Tyagi: Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the pensioners are also considered as Government servants ;

(b) if so, the reasons for which Dearness Allowance is not paid to them as in the case of Central Government servants ; and

(c) in case they are not considered to be Government servants, the reasons for which section 351 C.S.R. is made applicable to them ?

The State Minister in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The position of Government servants who are in service is different from that of pensioners. The latter are not eligible to the same concessions as are admissible to serving Government employees. The question of grant of dearness allowance to pensioners as is admissible to serving Government employees does not, therefore, arise.

(c) Grant and continuance of pensions is subject to the provisions of the Civil Service Regulations, including article 351 thereof. The fact that pensioners cease to be Government servants does not affect this position.

दिल्ली विश्वविद्यालय में पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की उपेक्षा

3327. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में उनकी बूझ कर की गई उपेक्षा के विरुद्ध कोई शिकायतें की हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) अनुसूचित जातीय शिक्षित युवक समाज ने दिल्ली विश्वविद्यालय को नवम्बर, 1970 में एक मांग पत्र प्रस्तुत किया था जिस में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि सहायक प्राध्यापकों/प्राध्यापकों के पदों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिवासियों के प्रत्याशियों की भर्ती में आरक्षण नीति को भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के आधार पर और जैसा कि भारतीय गणतंत्र संविधान में प्रतिपादित है, तुरंत क्रियान्वित किया जाना चाहिए ।

(ख) विश्वविद्यालय ने पहले ही निर्णय कर लिया है कि अन्य बातों के बराबर होने पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिवासियों के सदस्यों पर जो विश्वविद्यालय/कालेजों में शिक्षण पद के लिए आवेदन देते हैं, उचित ध्यान दिया जाय और शिक्षण पदों की नियुक्ति की सिफारिश करते समय संबंधित प्रवरण समितियां इस बात को ध्यान में रखें । कालेजों के शिक्षकों की भर्ती के लिए एक केन्द्रीय प्रवरण समिति की स्थापना करने के लिए भी एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय के विचाराधीन है ।

कोलार क्षेत्र में मैसूर राज्य क्षेत्र में खान विद्यालय (स्कूल आफ साइन्स)

3329. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1957 में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में मैसूर राज्य में कोलार क्षेत्र में और गांव में स्वर्ण खान में एक खान विद्यालय खोलने की मंजूरी दी थी, जिसका समूचा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना था ; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा किये गए अनुदान का समुचित उपयोग हो रहा है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी, हां ।

Carrying of Dead Body of Late Shri Amar Singh Sehgal, M.P. in a Railway Carriage Van

3330. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) whether arrangements were not made to send by air the dead body of Shri Amar Singh Sehgal, a Member of Lok Sabha, and it was sent in a Railway carriage-van ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) and (b). There is no direct commercial flight from Delhi to Bilaspur, the home town of late Shri Amar Singh Sehgal. Arrangements to carry his dead body in a Railway carriage-van were therefore made, according to the wishes of the family members of late Shri Amar Singh Sehgal.

एक हिन्दी अधिकारी के तस्करी गिरोह में अन्तर्ग्रस्त होने के बारे में जांच

3331. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना तथा जांच महानिदेशक वित्त मंत्रालय के एक हिन्दी अधिकारी के तस्कर गिरोह में कथित अन्तर्ग्रस्त होने सम्बन्धी एक मामले की गत कुछ समय से जांच कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध यह मामला अप्रैल, 1969 में बैंकाक के एक विदेशी द्वारा उन्हें कथित लिखे गए पत्र पर आधारित है ; और

(ग) क्या उक्त पत्र के सरकारी रिकार्ड से गायब हो जाने के समाचार हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राजस्व विभाग के हिन्दी अधिकारी के तस्कर गिरोह में अन्तर्ग्रस्त होने के विषय में, तारांकित प्रश्न पर लोक-सभा में 6 अप्रैल, 1970 को पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों के दौरान लगाए गए आरोपों की जांच-पड़ताल करने के लिए राजस्व आसूचना तथा जांच महानिदेशक को कहा गया था। ये आरोप स्पष्टत: उस एक पत्र पर आधारित थे जो इस अधिकारी को अप्रैल 1969 में बैंकाक के एक विदेशी ने लिखा था ।

(ग) जी, नहीं । इस अधिकारी ने जब उक्त विदेशी का आतिथ्य स्वीकार करने की अनुमति मांगी थी तो उसने विदेशी से प्राप्त मूल निमंत्रण-पत्र निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया

था। यह उसका व्यक्तिगत पत्र था, इसलिए अभिलेख (रेकार्ड) के लिए फाइल में उस पत्र की एक प्रति रख कर, मूल पत्र को सामान्य रीति से उसे वापस कर दिया गया था। उक्त पत्र की कुछ और प्रतियां भी अन्य सूत्रों से प्राप्त हुई थीं और वे अभिलेख में उपलब्ध हैं।

वित्तीय संस्थाओं की नई ऋण-नीति के परिणाम

3332. **श्री जी० वेंकट स्वामी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई ऋण-नीति के परिणामों के बारे में हाल ही में किए गए सरकारी सर्वेक्षण से यह पता लगा है कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा सरकारी क्षेत्र की उन नयी बड़ी परियोजनाओं में अपना धन लगाने की सम्भावना है जो योजना के अन्तर्गत नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र के कई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों को सहायता न कर सकेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को धन के लिए वित्तीय संस्थाओं के पास जाने के लिए अनुमति देने के सरकारी निर्णय के संदर्भ में तथा इन संस्थाओं से परामर्श करके योजना आयोग और वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए, साधनों की स्थिति के पुनरीक्षण के आधार पर, यह अनुभव किया गया था कि आने वाले एक-दो वर्षों में इन संस्थाओं को सरकारी, निजी और सहकारी क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई गम्भीर कठिनाई नहीं होगी बशर्ते कि उनके साधनों से विभिन्न प्रायोजनाओं के लिए बहुत बड़ी-बड़ी मांगें प्रस्तुत न की जायें।

(ख) यह निश्चय किया गया है कि योजना आयोग केन्द्रीय मंत्रालयों से सरकारी क्षेत्र की उन प्रायोजनाओं के नये प्रस्तावों का पता लगायेगा जिन की वित्त-व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं की सहायता से की जानी है। आयोग इन प्रायोजनाओं पर उनकी सक्षमता और प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए और औद्योगिक वित्त की उपलब्धता के संदर्भ में विचार करेगा। राज्यों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को वित्तीय संस्थाएं उनकी प्राथमिकता का पता लगाने के लिए योजना आयोग के पास भेजेंगी।

कटक-सम्बलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत करने के लिए धन की व्यवस्था करना

3333. **श्री अ० दीपा** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक-सम्बलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग कई वर्षों से अंगुल-बेंदा से कई स्थानों पर टूटा हुआ है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उसकी मरम्मत के लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था नहीं की है ; और

(ग) यदि हां, तो अपेक्षित मरम्मत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). निम्नतर कोटि की अवभूमि के कारण इस सड़क के इस भाग में गत दो अथवा तीन वर्षों के दौरान कुछ स्थानों पर खराबी के चिन्ह नजर आ रहे थे। इस वर्ष की बाढ़ के कारण इस सड़क को कुछ भागों में क्षति पहुंची है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए प्रतिवर्ष आवंटित निधियों से सामान्य मरम्मत की जाती है। चालू वर्ष में इस भाग के लिए 50000 रु० का एक विशेष आवंटन किया गया है। इस सड़क के सुधार के लिये 1970-71 की वार्षिक योजना में भी व्यवस्था की गयी है।

पब्लिक स्कूलों को मान्यता प्रदान करना

3334. **श्री शशि भूषण** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री पब्लिक स्कूलों की स्थापना सम्बन्धी नियमों के बारे में 15 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9792 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पब्लिक स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के बारे में जांच निकाय ने क्या शर्तें निर्धारित की हैं ; और

(ख) 1969 में स्थापित हुई शैक्षणिक समितियों की संख्या कितनी है, उनके द्वारा कितने स्कूल खोले गए तथा उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक समिति के सदस्यों के नाम, पते तथा अर्हताएं क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) पब्लिक स्कूल वे स्कूल माने जाते हैं जो भारतीय पब्लिक स्कूल प्रधान अध्यापकों के सम्मेलन के सदस्य हैं। वे माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड तथा भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद सहित किसी भी जांच निकायों से अपने को सम्बद्ध करा सकते हैं। जांच निकाय स्कूल को, इसके विद्यार्थियों को उस जांच निकाय द्वारा परीक्षा के लिए भेजने के लिए सम्वर्द्धन प्रदान करती है, परन्तु यह स्कूल को पब्लिक स्कूल की मान्यता नहीं देते। इन दो जांच निकायों द्वारा निर्धारित मान्यता के नियमों की सूचना से सम्बन्धित दो विवरण संलग्न हैं। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०**—4483/70]

(ख) अपेक्षित सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

पश्चिम बंगाल के जिला मिदनापुर में नरघाट स्थान पर हाल्दी नदी पर पुल का निर्माण

3335. **श्री सं० चं० सामन्त :** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक सब-डिवीजन में कन्टाई-तामलूक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से 28 मील दूर नरघाट स्थान पर हाल्दी नदी पर पुल के निर्माण पर अनुमानतः कुल लागत कितनी आयेगी ;

(ख) यह निर्माण-कार्य कब आरम्भ हुआ ;

(ग) क्या वहां कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ;

(घ) यह निर्माण-कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा ; और

(ङ) इस निर्माण कार्य में कहां तक प्रगति हुई है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ङ). पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले के तामलुक उप-खण्ड में नरघाट में हाल्दी नदी के ऊपर प्रस्तावित पुल राज्य सड़क पर पड़ता है। अतः पश्चिम बंगाल सरकार को इस पुल के निर्माण से यह ज्ञात हुआ है कि उन्होंने 59.24 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर पुल का निर्माण कार्य मंजूर किया था परन्तु नदी के मार्ग में परिवर्तन आने से और लम्बा पुल अब बनाना आवश्यक हो गया है। इसमें लगभग 18 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आएगी। पहुंच मार्ग की लागत भी लगभग 9 लाख रुपये होगी।

डिघा पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

3336. **श्री सं० चं० सामन्त :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में डिघा के स्थान पर एक केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है जिसमें अधिक खारे पानी में रहने वाले समुद्री जीवों के क्रिया विज्ञान का अध्ययन करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

(ख) यदि हां, तो क्या डिघा में (i) निर्जीव जन्तुओं और (ii) सजीव जन्तुओं के लिए एक संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा जहां जलजीवशाला हो ; और जिसमें बहने वाले समुद्री जल की व्यवस्था हो ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर चौथी पंचवर्षीय योजना में कार्यवाही की जाएगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं। शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

पारादीप बन्दरगाह पर माल चढ़ाने-उतारने के लिए घाट बनाना

3337. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप बन्दरगाह पर माल चढ़ाने-उतारने के लिए घाट की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या वहां बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्यक्रम निर्धारित समय से पीछे है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) पारादीप पत्तन में सामान्य माल घाट के निर्माण के लिए निविदायें पारादीप पत्तन न्यास को प्राप्त हो गई हैं। पत्तन न्यास की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

(ख) जी नहीं।

Enquiry into Alleged Defalcation in London Branch of Central Bank of India

3338. **Shri Sradhadar Supakar :**
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the progress made so far in regard to the enquiry into the alleged defalcatiou by some employees of the London Branch of the nationalised Central Bank of India ; and

(b) the date by which the enquiry is likely to be completed ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). According to the information available, the Scotland Yard investigation into the alleged fraud in the London Branch of Central Bank of India has not yet been completed. It is not possible to indicate the exact date by which the investigation will be completed.

तस्करी के सामान का पकड़ा जाना

3339. **श्री न० कु० सांघी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सोने की तस्करी के पकड़े जाने में कमी आई है और तस्करी के शृंगार प्रसाधनों की पकड़ में वृद्धि हुई है ;

(ख) कुल तस्करी के सामान में शृंगार सामग्री के मूल्य का अनुपात पिछले तीन वर्ष में पृथक्-पृथक् क्या था ; और

(ग) क्या सरकार का विचार तस्करों को पकड़ने के लिए जैसा कि वित्त मंत्रालय की वर्ष 1968-69 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, तांबे तथा होवरकराफ्ट लेने का है क्योंकि हाल ही में देश के पूरे पश्चिमी तट पर शृंगार प्रसाधनों की तस्करी बड़ी मात्रा में हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). माल पकड़ने के मामलों के आंकड़ों से ऐसी किसी प्रवृत्ति का संकेत नहीं मिलता है। विदेशों से चोरी-छिपे लाया गया जो कुल माल पकड़ा गया उसके प्रति विदेशों से चोरी-छिपे लाई गई विलासिता की वस्तुओं का अनुपात वित्तीय वर्ष 1968-69 में 58 प्रतिशत, 1969-70 में 61 प्रतिशत तथा 1970-71 के पूर्वार्द्ध में 58 प्रतिशत है। इस प्रतिशत अनुपात की गणना करते समय अनधिकृत निर्यात के दौरान पकड़ी गई चांदी तथा खतरनाक औषधियों, तस्करी के माल को लाने ले जाने में पकड़े गए वाहनों तथा अनधिकृत आयात अथवा निर्यात की जा रही मुद्रा अथवा तस्करी के माल की बिक्री से प्राप्त रकम को शामिल नहीं किया गया है।

(ग) तस्करों की तेज चलने वाली नौकाओं का पता लगाने तथा उन्हें रोकने के उद्देश्य से सरकार का विचार उपयुक्त ढंग के वाहन प्राप्त करने का है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन-सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा—इस सम्बन्ध में सलाह देने के लिए एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की गयी है। तेज चलने वाली कुछ जब्त-शुदा नौकाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा सरकारी उपक्रमों को वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की सेवायें पेश करना

3340. **श्री रामजी राम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय में (सचिवालय कार्यालयों में) ऐसे प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनकी सेवायें गत छः महीनों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सरकारी उपक्रमों को पेश की गई तथा ऐसा करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या ये अधिकारी किसी स्थायी पद पर हैं, यदि हां, तो उनको उनके स्थायी पदों पर वापिस न भेजने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) प्रथम श्रेणी के एक अधिकारी की सेवाएं अन्य मंत्रालयों/विभागों/सरकारी उपक्रमों में उपयोग के लिए प्रस्तुत की की गई थीं। ऐसा इसलिये किया गया था कि हाल ही में अपने कुछ कर्मचारियों के साथ उसके सम्बन्धों में कुछ तनातनी आ जाने से कुछ शिकायतें पैदा हो गई थीं।

(ख) सम्बद्ध अधिकारी एक पद पर स्थायी है। परन्तु, जहां तक उसके सरकारी काम का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध से कोई शिकायत नहीं है। अतः उसे अपने स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित करने का प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ।

Heavy Expenditure by Ministries in March

3341. Shri Narain Swaroop Sharma : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether he is aware that funds are spent indiscriminately in the month of March in all the Ministries and Offices of Government of India, which encourages corrupt practices ;

(b) if so, whether Government propose to do away with the practice of making budget provisions for any Ministry for the next year on the basis of the expenditure in the Financing year ;

(c) whether Government propose to start making proper scrutiny of various amounts of money spent by various Ministries ; and

(d) if so, the date from which such a scrutiny is proposed to be started and if not, the reasons therefor ?

The State Minister in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). While it is not correct that funds are spent indiscriminately in the month of March by various Ministries, it is true that the phenomenon of rush of expenditure towards the end of financial year does exist. This phenomenon has been examined in detail by the Study Team of the Administrative Reforms Commission on Financial Administration, and also by the A.R.C. The recommendation of the A.R.C. in their report on "Finance, Accounts and Audit" after considering all aspects of the matter was that "in order to overcome the reluctance of the Ministries/Departments to surrender funds in time the Finance Ministry should give an assurance through a circular that under-spending in one year would not prejudice the budget estimates for the next year". Government have accepted this recommendation and necessary instructions have been issued to all Ministries on 3.9.1969.

(c) and (d). Scrutiny of propriety of expenditure incurred by various Ministries is done by Audit. Presumably, the Question is in the context of the scrutiny of actual expenditure incurred by Ministries in one year for the purpose of budget provision for the next year. In this regard, the position is that budget provision for next year is not necessarily made on the basis of actual expenditure in the preceding year. The justification for the amounts asked for by Ministries is always closely examined by the Finance Ministry before the amounts are accepted for inclusion in the budget.

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरांत उद्योगों को दिया गया ऋण

3342. **श्री रवि राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो जून, 1969 से अक्तूबर, 1970 तक उद्योगों को कितना धन ऋण के रूप में दिया गया ; और

(ग) एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन में उल्लिखित बड़े औद्योगिक गृहों को उपरोक्त अवधि में कितना ऋण धन के रूप में दिया गया ;

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). उस सारी अवधि के लिए, जिसके बारे में सदस्य महोदय ने जानकारी मांगी है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के प्रयोजन-वार विभाजन के ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे "उद्योग" को दिए गए बैंक-ऋण का पता चलता हो। लेकिन अनन्तिम अनुमानों के अनुसार, बैंकों द्वारा उद्योगों को दिया गया ऋण, जो जून 1969 में 2320 करोड़ रुपया था, बढ़ कर अप्रैल 1970 में 2560 करोड़ रुपया हो गया।

एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित 75 व्यापारिक समूहों/गृहों में से 71 समूहों/गृहों को 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की कुल बकाया रकम 18-7-69 और 21-12-69 को क्रमशः 440.28 करोड़ रुपये और 438.08 करोड़ रुपये थी। इसके बाद की तारीखों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जैसा कि उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है, यद्यपि जून 1969 और अप्रैल 1970 के बीच की अवधि में उद्योगों को दिए गए बैंक-ऋण में वृद्धि हुई है लेकिन जुलाई 1969 और दिसम्बर 1969 के बीच की अवधि में, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बड़े-बड़े व्यापारिक समूहों/गृहों को दिए गए ऋणों की बकाया रकमों में कोई वृद्धि नहीं हुई। उद्योग को दिए गए ऋण में हुई वृद्धि कुछ तो उत्पादन की सामान्य आवश्यकताओं के कारण और कुछ छोटे पैमाने के उद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि होने के कारण हुई है ; छोटे उद्योगों को दिए गए ऋणों की रकम, जो जून 1969 में 285.6 करोड़ रुपया थी, बढ़कर मार्च 1970 के अन्त में 393.9 करोड़ रुपये हो गयी। वस्तुतः, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि, छोटे पैमाने के उद्योगों और छोटे ऋणकर्त्ताओं के अन्य वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों में जून 1969 से मार्च 1970 तक की अवधि में 238 करोड़ रुपये अर्थात् 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि इसकी तुलना में इसी अवधि में समग्र रूप से उद्योगों को मिलने वाले ऋणों में केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मैसूर में सैंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेज

3343. **श्री रवि राय** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में सैन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेज कब स्थापित किया गया था;

(ख) उक्त इन्स्टीट्यूट को क्या विशिष्ट कार्य सौंपे गये थे तथा उन्होंने उनको कहां तक क्रियान्वित किया है; और

(ग) उक्त इन्स्टीट्यूट के कार्य में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डॉ० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जुलाई, 1969 में ।

(ख) भारतीय भाषाओं के केन्द्रीय संस्थान, मैसूर को सौंपे गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण और अब तक किये गये इसके कार्य-कलापों की रिपोर्ट संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—4484/70]**

(ग) यह संस्थान जो कि अभी निर्माणाधीन स्थिति में है, एक प्रख्यात भाषाविज्ञानी के सुयोग्य मार्गदर्शन में आधुनिक तथा वैज्ञानिक आधार पर चलाया जा रहा है । इसके पूरी तरह स्थापित हो जाने के बाद यदि आवश्यक समझ गया तो, इसके कार्य संचालन को सुप्रवाही बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

स्कूलों में बचत बैंक खोलना

3344. **श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में स्कूलों में बचत बैंक खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उसे कब कियान्वित किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) स्कूल बचत बैंक योजना की, जिसे "संचायिका" कहा जाता है, मुख्य-मुख्य बातें ये हैं :

(i) जिस स्कूल में संचायिका लागू हो उस स्कूल का हर विद्यार्थी उसका सदस्य बन सकता है ;

(ii) संचायिका का काम-काज एक न्यास द्वारा चलाया जायेगा और इसके सदस्य प्रिंसिपल/प्रधानाध्यापक, दो अध्यापक और दो विद्यार्थी होंगे;

(iii) संचायिका के अन्तर्गत स्कूल के नाम पर या संचायिका के ही नाम पर केवल एक बचत खाता खोला जायेगा और इस खाते का परिचालन न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष या कोई दो चुने हुए न्यासी करेंगे;

(iv) विद्यार्थी अपनी बचतें, महीने में एक या एक से अधिक दिन, जो इस काम के लिए निश्चित किये जायें, स्कूल की संचायिका के काउण्टर पर जमा करायेंगे और रकमें जमा करने का काम विद्यार्थी करेंगे । (अध्यापक काउण्टर के पीछे उपस्थित होंगे) काउण्टर पर काम करने वाले विद्यार्थी जमा करायी गयी रकमों का इन्दराज खाता बही (लैजर) और पास-बुक

में करेंगे । न्यासी इन इन्दराजों की जांच किये जाने के प्रमाणस्वरूप खाता-बहियों और पास-बुकों में अपने हस्ताक्षर करेंगे;

(v) 25 रुपये की रकम को छोड़ कर, जो रकमें निकलवाने वालों की मांग पूरी करने के लिए रख ली जायेगी, बाकी सारी जमा रकम डाक-घर में बचत बैंक खाते में जमा करा दी जायगी;

(vi) जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज बचत करने वाले उन लोगों में बांट दिया जायेगा जिनका, खाते में कम से कम 10 रुपया जमा रहे;

(vii) यदि कोई विद्यार्थी जमाकर्ता स्कूल छोड़ दे, तो उसके नाम जमा रकम दूसरी संचायिका में उसके नाम जमा करा दी जायेगी या डाकघर में उसके नाम बचत खाता खोल कर उसमें जमा करा दी जायेगी या उसे नकद लौटा दी जायेगी ।

यह योजना निम्नलिखित स्कूलों में चालू कर दी गई है :

1. सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, किशनगढ़ (राजस्थान)

2. केकड़ी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (राजस्थान)

3. सरकारी बालिका उच्च विद्यालय (हाई स्कूल) तेलीपाड़ा (राजस्थान)

4. सरकारी उच्च विद्यालय, तितेली (रोहतक)

5. सेंट इग्नेशियस कन्वेंट हाई स्कूल, पलायमकोट्टाइ (तमिलनाडु)

इस योजना को विभिन्न राज्यों के अन्य चुने हुए स्कूलों में लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

मैसूर में फर्मों और व्यक्तियों द्वारा आयकर का भुगतान

3345. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में उन प्रमुख व्यक्तियों तथा फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत दो वर्षों में राज्य में अधिकतम आयकर का भुगतान किया है और उनके ऊपर अलग-अलग कितना आयकर निर्धारित किया गया और प्रत्येक मामले में कितने आयकर का भुगतान किया गया;

(ख) 31 मार्च, 1970 को उन व्यक्तियों तथा फर्मों पर आयकर की कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ग) उक्त धनराशि को वसूल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). वित्तीय वर्ष 1969-70 के दौरान जिन चोटी के दस व्यक्तियों तथा फर्मों का सर्वोच्च कुल आय पर कर निर्धारण किया गया है उनसे संबन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

फोयेनिक्स में निशानेबाजी की प्रतियोगिता में भाग न लेने का निर्णय

3346. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोयेनिक्स (अमरीका) में निशानेबाजी की प्रतियोगिता में भाग न लेने का निर्णय उनके मन्त्रालय ने दक्षिण अफ्रीका द्वारा उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने के कारण किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति में दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के विरुद्ध मत बनाने के लिए कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां । इस मन्त्रालय ने भारत के राष्ट्रीय राईफल संघ को यह सलाह दी थी ।

(ख) इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाना अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से सम्बद्ध भारतीय ओलम्पिक संघ पर निर्भर करता है । तथापि जब जैसी परिस्थिति होती है भारतीय ओलम्पिक संघ को उपयुक्त सलाह दी जाती है ।

बड़े उद्योगपतियों को दिया गया ऋण

3347. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बड़े उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को राज्यवार कितनी-कितनी राशि के ऋण दिए गए ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : "बड़े उद्योगपतियों" से तात्पर्य सम्भवत: एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित 75 व्यावसायिक गृहों/समूहों से है । एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित 75 व्यावसायिक गृहों/समूहों में से 71 को, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की कुल बकाया रकम 18 जुलाई, 1969 और 31 दिसम्बर, 969 को क्रमश: 440·28 करोड़ रुपये और 438·08 करोड़ रुपये थी । इसके बाद की तारीख के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योग तथा व्यापार के लिए दिए गए ऋणों के राज्यवार आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।

मैसूर के दक्षिण कनारा जिले में उदीपि के निकट पुरातत्वीय महत्व की वस्तुओं का पाया जाना

3348. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के दक्षिण कनारा जिले में उदीपि के निकट नवीं तथा दसवीं शताब्दी के होयसाला काल की पुरातत्वीय महत्व की कुछ मूर्तियां पाई गयी थीं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि इन वस्तुओं में से कुछ को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा जाए;

(ग) क्या मैसूर राज्य में हसन के स्थान पर होयसाला काल का संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर, पुरातत्वज्ञ अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दक्षिण सर्किल, मद्रास को इन अवशेषों पर सूचित करने के लिए कहा गया था। उनके महत्व का मूल्यांकन करने के लिए वह इस मास स्थल का निरीक्षण करेंगे।

(ख) प्राप्त अवशेषों के महत्व की स्थापना होने के बाद ही, उन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली अथवा किसी अन्य संग्रहालय में परिरक्षित करने का प्रश्न उठता है।

(ग) और (घ). पुरातत्व संग्रहालय स्थल विशेष के संग्रहालय होते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक संग्रहालय हलेबिद में स्थित है। हसन में संग्रहालय स्थापित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

एयर इण्डिया के विदेशी पारपत्र-धारी कर्मचारी

3349. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास विदेशी पार-पत्र हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार ने उन्हें अपनी राष्ट्रीयता बदल लेने की अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो किस आधार पर ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). भारत मूल के ऐसे तेरह अधिकारी हैं जिनके पास विदेशी पार-पत्र हैं। इनमें से ग्यारह अधिकारियों के पास 1953 में एयरलाइन के राष्ट्रीयकरण से पहले भी ऐसे पार-पत्र थे। बाकी के दो अधिकारियों को अपनी राष्ट्रिकता बदलने की अनुमति नहीं दी गई।

Renovation of Canopy on Statue of Veer Durgadas Rathore in Ujjain City

3350. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government propose to give some grant for the renovation of the canopy provided on the statue of Veer Durgadas Rathore in Ujjain City of Madhya Pradesh, which is in a dilapidated condition ; and

(b) if so, the amount of the grant proposed to be given ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). The statue of Veer Durgadas Rathore is not a centrally protected monument. The Government of India is not, therefore, responsible for its preservation or maintenance. The Government have also not received any request for grant for the renovation of this monument.

Financial Assistance to Madhya Pradesh

3351. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri G. C. Dixit :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of grants and loans proposed to be given to the Madhya Pradesh Government by the Central Government during the financial year 1970-71 ; and

(b) the purposes for which these grants and loans are proposed to be given ?

The State Minister in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Central assistance of Rs. 47.56 crores has been allocated to Madhya Pradesh for the State's Annual Plan 1970-71. This assistance would be provided in the form of block loans

and block grants in the proportion 70 : 30, towards the Plan expenditure as a whole and would not be relatable to any individual scheme, project or Head of Development.

Scheme to make Ujjain City in Madhya Pradesh as Tourist Centre

3352. Shri Jagannath Rao Joshi : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to declare Ujjain city in Madhya Pradesh, which has a historical and cultural background, a tourist centre of national importance ;

(b) whether Government propose to give any grants to the local administrative body there for development of places of historical and cultural importance in the city ; and

(c) whether any application in this regard has been received ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c). The Madhya Pradesh Government had approached the Department of Tourism to construct an auditorium at Ujjain with a seating capacity for nearly 1000 people at a cost of approximately Rs. 7 lakhs for holding cultural programmes. Due to paucity of funds, it has not been possible to accept the suggestion.

Foreign Exchange from Tourists Visiting India

3353. Shri Jagannath Rao Joshi : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the approximate amount of foreign exchange likely to be earned from tourism during the financial year 1970-71 ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : The amount of foreign exchange likely to be earned from tourism during the Calendar year 1970 is estimated at Rs. 38 crores.

दिल्ली में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई

3354. **श्री जगन्नाथ रा॰ जोशी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय किस-किस स्थान पर भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की जा रही है ; और

(ख) इस खुदाई कार्य के परिणामस्वरूप भारतीय सभ्यता के कौन से काल पर प्रकाश डाला गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) दिल्ली में, भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण का खुदाई का कार्य, इस समय केवल पुराने किले में चल रहा है।

(ख) पिछले वर्ष मौर्य काल तक, खुदाई कार्य किया गया था। इस स्थान पर सुंग, कुशन, गुप्त, राजपूत, दिल्ली सुलतानी और मुगल कालों का आधिपत्य था। पूर्व-मौर्य स्तरों पर अभी खोज करनी बाकी है।

अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बुनियादी बातों की ओर ध्यान केन्द्रित करना

3355. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "आपरेशन यूरोप" योजना को उत्तरी अमरीका पर भी लागू करने और ऐसी बुनियादी बातों पर ध्यान केन्द्रित करने का है जिससे अधिक विदेशी पर्यटक आकर्षित किए जा सकें और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप आगामी वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त व्यवस्था को 1-4-1971 से उत्तरी अमरीका में भी लागू करने की आशा है। "आपरेशन यूरोप" योजना की तरह, उत्तरी अमरीका में भी भारत सरकार के पर्यटन कार्यालय अभिवृद्धि तथा प्रचार कार्यों के लिए एयर इण्डिया के कार्यालयों के साथ निकट सहयोग से कार्य करेंगे। और आगे ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) फिलहाल कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, परन्तु आशा की जाती है कि इस योजना के परिणामस्वरूप भारत में पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होगी।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संबन्धी संगठन से सहायता

3356. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग तथा विकास संबन्धी संगठन, विकासशील देशों को दी जाने वाली सहायता पर से सहायता देने वाले देश की सरकार द्वारा लगाई गई सभी शर्तों को हटाने के प्रश्न पर कुछ समय से विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) उपरोक्त संगठन में शामिल विकसित देशों से निबन्धित सहायता प्राप्त किए जाने की क्या सम्भावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग). आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की विकास सहायता समिति की नवीं उच्च-स्तरीय बैठक 14 और 15 सितम्बर, 1970 को टोक्यो में हुई थी। बैठक के विचारार्थ विषयों में सहायता का सहबन्धन भी एक विषय था।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा दो दिन की बैठक के बाद जारी की गयी प्रेस विज्ञप्ति सभा-पटल पर रख दी गयी है। [**ग्रन्थालय में रक्खी गई। देखिए संख्या एल० टी०** — 4485/70]

राष्ट्रीयकृत बैंकों से इंजीनियरिंग के स्नातकों को वित्तीय सहायता

3357. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल पम्प खोलने सहित अन्य उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय सहायतार्थ इंजीनियरिंग के स्नातकों, डिप्लोमा-धारियों तथा अन्य स्नातकों से राष्ट्रीयकृत बैंकों को 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद से अब तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उनमें से कितने प्रतिशत आवेदनों को पराश्रित होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है ;

(ग) क्या लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की वर्तमान प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है जिसका पालन करना बहुत कठिन है ; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रायोजनों के लिए ऋण देने सम्बन्धी विद्यमान प्रक्रिया को युक्ति-युक्त और सरल बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

(ग) और (घ). जुलाई, 1970 में मैंने राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों के साथ जो बात-चीत की थी उसके अनुसरण में रिजर्व बैंक ने एक समिति नियुक्त की है जो खास कर आत्म-नियोजित व्यक्तियों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में विभिन्न बैंकों की विशेष ऋण योजनाओं की समीक्षा करेगी। समिति के विचारणीय विषयों में एक विषय यह भी है कि वह जमानत, ब्याज की दर, वापसी अदायगी की अवधि तथा इस प्रकार के ऋणों से सम्बद्ध अन्य शर्तों के बारे में मार्ग प्रदर्शक सिद्धान्त बनाये। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारत की यात्रा के लिए ताईवान में पर्यटकों की बढ़ती हुई मांग

3358. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भारत की यात्रा के लिए ताईवान में पर्यटकों की बढ़ती हुई मांग की जानकारी है ;

(ख) क्या लालफीताशाही के कारण वास्तविक पर्यटकों को भारत की अपनी यात्रा के कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने में अभी भी बड़ी कठिनाई का अनुभव होता है ;

(ग) क्या सरकार ने ताईवान से आने वाले पर्यटकों, जिनमें भारत के बौद्ध स्थानों की यात्रा करने वाले पर्यटक भी शामिल हैं, को बीजा आदि प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान दिया है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस बात का प्रबन्ध किया है कि भारत आने के इच्छुक पर्यटकों को ताइपेह में ही बीजा तथा पर्यटन सम्बन्धी जानकारी मिल जाये ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) तैवान से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या स्वल्प है ।

(ख) से (घ). तैवान के वास्तविक पर्यटकों को भारत आने में कोई कठिनाई नहीं आती । वे तैपाई के निकटवर्ती तमसुई में स्थित ब्रिटिश कोंसुलेट से पहले से आवेदन पत्र देकर बीजा प्राप्त कर सकते हैं ।

जिन विदेशियों के पास एक बार प्रवेश का बीजा होता है, उन्हें नेपाल में लुम्बिनी की यात्रा करने के बाद भारत में पुनः प्रवेश के लिए एस० डी० ओ०, नौगढ़ से "वापसी बीजा" अथवा "कोई आपत्ति नहीं" इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है ।

भारत के विषय में पर्यटकों के लिए जानकारी विषयक सूचना का प्रसार कार्य हमारे टोकियो स्थित कार्यालय द्वारा किया जाता है जिस पर कि सुदूर पूर्व के देशों की देख-भाल का दायित्व है ।

दिल्ली परिवहन की परिचालन संबंधी कार्यकुशलता में गिरावट

3359. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन की परिचालन संबंधी कार्य-कुशलता में हाल के महीनों में आई गिरावट के कारणों की जांच की है ;

(ख) दिल्ली में यात्रियों और बसों में क्या अनुपात है और मद्रास, अहमदाबाद तथा बम्बई में यह अनुपात क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन को, दिल्ली की जनता को पर्याप्त बस-सेवा उपलब्ध के अनुदेश दिये हैं ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) यह सच नहीं है कि अभी हाल के महीनों में दिल्ली परिवहन उपक्रम की परिचालन कार्यकुशलता में गिरावट आई है। योजना आयोग द्वारा महानगर परिवहन सेवाओं पर स्थापित कार्य-दल ने मामले की हाल ही में जांच की है।

(ख) इस संबंध में उपरोक्त (क) में निर्दिष्ट कार्यदल की रिपोर्ट में यथोलिखित संबंधित सांख्यिकीय सूचना निम्न प्रकार है :

उपक्रम का नाम	वर्ष	सड़क पर बसों की औसतन संख्या	ले जाये जाने वाले यात्रियों की दैनिक औसतन संख्या	प्रतिदिन प्रति बस के यात्रियों की औसतन संख्या
1—दिल्ली परिवहन उपक्रम	1969-70	1139	+ 995735 [इसमें 300 प्राइवेट बसें भी शामिल हैं]	1165 +
2—मद्रास	—	919	1040000	1132
3—बम्बई	—	1307	2223826	1701

\+ प्रशासनिक तथा परिचालन नियंत्रण योजना के अधीन प्राइवेट परिचालकों द्वारा ले जाये गये यात्रियों की संख्या शामिल नहीं है।

अहमदाबाद के संबंध में इस प्रकार की सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) दिल्ली परिवहन उपक्रम का प्रशासन दिल्ली प्रशासन के अधीन दिल्ली परिवहन द्वारा किया जाता है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 288 के अधीन दिल्ली परिवहन उपक्रम के लिए यह अनिवार्य है कि वह दिल्ली की जनता के लिए पर्याप्त सड़क परिवहन सेवायें उपलब्ध करें। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा कुशल क्रिकेट खिलाड़ियों को रियायतें देना

3360. **श्री मयावन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया कशल क्रिकेट खिलाड़ियों को भारत में रियायतें तथा सुविधायें देता था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया ने इस बीच ये सुविधायें वापिस ले ली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राष्ट्रीय-स्तर के खिलाड़ियों को, जिनमें क्रिकेट के खिलाड़ी भी शामिल हैं, प्रोत्साहन तथा सहायता देना सदा से ही स्टेट बैंक आफ इंडिया की नीति रही है। पात्रता हासिल करने के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता में, पहले इनको छूट दी जाती थी तथा भर्ती करने के लिए ली जाने वाली सामान्य परीक्षायें भी इन्हें नहीं देनी पड़ती थीं।

(ख) और (ग). हालांकि राष्ट्रीय-स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने से सम्बन्धित बैंक की मूल नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी अब उन्हें भर्ती के लिए अन्य लोगों के साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं में अवश्य बैठना पड़ता है परन्तु न्यूनतम अर्हक अंक (क्वालीफाइंग मार्क्स) प्राप्त कर लेने पर ही उनकी नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है। यह परिवर्तन इस बात को ध्यान में रख कर किया गया है कि उनसे यह आशा की जाती है कि वे उनके पदों के लिए निर्धारित सामान्य कर्त्तव्यों को पूरा करेंगे तथा सौंपी गयी जिम्मेदारियों को निभायेंगे, और इन उम्मीदवारों में किसी प्रकार की कमी रह जाने से जो प्रशासनिक तथा कार्मिक समस्यायें उत्पन्न हो जाया करती थीं उन्हें परिवर्तित प्रक्रिया द्वारा टाला जा सकता है।

नई दिल्ली में एक नगर चुंगी स्थापित करने की इण्डियन एयर लाइन्स की एक योजना

3361. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स ने नई दिल्ली में एक नगर चुंगी स्थापित करने की योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना सम्भवत: कहां की जाएगी ; और

(ग) इस कार्य पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). नई दिल्ली में अशोक रोड पर जनपथ होटल के पीछे एक सिटी टर्मीनल बनाने के प्रश्न की इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा जांच की जा रही है।

Preservation of Ancient Objects of Art lying with Erstwhile Rulers of Princely States

3363. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state .

(a) whether it is a fact that the erstwhile rulers of princely States have priceless collections of ancient objects of art ;

(b) whether after the abolition of privy purses, there is every likelihood of such objects being disposed of or dislocated due to lack of financial resources with the erstwhile rulers ;

(c) if so, whether Government propose to take steps to obtain and preserve the said collections in the interests of the country ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) It is presumed that some of these erstwhile rulers of princely States have collections of art objects of much importance.

(b) to (d). It is not possible to say whether these objects of art are likely to be disposed of or dislocated as a result of the abolition of the privy purses. The Government is always interested in collection, preservation and display of exquisite art objects in museums, art galleries, etc. If and when offers are made, due consideration will be given to acquire them.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Staff in Administrative Sections of Ministry of Education

3364. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether a very negligible number of employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are working on the posts of Assistant to the level of Joint Secretary in the Administrative Sections of his Ministry ; and

(b) whether the employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes do not get justice from the administration as a result of this ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Of the 56 persons of the level of Assistant to Joint Secretary working in the Administration Division, 6 belong to the Scheduled Castes. The postings and transfers of staff are not done on community basis.

(b) No, Sir.

Officers and Research Assistants of Central Hindi Directorate Commission for Scientific and Technical Terminology going on Deputation

3365. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether some of the Officers and Research Assistants of Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology very often go on deputation to the Education Ministry and work there for several months without being engaged on any work pertaining to the Directorate/Commission.

(b) if so, whether the Directorate/Commission are not in need of those posts, the incumbents of which go on deputation to the Education Ministry ;

(c) if so, whether these posts are proposed to be abolished and;

(d) if so, the date from which these posts would be abolished and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d). It has recently been decided that the work relating to translation of Parliament Questions and allied material into Hindi should be shared betwesn the staff of the Ministry of Education and Youth Services and the staff employed in the Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology. For the sake of convenience and better coordination, a few members of the staff viz. one Senior Research Officer, one Assistant Education Officer and one Research Assistant of these two organisations have been located in the Ministry of Education and Youth Services for the above work for short durations during the Parliament Sessions. For the remaining period of the year, they will continue to work in their respective offices. Therefore, the question of abolishing their posts in the Directorate/Commission does not arise.

Criteria followed for Promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to post of Post-Graduate Teachers

3366. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it is essential to obtain Ist Class in Matric, B.A., M.A. etc. for recruitment and promotion to the post of Post-Graduate Teachers in the Delhi Administration ; and

(b) whether the said criteria are applicable to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates as well and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The Delhi Administration has informed us that it is not a fact.

(b) Does not arise.

पारादीप पत्तन पर मालवाहक जहाजों के लिए घाट का निर्माण करने के लिए टेंडर

3367. **श्री स० कुन्दू** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन पर मालवाहक जहाजों के घाटों का निर्माण करने के लिये टेंडर प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने टेंडर भेजे हैं और टेंडर की धनराशि क्या है ;

(ग) क्या किसी टेंडर को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है ; और

(घ) उक्त घाट का निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा और उसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) फर्मों के नाम तथा उनके टेन्डरों की धन राशि निम्नलिखित है :

(1) मैसर्स हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी, बम्बई	32598425 रुपये
(2) मैसर्स नैशनल प्रोजैक्ट कन्सट्रैक्शन कारपोरेशन, नई दिल्ली	26088814 रुपये
(3) उड़ीसा कन्सट्रक्शन कारपोरेशन, भुवनेश्वर	26975679 रुपये
(4) मैसर्स रेडियो फौंडेशन इंजीनियरिंग लिमिटेड एण्ड हजरत कम्पनी, बम्बई ।	डिजाइनों के लिए तीन अपने वैकल्पिक दरें 21443252 रुपये 20755497 रुपये और 24153433 रुपये

(ग) अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया । पत्तन न्यास के प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) कार्य 1971 के आरम्भ में शुरू होने की सम्भावना है तथा शुरू होने की तिथि से 30 महीनों के अन्दर कार्य पूर्ण हो जाने की आशा है ।

मैसर्स लारसेन एण्ड टोबरो लिमिटेड का प्रबन्ध

3368. **श्री स० कुन्दू** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अगस्त, 1970 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है कि "कम्पनी न्यूज और नोट्स" में मई में प्रकाशित एक लेख में यह दिया गया था कि मैसर्स लारसेन एण्ड टोबरी लिमिटेड एक विदेशी नियंत्रित फर्म है और बड़े व्यापार गृहों में से एक है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस कम्पनी का प्रबन्ध विदेशी निदेशकों के हाथ में है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). यह लेख श्री बी० दत्ता द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता से लिखा गया था, अतः सरकार उसमें वर्णित निरीक्षणों के लिए वचनबद्ध नहीं है ।

(ग) लारसेन एण्ड टोबरो लिमिटेड के निदेशक मंडल में दस सदस्य हैं । प्रबन्ध चार प्रबन्ध-निदेशकों के हाथों में निहित है, जिनमें से तीन विदेशी हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बड़े उद्योगपतियों और अन्यों को दिए गए ऋण

3369. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा, जिसमें स्टेट बैंक आफ इण्डिया भी शामिल है, राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बड़े उद्योगों, मध्यम दर्जे के उद्योगों, लघु उद्योगों, व्यापारियों, किसानों, स्कूटर रिक्शा तथा टैक्सी चालकों और अन्य व्यक्तियों को दिल्ली में कुल कितनी धनराशि के ऋण दिए गए ;

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में इसके पृथक्-पृथक् आंकड़े क्या हैं ;

(ग) उक्त अवधि में दिल्ली में कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और कितने मामलों में ऋण की मंजूरी दी गई ; और

(घ) राष्ट्रीयकरण से एक वर्ष पूर्व की अवधि में उपर्युक्त सब बैंकों ने दिल्ली में उक्त वर्गों को कुल कितनी धनराशि के ऋण दिए थे ;

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

गोयन्का समवाय समूह द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिये गए ऋण

3370. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गोयन्का समवाय समूहों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक स्टेट बैंक आफ इण्डिया, औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जीवन बीमा निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम सहित प्रत्येक वित्तीय संस्थान से ऋण लिया है ;

(ख) क्या गोयन्का बन्धुओं के नियन्त्रण में नेशनल कम्पनी लिमिटेड नामक पटसन की एक कम्पनी ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया से 4 करोड़ रुपये का ऋण लिया है जबकि उस कम्पनी की प्रदत्त पूंजी केवल 40 लाख रुपये है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कलकत्ता बन्दरगाह के माध्यम से किया गया निर्यात और आयात तथा उसका मूल्य

3371. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्ष वार, कलकत्ता बन्दरगाह से कितने मूल्य का तथा कितना (टनों में) (एक) निर्यात और (दो) आयात किया गया ;

(ख) उक्त अवधि में किन-किन कारणों से परिवहन में वृद्धि और कमी हुई ;

(ग) गत तीन वर्षों में कलकत्ता बन्दरगाह आयुक्त को, वर्ष वार, हुए लाभ और हानि के आंकड़े क्या हैं ; और

(घ) कलकत्ता बन्दरगाह की आय को प्रभावित करने वाली बातें क्या हैं ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता पत्तन से की गई आयात और निर्यात की मात्रा निम्न प्रकार थी :

	1967-68	1968-69	1969-70
	(आंकड़े दस लाख टनों में)		
निर्यात	4.1	4.0	3.5
आयात	4.9	4.0	3.4
कुल	9.0	8.0	6.9

2. पिछले तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता पत्तन से किया गया आयात-निर्यात का मूल्य नीचे दिया गया है :

	1967-68	1968-69	1969-70
	[आंकड़े करोड़ रुपयों में]		
निर्यात	464.84	466·10	443·25
आयात	465·31	406·40	266·20
कुल	930·15	872·50	709·45

(ख) इस अवधि में यातायात में कमी व्यापार में मंदी, देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के कारण खाद्यान्न के आयात में कमी; पटसन के व्यापार की मंदी स्थिति और खनिज लौह के निर्यात तथा कलकत्ता में डुबाब प्रतिबन्ध के कारण तेल के आयात में गिरावट के कारण हुई ।

(ग) 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के दौरान कलकत्ता पत्तन आयुक्तों को जो निबल घाटा हुआ वह क्रमश: 93.76 लाख रुपये, 376.69 लाख रुपये और 459 लाख रुपये था ।

(घ) कलकत्ता पत्तन की आय में यातायात में गिरावट के कारण कमी आई है ।

बड़े पत्तनों के गोदी कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय

3372. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में बड़े पत्तनों के गोदी कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय प्रतिवर्ष क्या रही ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

दूर पूर्व के लिए भाड़े की दर में वृद्धि

3373. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 17 अक्तूबर 1970 के 'दी स्टेटस्मैन' के पृष्ठ 7 पर "दूर पूर्व के लिए भाड़े की दर में अत्यधिक वृद्धि की संभावना" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

संसद-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) सुदूर पूर्व भाड़ा सम्मेलन के अन्तर्गत यूरोप से मलेसिया, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, तैवान और कोरिया तक का व्यापार आता है । उक्त सम्मेलन द्वारा भाड़े में वृद्धि की प्रस्तावित घोषणा भारत से सुदूर पूर्व तक के व्यापार पर लागू नहीं होती है ।

रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, सिलचर

3374. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज जिसकी सिलचर में स्थापना का प्रस्ताव किया गया था, अभी तक नहीं खुला है ;

(ख) क्या उन्हें यह भी पता है कि उक्त कालेज के भवन का निर्माण-कार्य भी अभी शुरू होना है;

(ग) क्या उक्त कालेज के लिए नियुक्त एक पूर्णकालिक प्रधानाचार्य तथा दो वरिष्ठ प्रोफेसर कोई अन्य काम करते हैं जबकि वे कालेज के बजट से जो अभी बना ही नहीं वेतन प्राप्त कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो ये व्यक्ति किस तारीख से नियुक्त किए गए थे और नियुक्ति के बाद वे किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क). जी हां।

(ख) स्थल के विकास का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है तथा सड़कें निर्माणाधीन हैं। क्रमबद्ध रीति से भवनों का रूपांकन प्रगति पर है तथा प्रथम छात्रावास के प्राक्कलनों को राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है। जैसे ही प्राक्कलन अनुमोदित हो जायेंगे वैसे ही निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ). प्रिन्सिपल की नियुक्ति 19-10-1967 को हुई थी। विद्युत इन्जीनियरी में एक प्रोफेसर की नियुक्ति 26-5-1969 को हुई थी किन्तु वे 29-5-1970 को छोड़ कर चले गए। एक और प्रोफेसर यान्त्रिक इन्जीनियरी में 2-6-1969 को नियुक्त किए गए थे। प्रोफेसर और प्रिंसिपल प्रयोगशालाओं, वर्कशाप तथा अन्य निर्देशात्मक सुविधाओं के आयोजन और साज-सज्जा में तथा अध्ययन पाठ्य-क्रम के निर्धारण में सहायता कर रहे हैं। प्रिंसिपल कालेज के शासी मण्डल के सचिव भी हैं और उस हैसियत में वे कालेज की समग्र आयोजना और स्थापना के प्राधिकारी हैं।

राष्ट्रीय राजपथों पर रास्ते, विश्रामगृहों तथा गैराजों का निर्माण

3375. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी राष्ट्रीय राज-पथों पर हर सौ मील के बाद सस्ते विश्राम-गृह बनाने का है जिससे परिवहन व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य कर सके ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजपथों पर गाड़ियों तथा ढोये जाने वाले माल की रक्षा के लिए सस्ती गराज उपलब्ध कराने का भी है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) **और (ख)**. राष्ट्रीय राजमार्गों पर सस्ते विश्रामगृह और सस्ते गराजों को बनाने के लिए भारत सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु भारत सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर रास्ते की

सुख-सुविधाओं की व्यवस्था के लिए ठोस कार्यक्रम सुझाने के लिए रास्ते की सुख-सुविधाओं पर एक अध्ययन दल नियुक्त किया है । इस दल ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है ।

विमान-दुर्घटनाएं

3376. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में अब तक कुल कितनी विमान दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए ; और

(ग) इनके परिणामस्वरूप कितनी वित्तीय हानि हुई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पच्चीस, जिन में एक विदेशों में पंजीकृत विमान की दुर्घटना भी सम्मिलित है ।

(ख) अड़तालीस ।

(ग) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

प्रशांत क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा कम्पनियों द्वारा विमान किराये का घटाया जाना

3377. **श्री वि० नरसिम्हा राव** :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशान्त क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा कम्पनियां विमान किराये में कमी करने के लिए सहमत हो गई हैं;

(ख) क्या भारत को इससे कोई लाभ हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । संलग्न सूची में निर्दिष्ट किराये होनोलूलू में सितम्बर, 1970 में हुई आई० ए० टी० ए० की पिछली बैठक में स्वीकृत किए गए थे ।

(ख) और (ग). हमारे देश में पर्यटन के प्रोत्साहन की प्रमुख बाधा भारत तथा उन देशों के बीच जहां से बड़ी मात्रा में पर्यटक संभावित हैं भारी परिवहन व्यय है । आकर्षक प्रोत्साही

किरायों को लागू करने से अनेक विदेशी स्थानों से और अधिक मात्रा में पर्यटक देश में आते हैं और इस प्रकार भारत में पर्यटन को लाभ प्राप्त होता है।

विवरण

से	तक	छूट	दल का आकार	ठहरने की न्यूनतम/ अधिकतम वैध अवधि	मध्य-विश्राम	यात्रा का न्यून-तम किराया
1. डैनपासर जकार्ता मैडान पाकनबारु तथा पालनबांग	बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, और कोलम्बो	30%	7 यात्री	7/28	कोई प्रति-बन्ध नहीं है।	किफायती श्रेणी में लगने वाले सामान्य किराये के 105 प्रतिशत से कम नहीं।
2. फुक्वोका नागोया, ओकिनावा, ओसाका तथा टोकियो।	उपरोक्त	50%	50 यात्री	8/28	वापसी स्थल के अलावा 4	छूट वाला विमान किराया तथा प्रथम 8 दिनों के लिए 40 पाउण्ड और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए 3 पाउण्ड प्रतिदिन।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न समाचार-पत्रों को दिया गया ऋण

3378. **श्री केदार नाथ सिंह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों को कितनी राशि का ऋण दिया गया;

(ख) छोटे समाचार-पत्रों को कितना धन दिया गया है; और

(ग) उनसे कितना धन वसूल किया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराय चव्हाण) : (क) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

राष्ट्रीयकरण के बाद से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा समाचार-पत्रों को दिए गए ऋणों के विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, जिनके अन्तर्गत, बैंक कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़ कर अपने खातेदारों के कार्यों के बारे में किसी प्रकार की जानकारी प्रकट नहीं कर सकते, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अलग-अलग समाचार-पत्रों को दिए गए ऋणों के बारे में सूचना नहीं दी जा सकती।

फिर भी, सितम्बर 1970 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा, समाचार-पत्रों को दिए गए ऋणों का कुल रकम का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

बैंक का नाम	(लाख रुपयों में) सितम्बर 1970 के अन्त में बकाया रकम
1. सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	221·86
2. बैंक आफ इण्डिया	12·68
3. पंजाब नेशनल बैंक	272·47
4. बैंक आफ बड़ौदा	6·19
5. यूनाइटिड कमर्शल बैंक	20·96
6. कनारा बैंक	71·52
7. यूनाइटिड बैंक आफ इण्डिया	362·71
8. देना बैंक	19·84
9. सिण्डीकेट बैंक	42·44
10. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	8·62
11. इलाहाबाद बैंक	10·94
12. इण्डियन बैंक	67·60
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	31·59
14. इण्डियन ओवरसीज बैंक	17·47
जोड़ (1 से 14 तक)	1166·89

जहां तक बैंकों द्वारा समाचार-पत्रों से, उन्हें दिए गए ऋणों में से अब तक वापस वसूल की गयी रकम का सम्बन्ध है, वसूल की गयी कुल रकम बताना सम्भव नहीं है क्योंकि अधिकांश खाते नकद-उधार और ओवर ड्राफ्ट के रूप में हैं जो चालू खाते होते हैं और निर्धारित सीमाओं के अन्दर घटते-बढ़ते रहते हैं ।

राज्यों को आयकर से हुई आय का नियतन

3379. **श्री केदार नाथ सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में वसूल किए गए आयकर में से प्रत्येक राज्य को कितना धन दिया गया है;

(ख) क्या इस भाग का नियतन पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या विशिष्ट कसौटी अपनाई गई है । यह उपरोक्त आयोग की सिफारिशों से कहां तक भिन्न थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) और (ग). जी हां । 1969-70 से सम्बन्धित आयकर में से राज्यों का हिस्सा पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनमें बांट दिया गया है ।

विवरण

1969-70 में आयकर के हिस्से के रूप में राज्यों को अदा की गई रकमें
(करोड़ रुपयों में)

राज्य	संशोधित अनुमानों के आधार पर 1969-70 के लिए देय हिस्सा	प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर 1967-68 की बकाया रकम	राज्यों को अदा की गयी कुल रकम
1. आन्ध्र प्रदेश	20·61	2·65	23·26
2. असम	6·87	0·88	7·75
3. बिहार	25·71	3·25	28·96
4. गुजरात	13·20	1·90	15·10

5. हरियाणा	4·45	0·59	5·04
6. जम्मू और कश्मीर	2·03	0·27	2·30
7. केरल	9·86	1·29	11·15
8. मध्य प्रदेश	18·25	2.32	20·57
9. महाराष्ट्र	29·19	5·13	34·32
10. मैसूर	13·90	1·84	15·74
11. नागालैण्ड	0·21	0·02	0·23
12. उड़ीसा	9·65	1·22	10·87
13. पंजाब	9·56	0·86	7·42
14. राजस्थान	11·17	1·43	12·60
15. तमिलनाडु	21·05	3·00	24·05
16. उत्तर प्रदेश	41·20	5·25	46·45
17. पश्चिम बंगाल	23·45	3·92	27·37
जोड़ :	257·36	35·82	293·18

टिप्पणी :—कालम 2 में सूचित रकमें उन प्रतिशत अंशों पर आधारित हैं, जिनकी सिफारिश पांचवें वित्त आयोग ने की है और कालम (3) में सूचित बकाया रकमों का वितरण उन प्रतिशत अंशों पर आधारित है जिनकी सिफारिशें चौथे वित्त आयोग ने की है ।

Payment of Income Tax by J.C. Mills, Gwalior

3381. Shri Atam Das : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of income tax outstanding against J. C. Mills of Gwalior and whether any investigation is being made in regard to the evasion of income tax by that Mill and the present stage of investigation ;

(b) the total amount of donations exempted from income tax in the case of this concern during the year 1969-70 and whether the said donations were actually given ;

(c) the names of Institutions to which donations were given ;

(d) whether the restrictions imposed by the Central Government on making of donations are applicable to the J. C. Mills also ; and

(e) if so, whether these have been observed by the said Mill and whether investigations have been made in this regard ?

The State Minister in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (e). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Raid by the Officials of Excise Department on J.C. Mills, Gwalior

3382. Shri Atam Das : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the officials of the Central Excise Department had, in a surprise raid on tbe J. C. Mills, Gwalior during 1967-68, detected evasion of excise duty ;

(b) whether an enquiry has been conducted in the matter, if so, the results thereof ;

(c) if not, the reasons therefor ;

(d) the total amount of excise duty collected from the J. C. Mills, Gwalior during the year 1969-70 and whether this amount is less than that received in the previous years ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The State Minister in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (e). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

असैनिक उड्डयन विभाग द्वारा तकनीशियन प्रशिक्षुओं को वेतन का भुगतान

3383. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असनिक उड्डयन विभाग 80 रुपये प्रतिमास के वेतन पर तकनीशियन-प्रशिक्षुओं के रूप में नवयुवकों की भर्ती करता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से अधिकतम प्रशिक्षु या 'आनर्स स्नातक' हैं अथवा विशेष योग्यता प्राप्त स्नातक हैं ;

(ग) क्या इन शिक्षित नवयुवक प्रशिक्षुओं ने अपने वेतन बढ़ाने की कोई मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांग पूरी करने हेतू क्या निर्णय किया है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) नागर विमानन विभाग में "तकनीकी प्रशिक्षार्थी" नाम का कोई वर्ग नहीं है। परन्तु, 150-300 रुपये के वेतनमान में "विमानक्षेत्र परिचालक ग्रेड 1" के रूप में नियुक्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 80/- रुपये प्रति मास की प्रशिक्षण-वृत्ति (स्टाइपेंड) दी जाती है ; परन्तु जो व्यक्ति पहले से ही केन्द्रीय सरकार के स्थायी कर्मचारी होते हैं उन्हें प्रशिक्षण-वृत्ति नहीं दी जाती अपितु उन्हें प्रशिक्षण की अवधि के दौरान भी अपना वेतन मिलता रहता है ।

(ख) विमान क्षेत्र परिचालक ग्रेड 1 के पद के लिए न्यूनतम योग्यता इन्टरमीडियेट रखी गयी है ; यदि वह विज्ञान लेकर हो तो उसे तरजीह दी जाती है । चयन किए गए उम्मीदवारों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी योग्यता निर्धारित स्तर से उच्चतर होती है ।

(ग) और (घ). प्रशिक्षार्थियों (विमान क्षेत्र परिचालक ग्रेड 1) से उनकी प्रशिक्षणवृत्ति/वेतन में वृद्धि करने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । मामले की जांच की जा रही है ।

कर के ढांचे के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ की सिफारिशें

3384. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा हाल में कर कार्यकारी अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि कर के सम्पूर्ण ढांचे का पुनर्विलोकन किया जाए, यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) कर-परामर्शदाताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा किया गया था । सरकार के पास इस आशय की कोई सूचना नहीं है कि कितने कर-परामर्शदाताओं ने सम्मेलन में भाग लिया ।

(ख) तथा (ग). सम्मेलन के निष्कर्षों के सम्बन्ध में सरकार को हाल ही में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ से एक पत्र प्राप्त हुआ है । इन निष्कर्षों पर विचार किया जा रहा है ।

सिन्धी भाषा के विकास के लिए केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना

3385. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मार्च में हुए सम्मेलन में सर्वसम्मति से पास किए गए संकल्प को क्रियान्वित कर दिया गया है जिसमें सिन्धी भाषा के विकास के लिए उर्दू बोर्ड की तरह केन्द्रीय बोर्ड स्थापित करने के लिए कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संकल्प के बारे में क्या प्रगति हुई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने सिन्धी भाषा के विकास के लिए एक करोड़ रुपये व्यय करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस भाषा के विकास के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). सिन्धी भाषा में पुस्तकों तथा अन्य साहित्य के निर्माण के लिए तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के समान ही एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार ने विशिष्ट सिन्धी विद्वानों तथा शिक्षा-शास्त्रियों की एक बैठक मार्च, 1969 में बुलाई थी। सम्मेलन ने सरकार के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन किया, किन्तु सिन्धी में पुस्तकें लिखने के लिए प्रयोग की जाने वाली लिपि पर यह सहमत नहीं हो सका। सरकार को सम्मेलन में इस विशिष्ट प्रश्न पर जो थोड़ा बहुत समझौता दिखाई पड़ा, उस पर भी सम्मेलन में भाग लेने वालों ने अंततः स्वयं ही सम्मेलन से बाहर जाकर अस्वीकृति दे दी। इन परिस्थितियों के कारण सरकार के लिए इस मामले में आगे कदम उठाना सम्भव नहीं हुआ है।

चरस का पकड़ा जाना

3386. **श्री शंकरराव माने :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 9 महीनों में दिल्ली और बम्बई के हवाई अड्डों पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा कुल कितने मूल्य की चरस पकड़ी गई ; और

(ख) अब तक इस मामले में कितने विदेशी और भारतीय गिरफ्तार किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) पिछले 9 महीनों में दिल्ली और बम्बई के हवाई अड्डों पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई चरस का स्थानीय बाजार दर पर कुल मूल्य लगभग 71,940 रु० था।

(ख) अब तक 10 विदेशी और 1 भारतीय गिरफ्तार किए गए हैं।

महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों को मिलाने के लिए असैनिक उड्डयन सेवा

3387. **श्री शंकरराव माने :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, नानडेड, औरंगाबाद, कोल्हापुर, शोलापुर, पूना, बम्बई तथा अन्य शहरों को उड्डयन सेवा द्वारा आपस में मिलाने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। किन्तु उन्होंने महाराष्ट्र में बम्बई, नासिक, अकोला, नागपुर, घोंडी, कराद, कोल्हापुर, बेलगांव, शोलापुर और नानडेड को विमान सेवा द्वारा जोड़ने के लिए एक निजी परिचालक द्वारा अनुपोषक (फीडर, सेवायें प्रारम्भ करने के लिए अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की है।

(ख) निजी परिचालक द्वारा दिए गए प्रार्थना-पत्रों की नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा 'विमान नियमों' के उपबन्धों के अनुसार जांच की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों तथा बैंक कर्मचारियों की समकक्ष श्रेणियों के वेतनमानों में विषमता

3388. **श्री अदिचन :**
श्री दे० अमात :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, विशेष रूप में चपरासियों, दफ्तरियों तथा क्लर्कों के तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के उनके समकक्ष कर्मचारियों के वेतनमानों में बहुत अधिक अन्तर है और बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान अपेक्षाकृत अधिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के तथा बैंकों के विभिन्न श्रेणियों के गैर तकनीकी कर्मचारियों के मासिक वेतन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इस विषमता के कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). हालांकि नवीनतम तुलनात्मक आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु यह मालूम हुआ है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारत के रिजर्व बैंक, भारत के राज्य बैंक आदि के कर्मचारियों के वेतनों के बीच असमानतायें विद्यमान हैं।

(ग) वास्तव में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों तथा अर्द्ध सरकारी संगठनों में विद्यमान वेतन-मानों, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित रोजगार की शर्तों की केन्द्रीय

सरकार के अधीन प्रवर्तमान शर्तों के साथ तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि परिलब्धियों तथा अन्य लाभों की दरें, विभिन्न परिस्थितियों के अन्तर्गत तथा विभिन्न धारणाओं के आधार पर, कार्यों की आवश्यकताओं तथा अन्य कानूनी अपेक्षाओं का भी पूरा ध्यान रखते हुए, सम्बन्धित उपक्रमों द्वारा, निर्धारित की जाती है ।

केन्द्रीय सरकार के अधीन के पदों पर मिलने वाली परिलब्धियों तथा अन्य वेतनेतर लाभों को, इन पदों के कार्य तथा उत्तरदायित्वों को समुचित ध्यान में रखते हुए एवं द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, निर्धारित किया गया है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियों के वर्तमान ढांचे की तृतीय वेतन आयोग द्वारा पहले ही जांच की जा रही है और आयोग की सिफारिशों की सरकार द्वारा प्रतीक्षा की जाएगी ।

मादक वस्तुओं की तस्करी को रोकने सम्बन्धी कार्यवाही

3389. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अफीम, चरस और एल० एस० डी० जैसी सब प्रकार की मादक वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ख) क्या देश में इन वस्तुओं का सेवन करने वालों की शीघ्र गणना करने और सम्बद्ध कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए कोई सुझाव दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोजनों के अतिरिक्त अफीम को रखने, बेचने, उपभोग करने, आयात तथा निर्यात करने पर भारत में 1 अप्रैल, 1959 से पाबन्दी लगा दी गई है। भारत में हशीश (चरस) के आयात/निर्यात, उसे रखने, बिक्री करने आदि पर खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930 तथा नियम अर्थात् खतरनाक औषधि (आयात, निर्यात तथा पोतान्तरण) नियमावली, 1957 के अधीन पूर्ण पाबन्दी लगी हुई है। मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार को रोकने से सम्बन्धित राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार दोनों की प्रवर्तन एजेंसियां, अर्थात् राज्य आबकारी विभाग, पुलिस, सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, नारकोटिक्स, केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा सीमा सुरक्षा पुलिस देश के भीतर तथा निर्यात स्थलों पर तस्कर आयात-निर्यात की रोकथाम तथा मादक द्रव्यों के तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिए सदैव चौकस रहती है और मादक औषधियों के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय करती है ।

जहां तक एल० एस० डी० का प्रश्न है यह साइकोट्रोपिक पदार्थों की श्रेणी में आता है और ऐसे पदार्थों पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ सक्रिय रूप से विचार कर रहा है ।

(ख) तथा (ग). वर्तमान में अफीम-सेवी लोगों को चिकित्सा अधिकारियों की सलाह पर राज्य सरकारों द्वारा, पंजीकृत किया जाता है। जहां तक गांजा सेवन करने वालों का सम्बन्ध है, सितम्बर 1970 में आयोजित दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के नारकोटिक्स सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि इस व्यसन की सीमा का पता लगाने के लिए सुविशिष्ट सर्वेक्षण किया जाए और इस सिफारिश पर कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक कानूनों के संहिताकरण का सम्बन्ध है, भारत में मादक द्रव्यों से सम्बन्धित कानूनों का संहिताकरण करने का सरकार द्वारा पहले ही निर्णय किया जा चुका है और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

3390. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सिविल सेवा अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में या तो ऊंचे पदों पर नियुक्त हैं अथवा उनका प्रबन्ध पर प्रभुत्व है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यह सच नहीं है कि भारतीय सिविल सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध पर प्रभुत्व है, हालांकि भारतीय सिविल सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इन उपक्रमों में कुछ ऊंचे पदों पर नियुक्त हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुल 92 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों में से केवल 15 ही इन सेवाओं के अधिकारी हैं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) सरकार ने यह निर्णय किया है कि स्थायी सिविल सेवाओं से, जिनमें भारतीय सिविल सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा भी शामिल हैं, सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों को एक निश्चित अवधि के अन्दर या तो अपनी सेवाओं से इस्तीफा देकर स्थायी रूप से सरकारी उपक्रमों में रहने या उन्हें अपने मूल संवर्ग में वापस जाने का विकल्प चुनना होगा। आशा है, इन आदेशों से सरकारी उपक्रमों की, सिविल सेवाओं से प्रतिनियुक्ति अधिकारियों पर निर्भरता हो जाएगी। सरकार, ऊंचे पदों पर नियुक्ति करने के लिए व्यक्तियों का चयन करते समय उनकी योग्यता और उपयुक्तता पर ध्यान देती है, न कि किसी सेवा-विशेष पर।

विश्व बैंक से सहायता

3391. **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में जहां भारत ने अधिक गैर-परियोजना सहायता की जोरदार मांग की, भाग लेने वाले अन्य प्रतिनिधियों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) भारत की ओर विश्व बैंक की कितनी परियोजना तथा गैर-परियोजना राशि बकाया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) साइप्रस के निकोसिया नामक स्थान पर, विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के कुछ दिन पहले, राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, उसमें मैंने विश्व बैंक समूह द्वारा प्रायोजना-भिन्न ऋण दिए जाने के विचार का जोरदार समर्थन किया था। इस विषय पर हमारे दृष्टिकोण का समर्थन, अन्य विकासशील देशों द्वारा भी किया गया था। बैठक के बाद जारी की गयी विज्ञप्ति में इस तथ्य का उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्रियों ने विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा उपयुक्त परिस्थितियों में, वस्तुतः पहले से अधिक, प्रायोजना-भिन्न सहायता दिये जाते रहने की आवश्यकता पर बल दिया था।

बाद में, डेन्मार्क के कोपनहेगन नामक स्थान पर 21 से 25 सितम्बर 1970 तक विश्व बैंक की जो वार्षिक बैठक हुई थी, उसमें भी मैंने प्रायोजना-भिन्न सहायता दिये जाते रहने की आवश्यकता के बारे में विस्तारपूर्वक विचार प्रकट किए थे और यह आशा व्यक्त की थी कि विश्व बैंक उपयुक्त मामलों में प्रायोजना-भिन्न सहायता देता रहेगा। कुछ अन्य विकासशील देशों ने भी इस मत का समर्थन किया था। विश्व बैंक समूह की ऋण सम्बन्धी नीतियों को, विशेषतः प्रायोजना-भिन्न सहायता और स्थानीय लागत के वित्त-पोषण से सम्बन्धित नीतियों को पहले की अपेआ अधिक लचीला बनाने को, कुछ गवर्नरों द्वारा दिए गये महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अपने समापन वक्तव्य में यह कहा था कि उनका इरादा है कि वे आगामी महीनों में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों के समक्ष इन विषयों को उनके विचारार्थ पेश करेंगे।

(ख) 30 जून, 1970 को, विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के प्रति भारत की वापसी अदायगी सम्बन्धी बकाया देनदारी प्रायोजना-सहायता के रूप में 700 करोड़ रुपया और प्रायोजना भिन्न सहायता के रूप में 432 करोड़ रुपया थी।

मूल्यों में वृद्धि करने सम्बन्धी उद्योगपतियों का अनुरोध

3392. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सब मंत्रालयों को यह लिख भेजा है कि उनके प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन उद्योगपतियों के मूल्य बढ़ाने के अनुरोध को नहीं माने ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विभिन्न मंत्रालयों की क्या प्रतिक्रिया है और क्या वे मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने में सफल रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) सम्बद्ध मंत्रालय, प्रशासित मूल्यों में संशोधन करके उनमें वृद्धि करने के सभी प्रस्तावों के बारे में, वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके, एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहे है जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकार के संशोधनों को यथासम्भव सीमा तक सीमित कर दिया गया है ।

Yoga Instructions to Government Employees

3393. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state whether Central Government has any proposal to impart instructions on yoga to its employees ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : No, Sir.

Appointment of Review Committee Regarding Rural Credit

3394. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government had appointed a Review Committee to make a survey of the demand for rural credit ;

(b) if so, the recommendations made by the said Committee ; and

(c) the decision taken thereon ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) The Rural Credit Review Committee was appointed by the Reserve Bank of India and it submitted its Report to the Bank in July, 1969.

(b) The principal recommendations of the committee are broadly as follows :—

(i) Establishment of an Agricultural Credit Board in the Reserve Bank of India.

(ii) Setting up of Small Farmers Development Agency in each of a number of selected districts throughout the country.

(iii) Creation of a Rural Electrification Corporation.

(iv) Formulation of a more active and bigger role for Agricultural Refinance Corporation along with the enlargement of its resources.

(v) Adoption of a number of measures ensuring the timely and adequate flow of credit for agriculture through co-operative and commercial banks.

(c) The Reserve Bank of India set up the Agricultural Credit Board with effect from the 20th February 1970. The composition and functions of the Board are given in the statement laid on the Table of the House. The proposals concerning the Small Farmers Development Agency and the Agricultural Refinance Corporation are under implementation. The Rural Electrification Corporation has also come into existence since July, 1969. The measures suggested for ensuring the timely and adequate flow of credit for agriculture through co-operative and commercial banks were examined in the Reserve Bank of India and placed before the Agricultural Credit Board in its first meeting held on 3-8-1970 for consideration. Subject to certain modifications, these were approved by the Agricultural Credit Board.

At present, the Reserve Bank of India is engaged in pursuing the different agencies for implementing the decisions taken by the Board.

Statement

As recommended by the All India Rural Credit Review Committee, the Reserve Bank of India has reconstituted its Standing Advisory Committee on Rural and Co-operative Credit as the Agricultural Credit Board of the Bank. The Composition of the Board is as under :

1.	Governor Reserve Bank of India Bombay.	Chairman
2.	Deputy Governor (Incharge of rural credit) Reserve Bank of India Bombay.	Vice-Chairman
3.	Shri M. A. Quraishi Additional Secretary Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Co-operation) Government of India New Delhi.	Member
4.	Shri K. Ramamurthy Joint Secretary Ministry of Finance (Department of Banking) Government of India New Delhi.	~ do ~
5.	Shri A. N. Mafatlal Director Central Board of Directors Reserve Bank of India Bombay.	--do--

6.	Shri V. N. Puri Director Central Board of Directors Reserve Bank of India Bombay.	November
7.	Shri D. C. Kothari Director Central Board of Directors Reserve Bank of India Bombay.	—do—
8.	Prof. M. L. Dantwala Department of Economics University of Bombay Bombay.	—do—
9.	Shri F. K. F. Nariman Custodian Union Bank of India Bombay.	—do—
10.	Shri Maganbhai R. Patel Chairman Gujarat State Co-operative Bank Ltd. Ahmedabad.	—do—
11.	Shri B. Majumdar Chairman West Bengal State Co-operative Bank Ltd. Calcutta.	—do—
12.	Shri N. A. Kalyani President Bombay State Co-operative Land Mortgage Bank Ltd. Bombay.	—do—
13.	Shri M. P. Singh Chairman Bihar State Co-operative Bank Ltd. Patna.	—do—
14.	Dr. C. D. Datey Chief Officer Agricultural Credit Department Reserve Bank of India Bombay.	Member-Secretary

2. The Agricultural Credit Board will deal with such activities of the Bank pertaining to agricultural credit as the Central Board may from time to time delegate to it. Illustratively, the powers of the Board would include provision of refinance facilities to co-operative and commercial banks for agricultural purposes and to co-operative banks for non-agricultural purposes ; operations on the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund and the Stabilization Fund ; investment in ordinary and rural debentures of central land development banks ; powers under the Reserve Bank of India Act and under the Banking Regulation Act so far as they concern co-operative banks, the working of the Agricultural Credit Department and the Agricultural Refinance Corporation and all other matters relating to the refinancing, promotional, co-ordinating and regulatory functions of the Reserve Bank in the sphere of rural and co-operative credit generally.

Setting up of Finance Corporation to help Farmers

3395. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Finance Corporation to help farmerr ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). Government have no proposal before them at present to set up a new all-India Finance Corporation of this kind.

परामर्शदात्री कम्पनियों पर आयकर लगाना

3396. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परामर्शदात्री कम्पनियों को निर्माता कम्पनियों की तुलना में कहीं अधिक दर से आयकर देना पड़ता है और ऐसी कम्पनियों को, जिनमें जनता उचित रूप से रुचि नहीं लेती, आयकर अधिनियम की धारा 104 के प्रावधानों के अनुसार चलना पड़ता है और कर का भुगतान करने के पश्चात् अपने वास्तविक लाभ का 65 प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक का वितरण करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्वदेशी तकनीकी इंजीनियरिंग तथा प्रबन्ध सेवाओं के विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परामर्शदात्री कम्पनियों के लिए कराधान व्यवस्था की पुनः जांच करने का है ; और

(ग) क्या इन कम्पनियों को धारा 104 से छूट देने का विचार है, जैसा कि निर्यात करने वाली और निर्माता कम्पनियों के मामले में किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). देशी कम्पनी की सामान्य आय पर लगने वाले कर की दरें कम्पनी की श्रेणी और आय की प्रकृति पर निर्भर करते हुए 45 प्रतिशत से 65 प्रतिशत के बीच हैं। ये दरें नीचे दिए अनुसार हैं :—

(क) व्यापक कम्पनी (अर्थात् देशी कम्पनी जिसमें जनता के पास काफी शेयर हों) के मामले में लागू होने वाली दरें इस प्रकार हैं :—

(i) जिस कम्पनी की कुल आय 50,000 रु० से अधिक न हो, उस पर	45 प्रतिशत की दर लागू होती है ;
(ii) जिस कम्पनी की कुल आय 50,000 रु० से अधिक हो, उस पर	55 प्रतिशत की दर लागू होती है ;

(ख) जो अधिनियंत्रित 'औद्योगिक कम्पनी' (अर्थात् वह कम्पनी जिसे बिजली अथवा किसी अन्य प्रकार की शक्ति पैदा करने अथवा उसके वितरण में अथवा जहाज निर्माण अथवा खनन अथवा माल को बनाने अथवा माल को तैयार करने के कारोबार से अपनी आय का प्रमुख अंश प्राप्त होता हो), उसके मामले में लागू होने वाली दरें इस प्रकार हैं :—

(i) कुल आय के प्रथम दस लाख (10,00,000) रुपये पर	55 प्रतिशत
(ii) कुल आय का कोई भाग शेष हो तो उस पर	60 प्रतिशत
(ग) अधिनियंत्रित गैर औद्योगिक कम्पनी पर	65 प्रतिशत

कम्पनियों को, जिनके कर लगने योग्य लाभ की रकम उनकी आधार पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक अथवा 2,00,000 रुपये, दोनों में जो भी अधिक हो तो उससे जितनी रकम अधिक होती है, उस पर 25 प्रतिशत की दर से अतिकर भी देना होता है। (इस संदर्भ में कर लगने योग्य लाभ का अर्थ मोटे तौर पर आयकर की अदायगी के बाद बचे वे लाभ हैं, जो आय की उन मदों को घटा कर बचे हैं, जिन्हें अतिकर से छूट मिली हुई है।) आधार पूंजी में कम्पनी की चुकता पूंजी के अतिरिक्त आरक्षित पूंजी, ऋणपत्र तथा दीर्घ कालीन ऋण भी शामिल हैं।

जिस कम्पनी को आय 'प्राथमिकता प्राप्त उद्योग' से होती है उसके मामले में ऐसे उद्योग से होने वाले लाभ के 8 प्रतिशत को घटाने के बाद, जो कुछ आय शेष रहती है, उस पर उपर्युक्त दरें लागू होती हैं, परन्तु जिस व्यापक देशी कम्पनी की कुल आय इस कटौती से पहले, 50,000 रु० अथवा उससे कम है उसके मामले में यह नियम लागू नहीं होता।

2. आयकर अधिनियम के अधीन भारत में परामर्शदात्री कंपनियों को विभिन्न रियायतें तथा कटौतियां दी गयी हैं, जो नीचे दिए अनुसार हैं :—

(i) ऐसी भारतीय कम्पनी, जिसे भारत में कारोबार कर रहे किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति को तकनीकी जानकारी अथवा तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के एवज में रायल्टियों, तकनीकी शुल्क तथा कमीशन अथवा अन्यथा (पूंजीगत लाभों को छोड़ कर) रूप में आय होती है, वह कम्पनी कुछ निर्दिष्ट

शर्तों के अधीन कर लगने योग्य अपनी आय की संगणना करते समय ऐसी आय के 40 प्रतिशत के बराबर घटौती पाने की हकदार होती है—आयकर अधिनियम की धारा 80 एम एम देखने की कृपा करें।

(ii) ऐसी भारतीय कंपनी, जिसे किसी विदेशी कंपनी से, उस विदेशी कंपनी को तकनीकी जानकारी अथवा तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के एवज में रायल्टियों, कमीशन, शुल्क अथवा कोई इसी प्रकार के भुगतान के रूप में आय होती है, वह कर लगने योग्य अपनी आय की संगणना के समय ऐसी पूरी आय की घटौती पाने की हकदार होती है। यह कटौती इस शर्त के अधीन दी जाती है कि जिस करार के अन्तर्गत पूर्वोक्त रायल्टी, कमीशन, शुल्क अथवा अन्य भुगतान प्राप्त किया जाता है, वह संगत कर निर्धारण वर्ष के अक्तूबर मास के पहले दिन से पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो—आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-ओ देखने की कृपा करें।

(iii) जिस मामले में, किसी विदेशी कंपनी के शेयर, तकनीकी जानकारी अथवा तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के एवज में किसी भारतीय कंपनी को आवंटित किए गए हैं, उसमें भारतीय कंपनी की कर लगने योग्य आय की संगणना के समय ऐसे शेयरों पर पूरी लाभांश आय को कटौती के रूप में इस शर्त के अधीन दिया जाता है कि तकनीकी जानकारी अथवा तकनीकी सेवाएं एक ऐसे करार के अन्तर्गत प्रदान की गयी हों, जिसे संगत कर-निर्धारण वर्ष के अक्तूबर मास के पहले दिन से पूर्व केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदित किया हो—आयकर अधिनियम की धारा 80-एन देखने की कृपा करें।

(iv) ऐसी भारतीय कंपनी (जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 109 के खण्ड (2) में यथा परिभाषित निवेश कंपनी नहीं है) जो भारत से बाहर स्थापित किसी उद्यम अथवा संस्था, संघ अथवा अन्य निकाय को तकनीकी जानकारी अथवा तकनीकी सेवाएं प्रदान करती है, उसे कुछ निर्दिष्ट शर्तों के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 104 के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट मिली हुई है—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) अधिसूचना सं० एस ओ 3210 दिनांक 8-8-69।

(v) अपने कारोबार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसन्धान पर किए गए राजस्व व्यय की, किसी करदाता को, उसके कर लगने योग्य लाभों की संगणना करते समय, कटौती पाने का हक है। 31-3-1967 के बाद कारोबार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसन्धान पर किए गए पूंजीगत व्यय की रकमों की भी उनके खर्च किए जाने वाले वर्ष में ही कटौती की अनुमति है। इसके अलावा, वैज्ञानिक अनुसन्धान-कार्य कर रहे स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसन्धान

संघों अथवा स्वीकृत विश्वविद्यालयों, कालेजों अथवा अन्य संस्थाओं को वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये दी गयी दान की रकमें किसी करदाता की कारोबार से होने वाली आय की संगणना करते समय घटौती योग्य होती हैं ।

परामर्शदात्री कम्पनियों को, चूंकि, पर्याप्त कर-रियायतें तथा कटौतियाँ मिली हुई हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसलिये परामर्शदात्री कंपनियों के संदर्भ में कर-ढांचे की फिर से जाँच करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

ऋषिकेश और हरिद्वार में पथ कर को युक्ति-संगत बनाना

3397. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार द्वारा हरिद्वार में प्रवेश करने से लेकर ऋषिकेश पहुंचने तक कई स्थानों पथ-कर देना पड़ता है और यदि कोई व्यक्ति कार द्वारा जितनी बार हरिद्वार में प्रवेश अथवा वहाँ से होकर ऋषिकेश जाए तो उसे उतनी ही बार पथ-कर देना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यटकों को होने वाली असुविधाओं और परेशानी को दूर करने हेतु राज्य सरकार के परामर्श से वर्तमान प्रणाली को युक्ति-संगत बनाने का विचार है जिससे ऋषिकेश और हरिद्वार की यात्रा करते समय एक दिन में एक ही स्थान पर तथा किसी एक कार से केवल एक बार पथ-कर लिया जाये ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

हवाई अड्डों पर प्रवेश शुल्क

3398. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हवाई अड्डों पर बच्चों तथा वयस्कों के लिये समान प्रवेश शुल्क है जिसके परिणामस्वरूप परिवार पर अधिक वित्तीय भार पड़ने के कारण अनेक परिवार अपने बच्चों को घर पर छोड़ने के लिये मजबूर हो जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार 15 वर्ष की आयु से कम बच्चों के लिये आधा प्रवेश शुल्क करने के बारे में विचार करेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में प्रवेश के लिये निर्धारित शुल्क बड़ों व बच्चों के लिये एक सा है ।

(ख) जी, नहीं ।

Branches of Nationalised Banks in Rural Areas to help Farmers

3399. Shri Ramavatar Shastri :
Shri Saminathan :
Shri Narayanan :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that after bank nationalisation, Government have set up branches of the nationalised banks in rural areas with a view to helping the farmers ;

(b) if so, the State-wise details thereof ;

(c) the details of the loans given to the farmers of each State ; and

(d) the minimum and maximum amount of loan given to farmer ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c), Information is furnished in the Statements laid on the Table of the Lok Sabha.

(d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Statement showing Statewise the Number of Branches opened by the Nationalised Banks at Rural Centres between the Period 19th July, 1969 and 30th September, 1970.

State	Branches opened
Andhra Pradesh	47
Assam	26
Bihar	33
Gujarat	128
Harayana	15
Jammu and Kashmir	10
Kerala	43
Madhya Pradesh	48
Maharashtra	73
Mysore	118
Nagaland	1
Orissa	13
Punjab	45
Rajasthan	29
Tamil Nadu	99
Uttar Pradesh	100
West Bengal	42
Union Territories	39
Total	909

Statement showing Statewise Direct Advances to Agriculturists by Fourteen Nationalised Banks*

State	Balance Outstanding as at the end of June, 1969		Balance Outstanding as at the end of June, 1970		Increase achieved as at the end of June, 1970 over end of June, 1969 Col. (4) over Col. (2)
	No. of Accounts	Amount	No. of Accounts	Amount	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(Rs. Lakhs)		(Rs. Lakhs)	(Rs. Lakhs)
1. Andhra Pradesh	3798	109.02	24507	623.43	514.41
2. Assam	9	18.08	97	28.42	10.34
3. Bihar	66	4.71	1505	38.29	33.58
4. Gujarat	10955	448.50	41674	1820.60	1372.10
5. Harayana	620	19.13	1926	117.12	97.99
6. Jammu and Kashmir	—	—	2	0.40	0.40
7. Kerala	9429	269.99	19037	448.52	178.53
8. Madhya Pradesh	1761	30.45	15462	199.03	168.58
9. Maharashtra	14452	694.69	54969	2542.01	1847.32
10. Mysore	32302	491.52	52128	1201.85	710.33
11. Orissa	37	1.96	559	12.97	11.01
12. Punjab	603	57.50	5331	348.85	291.35
13. Rajasthan	122	15.25	7608	319.62	304.37
14. Tamil Nadu	45604	466.89	127640	1606.74	1139.85
15. Uttar Pradesh	1214	76.22	8036	494.03	417.81
16. West Bengal	947	147.82	9258	497.88	350.06
17. Union Territories	1070	64.26	4084	186.86	122.60
TOTAL :	122989	2915.99	373823	10486.62	7570.63

* Including 'Plantations'.

Loans to Taxi Drivers and Rickshaw Pullers by Nationalised Banks in Bihar

3400. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have drawn up a scheme for providing loans to taxi drivers, rickshaw pullers and small entrepreneurs through the nationalised banks ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the number of taxi drivers, rickshaw pullers and small entrepreneurs given loans in Bihar under the said scheme and the details of the loans given ; and

(d) The minimum and the maximum time taken in giving loans to the intending loanees ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) The nationalised banks have formulated schemes for providing financial assistance to these categories of persons.

(b) Broad features of the scheme framed by the nationalised banks are given below :

(*I*) *Scheme for financing Taxi Drivers, Auto Rickshaw Drivers, etc.*

Purpose : Loans are granted to individual operators (some banks grant to partnership firms and Limited Companies also) for purchase of new vehicles or vehicles which are not more than 3 years old.

Amount of loan : The borrowers are required to deposit the margin money, which ranges between 20% and 30% in the case of new vehicles and 25% and 40% in the case of old vehicles, in an account with the bank. The bank will make up the balance and pay the cost of the vehicle to the manufacturer/dealer.

Security :

(1) Hypothecation of the vehicle purchased with the loan.

(2) Guarantee of a third party.

(3) Comprehensive insurance of the vehicle.

Period of repayment : The loan is repayable in monthly/quarterly instalments over a period of 30—36 months. In exceptional cases the period is extended up to 48 months.

Rate of Interest : 9% to 9½%.

Other terms and conditions :

(1) The bank's loan on the vehicle has to be noted in the registration certificate issued by the transport authorities.

(2) The vehicle has to be produced for the bank's inspection once in 3/6 months.

(II) *Scheme for Small Entrepreneurs, (Technologists, Technicians, Artisans, Professionals, Fresh Engineers, etc.)*

Purpose : Advances are granted for genuine productive purposes.

Amount of loan : Loan is granted up to a maximum of Rs. 1 lakh (secured) and Rs. 10,000 (unsecured) in individual cases depending upon the ability of the borrower to repay the loan. Where the advance is intended for acquiring plant and machinery, medium term loan is allowed up to Rs. 2 lakhs.

Security : If the borrower is in a position to offer any tangible security it is accepted. Otherwise, advance is allowed on an unsecured basis. Soundness of the proposal and integrity and character of the borrower are more important. Where advance is granted for purchase of plant and machinery, the machinery is required to be hypothecated.

Period of repayment :

(1) Demand Loans : In instalments generally over a period of 3 years.

(2) Medium term loans : In monthly/quarterly/half-yearly instalments over a period ranging between 3 and 10 years. Normally, in these cases repayment begins 6 months/1 year after the start of production.

Rate of interest : 9% to 10%.

Other terms and conditions :

(1) Borrowers should not have borrowings from other banks/sources.

(2) Guarantee of a third party is taken wherever required.

(3) The borrower has to take a life policy on his own life for the amount of the loan up to 25% of the loan with a minimum of Rs. 10,000/- and assign the policy in Bank's favour.

(c) and (d).. The information is being collected and same will be placed on the Table of the House.

एक कनिष्ठ अधिकारी द्वारा सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया की लन्दन शाखा का ठगा जाना

3401. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया की लन्दन स्थित शाखा के एक कनिष्ठ अधिकारी श्री आर० आर० आयंगर ने बैंक को हाल में 20 लाख का धोखा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बीच उसके विरुद्ध कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). प्रश्न संभवतः सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया की कलकत्ता (बालीगंज) शाख के बारे में है, लन्दन शाखा के बारे में नहीं। इस शाखा में, 5 अप्रैल 1970 को धोखाधड़ी के एक मामले का पता चला, जबकि 7000 रुपये का एक चेक, जो कुछ दिन पहले, शोधन के लिये प्राप्त हुआ था, गुम पाया गया था। बाद में की गयी जांच से पता चला कि बैंक के लेखों में अनियमितताएँ, गड़बड़ियाँ और जालसाजी करके धोखाधड़ी की गयी है और बैंक के धन का गबन किया गया है। बैंक द्वारा की जा रही जांच के पूरा होने के बाद ही इस बात का पता चलेगा कि कुल कितनी राशि का गबन किया गया है। बताया जाता है कि अब तक बैंक ने लगभग 19.19 लाख रुपये के गबन किए जाने का पता लगाया है। इस मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इस संबंध में पुलिस ने सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की बालीगंज शाखा के एक कनिष्ठ अधिकारी श्री आयंगर को, जो बैंक के शोधन गृह विभाग के कार्यभारी अधिकारी थे, और उनके पुत्र को गिरफ्तार किया है। सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया ने श्री आयंगर को मुअत्तल कर दिया है।

पाकिस्तान को सिक्कों की तस्करी

3402. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 नवम्बर, 1970 के 'त्रिपुरा टाइम्स' में "पाकिस्तान में सिक्कों की तस्करी—10 रुपये का सिक्का 18 रुपये में बेचा जा रहा है" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि त्रिपुरा के सभी भागों में सभी प्रकार के सिक्कों की भारी कमी है जिसके कारण व्यापारियों तथा जनता को बड़ी कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान में भारतीय सिक्कों का वास्तविक मूल्य भारत में अंकित मूल्य से बहुत अधिक है, क्या सरकार ने इस तथ्य की जांच की है कि भारतीय सिक्कों की पाकिस्तान में तस्करी की जा रही है ; और

(ग) त्रिपुरा सीमा के पार पूर्व पाकिस्तान में सिक्कों की इस तस्करी को रोकने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वित्त मंत्रालय ने, दिनांक 1 नवम्बर, 1970 के त्रिपुरा टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट अभी तक नहीं देखी है।

(ख) सरकार को इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि भारतीय सिक्कों का पाकिस्तान को तस्कर-निर्यात किया जा रहा है।

(ग) आम सतर्कता बरती जा रही है।

त्रिपुरा की विमान यात्री एसोसिएशन की मांगें

3403. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 नवम्बर, 1970 के 'त्रिपुरा टाइम्स' में प्रकाशित त्रिपुरा विमान यात्री एसोसिएशन की मांगों की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने विमान सेवाओं में सुधार तथा विमान यात्रियों के लिये सुविधाओं की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इण्डियन एयर लाइन्स, जहां कहीं सम्भव हो उपचारी कार्यवाही करने के दृष्टिकोण से विभिन्न मांगों की जांच कर रही है ।

Employees of Ministry of Finance involved in Smuggling

3404. Shri Brij Raj Singh : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some employees in the Revenue Department of the Ministry of Finance are involved in smuggling rackets ;

(b) if so, the number of such employees and the nature of work being done by them ;

(c) whether Government had conducted investigations into some such cases and if so, the details thereof ;

(d) whether Government have received some complaints to the effect that some of the senior officers of the Revenue Department give protection to the said employees involved in smuggling rackets in their normal official work ; and

(e) if so, the action taken by the Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The reference presumably is to the Hindi Officer in the Department of Revenue. During the course of supplementaries on a Starred Question certain allegations were made in the Lok Sabha on 6.4.1970 on the basis apparently of a letter written by a certain foreigner to this Hindi Officer that he was involved in smuggling The allegations were enquired into by the Director-General, Revenue Intelligence and Investigation who reported that the said foreigner had not come to the adverse notice of the Directorate of Revenue Intelligence or the Intelligence Bureau for any smuggling, espionage or other such activity.

(d) and (e). In some complaints received against this officer, there was a reference to his enjoying 'protection'. This is without any basis and in fact, the allegation about this

officer's assets being disproportionate, has been referred by the Department to the Central Bureau of Investigation.

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को सी०पी०एड०/डी०पी०एड० के बराबर घोषित करना

3405. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें एन० डी० एस० प्रशिक्षकों को राज्यों के सी० पी० एड०/डी० पी० एड० के बराबर घोषित किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और सेन्ट्रल स्कूल्स आरगेनाइजेशन ने एन० डी० एस० प्रशिक्षकों को अपने कर्मचारियों के बराबर नहीं माना है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य सरकारों के साथ किन कारणों से कार्यवाही नहीं की ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी०के०आर०वी० राव) : (क) से (ग). कुँजरू समिति की सिफारिशों के आधार पर ही स्कूल स्तर पर शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के एक सामान्य समकालित कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया था। सन् 1965 में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों में सभी राज्यों के मिडिल तथा हाई स्कूलों में अपनाने के हेतु इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। यह स्वीकृत कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वस्थता दल कार्यक्रम नाम से जाना गया। राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों सहित विभिन्न स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अध्यापक नये प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम से अपने आप को परिचित कर सकें, इस हेतु राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम से सम्बन्धित शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को पुनः अनुस्थापन प्रशिक्षण दिया गया था।

2. राष्ट्रीय स्वस्थता कोर की शुरूआत के साथ-साथ अक्तूबर, 1966 में केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन बोर्ड की बैठक में शिक्षा में सम्मिलित राष्ट्रीय स्वस्थता कोर सम्बन्धी नियमों का मसौदा राज्य सरकारों की सहायता-अनुदान संहिता में सम्मिलित करने के लिए बनाया गया और उस पर चर्चा की गई। बोर्ड द्वारा अनुमोदित उनमें से एक नियम निम्नलिखित प्रकार है :

3. **कर्मचारी वर्ग** :

निम्नलिखित अर्हताओं में से किसी एक अर्हता सहित अध्यापक राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम के लिए अनुमोदित अध्यापक समझें जायेंगे :

(क) शारीरिक शिक्षा में एक स्नातक

(ख) शारीरिक शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिप्लोमाधारी

(ग) एक मैट्रिक अथवा इसके तुल्य प्रमाण-पत्र-धारी और शारीरिक शिक्षा में मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र सहित ।

(घ) राष्ट्रीय स्वस्थता कोर पाठ्यचर्या में पुनः अनुस्थापित राष्ट्रीय अनुशासन योजना का प्रशिक्षक बशर्ते कि वह मैट्रिक हो अथवा इसके तुल्य हो ।

(ङ) राष्ट्रीय स्वस्थता कोर पाठ्यचर्या में पुनः अनुस्थापित राष्ट्रीय अनुशासन योजना का एक प्रशिक्षक अथवा राज्य सरकार की अनुमोदित अर्हता सहित एक शारीरिक शिक्षा अध्यापक ।

3. केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने यह भी सिफारिश की थी कि अनुमोदित नियमों को राज्य सरकार द्वारा अपनाने के लिए परिचालित किया जाये। यह सभी राज्य सरकारों को इस मंत्रालय के पत्र दिनांक 7-4-67 द्वारा किया गया था। इन पत्रों की प्रतियां राज्य शिक्षा निदेशकों/जन शिक्षा निदेशकों को इस अनुरोध सहित भेजी गई कि इन नियमों को राज्य सहायता अनुदान/शिक्षा संहिता में सम्मिलित किया जाये और देश में राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम के प्रभावपूर्ण कार्यान्वियन के लिए ध्यानपूर्वक देखभाल की जाये ।

4. उपरोक्त से यह स्पष्ट होगा कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षक, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के पाठ्यचर्या में पुनः अनुस्थापन प्रशिक्षण लिया है और जो कम से कम मैट्रिक हैं, राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम में अनुमोदित अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त समझे जायेंगे ।

5. बाद में, राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को राज्य सरकार की शैक्षणिक संस्थाओं में संविलयन को सरल बनाने और राज्य के प्रासंगिक वेतनमान में उनके वेतन की रक्षा करने की दृष्टि से 2 नवम्बर, 1968 को शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों को मंत्रणा दी कि (i) राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को, जो स्नातक हैं, तथा जिन्होंने राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम के पुनः अनुस्थापन प्रशिक्षण के अनुसरणीय राष्ट्रीय अनुशासन योजना का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, स्कूलों में राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम के लिए अध्यापकों की नियुक्ति के प्रयोजनार्थ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारियों के तुल्य तथा शारीरिक शिक्षा क्षेत्र में पर्यवेक्षी पदों के लिए भी, जहां तक वे स्कूलों से सम्बन्धित हैं, के तुल्य समझा जाना चाहिए, और (ii) उन राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को, जिन्होंने मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, और राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम के अधीन निर्धारित पुनः अनुस्थापन प्रशिक्षण के अनुसरणीय राष्ट्रीय अनुशासन योजना में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, भौतिक शिक्षा में उत्तर मैट्रिक प्रमाण-पत्र-धारियों के तुल्य समझा जाना चाहिए, बशर्ते कि केवल वे राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षक—चाहे वे स्नातक अथवा अवर-स्नातक हों, जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष की सेवा कर ली है, उक्त समानान्तरता के दावेदार होंगे ।

6. उपरोक्त से यह स्पष्ट होगा कि उपरोक्त समानान्तरता केवल राज्य सरकार के वेतन-मान, जिनमें राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों की राज्य सरकारों में स्थानान्तरित हो जाने पर राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों का वेतन निश्चित होना है, के निर्धारण से सम्बन्धित है ।

7. शिक्षा मंत्रालय की उपरोक्त मन्त्रणा को किसी राज्य सरकार, अथवा संघ शासित प्रशासन ने स्वीकार करने से इन्कार नहीं किया है । राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों के राज्य सरकारों के पास स्थानान्तरण के प्रश्न पर राज्य सरकारों से व्यक्तिगत तौर पर समझौता वार्ता अभी चल रही है । यह संघ शासित क्षेत्रों में तथा केन्द्रीय स्कूल संगठनों के कार्यरत राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को भी लागू होता है ।

राज्य सरकारों को दिए गये ऋण की अप्रयुक्त बकाया धनराशि

3406. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दिए गये ऋण की, राज्यवार कितनी धनराशि का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है ;

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने अप्रयुक्त बकाया धन वापस कर दिया है ; और

(ग) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने अप्रयुक्त बकाया धन वापस नहीं किया है और प्रत्येक पर कितना धन बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). चूंकि 1969-70 में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यों को सहायता, राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये प्रत्याशित व्यय के ब्यौरों के आधार पर दी गयी थी इसलिए, केन्द्रीय ऋणों के कुछ भाग को खर्च न किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । यदि राज्यों के महालेखाकारों द्वारा किसी अधिक अदायगी की सूचना दी जाएगी तो वह रकम सम्बद्ध राज्य सरकारों से वसूल की जायगी । इस प्रकार के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है ।

त्रिपुरा में नयी सड़कों और पुलों का निर्माण

3407. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 में त्रिपुरा में नयी सड़कों और पुलों के निर्माण तथा विकास के संबंध में, जिसमें सीमावर्ती सड़कों का निर्माण तथा विकास शामिल है, कोई योजना तैयार तथा अनुमोदित की गई है और इस कार्य पर कितना खर्च आयेगा ; और

(ख) चालू वर्ष में क्रियान्वित की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी क्रियान्वित किस सीमा तक की गई है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). सूचना त्रिपुरा प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों की हड़ताल करने का निर्णय

3408. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स के कुछ वर्गों के कर्मचारियों ने अधिक वेतन सम्बन्धी अपनी मांगें मनवाने के लिए तुरन्त हड़ताल करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है ; और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या कथित हड़ताल से इण्डियन एयरलाइन्स पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और क्या सरकार का विचार इण्डियन एयरलाइन्स की समस्त उड़ानों के सामान्य रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए कोई वैकल्पिक कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और अधिक वेतनों की अपनी मांग को स्वीकार कराने के प्रयोजन से उन विमान-चालकों द्वारा, जिनका कि प्रतिनिधित्व भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ द्वारा किया जा रहा है, ऐसी अनेक हरकतें की गईं जिनके परिणामस्वरूप विमान सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गईं । उक्त संघ ने अपने सदस्यों को एयरलाइन की सेवा में लिये जा रहे बोइंग विमानों से सम्बद्ध और आगे प्रशिक्षण न लेने के भी निदेश जारी कर दिए थे ।

(ख) भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ द्वारा इण्डियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष को लिखा 26 फरवरी, 1969 का पत्र, जिसमें उनकी पूर्व प्रस्तुत की मांगें उद्धृत की गई हैं, संलग्न हैं । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०—4486/70]** क्योंकि संघ और प्रबन्धक वर्ग के बीच कोई फैसला नहीं हो सका, इस मामले को 25 नवम्बर, 1970 को समझौते के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया ।

(ग) विमानचालकों के इस अविवेकपूर्ण कार्य से इण्डियन एयरलाइन्स की सेवायें काफी अस्त-व्यस्त हो गईं । परन्तु 2 दिसम्बर को समझौते की कार्यवाही की सफल परिणति हुई, तथा विमानचालक संघ ने तुरन्त सामान्य कार्य करना स्वीकार कर लिया और बोइंग 737 विमान प्रशिक्षण में असहयोग सम्बन्धी अपने निर्देश भी वापिस ले लिये ।

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विस्तार कार्यक्रम

3409. **श्री रा०कृ० बिड़ला :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने विदेशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक विस्तार कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत दो वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय आय की तुलना में विदेशी मुद्रा की आय की प्रतिशतता क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हाँ। विदेशी पर्यटकों को अधिक संख्या में आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

1. भारत और विदेशों में उत्कृष्ट पर्यटन साहित्य द्वारा व्यापक प्रचार।

2. सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक होटल आवास की व्यवस्था और निजी होटल क्षेत्र को प्रोत्साहन।

3. विदेशों में और प्रोत्साही यूनिटों का खोला जाना और वर्तमान यूनिटों द्वारा प्रचार अभियान को तीव्र किया जाना।

4. चार्टर उड़ानों के परिचालन विषयक नीति का उदारीकरण।

5. कुछ देशों के साथ पारस्परिक आधार पर वीजा-शुल्क की समाप्ति।

6. पश्चिम जर्मनी, युगोस्लाविया और नार्डिक देशों के साथ 90 दिन तक के वास के लिए वीजा समाप्ति के सम्बन्ध में द्विपक्षीय करार किए गये हैं।

7. अस्थायी लैंडिंग परमिट के आधार पर बिना वीजा के प्रवेश की अवधि 7 दिन से बढ़ा कर 21 दिन करना।

8. विमान क्षेत्रों पर सरलीकरण प्रणाली की सुव्यवस्था।

9. गुलमर्ग, कोवालम और गोआ में इन स्थानों को लक्ष्य बना कर आने वाले यातायात के लिए अवकाशकालीन सैरगाहों का निर्माण।

10. भिखारियों और दलालों जैसे उद्वेगकारी तत्वों के निराकरण के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

11. अपने चार अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों में बृहत सुधार किए जा रहे हैं ।

12. देश में सड़क और रेल यातायात के लिए और अधिक उपयुक्त और पर्याप्त सुविधाओं का प्रबन्ध ।

13. वन्य-जीव एवं शिकार-पर्यटन का विकास ।

14. पर्यटन सुविधाओं के संवर्धन के लिए स्वयं सेवी संगठनों, संस्थानों और निजी क्षत्र को अनुदान और ऋण देकर सहायता ।

15. जहाँ सम्भव है वहाँ पर्यटन केन्द्रों पर वर्तमान सुविधाओं में सुधार ।

16. पुरातात्विक स्मारकों सहित पर्यटन रुचि के स्थलों का और अधिक अनुरक्षण ।

17. पर्यटन सेवाओं को चलाने के लिए प्रशिक्षण और अर्हता-प्राप्त कर्मचारियों के एक संवर्ग के निर्माण के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास ।

18. 1968 में एयर इण्डिया के सहयोग से कान्टिनेन्टल यूरोप में एक जबरदस्त प्रोत्साही कार्यक्रम—'ओपरेशन यूरोप' प्रारंभ किया गया । यह कार्यक्रम यूरोप से आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि करने में सफल हुआ है । इसी प्रकार का कार्यक्रम 1 अप्रैल, 1970 से यू० के० में लागू कर दिया गया है तथा अगले वर्ष अमरीका में भी लागू कर दिया जायेगा ।

(ग) पर्यटन से होने वाली विश्वव्यापी आय में से 1968 और 1969 के वर्षों में भारत का प्रतिशत क्रमशः 0.25 तथा 0.29 था ।

जमा राशि में तेजी से वृद्धि करने के लिए अभियान

3410. **श्री रा०कृ० बिड़ला :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ़ इण्डिया ने वाणिज्यिक बैंकों से जमा राशि में तेज़ी से वृद्धि करने के लिए जोरदार अभियान चलाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां तो क्या बैंकों को कोई मार्गदर्शी सिद्धांत बताये गये हैं ; और

(ग) गत 6 महीनों में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में कुल कितनी राशि जमा की गई ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) बैंकों को जिन स्थूल मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जमा के लिए रकमें जुटाने के लिए कहा गया है उनमें इस बात पर बल दिया गया है कि उन्हें अपनी सूझ-बूझ और उद्यम

इन बातों की ओर विशेष ध्यान देने में लगाना चाहिए। ग्राहक सेवा का स्तर, लोगों को सक्रिय रूप से अनुप्रेरित करना, प्रादेशिक भाषाओं में प्रचार, कर्मचारियों द्वारा इस अभियान में भाग लेना आदि।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जमा रकमें

(अन्तर्बैंक जमा की रकमों को छोड़ कर)

(करोड़ रुपयों में)

बैंक का नाम	29-5-1970 को	26-6-1970 को	31-7-1970 को	28-8-1970 को	25-9-1970 को	30-10-1970 को
क.1. सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	482.07	492.10	507.92	509.19	508.73	511.72
2. बैंक आफ इंडिया	388.98	399.40	401.52	406.51	409.74	414.55
3. पंजाब नेशनल बैंक	379.65	390.89	408.81	411.31	416.65	418.47
4. बैंक आफ बड़ौदा	308.83	318.80	327.34	331.07	332.86	337.75
5. युनाइटेड कमर्शल बैंक	224.88	230.16	229.87	229.54	229.77	230.12
6. कनारा बैंक	171.18	177.87	180.03	182.80	185.99	190.58
7. युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	165.23	165.68	169.94	171.63	174.68	176.32
8. देना बैंक	136.07	138.69	142.13	144.77	145.25	146.02
9. सिंडीकेट बैंक	131.44	132.38	136.37	136.48	141.08	142.73
10. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	130.23	132.42	137.86	140.67	136.31	144.57
11. इलाहाबाद बैंक	123.16	122.70	123.00	123.44	128.62	129.99

12. इण्डियन बैंक	82.54	83.90	87.38	88.23	90.10	90.83
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	88.36	89.72	92.01	92.71	94.25	96.54
14. इण्डियन ओवरसीज बैंक	73.61	75.34	76.39	78.03	79.99	80.26
जोड़ (क)	2886.23	2950.05	3020.57	3046.38	3074.02	3110.45
ख. भारतीय स्टेट बैंक समूह	1417.42	1450.16	1462.41	1469.99	1504.06	1540.49
ग. सरकारी क्षेत्र के बैंक (क+ख)	4303.65	4400.21	4482.98	4516.37	4578.08	4650.94

आंकड़े अनन्तिम हैं ।

विदेशों में रहने वाले पंजाबियों द्वारा पंजी निवेश

3411. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब के मुख्य मन्त्री द्वारा अपनी हाल की विदेश यात्रा के दौरान लन्दन में 24 सितम्बर, 1970 को दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विदेशों में रहने वाले पंजाबी लोगों के पास निवेश के लिए पर्याप्त पूंजी है और वे अपने मूल देश से संबन्ध बनाए रखने के लिए उत्सुक हैं यदि भारतीय प्रतिबन्धों के बारे में उनकी चिन्ता को दूर कर दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या विदेशों में रहने वाले पंजाबी लोगों से पूंजी निवेश के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों का स्वरूप क्या है और क्या उन पर विचार किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख). सरकार ने एक वक्तव्य के बारे में, जो पंजाब के मुख्य मन्त्री द्वारा लंदन में 24 सितम्बर, 1970 को दिया गया था, समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार देखा है । इस समाचार में जिस मुख्य शिकायत का उल्लेख किया गया है, वह यह है कि संभावी पूंजी निवेशकर्त्ता इस बात से निरुत्साहित हो जाते हैं कि दिसम्बर 1968 में लागू की गयी उदारीकृत नीति के अन्तर्गत दी जाने वाली रियायतों से लाभ उठाने के लिए यह

जरूरी है कि वे (अर्थात् विदेशों में बसे हुए भारत-मूलक व्यक्ति) लाभ/लाभांश के प्रेषण और पूंजी के प्रत्यावर्तन का अधिकार छोड़ दें। यद्यपि यह शिकायत उन कुछ लोगों के मामले में सही हो सकती है जिनका भारत लौटने का कोई इरादा न हो, किन्तु उन अन्य अधिकांश लोगों के लिए, जो अपने धन का उपयोग अन्ततः भारत में करना चाहते हैं, यह उदारीकृत नीति पर्याप्त रूप में आकर्षक होनी चाहिए। वर्तमान नीति में कोई बड़ा संशोधन करने के लिए, सरकार के पास कोई सुझाव नहीं आए हैं।

(ग) और (घ). अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है क्योंकि अनिवासी भारतीयों को भारत में पूंजी निवेश के लिए अनुमति मांगते समय ऐसी कोई घोषणा करना आवश्यक नहीं होता कि वे मूलतः देश में किस राज्य के रहने वाले हैं। फिर भी, इस बारे में सूचना इकट्ठी करने का प्रयास किया जाएगा और जिस रूप में तथा जहां तक सूचना उपलब्ध होगी, सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नई दिल्ली नगर पालिका की इमारत में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा एक होटल चलाना

3412. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम ने होटल चलाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा निर्मित इमारत ले ली है ;

(ख) यदि हां, तो इसे भारतीय पर्यटन विकास निगम को किन शर्तों पर दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह अशोक होटल, जिसका प्रबन्ध भी भारतीय पर्यटन विकास निगम के हाथों में है, के बिल्कुल सामने (कुछ फर्लांग दूर) स्थित है ; और

(घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 5 स्टार होटल भी निकट ही है क्या इस परियोजना को लाभप्रद समझा गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार की अनुमति से भारत पर्यटन विकास निगम ने चाणक्यपुरी में नई दिल्ली नगर पालिका की होटल बिल्डिंग को ले लेने तथा उसे एक सरकारी क्षेत्र के होटल के रूप में चलाने का निर्णय किया है। भारत पर्यटन विकास निगम और नई दिल्ली नगर पालिका ने आपस में निम्नलिखित शर्तें तय की हैं :

(i) निवास तथा भोजन से प्राप्त होने वाली कुल वार्षिक आय का, जिस में रेस्टोरेन्टों से होने वाली आय भी शामिल है, 11 प्रतिशत भाग नई दिल्ली नगर पालिका को त्रैमासिक किस्तों में प्रत्येक तिमाही के अन्त में दिया जायेगा।

(ii) 1-5-1971 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए न्यूनतम गारंटी प्रतिवर्ष 11 लाख रुपये होगी। यदि अतिरिक्त कमरे 1973 तक बन कर तैयार नहीं हो जाते तो 1974 से आगे अतिरिक्त कमरों के बन जाने तक न्यूनतम गारंटी बढ़ा कर 15 लाख रुपये वार्षिक कर दी जायेगी।

(iii) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा होटल क्षेत्र के भीतर कम से कम 20,000 वर्ग फुट स्थान उपलब्ध कराया जायेगा तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण की अनुमति दी जायेगी ताकि 2-3 वर्षों के भीतर यथाशीघ्र इन अतिरिक्त कमरों का निर्माण आरम्भ तथा पूर्ण किया जा सके।

(iv) होटल के दक्षतापूर्वक कार्यचालन के लिए वर्तमान इमारत में छोटे-मोटे परिवर्तन एवं परिवर्धन करने की अनुमति होगी।

(v) फायबर ग्लास बाथ टबों, स्थानीय सैनिटरी मैटल फिटिंग्स, लिफ्ट के दरवाजों जैसी कुछ फिटिंग्स और फिक्सचर्स को बदलने की अनुमति होगी।

(vi) जल और बिजली की सप्लाई दो सरणियों के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी ताकि किसी एक सरणी के असफल होने की स्थिति में दूसरी सरणी से काम चलाया जा सके।

(vii) अपेक्षित 10 लाख रुपये की बयाने की रकम बैंक गारन्टी के रूप में जमा करायी जायेगी।

(viii) आरम्भ में पट्टे की अवधि 30 वर्ष के लिए होगी, तथा पट्टे का, निगम के विकल्प पर, दोनों दलों द्वारा परस्पर सहमति से स्वीकार की गई शर्तों पर नवीकरण किया जा सकेगा। किसी प्रकार का मतभेद होने पर भारत सरकार का निर्णय अन्तिम समझा जायेगा तथा दोनों पक्ष उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे।

(ग) और (घ). जी, हां। नये होटल का चार स्टार स्तर के होटल के रूप में विकास किए जाने की सम्भावना है।

बुलन्दशहर के लाल किला में पाई गई पुरातत्व वस्तुएं

3413. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) के लाल किला में एक अजीब किस्म का "तांबा होर्ड" कलचर प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्राप्ति की विशेषताएं क्या हैं तथा इससे सम्बद्ध अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या हाल ही में सिन्धु घाटी की संस्कृति से सम्बद्ध कुछ अन्य वस्तुयें भी मिली हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) बुलन्दशहर (उ० प्र०) के लाल किले में खुदाई का आयोजन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा किया गया था न की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। इस खुदाई में मिट्टी के विशिष्ट प्रकार के मृदभांड जो कि गैरिकवर्ण भांड कहलाते हैं सांस्कृतिक संचय के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस स्थल पर कोई भी 'ताम्रनिधि' नहीं पायी गयी। तथापि यहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक 'ताम्रनिधि' की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) खुदाई द्वारा प्राप्य अन्य वस्तुओं में मानव लघुमूर्तियां, कंकण, तकुआचकी, खिलौने गाड़ी के पहिये, अस्थि-नोक और बाणाग्र उपरत्न तथा अन्य ताम्र-पदार्थ शामिल हैं। इसी संचय में ठीकरे जड़ा मृदा प्लास्टर भी है। इस संचय के कुछ ठीकरों की ताप संदीप्ति तिथि ईसा पूर्व 1880 (भाव्यतिथि) आती है।

(ग) जी नहीं, सिन्धु घाटी संस्कृति के एक स्थल की पिछली खोज चण्डीगढ़ में हुई थी।

वित्त मन्त्रालय के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की आचरण की जांच-पड़ताल

3414. **श्री क० लकप्पा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मन्त्रालय के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के उन अधिकारियों (राजस्व तथा बीमा विभाग) (सचिवालय में) की संख्या कितनी है, विभिन्न कारणों से केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस समय जिनके आचरण की जांच-पड़ताल कराई जा रही है;

(ख) क्या जांच-पड़ताल में सुविधा तथा लोक हित को ध्यान में रखते हुए, जांच के दौरान इन अधिकारियों को स्थानान्तरित कर दिया गया है अथवा कर देने का विचार है;

(ग) क्या कुछ ऐसे मामले हैं, जिनमें इनमें से कुछ अधिकारियों को स्थानान्तरित करने के पहले सरकारी निर्णय को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक प्रथम श्रेणी का अधिकारी और एक द्वितीय श्रेणी का अधिकारी।

(ख) जी, नहीं। जब कभी जांच के काम को सुविधा प्रदान करन के लिए किसी अधिकारी के स्थानान्तरण को आवश्यक समझा जाता है तो उसके लिए, आमतौर पर, जांच करने वाले अभिकरण (एजेंसी) द्वारा अनुरोध कर दिया जाता है। इन दोनों मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

(ग) और (घ). इनमें से किसी भी अधिकारी को स्थानान्तरित करने का कोई निर्णय नहीं किया गया था, हालांकि इनमें से एक के मामले में, उसको प्रशासनिक कारणों से, कोई अन्य पद देने की व्यावहारिकता का पता लगाया गया था।

वित्त मन्त्रालय में अवर सचिव से नीचे के अधिकारियों को टेलीफोन देना

3415. **श्री क० लकप्पा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय में अवर सचिव (सचिवालय लेवल) के पद के नीचे के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके निवास स्थान पर सरकारी खर्चे पर टेलीफोन लगाया गया है;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों के पास उसी निवासस्थान पर निजी टेलीफोन भी हैं;

(ग) इन अधिकारियों को सरकारी खर्चे तथा उनके निजी खर्चों पर दो अलग-अलग टेलीफोन देने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकारी खर्चे पर टेलीफोन लगने की तिथि से पहले के एक वर्ष में तथा उसके बाद के एक वर्ष में निजी तथा सरकारी टेलीफोन पर की गई कॉलों से अलग-अलग कितना-कितना किराया वसूल हुआ ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

तस्कर व्यापारियों के साथ अधिकारियों के सम्पर्क

3416. **श्री क० लकप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) में कुछ ऐसे प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं जिनका विदेशी तस्कर व्यापारियों के साथ सम्पर्क होने का पता लगा है ; और यदि हां, तो उनकी संख्या, नाम तथा पद क्या हैं;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों की अब भी सरकार के महत्त्वपूर्ण वर्गीकृत दस्तावेजों तक पहुंच है; और

(ग) उन्हें वित्त मंत्रालय की सेवा में रखे रहने के विशेष कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). संभवतः प्रश्न में राजस्व और बीमा विभाग के हिन्दी अधिकारी का उल्लेख किया गया है। एक तारांकित प्रश्न पर पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों के दौरान, लोक-सभा से 6 अप्रैल, 1970 को कुछ आरोप लगाए गए थे कि वह हिन्दी अधिकारी तस्करी में अन्तर्ग्रस्त है ; से आरोप स्पष्टतः किसी विदेशी द्वारा हिन्दी अधिकारी को लिखे गए एक पत्र पर आधारित थे। राजस्व आसूचना और जांच के महानिदेशक ने इन आरोपों की जांच-पड़ताल की थी और यह रिपोर्ट दी थी कि राजस्व आसूचना निदेशालय या आसूचना ब्यूरो को उक्त विदेशी द्वारा तस्करी, जासूसी या ऐसा कोई कार्य किए जाने की कोई प्रतिकूल सूचना नहीं मिली है। लेकिन हिन्दी अधिकारी के पास अनुपात से अधिक परिसम्पत्ति होने के आरोप की जांच करने के लिए, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेज दिया गया है।

प्रशासन के दोषों के सम्बन्ध में संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर की गई कार्यवाही

3417. **श्री क० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासन के दोषों के सम्बन्ध में संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही की प्रगति पर निगरानी रखने की कोई विशेष प्रक्रिया अपनाई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय ने उस प्रक्रिया को नहीं अपनाया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो गत तीन वर्षों में वित्त मंत्रालय में श्रेणी एक के हिन्दी अधिकारी के आचरण के विरुद्ध संसद सदस्यों से कितने ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं जिनके प्राप्त होने की सूचना अभी तक नहीं दी गई है और/अथवा जिनका अन्तिम रूप से उत्तर नहीं दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रशासन के दोषों सहित सभी मामलों के सम्बन्ध में संसद के सदस्यों से प्राप्त पत्रों के बारे में की जाने वाली कार्रवाई की प्रगति पर नजर रखने के लिए सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में अप्रैल, 1970 में एक प्रक्रिया अपनायी गयी है। इस प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक संयुक्त सचिव/निदेशक के निजी कार्यालय में, निर्धारित रूप में एक विशेष रजिस्टर रखा जाता है, जिसमें संसद के सदस्यों से, उसके विषयों के सम्बन्ध में, प्राप्त सभी पत्रों का हिसाब रखा जाता है। निजी सहायक को इनसे सम्बन्धित मामलों पर की जाने वाली कार्यवाही पर नजर रखनी होती है और हर महीने संयुक्त सचिव/निदेशक के सामने दो बार रजिस्टर पेश करना पड़ता है ताकि उसका निरीक्षण किया जाए और उपयुक्त समझी जाने वाली अन्य कार्रवाई की जाए।

(ख) उक्त प्रक्रिया की ओर वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारियों का ध्यान दिलाया गया है और उनके द्वारा इस पर अमल किया जा रहा है।

(ग) उक्त प्रक्रिया हाल ही में लागू की गई है । इससे पहले हिन्दी अधिकारी के आचरण के बारे में विभिन्न समयों पर संसद के सदस्यों से लगभग आधा दर्जन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनकी विस्तृत जांच किए जाने की जरूरत थी। कुछ आरोपों की, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा अभी जांच की जा रही है। चूंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच के पूरा होने तक इस सम्बन्ध में की गयी जांच-पड़ताल के अन्तिम परिणामों के बारे में जवाब नहीं दिए जा सकते, इसलिए संसद के सम्बद्ध सदस्यों को, इस मामले की मौजूदा स्थिति के बारे में अलग से सूचित किया जा रहा है।

भारत में चल रहे विदेशी बैंकों में काम कर रहे विदेशी राष्ट्रिक

3418. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में काम कर रहे विदेशी बैंकों में कितने विदेशी राष्ट्रिक काम कर रहे हैं; और

(ख) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने कुछ ऐसे उपाय अपनाये हैं जिनसे इन बैंकों में अधिक आय वाले पदों पर नियुक्त गैर-भारतीय व्यक्तियों की संख्या को कम किया जा सके और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) रिजर्व बैंक द्वारा इकट्ठी की गई सूचना के अनुसार, सितम्बर 1970 के अन्त में, भारत में काम कर रहे विदेशी बैंकों की शाखाओं में 140 विदेशी राष्ट्रिक काम कर रहे थे।

(ख) विदेशी बैंकों द्वारा कर्मचारियों का भारतीयकरण किए जाने के सम्बन्ध में कारगर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने फरवरी 1968 में, विदेशी मुद्रा के सभी अधिकृत डीलरों को कहा था कि वे बैंकों में विदेशी राष्ट्रिकों की नियुक्ति करने से पहले, रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करें। यह प्रतिबन्ध भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं समेत सभी बैंकों पर लागू होता है। तदनुसार, जब कभी किसी भारतीय बैंक अथवा विदेशी बैंक की किसी भारतीय शाखा में सेवा के लिए, किसी विदेशी राष्ट्रिक को भारत में लाना वांछनीय समझा जाता है तब तत्सम्बन्धी बैंक को रिजर्व बैंक के पास एक प्रार्थना-पत्र भेजना पड़ता है जिसमें इस बात का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है जिसमें यह भी स्पष्ट करना होता है कि सम्बन्धित व्यक्ति किस पद पर नियुक्त किया जायेगा और उसे भारत में लाने के क्या विशेष कारण हैं। रिजर्व बैंक विदेशी बैंकों पर, उनके कार्यालयों में, गैर-भारतीयों की संख्या कम करने के लिए भी जोर देता रहा है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने अलग-अलग विदेशी बैंकों को उनके कर्मचारियों के भारतीयकरण से संबन्धित कार्यक्रमों का ब्यौरा पेश करने के लिए भी कहा है। 31 दिसम्बर, 1969 को विदेशी बैंकों में नियुक्त गैर-भारतीयों की संख्या 155 थी, जो घटकर सितम्बर 1970 के अन्त में 140 रह गयी थी।

बम्बई की फर्मों और व्यक्तियों द्वारा आयकर और धन-कर का भुगतान

3419. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में अधिकतम आय-कर और धन-कर देने वाले व्यक्तियों और फर्मों के नाम क्या हैं ;

(ख) कितने करों की अभी वसूली करना बकाया है ; और

(ग) उनकी वसूली के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). वित्तीय वर्ष 1969-70 के दौरान जिन चोटी के बीस व्यक्तियों तथा फर्मों का उच्चतम कुल आय पर कर-निर्धारण किया गया है उनसे सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Repatriation of Purse Presented to Badshah Khan for Allaqsa Mosque in Israel

3420. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether there was a provision in respect of the purse presented to Khan Abdul Ghaffar Khan in India that it could be converted into any foreign currency ;

(b) whether Government had refused to permit conversion into foreign currency of the funds offered by some organisations for the repairs and reconstruction of the Allaqsa Mosque in Israel when it was damaged ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the amount out of the purse presented to Khan Abdul Ghaffar Khan, which was permitted to be converted into foreign currency and the amount of Indian currency which has been converted into foreign currency ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (d). The collections made by the Ghaffarkhan—Sarhad Gandhi, Salgira Samiti as a presentation to Badshah Khan have been permitted by the Government to be remitted abroad. Conversion facility to the extent of approximately Rs. 36 lakhs has been granted in this behalf.

(b) and (c). No such request seeking conversion facility for the repair and reconstruction of the Al-Aqsa Mosque at Jerusalem was received by Government. There was only a query from a particular party enquiring whether such a facility would be extended if funds were raised locally.

Seizure of Opium near Jaipur

3421. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about four maunds of opium was seized from two cars in Jaipur in September, 1970 ; and

(b) if so, the value thereof and the number of persons against whom action has been taken indicating the nature of action taken ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to information available with Government, the Police authorities of Rajasthan State at Jaipur intercepted two cars at Tripolia and recovered 159.450 kgs. of opium on 21st September, 1970 from one car.

(b) Value of the opium seized is approximately Rs. 17,000. Six persons have been arrested. Investigations are in progress.

फिल्म कलाकारों को जीवन बीमा निगम के माध्यम से भुगतान

3422. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वित्त मन्त्री फिल्म कलाकारों को जीवन बीमा निगम की पालिसियों के माध्यम से भुगतान के बारे में 11 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9229 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में अब तक विचार कर लिया है, और यदि नहीं, तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। सरकार ने भारत के फिल्म निर्माता गिल्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन पर विचार किया है। सरकार का मत है कि गिल्ड, हमारे देश के कराधान कानूनों के अधीन रहते हुए, अपनी इच्छानुसार कोई भी योजना अपनाने के लिए स्वतंत्र है। यदि जीवन बीमा निगम की पालिसियों के जरिए फिल्म कलाकारों की आस्थगित अदायगी की योजना वैसी ही है जो स्वर्गीय श्री गुरुदत्त के मामले में वित्त मन्त्रालय ने विधि मन्त्रालय के परामर्श से स्वीकार की थी तो सरकार उसे स्वीकार करेगी लेकिन उस योजना में किसी भी फेर-बदल की उसके गुण-दोषों के आधार पर जांच की जायेगी।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

कोवलम् केरल में पर्यटन परियोजना

3423. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोवलम्, केरल में लगभग 2 करोड़ रुपये की एक अग्रिम पर्यटन परियोजना शीघ्र ही प्रारम्भ की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कोवलम् समुद्र तटीय प्रायोजना के मुख्य-मुख्य अंग ये हैं :

1. एक सौ कमरों वाला होटल तथा चालीस कुटीरें।
2. एक समुद्र तटीय सेवा केन्द्र, जिसमें प्रशासनिक कार्यालय, सूचना केन्द्र, दुकानें, तथा एक रेस्टोरेंट होंगे ।
3. एक योग-व-मालिश केन्द्र।
4. जल-क्रीड़ाओं के लिए सुविधाएं।
5. एक ओपन एयर थियेटर।

(ग) प्रायोजना के चौथी योजना की अवधि में पूरा किए जाने की आशा है।

दिल्ली में बसों के किरायों में वृद्धि

3424. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **पोत-परिवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली प्रशासन अथवा दिल्ली परिवहन संस्थान से दिल्ली में, बसों के किराये बढ़ाने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति दिल्ली प्रशासन अथवा दिल्ली परिवहन संस्थान की क्या प्रतिक्रिया है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार दिल्ली परिवहन उपक्रम की पुरानी गाड़ियों को बदलने तथा बस बेड़े के विस्तार के लिए धन की बड़ी राशि देती रही है। परन्तु दिल्ली परिवहन उपक्रम अभी इन वर्षों में ऋण की किस्तें या ब्याज अदा नहीं करता रहा है। अतः केन्द्रीय सरकार ने उपक्रम को सुझाव दिया है कि वह अपने साधनों को एकत्रित करे तथा बकाया ऋण तथा ब्याज की राशि की अदायगी का एक पक्का कार्यक्रम प्रस्तुत करे। यह दिल्ली परिवहन उपक्रम को विचार करना है कि वह किस उत्तम ढंग से वित्तीय साधनों को एकत्रित करे ताकि वह अपने वित्तीय दायित्व की पूर्ति कर सके। दिल्ली परिवहन समिति ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किराये में संशोधन की सम्भावनाओं पर विचार किया है परन्तु इसके विरुद्ध निर्णय किया है।

विलासिता की वस्तुओं पर कर

3425. **श्री सामिनाथन :**
श्री नारायणन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विलासिता की वस्तुओं पर भारी कर लगाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस से कितना लाभ होने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विलासिता अथवा गैर-विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाने के बारे में कुछ भी प्रकट करना जन-हित में नहीं होगा जब कि वार्षिक बजट का पेश किया जाना सन्निकट ही है ।

(ख) तथा (ग). भाग (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने के लिए अपेक्षित जमानत

3426. **श्री सरजू पाण्डे :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय-कृत बैंक केवल उन्हीं लोगों को ऋण दे रहे हैं जो कि उस धन के लिए पर्याप्त रूप से जमानत दे सकते हैं ;

(ख) राष्ट्रीय-कृत बैंकों से ऋण लेने के लिए कम से कम कितनी जमानत देनी होती है; और

(ग) बैंक के ऋण के दुरुपयोग को रोकने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). राष्ट्रायकृत बैंक ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय, प्रतिभूति के स्वरूप और मात्रा की बजाय, ऋण के प्रयोजन, प्रायोजना की आर्थिक सक्षमता और तकनीकी व्यवहार्यता तथा ऋणकर्त्ता के चरित्र और ईमानदारी पर अधिक बल देते हैं । इसका अर्थ यह नहीं है कि बैंक ऋण नहीं लेंगे, विशेषकर बड़ी-बड़ी रकमों के ऋणों के मामले में, जिनके चुकाये जाने की अवधि कई वर्षों की होती है । लेकिन छोटे ऋणों के मामले में, जहां प्रतिभूति उपलब्ध नहीं होती, बैंक बचाव के वैकल्पिक व्यावहारिक उपायों की व्यवस्था कर सकते हैं जैसे तीसरी पार्टियों की समपार्श्विक गारंटी, जीवन बीमा पालिसी की समपार्श्विक प्रतिभूति और/

अथवा ऋण से निर्मित परिसम्पत्तियों का दृष्टिबंधन आदि । उपयुक्त मामलों में समुचित रकमों के प्रतिभूतिरहित ऋण भी दिए जाते हैं ।

इस बात की व्यवस्था करने के लिए कि बैंक-ऋणों का दुरुपयोग न हो, बैंक ऋणकर्त्ताओं की ईमानदारी और उनकी सही-सही आवश्यकताओं के बारे में तसल्ली कर लेते हैं । बैंक प्रायोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करते हैं और इस बात की तसल्ली कर लेते हैं कि प्रस्ताव सक्षम है । बैंक बार-बार ऋणकर्त्ताओं के पास जा कर, और अन्य अनुवर्ती उपायों से ऋण की वसूली की भी सुनिश्चित व्यवस्था करते हैं ।

कलकत्ता में विद्यार्थियों के लिए दिवस-गृह (डे-होम)

3427. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में विद्यार्थियों के लिए दिवस-गृहों (डे-होम्स) की योजना सफल सिद्ध हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रेटर कलकत्ता में सामान्य तनाव और असंतोष को कम करने के लिए विद्यार्थियों के लिए और भी दिवस-गृह स्थापित किये जायेंगे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कलकत्ता में विद्यार्थियों के लिए (आउट डोर) मनोरंजन

3428. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या ग्रेटर कलकत्ता के 90 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए "आउट डोर" मनोरंजन की कोई गुंजायश नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नगर के विद्यार्थियों के लिए अनेक पार्कों, क्लबों तथा खेल के मैदान बनाने का है ताकि उनकी मांग को पूरा किया जा सके ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). यह राज्य सरकार के लिए है कि कलकत्ता नगर के युवकों के लिए पार्कों, क्लबों तथा खेल के मैदानों की स्थापना करे । यदि राज्य खेल परिषद चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के हेतु इस मन्त्रालय से निवेदन करेगी तो ऐसे प्रस्तावों पर गुणों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

हुगली नदी में नौगम्यता बनाये रखने के लिए की गई कार्यवाही

3429. **श्री समर गुह :** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हुगली नदी में रेत जमा हो जाने के कारण माल के चढ़ाने व उतारने की क्षमता आधी रह गई है ; और

(ख) यदि हां, तो हुगली नदी में नौगम्यता बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). मुख्य जल की पूर्ति की अपर्याप्तता के कारण हाल के वर्षों से हुगली नदी की स्थिति बिगड़ रही है जिससे डुबावों में गिरावट आ गई है और जिससे कलकत्ता पत्तन गहरे डुबाव वाले पोतों को लेने में असमर्थ हो गया है। इसके कारण यातायात में कुछ हद तक गिरावट आई है। नदी को सशक्त करने और वर्ष भर नदी में गाद मुक्त जल की पूर्ति से इसकी बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने के हेतु फराक्का बांध बनाया जा रहा है। गहरे डुबाव वाले पोतों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हल्दीया में एक नई गादी पद्धति भी बनाई जा रही है।

निर्यात नीति संकल्प तथा नई लाइसेंसिंग नीति में निर्धारित नीतियों के समन्वयन के लिए एकाधिकार अधिनियम का संशोधन

3430. **श्री दे० अमात :** क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नीतियों के समन्वयन के लिए एकाधिकार अधिनियम में संशोधन करने का है जैसा कि निर्यात नीति संकल्प तथा नई लाइसेंसिंग नीति में परिकल्पित है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन का ब्यौरा क्या है ?

समवाय कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

पोद्धार खान मालिकों द्वारा आयकर का न दिया जाना

3431. **श्री क० लकप्पा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोद्दार खानों के मालिकों ने गत अनेक वर्षों से आयकर का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने सरकार को कब से आयकर नहीं दिया है; और

(ग) उसकी वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). यह सच नहीं है कि पोद्दार खानों के मालिकों ने बहुत वर्षों से आय-कर का भुगतान नहीं किया है। वित्तीय वर्ष 1966-67 से 1969-70 में पोद्दार खानों की मालिक फर्म तथा इसके साझीदारों द्वारा अदा किए गए करों का विवरण निम्नलिखित है :

मैसर्स दीपचन्द किशन लाल	673736 रुपये

साझीदार :

1. श्री के० एल० पोद्दार	425721 रुपये
2. श्री विश्वनाथ पोद्दार	159620 रुपये
3. श्री के० पी० पोद्दार	190790 रुपये
4. श्री वी० के० पोद्दार	156136 रुपये
5. श्री विनय कुमार पोद्दार	155638 रुपये

विदेशों से लिए गये ऋणों की अदायगी

3433. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा अथवा रुपयों में भारत द्वारा वापस की जाने वाली विदेशी ऋणों (देशवार) की कुल राशि कितनी है ;

(ख) इन ऋणों का कितना भाग उद्योगों तथा अन्य दूसरे उपक्रमों में लगाया गया है जिसका भुगतान उनकी आय से किये जाने की आशा है ; और

(ग) रुपये के अवमूल्यन के कारण विदेशी ऋणों की कुल राशि के भुगतान के लिए कितना भारतीय रुपया और देना पड़ेगा ; और

(घ) इस हानि को समाप्त करने के लिए क्या सरकार का विचार रुपये का पुनर्मूल्यांकन करने का है, और यदि नहीं, तो उससे क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया

गया है, जिसमें विदेशों से प्राप्त ऋणों का तथा उन ऋणों की न चुकायी गयी रकमों का पहली अक्टूबर 1970 की स्थिति के अनुसार देशवार ब्यौरा दिया गया है ।

(ख) आयोजनाओं में सम्मिलित सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के विकास संबंध कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं का आयात करने के उद्देश्य से विदेशों से ऋण लिये जाते हैं । विदेशों से लिये जाने वाले ऋणों को निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय से या पर्यटन से होने वाली आय जैसी अदृश्य आय से या अपने रुपया साधन से चुकाया जाता है । इस लिए विदेशों से किसी विशेष क्षेत्र के लिए प्राप्त ऋणों और उनके शोधन के बीच कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है ।

(ग) 6 जून, 1966 को रुपये का अवमूल्यन किये जाने के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा देय विदेशी ऋणों की मूल रकम में 1364 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी ।

(घ) जी नहीं । सरकार का रुपये का पुनर्मूल्यन करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि ऐसा करना न्यायोचित नहीं समझती ।

विवरण

पहली अक्तूबर 1970 की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार की विदेशी ऋण सम्बन्धी बकाया देनदारी का देशवार ब्यौरा

क्रम संख्या	देश/स्रोत	विदेशी ऋण सम्बन्धी बकाया देनदारी
	सरकारी ऋण	(करोड़ रुपयों में)
(क)	**प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा में चुकाये जाने वाले ऋण**	
1.	आस्ट्रेलिया	16.65
2.	बैल्जियम	5.80
3.	कनाडा	121.48
4.	डेनमार्क	7.79
5.	जर्मन संघीय गणराज्य	489.65
6.	फ्रांस	24.06
7.	इटली	5.59

8.	जापान	281.41
9.	नीदरलैण्ड	42.14
10.	स्वीडन	7.77
11.	स्विटजरलैंड	20.80
12.	ब्रिटेन	566.42
13.	संयुक्त राज्य अमेरिका	2006.14
14.	कुवेत	5.41
15.	बेहरीन	4.24
16.	कबतार	8.43
17.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	267.07
18.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	770.25
	जोड़—(क) प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा में चुकाये जाने वाले ऋण।	4651.10

(ख) माल के निर्यात द्वारा चुकाये जाने वाले ऋण।

1.	चेकोस्लोवाकिया	52.78
2.	पोलैंड	19.63
3.	सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ	394.72
4.	यूगोस्लाविया	16.74
	जोड़ (ख) माल के निर्यात द्वारा चुकाये जाने वाले ऋण	483.87

(ग) रुपयों में चुकाये जाने वाले ऋण—

1.	डेनमार्क	0.63
2.	संयुक्त राज्य अमरीका	
	(i) पी०एल० 480 रुपया ऋणों से भिन्न ऋण	338.15
	(ii) पी०एल० 480 रुपया ऋण	1449.94
	जोड़ (ग) रुपयों में चुकाये जाने वाले ऋण	1788.72
	कुल जोड़ (क+ख+ग)	6923.69

Agricultural Loans Advanced by Nationalised Banks in Madhya Pradesh

3435. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any survey has been conducted in regard to the agricultural loans advanced by the nationalised banks in Madhya Pradesh during 1969-70 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether any separate provision has been made for providing bank credit to small farmers ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) Government are not aware of any survey as such having been carried out.

(b) Does not arise.

(c) Schemes have been prepared by nationalised banks for providing assistance to farmers. These apply to all farmers, big and small. The nationalised banks have been specially directed to give attention to the weaker sections of the society, particularly the smaller farmers. The various ways in which the weaker sections can be helped by banks are being studied by a Committee set up by the Reserve Bank and headed by Dr. R.K. Hazari. Among other things, this Committee will examine what concessions could be granted to small farmers, in addition to lower interest rates.

पश्चिमी बंगाल में नगरपालिका द्वारा प्रशासित स्कूलों के गैर-अध्यापक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोका जाना

3436. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें नगरपालिका द्वारा प्रशासित स्कूलों के गैर-अध्यापक कर्मचारियों का महँगाई भत्ता रोकने के लिये कहा गया है ।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार का ध्यान ऐसे परिपत्र की अनियमितताओं और भेदभाव-पूर्ण प्रभाव की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) ऐसे अभ्यावेदनों पर सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० कु० किस्कु) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

जीवन बीमा निगम द्वारा गांवों में पालिसी होल्डरों को मकान बनाने से लिए ऋण देना

3437. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम द्वारा गांवों में पालिसी होल्डरों को मकान बनाने के लिए उनकी पालिसियों पर ऋण नहीं दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ऐसे पालिसी होल्डरों को भी यह सुविधा प्रदान करेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). यथा उपलब्ध आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

Strikes in Air India

3439. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of times strikes took place in Air India during the last three years ;

(b) the loss suffered by Air India as a result thereof and the points of dispute ; and

(c) the action taken by Government to prevent strikes in future ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c). There was no strike as defined in the Industrial Disputes Act in Air-India during the years 1968, 1969 and 1970. However, on a number of occasions the working of the Airlines was affected by 'go-slow', 'work to rule' and such tactics adopted by various categories of workmen. This has resulted in financial loss to the Corporation, the exact extent of which is being ascertained.

Government have issued a notification under the Essential Services Maintenance Act prescribing strikes in 'Services connected with the operation, repair or maintenance of aircraft of Air-India and Indian Airlines.'

Guidelines for Issuing Commemorative Coins/Currency Notes

3440. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have laid down certain guidelines for issuing commemorative coins/currency notes in the memory of great men ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the names of the great men in whose memory and the occasions on which such coins/currency notes are proposed to be issued by Government during the next three years ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). The general policy of the Government has been to avoid effigies of any persons on the coins and currency of the country, and to honour the memory of national leaders and other great men and women through the medium of commemorative postage stamps. Only two exceptions to this general rule have been made so far for reasons which are too obvious to need any mention.

(c) Government have no such proposal under consideration at present.

जयपुर में पर्यटक केन्द्र के लिए परियोजना

3441. श्री चेंगलराया नायडू : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में पर्यटक केन्द्र के लिए कोई परियोजना आरम्भ करने के बारे में सरकार ने एक योजना को अन्तिम रूप दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जयपुर में 10 लाख रुपये के अनुमानित लागत से एक पर्यटन स्वागत केन्द्र का निर्माण चौथी योजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग की स्कीमों में शामिल कर लिया गया है। इस प्रयोजन के लिए राज्य

सरकार द्वारा एक भू-खण्ड विनिर्धारित कर दिया गया है और इस प्रायोजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

चाणक्य पुरी में नई दिल्ली नगरपालिका की बहु-मंजिली इमारत में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाया जाने वाला होटल

3442 **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चाणक्यपुरी में बनाई गई बहु-मंजिली इमारत को भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा एक होटल चलाने के लिए अपने अधिकार में लेने का निर्णय किया है ;

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी क्षेत्र के अधिकतर होटल सफलतापूर्वक नहीं चल रहे हैं, इसे सफल होटल बनाने के लिए क्या विशेष कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या इस होटल की स्थापना पर विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार की अनुमति से भारत पर्यटन विकास निगम ने चाणक्यपुरी में नई दिल्ली नगर निगम की होटल बिल्डिंग को ले लेने तथा उसे सरकारी क्षेत्र के एक होटल के रूप में चलाने का निर्णय किया है ।

(ख) और (ग). दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत चार होटलों अर्थात् अशोका, जनपथ, रणजीत और लोधी में प्रथम दो होटल लाभ पर चल रहे हैं । नये होटल को एक लाभप्रद उद्यम बनाने के उद्देश्य से इस होटल के उपकरण, कर्मचारियों तथा प्रबन्धकवर्ग के विषय में विदेशी परामर्शदाताओं से सलाह लेने का प्रस्ताव है ।

Seizure of Gold in Madurai

3443. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the officials of the Customs Department had seized foreign gold worth about Rs. 1,50,000 in Madurai in November, 1970 ; and

(b) the number of persons against whom action has been taken and the nature of action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Acting on information Customs Officer at Madurai, searched a house at Kilachavalpatti in District Ramnad and seized 43 gold biscuits of foreign origin, weighing

about 5,016 grams and 12 gold wrist watch chains weighing about 745 grams valued in all Rs. 1.35 lakhs at Indian market price. The occupant of the premises is absconding.

Seizure of Gold and Other Smuggled Articles in Bombay

3444. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whe her it is a fact that a large quantity of smuggled goods and gold was seized in Bombay in August, September, October and November, 1970 ;

(b) if so, the details of the goods seized ; and

(c) the value thereof in terms of Indian currency ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The value of the goods seized as smuggled by the Customs and Central Excise authorities at Bombay during August, September, October, November, 1970 (upto the 3rd week) is given below :

Articles	Value in terms of Indian currency (Rs. Lakhs)	
Gold	54.92	(At international monetary rate)
Silver	16.25	At the Indian market price
Watches	90.36	—do—
Synthetic yarn and fabrics	46.01	—do—
Other goods	81.94	—do—
Total	289.48	

Seizure of Gold from a Boat near Bombay

3445. Shri Bharat Singh Chauhan : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 65 tolas of gold (foreign) and a large quantity of smuggled goods were seized from a boat in the sea about 32 kilometres off Bombay during the month of November, 1970 ; and

(b) if so, the number of persons proceeded against and the action taken against them in this behalf ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No such seizure has been made by the Customs and Central Excise authorities at Bombay during the month of November, 1970.

(b) Does not arise.

Seizure of Gold and Watches in Bombay

3446. Shri Bharat Singh Chauhan: Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Customs officials had recovered watches and foreign gold worth about Rs. 25 lakhs in Bombay in November, 1970 ; and

(b) if so, the number of persons against whom action has been taken and the nature of the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the table of the House.

खराब नोटों का परिचलन

3447. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिचलन में खराब नोटों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जनता को असुविधा होती है ;

(ख) क्या ऐसा रिजर्व बैंक द्वारा अपने वाल्ट में नोटों की संख्या को कम करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और वाणिज्यिक बैंकों तथा रिजर्व बैंक के नोट जांच अधिकारियों के असहयोगपूर्ण रुख के कारण हुआ है ;

(ग) क्या वाणिज्यिक बैंकों ने स्ट्रांग रूम में जगह की कमी की शिकायत की है और यह भी बताया है कि कुछ क्षेत्रों में स्टेट बैंक की शाखाओं ने पुराने नोट लेने से मना कर दिया है; और

(घ) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में जांच करने और जन साधारण की असुविधा को कम करने के लिए उचित कार्यवाही करने का विचार है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). न तो रिज़र्व बैंक और न ही उसके अभिकरण, परिचलन के लिए खराब नोट जारी करते हैं । यद्यपि रिजर्व बैंक

के पास वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा कराये गये नोट, रिज़र्व बैंक की तिजौरियों में नोटों की संख्या कम करने के उद्देश्य से, दोबारा वाणिज्यिक बैंकों को जारी कर दिये जाते हैं, तथापि ऐसे दुबारा जारी किये जाने वाले नोटों में जो नोट परिवहन के योग्य मालूम नहीं होते, वे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जनता के लिये जारी नहीं किये जाते, इसलिए खराब नोटों के प्रचलन में आने की सम्भावना बहुत कम है ।

(ग)और(घ). भारतीय स्टेट बैंक सुरक्षित कमरे में स्थान और पर्याप्त कर्मचारियों के अभाव के कारण, वाणिज्यिक बैंकों और व्यापारी समुदाय से केवल सीमित संख्या में ही नोट स्वीकार करता है और इसके परिणामस्वरूप अन्य बैंक भी अपने कार्यालयों में संग्रह के लिये कम स्थान होने के कारण, एक सीमा के अन्दर ही जनता से नोट ग्रहण करते हैं । स्टेट बैंक ने अपनी सभी शाखाओं में तिजौरियों की धारण क्षमता और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोशियेशन से प्राप्त सहायता का राज्यों को वितरण

3448. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री मीठालाल मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों की अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन से भारत को कितनी सहायता प्राप्त हुई;

(ख) विभिन्न राज्यों को दी गई इस सहायता की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) यह सहायता किन-किन राज्यों को दी गई तथा किन-किन परियोजनाओं पर इसका उपयोग किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) गत तीन वर्षों में, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 2550 लाख डालर (191.25 करोड़ रुपये) के करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं ।

(ख) उपर्युक्त रकम में से, 975.0 लाख डालर (73.12 करोड़ रुपये) के अर्थात् लगभग 38 प्रतिशत के बराबर की रकम के करार राज्य सरकारों की योजनाओं से सम्बद्ध है ।

(ग) विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

क्रम संख्या	प्रायोजना और राज्य का नाम	करार की तारीख	ऋण की रकम लाख अमरीकी/करोड़ डालरों में/रु० में		प्रायोजना का ब्यौरा
1.	कदना सिंचाई योजना, (गुजरात)	9-2-1970	350.0	26.25	इस प्रायोजना में कदना नामक स्थान पर शाही नदी पर बाँध, सहायक नदी और छोटी नहरों का निर्माण करना और शाखा नहरों पर पलस्तर लगाने, जल-मार्गों तथा क्षेत्रीय नहरों का निर्माण करने अथवा विकास, भूमि को समतल करने और प्रायोजना के क्षेत्र की सहायक सड़कों तथा खेतों की सड़कों का निर्माण करने और उनका विकास करने का काम शामिल है ।
2.	गुजरात कृषि-ऋण प्रायोजना	3-6-1970	350.0	26.25	यह प्रायोजना लघु सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं और उपकरणों तथा कृषि यन्त्रीकरण (जिसमें ट्रैक्टरों की प्राप्ति शामिल है) के लिए पूंजी निवेश के वित्त प्रबन्ध का कार्यक्रम है ।
3.	पंजाब कृषि ऋण प्रायोजना	24-6-1970	275.0	20.62	यह प्रायोजना पंजाब में कृषि यन्त्रीकरण कार्यक्रम का एक अंग है और इसमें ट्रैक्टरों, उपकरणों, फसल-कटाई की मशीनों और फालतू पुर्जों में निवेश का वित्त प्रबन्ध करने का 2 वर्षों का कार्यक्रम शामिल है ।
	जोड़		975.0	73.12	

राज्य सरकारों के घाटे के बजट

3449. **श्री राज देव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने वार्षिक बजट घाटे में दिखाए हैं ; और

(ख) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु को छोड़ कर सभी राज्यों ने 1970-71 में घाटे के बजट पेश किए हैं ।

(ख) भारत सरकार हमेशा से ही राज्यों से यह अनुरोध करती रही है कि उन्हें उपलब्ध साधनों से अधिक व्यय के बचनों के कारण होने वाले घाटे से बचना चाहिए ।

विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा चोरी-छिपे किराया कम करना

3450. **श्री रा० बरुआ** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी विमान कम्पनियों ने अपने किरायों में चोरी छिपे कमी कर दी है ;

(ख) क्या सरकार ने किरायों में चोरी-छिपे कमी करने को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसमें कितनी सफलता मिली है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार को मालूम है कि कुछ विमान कम्पनियां अनुचित रूप से निर्धारित किरायों से कम किराये ले रही हैं ।

(ख) और (ग). विमान नियमों में संशोधन किया जा रहा है ताकि विमान कम्पनियों के लिए अपने किराये की सूचियां नागर विमानन के महानिदेशक को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाये । इन नियमों में उल्लघंन के लिए दण्ड देने की भी व्यवस्था की जायेगी ।

आई०ए०टी०ए० प्रवर्तन-संगठन तथा स्वयं हमारे सतर्कता उपकरण द्वारा इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

एयर-इंडिया के लिए बोइंग विमानों की खरीद

3451. **श्री रा० बरुआ** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या का सामना करने के लिए एयर इंडिया के लिए कुछ बोइंग विमान खरीदने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इन विमानों की प्राप्ति के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) एयर इंडिया ने 3 बोइंग 747 (जम्बो जेट) विमानों के क्रयादेश दे दिये हैं । चौथे विमान की खरीद के लिए भी सरकार की अनुमति प्रदान की जा चुकी है । पहले दो विमानों के अप्रैल, 1971 में ; तीसरे के अप्रैल, 1972 में तथा चौथे के अप्रैल, 1973 में प्राप्त हो जाने की आशा है ।

Budget Provision for Development of Tourism

3452. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount of money provided for the development of tourism in the budget for the current year ; and

(b) the amount out of that earmarked for the development of those religious places which are mostly visited by Indian tourists ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Rs. 753.76 lakhs.

(b) These arrangements are made by the State Governments within the limitation of their own resources. The Central Government also helps in places of tourist importance wherever possible.

Interest Free Loans through Nationalised Banks

3453. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the reaction of Government to the demand being made in the country to provide interest free loans through the nationalised banks to the landless and to those farmers who possess less land ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : As the rates of interest charged by the commercial banks, including the nationalised banks, have to cover their costs like interest paid on deposits and borrowings and establishment costs, Government is not in a position to accede to the demand for interest-free loans. However, a Committee has been appointed by the Reserve Bank of India to consider the differential rates of interest for selected weaker sections of society.

Increased Shipping and Transport Capacity During Fourth Plan

3454. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state the details of the additional steps proposed to be taken during the Fourth

Five Year Plan period to increase India's shipping and transport capacity in the Indian Ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah) : The Shipping services operated by Indian Lines provide for available cargoes in the region. By the end of the Fourth Plan period the total operative shipping tonnage is expected to go up from 23.91 lakhs GRT as on 1st November 1970 to 35.00 lakhs GRT. Depending upon the then availability of cargoes and requirements of trade, the necessary augmentation of services to these countries could be considered.

लाभांश घोषित न करने वाली पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां

3455. **श्री च० चु० देसाई** : क्या **समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1940 और 1950 के बीच स्थापित होने वाली उन पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अभी तक लाभांश घोषित नहीं किया है ;

(ख) क्या इन कम्पनियों द्वारा कार्य आरम्भ किये जाने के 20 वर्ष पश्चात् भी लाभांश घोषित न किये जाने के कारणों की समवाय विधि बोर्ड ने जांच की है ;

(ग) क्या इन कम्पनियों को अपना कार्य जारी रखने की अनुमति देना देश तथा कम शेयर रखने वाले अनेक व्यक्तियों के हित में है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार समवाय अधिनियम में संशोधन करने का है ताकि ऐसे समवाय को जो कार्य शुरू करने के पांच, सात अथवा दस वर्ष में लाभांश नहीं देते अनिवार्य रूप से दिवालिया घोषित कर दिया जाये अथवा इसके विकल्प में सरकार ऐसी कम्पनियों पर हानियां लगाने का विचार करेगी ताकि इस हानिकर से ऐसी कम्पनियों का अपने आप दिवाला निकल जाये ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ). कम्पनी अधिनियम में, एक कम्पनी के लाभांश घोषित न करने पर, उसकी जांच-पड़ताल कराने का प्राधिकार नहीं है। माननीय सदस्य द्वारा इच्छित सूचना के संग्रह के निमित्त, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के, 20 से 30 वर्ष तक की अवधि के, तुलन-पत्रों तथा लाभ-हानि के लेखाओं की परिनिरीक्षा की आवश्यकता होगी। इस समय के उपभोग का प्रयोग करना है। इन ऐतिहासिक आंकड़ों के संग्रह करने में व्यय किया गया समय एवं श्रम, प्राप्त किये गये परिणाम के अनुरूप नहीं होगा, क्योंकि इस अवधि में बहुत सी कम्पनियाँ परिसमापित हो चुकी होंगी। तथापि, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के गत दस वर्ष के तुलन-पत्रों का एक अध्ययन किया जायेगा।

मनीपुर के खानगाबोक और आंद्रो गांवों में हाई स्कूलों की स्थापना

3456. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार छः से दस हजार तक की जनसंख्या वाले खानगाबोक आन्द्रो गांवों के कुछ पिछड़े क्षेत्रों में हाई स्कूलों की स्थापना करने में सहायता कर रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन दो बड़े क्षेत्रों में केवल जूनियर हाई स्कूल की हैं; और

(ग) यदि हां, तो जूनियर हाई स्कूलों को हाई स्कूल बनाने के लिए मनीपुर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर में पर्यटक केन्द्र

3457. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मनीपुर में कैबुल आखेट निषिद्ध क्षेत्र तथा लोकटाक झील को पर्यटक केन्द्र बनाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) 1970 में अब तक वहां कितने पर्यटक आए हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन विभाग द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

मनीपुर के एल० पी० स्कूलों के चौकीदारों के वेतन का पुनरीक्षण

3458. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री एल० पी० स्कूल, मनीपुर के चौकीदारों का पुनरीक्षण करने के बारे में 3 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5148 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौकीदारों के वेतन के पुनरीक्षण सम्बन्धी मामले को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). मणिपुर प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विस्थापित स्वर्णकारों के लिए मनीपुर को वित्तीय सहायता

3459. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार 73 विस्थापित स्वर्णकारों को तथा उन विस्थापित स्वर्णकारों को जिन्हें प्रति व्यक्ति 1000 रुपयों से 1200 रुपयों तक का ऋण दिया जा चुका है, वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मनीपुर सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ग) क्या मनीपुर सरकार ने केन्द्र सरकार से अन्य राज्यों में ऐसे ही स्वर्णकारों को इस प्रकार जितनी सहायता दी गई है मनीपुर के विस्थापित स्वर्णकारों को भी उतनी ही सहायता देने के बारे में अतिरिक्त निधि देने की मांग की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). मणिपुर की सरकार उन 75 विस्थापित स्वर्णकारों को पुनर्वास ऋण मंजूर करने के प्रश्न की जांच कर रही है, जिन्हें अभी तक कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ है और उन 116 स्वर्णकारों को अतिरिक्त ऋण मंजूर करने के प्रश्न की भी जांच कर रही है जिन्हें पहले ऋण दिये गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

मनीपुर में समाज शिक्षा आयोजकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

3460. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि मनीपुर सरकार के अधीन (कृषि, उद्योग, सहकार, पंचायत आदि) एक्सटेंशन अफसरों के पुनरीक्षित वेतनमानों के बराबर ही समाज शिक्षा आयोजकों और महिला समाज शिक्षा आयोजकों के वेतनमानों को पुनरीक्षित किया जाये ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) एक्सटेंशन अफसरों के वेतन को 250/- से 700/- रुपया प्रति मास के पुनरीक्षण की सरकार की स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने उक्त श्रेणी के उपर्युक्त वेतनमानों के पुनरीक्षण पर विचार किया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

औद्योगिक ऋण

3461. **श्री एस० नारायण रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक ऋणों में कमी हो रही है ;

(ख) क्या औद्योगिक ऋण लेने के बाद स्पष्टतः कमी आई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). जहां तक वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेने का सम्बन्ध है, उद्योगों पर बकाया ऋणों की रकम, जो जून 1969 में 2320 करोड़ रुपये थी बढ़कर अप्रैल, 1970 में 2560 करोड़ रुपये हो गयी थी । इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋणों में से उद्योगों को दिए गए ऋणों का हिस्सा 63.8 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया ।

जहां तक अखिल भारतीय सर्वाधिक वित्तीय संस्थाओं अर्थात् औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का सम्बन्ध है, उनकी सबसे हाल की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार उनके द्वारा उद्योगों को दिए गए ऋणों और उद्योगों में किए गए निवेश की कुल रकम बढ़कर 507.49 करोड़ रुपया हो गयी है, जबकि पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार यह रकम 472.41 करोड़ रुपया थी ।

यद्यपि बैंकों और सर्वाधिक वित्तीय संस्थाओं के बारे में इसके बाद के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं, तथापि ऊपर दिए गए आंकड़ों से यह जाहिर नहीं होता कि औद्योगिक ऋणों के लिये जाने में कोई कमी नहीं हुई है ।

बम्बई के कम्बाटा एवियेशन द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

3463. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य का पता है कि कम्बाटा एवियेशन, बम्बई, विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन तथा अन्य अवैध गतिविधियों के दोषी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कम्बाटा एवियेशन को बम्बई के सांता क्रुज हवाई अड्डे पर कई एयर लाइनों के एजेंटों के रूप में कार्य करने के लिये दिए गए लाइसेंसों को वापस लेने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) मामले की सरकार के समुचित जांच अधिकारियों द्वारा छान-बीन की जा रही है ।

(ख) और (ग). जांच कार्य के पूरा हो जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी ।

वायदा व्यापार के सम्बन्ध में अन्जारिया समिति का प्रतिवेदन

3464. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शेयरों में वायदा व्यापार के सम्बन्ध में अन्जारिया समिति के प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

(ग) क्या सरकार ने स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों को इस बात का आश्वासन दे दिया है कि प्रतिवेदन पर दो महीने में विचार कर लिया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर विचार करने में देरी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). रिपोर्ट पर विचार किया गया है । शेयरों के वायदा बाजार पर लगाए गये प्रतिबन्ध को हटाने का इस समय विचार नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

मद्रास में पत्तन अधिकारियों के बीच विचार विमर्श

3465. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1967 में मद्रास में विभिन्न पत्तनों के अधिकारियों के बीच विचार विमर्श के लिये बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) बैठक के प्रत्येक अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां। बैठक 16 और 17 अगस्त, 1967 को हुई।

(ख) बैठक राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा जारी किए गए प्रश्नावली के उत्तर जो बड़े पत्तन न्यासों ने भेजना है उत्तरों पर विचार करने के लिये हुई।

(ग) जिन अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया उनके नाम तथा पद निम्न प्रकार हैं :

1. श्री वी० कार्तिकेयन अध्यक्ष, मद्रास पत्तन न्यास	दोनों दिन भाग लिया
2. श्री के० पी० के० मैनन, अध्यक्ष, कोचीन पत्तन न्यास	दोनों दिन भाग लिया
3. श्री एच० सम्वामूर्ति, अध्यक्ष, विशाखापट्टम पत्तन न्यास	यथोक्त
4. श्री एस० के० घोष, उपाध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन आयुक्त	यथोक्त
5. श्री पी० आर० सुब्रामनियम, महा- प्रबन्धक, बम्बई पत्तन न्यास	केवल 16 अगस्त को भाग लिया
6. श्री आई० वी० दास० गुप्ता, विशेष कार्य अधिकारी, बम्बई पत्तन न्यास	दोनों दिन भाग लिया
7. श्री बटुक एच० मेहता, मुख्य श्रम अधिकारी, बम्बई पत्तन न्यास	यथोक्त
8. श्री टी० के० पी० नम्बियार, सचिव, मद्रास पत्तन न्यास	यथोक्त
9. श्री आर० एन० घोसाल, सचिव, अन्तर्पत्तन परामर्श	यथोक्त
10. श्री सी० एस० आनन्द, श्रम अधिकारी, विशाखापट्टम पत्तन न्यास	यथोक्त

नाई की दुकानों के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण

3467. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नाई की दुकानों के लिये ऋण न दिए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) पिछले छः महीनों में दक्षिण कनारा जिले में सिण्डीकेट बैंक और कनारा बैंक द्वारा कितने लोगों को ऋण दिया गया ;

(ग) उक्त दो बैंकों द्वारा डाक्टरों के क्लिनिकों के लिये कितने ऋण दिए गए ; और

(घ) नाई की दुकानों तथा डाक्टरों के क्लिनिकों के लिये उसी दर पर ऋण न देने का क्या कारण है, जिस दर पर लघु उद्योगों के लिये ऋण दिया जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विज्ञापनों पर किया गया व्यय

3468. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक समेत राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विज्ञापनों पर कितना रुपया व्यय किया है ;

(ख) क्या एक भी ऐसा विज्ञापन निकाला था जिसमें पात्रता और ऋण की दरों की सूचना दी गई हो ; और

(ग) क्या विज्ञापनों में दूसरे बैंकों के ग्राहकों को आकर्षित करने के अलावा और कुछ था ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, पत्रिकाओं, स्मारिकाओं आदि पर 1969 में 16.93 लाख रुपया तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस प्रयोजनों के लिये 19 जुलाई 1969 से लेकर 31 दिसम्बर 1969 तक की अवधि में 56.36 लाख रुपया खर्च किया था ।

(ख) समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, पत्रिकाओं, स्मारिकाओं आदि में अधिकतर बैंकों की योजनाओं के बारे में सामान्य सूचना दी जाती है किन्तु अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तिकाओं, विवरणिकाओं आदि में बैंकों की विशेष जमा योजनाओं और ऋण योजनाओं की ब्यौरेवार सूचना दी जाती है जिसमें ऋणकर्ता की पात्रता तथा ऋणों पर देय ब्याज की दरों की भी सूचना होती है ।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किए जाने का उद्देश्य जनता के सामने तस्वीर रखना और नए ग्राहकों को आकर्षित करना है न कि अन्य बैंकों के ग्राहकों को तोड़ना ।

Rewards to the Informers of Incometax Evaders

3469. Shri Chandrika Prasad : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to reward persons who give information about the persons evading income-tax ;

(b) the rules framed by the Income-tax Department and the Central Board of Direct Taxes in this regard ; and

(c) the facilities extended by his Ministry to such informers and whether Government would also make arrangements for the protection of such Informers ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). A system of making ex gratia payment to informants is already in existence. Instructions have been issued that an informant may be paid a reward equal to 7½% to 10% of the extra tax actually realised directly as a result of the information furnished by the informant. The extent of the reward depends upon the nature of the information furnished, the extent of help rendered and the risk, trouble and expenses incurred by the informant.

(c) The name of the informant is kept secret and if there is benefit to revenue, as explained in reply to parts (a) and (b), the informant is given a reward.

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विशेष धन निकालने वाले अधिकारों सम्बंधी योजना के लिये भारत का अंशदान

3470. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को निरन्तर दूसरी तिमाही के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विशेष धन निकालने वाले अधिकारों सम्बन्धी योजना में से धन निकालने की बजाय उससे अंशदान के लिये चुना गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भारत ने कितना धन देना है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में भारत की क्या स्थिति है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) विशेष आहरण अधिकार योजना के अन्तर्गत 6 अक्टूबर, 1970 से चालू होने वाली अवधि के लिये चौथी नामोदिष्ट आयोजना में सम्मिलित करने के लिये जिन 28 देशों का चयन किया गया है उनमें भारत भी एक है । इन देशों से विशेष आहरण अधिकारों के बदले कुल 20 करोड़ डालर तक की परिवर्तनीय मुद्रा की व्यवस्था करने के लिये कहा जा सकता है । भारत की वर्तमान शोधन-शेष स्थिति के आधार पर उसका हिस्सा 140 लाख डालर निश्चित किया गया है । भारत ने विशेष आहरण अधिकारों के बदले पहले ही 20 लाख डालर के बराबर पौंड स्टर्लिंग की व्यवस्था कर दी है । परिवर्तनीय अवधि के बदले में प्राप्त होने वाले विशेष आहरण अधिकार हमारी प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधि के रूप में होंगे और इन अधिकारों का आवश्यकतानुसार विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये उपयोग किया जा सकता है ।

(ग) और (घ). सामान्य लेन-देनों और निकासियों के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा अवधि के प्रति भारत की 1350 लाख डालर की देनदारी है और यह समूची रकम मार्च 1971 के अन्त में वापिस कर दी जाएगी । विशेष आहरण अधिकार हमारी विदेशी प्रारक्षित निधि जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशियां हैं और इसलिये ये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को देय द्योतक नहीं है ।

कोचीन पत्तन की चैनलों और पहुंच-मार्गों की मिट्टी निकालने के लिये विश्वव्यापी टेंडर

3471. **श्री अ० कु० गोपालन :** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन की चैनलों और पहुंच-मार्गों की मिट्टी निकालने के लिये सरकार ने विश्वव्यापी टेंडर मांगें हैं ;

(ख) यदि हां, तो ठेका कितने रुपये का है ;

(ग) क्या ठेकों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(घ) कौन-सी विदेशी फर्मों को ठेका दिया गया है ; और

(ङ) क्या तलकर्षण विभाग से सरकार को इस आशय का कोई ज्ञापन अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि यदि तलकर्षक उपलब्ध कर दिए जायें तो बिना किसी विदेशी सहायता के स्वयं स्थानीय इंजीनियर और कर्मचारी इस कार्य को कर सकते हैं ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां । कोचीन पत्तन पर एक तेलमापी निर्माण से सम्बद्ध पूंजीगत विकर्षण के लिये कोचीन पत्तन न्यास ने विश्व निविदाएं आमंत्रित की हैं ।

(ख) निकर्षण पर लगभग 5.9 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है परन्तु ठीक लागत निविदाओं के प्राप्त होने तथा ठेका दिए जाने के बाद मालूम होगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) कोचीन पत्तन न्यास के निकर्षण विभाग से सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन अथवा ज्ञापन नहीं प्राप्त हुआ कि यदि निकर्षकों की व्यवस्था की जाय तो निकर्षण विभागीय तौर पर पत्तन इंजीनियरों द्वारा किया जा सकता है ।

Loans Advanced by State Bank of Indore

3472. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced by the State Bank of Indore, after bank nationalisation, for bringing about Green revolution and for the development of small scale industries ;

(b) the number of firms, institutions and persons to whom such loans have been advanced ;

(c) whether it is a fact that Government have received some complaints wherein it has been alleged that corrupt measures were adopted while advancing loans ; and

(d) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). A Statement is laid on the Table of the House.

(c) Yes, Sir.

(d) Alleged malpractices by some members of the staff at the Bank's Ujjain Branch have been taken up with the Central Bureau of Investigation. Evidence of corruption has not been found in any other case.

Statement

(Rupees in Lakhs)

Agricultural Finance	As on 30-6-69	As on 30-9-70	Increase during the period
Limits sanctioned	96.74	332.36	235.62
Outstandings	28.08	221.26	193.18
Loans to Small Scale Industries			
Limits sanctioned	357.37	553.40	196.03
Outstandings	173.15	338.33	165.18

Loans to Agriculture	As on	No. of Firms/ Institutions	No. of persons (farmers)	Total	Increased by
	30-6-69	24	1089	1113	—
	30-9-70	52	15295	15347	14234

Loans to Small Scale Industries	Number of Firms/ Institutions and persons as on		Increased by
	30-6-69	30-9-70	
	461	1094	633

Committees and Sub-Committees constituted by the Minister of Parliamentary Affairs

3473. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the Committees and sub-committees constituted by him ;

(b) the names of the committees and sub-committees constituted by the various Ministries in consultation with the Minister of Parliamentary Affairs ; and

(c) whether it is a fact that some particular persons have been nominated on the said committees and sub-committees ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) A statement showing the names of the Committees and sub-committees constituted by the Minister of Parliamentary Affairs during the year 1970 is enclosed.

(b) Whenever the Ministries desire to constitute any Committee/Board etc. and decide to nominate Members of Parliament also thereon they request the Minister of Parliamentary Affairs to nominate the required number of Members of Parliament. Such nominations of Members of Parliament on the Government Committees/Boards, etc. is a continuous process.

(c) Members are nominated on the Committees/Boards/Commissions, etc. constituted by the Government after taking into consideration the broad guidelines indicated in reply to the answer given to Unstarred Question No. 2811 dated the 14th August, 1970.

Statement

S. No.	Ministry/Department
1.	Atomic Energy
2.	Defence
3.	Education and Youth Services
4.	External Affairs
5.	Finance
6.	Food
7.	Agriculture
8.	Community Development and Co-operation
9.	Foreign Trade
10,	Health and Family Planning

S. No.	Ministry/Department
11.	Works, Housing and Urban Development
12.	Home Affairs
13.	Industrial Development and Internal Trade
14.	Information and Broadcasting
15.	Communications
16.	Irrigation and Power
17.	Labour and Employment
18.	Rehabilitation
19.	Petroleum and Chemicals
20.	Mines and Metals
21.	Planning Commission
22.	Law and Social Welfare
23.	Shipping and Transport
24.	Steel and Heavy Engineering
25.	Tourism and Civil Aviation
26.	Sub-Committee to study measures to increase export of packet Tea

इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्ट्डीज, शिमला द्वारा आयोजित विचार गोष्ठियों तथा संगोष्ठियों में भाग लेने वाले व्यक्ति

3474. **श्री विभूति मिश्र** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्ट्डीज, शिमला समय-समय पर विचार गोष्ठियों तथा संगोष्ठियों का आयोजन करता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बहुसंख्यक भाग लेने वाले प्रत्येक बार वहां होते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या जन्म से ही एक राज्य विशेष के भाग लेने वालों की संख्या सबसे अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो विचार गोष्ठियों तथा संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए निमन्त्रण-पत्र देने हेतु क्या कसौटी अपनाई जाती है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) अब तक, संस्थान द्वारा आयोजित 18 सेमिनारों में, भाग लेने वालों के विभाजन का विवरण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अनुसार जहां वे काम कर रहे थे/रह रहे थे संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**—4487/70] जन्म के राज्यों के अनुसार विवरण उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) भाग लेने वालों का चयन, ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को दृष्टि गत रख कर तथा उनकी शैक्षिक और विद्वत्ता की ख्याति तथा अनुभव के आधार पर सावधानी से किया जाता है ।

भूतपूर्व नरेशों के विदेशों में बैंक खातों का निर्धारण

3475. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में भूतपूर्व नरेशों के बैंक के लेखों की जांच तथा निर्धारण के लिए आदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो जांच के कब तक पूरा होने की संभावना है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस जांच के परिणाम की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं । इस संदर्भ में अतारांकित प्रश्न संख्या 2579 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसका उत्तर 27 नवम्बर, 1970 को दिया गया था ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उपस्थित ही नहीं होते ।

महानदी पर एक उपरिपुल का बनाया जाना

3476. **श्री अ० दीपा** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी पर (उड़ीसा में) फूलबनी तथा ढंकाना जिलों में ढालपुर से पुलेश्वर और बोधा से केकता को मिलाने वाले एक उपरिपुल बनाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव था ?

(ख) क्या उस क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को क्रियान्वित करने में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). ऊपरगामी पुल का ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि माननीय सदस्य ने स्वयं महानदी के ऊपर नियमित सड़क पुलों का प्रस्ताव रखा था, जो घेनकानल में धौलपुर से पुलेश्वर को और उड़ीसा के फूलवाणी जिलों में बोधा से कैंकाटा को जोड़ेंगे। ये दोनों पुल राज्य सड़कों पर पड़ेंगे। अत: उड़ीसा सरकार उनके सर्वेक्षण, निर्माण, इत्यादि से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य को यह स्थिति विधिवत बता दी गई थी और अनुरोध किया गया था कि वे इस मामले में राज्य सरकार से लिखा-पढ़ी करें।

मीठा पुर उर्वरक परियोजना

3477. **श्री देवेन सेन** : क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्री-मण्डल ने टाटा को मीठापुर उर्वरक परियोजना को मंजूरी के लिए पिछली जुलाई में समवाय-कार्य विभाग को भेज दिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि विभाग ने अभी परियोजना के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो निर्णय लेने में देर के क्या कारण हैं ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). जबकि, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान करने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र नहीं है, पैट्रोलियम व रसायन तथा खनिज एवं धातु मन्त्रालय (रसायन विभाग) द्वारा, कम्पनी कार्य विभाग को, टाटा कैमीकल्स लिमिटेड द्वारा मीठापुर में एक प्रस्तावित उर्वरक परियोजना की स्थापना की बाबत, 15 जुलाई, 1970 को एक निर्देश दिया गया था। यह विषय, इस मामले में अधिनियम के लागूकरण की बाबत, कुछ कानूनी पक्षों की राय के लिए, विधि मंत्रालय को निर्देशित किया गया है।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजपथों को चौड़ा करना

3478. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में राष्ट्रीय राजपथों को चौड़ा करने की मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो जिन राजपथों को चौड़ा किया जाना है, उनके नाम क्या-क्या हैं ;

(ग) इस कार्य के लिए कितना धन नियत किया गया है ; और

(घ) इन राजपथों पर काम कब आरम्भ किया जायेगा ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां, राष्ट्रीय राजमार्गों के निम्नलिखित भागों को चौड़ा करने के लिए अब तक मंजूरी दी गई है :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 12 के जयपुर-आगरा भाग के 23 मील;और

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 के शाहपुरा-हरियाणा सीमान्त भाग के 63 मील ।

(क) इन निर्माण कार्यों पर 115·35 लाख रु० लागत आने का अनुमान है । आशा की जाती है कि चालू वित्तीय वर्ष में 8·0 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी ।

(ख) इन निर्माण कार्यों के जनवरी 1971 के मध्य तक शुरू किए जाने की संभावना है ।

रायसीना पब्लिकेशन्ज लिमिटेड और युनाइटिड इण्डिया पीरिआडिकल्स लिमिटेड के निदेशक बोर्ड

3479. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायसीना पब्लिकेशन्ज लिमिटेड और यूनाइटिड इण्डिया पीरिआडिकल्स लिमिटेड (पैट्रिआट और लिंक के प्रकाशक) के निदेशकों के बोर्डों का हाल ही में पुन: गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों कम्पनियों के निदेशकों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या यह सभी निदेशक हिस्सेदार हैं ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) रायसीना पब्लिकेशन्स लिमिटेड ने, निदेशक मंडल की बैठक में, इसके चार कर्मचारियों को, कम्पनी के कार्यकारी निदेशकों के पद पर उस तिथि से नियुक्ति का एक संकल्प पारित किया था, जिससे कि यह प्रस्ताव कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिए जाएं । इन प्रस्तावों के अनुमोदनार्थ, कम्पनी से प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो गया है व परीक्षान्तर्गत है । यूनाइटेड इण्डिया पीरिआडिकल्स (प्रा०) लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है, एवं इसके निदेशक मंडल के गठन में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए, कम्पनी विधि बोर्ड के अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होती ।

(ख) इन दोनों कम्पनियों के निदेशकों के नाम निम्न प्रकार हैं :

रायसीना पब्लिकेशन्स लिमिटेड

1. श्री एडाटाटा नारायणन, नई दिल्ली

2. श्रीमती अरुणा आसफअली, नई दिल्ली

3. श्री रिपु दमन भगत, कलकत्ता

4. श्री एम० एन० नागभूषणन, विजयवाड़ा-2

5. श्री पी० विश्वनाथ, नई दिल्ली ।

यूनाइटेड इण्डिया पीरिआडिकल्स प्रा० लि०

1. श्री एडाटाटा नारायणन, नई दिल्ली,

2. श्रीमती अरुणा आसफ अली, नई दिल्ली

3. श्रीमती ज्ञान पटनायक, नई दिल्ली

4. श्री रिपु दमन भगत, कलकत्ता

5. श्री एम० एन० नागभूषणन, विजयवाड़ा-2,

6. श्री पी० विश्वनाथ, नई दिल्ली

(ग) ऊपर कथित निदेशक, जिस कम्पनी के निदेशक हैं, उसके हिस्सेधारी भी हैं ।

मिश्रित अर्थव्यवस्था

3480. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 अक्तूबर, 1970 को इलाहाबाद में दिए गए उनके भाषण तथा 10 अक्तूबर, 1970 के 'फाइनेन्शियल एक्सप्रैस' में उस पर प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि उन्होंने बताया है कि देश में आर्थिक विषमता का मूल कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था है ।

(ख) क्या उन्हें पता है कि उनके उपर्युक्त विचारों का सरकार की नीति से स्पष्ट विरोध है ; और

(ग) यदि उनके आशय को सही रूप से उद्धृत नहीं किया गया तो क्या सभा के समक्ष वह अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). भाषण के मध्य यह स्पष्ट किया गया था, कि कैसे महलानोबिस समिति तथा एकाधिकार जांच आयोग द्वारा संकेतिक परिणामों के साथ मिश्रित अर्थ-व्यवस्था प्रणाली विकसित एवं क्रियाशील हुई ।

बोम्बे कम्पनी लि० के प्रबन्ध निदेशक द्वारा सीमा शुल्क का अपवंचन

3481. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 अगस्त, 1969 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार एक ब्रिटिश कम्पनी, अर्थात्, बोम्बे कम्पनी लि० के प्रबन्ध निदेशक श्री बांड को, जो ब्रिटेन का राष्ट्रजन है, सीमा शुल्क के जालसाजी से अपवंचन करने तथा अन्य अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) क्या यह बोम्बे कम्पनी 31 मार्च, 1969 को दियालिया होने तक मालाबार तट के पत्तनों के लिए इण्डियन शिपिंग कम्पनी की एजेन्सी कार्य करती रही थी ;

(ग) क्या यह सच है कि मालाबार पत्तन के लिए इण्डियन स्टीम कम्पनी की एजेन्सी बोम्बे बर्मा ट्रेडिंग कारपोरेशन को दी गई थी जो बोम्बे ट्रेडिंग कम्पनी की सह-कम्पनी है तथा उसी इमारत में है तथा उसके कर्मचारी भी वही हैं और जो श्री बांड के मार्ग निर्देशन में काम कर रही है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन परिस्थितियों की जांच करने का है जिनमें इण्डियन शिपिंग कम्पनी की एजेन्सी मालाबारतट के पत्तनों के लिए ब्रिटिश कम्पनी को दी गई है ?

संसद-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) बंबई कम्पनी (प्राइवेट) लि० के प्रबन्ध निदेशक श्री डी० ए० बांड को बम्बई में सीमा शुल्क प्राधिकरण ने 25-8-1969 को गिरफ्तार किया गया था ।

(ख) और (ग). "इण्डियन शिपिंग कम्पनी" तथा "इण्डिया स्टीम कम्पनी" के नाम की कोई जहाजी कम्पनियां नहीं हैं । अतः अन्य उठाये गए मामले का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों की कार्यवाहियों की रिपोर्ट

3482. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **संसद कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों की कार्यवाही के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में अक्सर छपने वाली गलत और भ्रामक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ;

(ख) प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा इस सम्बन्ध में समाचारपत्रों को वितरित किए जाने वाले हैंडआउट का यदि कोई आधार है तो क्या है, जबकि कार्यवाही के कोई नोट नहीं लिये गये हैं ;

(ग) क्या ऐसी बैठकों के बाद किसी अधिकारिक व्यक्ति द्वारा संवाददाताओं को सूचना दी जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों के नामों का उल्लेख करने में किसी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने और कम से कम कुछ परिशुद्धता को निश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामय्या) : (क) से (घ). विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की सलाहकार समितियों के गठन तथा कार्यकरण नियमित करने के लिए निर्देशकों के पेरा 7 के अनुसार बैठकों में चर्चा के संक्षित रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अणुऊर्जा विभाग को छोड़कर, तत्सम्बन्धी समिति के सदस्यों को परिचालित कर दिए जाते हैं ।

सलाहकार समिति की बैठकों की कार्रवाई के बारे में प्रेस को सूचना देने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है । इस विषय को समिति के चेयरमैन महोदय की इच्छा पर छोड़ दिया गया है ।

Aid for opening Flying Clubs in D.M.C. Primary Schools

3483. Shri Arjun Singh Bhadoria: Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the amount of assistance proposed to be given by Central Government for opening Flying Clubs in the Primary Schools of the Delhi Municipal Corporation ; and

(b) the number of such clubs proposed to be opened in Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b). The Delhi Municipal Corporation is not aware of any scheme to open flying clubs in the primary schools of the corporation. The Central Government also do not have any proposal to give financial assistance for the purpose.

Entry Fee at Qutab Minar, Delhi

3484. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether Government propose to abolish the entry fee of 50 paise per head charged for climbing the Qutab Minar ; and

(b) the amount received as entry fee during 1968-69 ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir.

(b) Rs. 82,115.80.

Grants for Construction of "Urdu Ghar" in Delhi

3485. Shri Ram Singh Agarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a grant amounting to several lakhs of rupees has been sanctioned for constructing a "Urdu Ghar" in Delhi ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the amount of such assistance given in respect of other languages and the names of places for which it was utilized ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). It has been decided in principle to render financial assistance to the Anjuman Taraqqi-Urdu Hind, Aligarh, for the construction of "Urdu Ghar" at Delhi to the extent of 50% of the cost of construction or Rs. 4 lakhs whichever is less. The grant will be subject to the condition that the Anjuman shall provide free of rent suitable and adequate office accommodation in the Urdu Ghar for the Taraqqi-e-Urdu Board which has been set up by this Ministry for the production of books and other literature in Urdu.

(c) A statement showing he amount of assistance given to various voluntary organisations dealing with development and propagation of languages during the last five years is attached.

Statement

	Name of the Organisation	Amount of building grant sanctioned Rs.
	1	2
1.	Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Parchar Samiti, Bhopal.	20,000
2.	Hindi Maha Vidyalaya Samiti, (Hindi Arts College, Hyderabad).	1,85,000
3.	Assam Rashtra Bhasha Prachar Samiti, Gauhati.	45,000
4.	Manipur Hindi Parishad, Manipur.	10,000

1		2
5.	Mysore Riyasat Hindi Prachar Samiti, Bangalore.	40,000
6.	Swami Sahijanand Sanskrit High School Pandeypatty, Buxer, Sahabad (Bihar).	3,000
7.	Shri Arvindo Society, Pondicherry.	10,000
8.	Gurukul, Jhajjar (Haryana).	5,000
9.	The Madhya Navgong Sanskrit Tol. Uriagang, P.O.Dt. Nowgong, (Assam).	1,000
10.	Sh. Kedarnath Mahavidyalaya, Bhoditpur, District, Chammoli, Uttar Pradesh.	4,000
11.	Ganganath Jha Research Institute, Allahabad (Uttar Pradesh).	20,000
12.	A proposal to give a non-recurring grant of approximately Rupees five lakhs to Bharati Sangam, New Delhi for construction of auditorium, Seminar Hall, etc. has also been finalised.	

दिल्ली परिवहन की वित्तीय स्थिति

3486. **श्री अदिचन** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जुलाई, 1970 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार के अनुसार दिल्ली परिवहन उपक्रम की वित्तीय स्थिति बहुत नाजुक है ;

(ख) यदि हां, तो यह स्थिति किन कारणों से हुई है ; और

(ग) उपक्रम को लाभदायक तथा कुशल बनाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) यह सच है कि दिल्ली परिवहन की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है। उपक्रम को 31-3-1970 को 859.49 लाख रु० का संचित घाटा हुआ है। उसी तारीख की देयताओं (जिसमें केन्द्रीय सरकार को दिए जाने वाले ऋण की किस्त देयतायें तथा ब्याज की राशि भी शामिल है) की राशि 751.36 लाख रु० है।

(ख) दिल्ली परिवहन उपक्रम की वर्तमान वित्तीय स्थिति के लिए निम्न लिखित कारण हैं ;

(1) कुछ वर्षों से परिचालन की लागत में वृद्धि ।

(2) पुरानी बसों को बदला न जाना, तथा

(3) घाटे वाला किराया ढांचा ।

(ग) सरकार ने 25-3-70 को दिल्ली परिवहन उपक्रम को 130 लाख रु० का ऋण दिया था जिसका उपयोग 50 एक मंजिली तथा 50 दो मंजिली बसों को प्राप्त करने के लिए किया गया । सुपुर्दगी कार्य प्रगति पर है और दिसम्बर, 1970 तक पूरा हो जायेगा । दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसें खरीदने के लिए 1970-71 के केन्द्रीय सरकार के बजट में 200 लाख रु० के ऋण की सहायता की व्यवस्था की गई है । तदनुसार उपक्रम ने 130 बसों (30 दो मंजिली तथा 100 एक मंजिला) के क्रयादेश दे दिए हैं जिनके फरवरी 1971 के अन्त तक सड़क पर आने की संभावना है । उपक्रम को एक करोड़ रु० का और ऋण तुरन्त दिया जा रहा है जिससे उपक्रम एक सौ अतिरिक्त बसें खरीद सकेगा ।

कोचीन पत्तन न्यास में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का आरक्षण

3487. **श्री अदिचन :** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कोचीन पत्तन न्यास में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए किन पदों तथा श्रेणियों में आरक्षण थे ;

(ख) क्या इन पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यार्थियों को भरती किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-4438/70**]

खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए एक संगठन की स्थापना

3488. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में युवकों में खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नया संगठन स्थापित करने के बारे में विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह कब तक चालू हो जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रा० की० अमीन अनुपस्थित हैं, श्री नाथ पाई ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत के मानचित्रों को शुद्ध करने के लिए सोवियत संघ का प्रतिरोध

श्री नाथपाई (दानापुर) : श्रीमान, मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

"बृहत विश्व कोष के दूसरे खण्ड में भारत के मानचित्रों को शुद्ध करने के लिए सोवियत संघ का कथित प्रतिरोध तथा उसके द्वारा उक्त मानचित्रों में नेफा को लगातार साम्यवादी चीन का भाग दिखाया जाना ।"

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : बृहत् सोवियत विश्वकोष का जो प्रथम खण्ड इस वर्ष अप्रैल-मई में प्रकाशित हुआ था उसमें एशिया के राजनीतिक मानचित्र में भारत की चीन से लगने वाली उत्तरी सीमाओं को एक अक्षत रेखा से दिखाया गया था, जिसका अर्थ है कि ये सीमाएं सुनिश्चित और सीमांकित हैं ।

किन्तु इसी वर्ष अक्तूबर में इस रचना का जो द्वितीय खण्ड प्रकाशित हुआ उसमें पश्चिमी क्षेत्र में भारत और चीन के बीच की सीमाओं को स्पष्टतः खंडित अथवा बिन्दु वाली रेखाओं से दिखाया गया था, जिसका अर्थ है कि इस सीमा को निश्चित नहीं समझा जाता ।

लगभग इसी समय प्रकाशित एटलस 'मीरा' के लघु संस्करण में भी समस्त भारत-चीन सीमाओं को बिन्दुओं वाली अथवा टूटी हुई रेखाओं से ही दिखाया गया है ।

यहां तक तो सोवियत संघ की स्थिति में कुछ सुधार दृष्टिगोचर हुआ है, लेकिन हमारी दृष्टि से यह कोई बहुत संतोषजनक नहीं है । हम सोवियत प्राधिकारियों से बराबर इस बात के

लिए जोर देते रहे हैं कि वे हमारे विचारों को ध्यान में रखें और अपने मानचित्रों में गलतियों को और ठीक करें।

जैसा कि मैंने इसी अधिवेशन में 9 नवम्बर को सदन में बताया था, नई दिल्ली स्थित सोवियत राजदूत ने हमें यह आश्वासन दिया है कि सोवियत संघ भारत का एक नया मानचित्र प्रकाशित करने का विचार कर रहा है। सरकार आशा करती है कि इस नये मानचित्र में हमारे दृष्टिकोण पर और अच्छी तरह ध्यान रखा जाएगा।

श्री नाथ पाई : वैदेशिक कार्य मन्त्री महोदय ने इस वर्ष 3 सितम्बर को सभा में यह आश्वासन दिया था कि हम सभी सर्वसम्मति से इस बात से सहमत हैं कि भारत-चीन सीमा का गलत दिखाया जाना हमारे हितों के विरुद्ध है अतएव हम सभी चाहते हैं कि इसको ठीक किया जाए। इस सत्र के 9 नवम्बर के एक प्रश्न के उत्तर में "कि क्या रूस ने अपने उन मानचित्रों को शुद्ध करने से इन्कार कर दिया है जिसमें भारत की उत्तरी सीमा चीनी प्रदेश के रूप में दिखायी गयी है" मन्त्री महोदय ने नकारात्मक उत्तर दिया है। प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मन्त्री महोदय ने बताया कि रूस ने हमें आश्वासन दिया है कि वे अभ्यावेदनों पर समुचित विचार करेंगे, हो सकता है कि यह उत्तर अनजाने में दिया गया है परन्तु मंत्री महोदय सभा को गुमराह करने के दोषी हैं। मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा है कि बृहत् सोवियत विश्वकोष के दूसरे संस्करण में भारत और चीन के बीच पश्चिमी क्षेत्र की सीमाओं को खण्डित रेखा में दिखाया गया है जिसका यह अर्थ है कि दोनों देशों के बीच सीमाएं निश्चित नहीं हैं।

सीमाओं को खंडित रूप में दिखाये जाने का कार्य हाल ही में भारत सरकार द्वारा अभ्यावेदन देने के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह वैदेशिक कार्य मन्त्री की कोई महान उपलब्धि नहीं है। 1967 के मानचित्र में भी भारत-पाकिस्तान के बीच सीमा को बिन्दु वाली रेखा में दिखाया गया है। यह दावा दिया गया है कि चूंकि वर्ष 1970 के मानचित्र में बिन्दु वाली रेखा दिखाई गई है अतएव यह हमारी उपलब्धि है। मेरे लिए यह भारी मानचित्र यहाँ लाना सम्भव नहीं है परन्तु आप आश्वस्त होने के लिए उसे देख सकते हैं।

यह कहा गया है कि अक्षत रेखा निश्चित सीमा बताती है और बिंदु वाली रेखा अनिश्चित सीमा बनाती है। इस बात के गम्भीरतम पहलू की जान-बूझ कर उपेक्षा की गई है, यहां तक कि रूसी मानचित्र में बिन्दु वाली रेखा चीनी दावे की ओर संकेत करती हैं। ये बिन्दु वाली रेखाएं रूसी सरकारी मानचित्र में 1955 से प्रकाशित हो रही हैं।

रूस ने 1955 में मानचित्र की एक प्रति तत्कालीन राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद को दी थी। अक्तूबर 1956 में भारत सरकार ने रूस को एक ज्ञापन दिया जिसमें उनका इस ओर ध्यान दिलाया गया। भारत सरकार ने अब तक रूस को इस सम्बन्ध में चार ज्ञापन और एक विरोध पत्र दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन 15 वर्षों में रूस ने कभी लिखित रूप में उनका उत्तर दिया है, यदि हाँ, तो हम उसकी एक प्रति चाहते हैं। यह मेरा पहला प्रश्न है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मेरा सोचना सही है कि ये बिन्दु वाली रेखाएं अन्य कई अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के संबन्ध में भी हैं? भारत सरकार की बिन्दु वाली रेखा प्राप्त करना

कोई उपलब्धि नहीं है यह तो 1967 से रूसी मानचित्र में प्रकाशित होती हैं । तीसरा, क्या ये बिन्दु वाली रेखायें चीनी दावे का संकेत नहीं देती हैं ।

मैं जान सकता हूँ कि क्या भारत सरकार ने यह जानने के लिए सुचारु रूप से अध्ययन किया है कि अन्य देश अपने सरकारी मानचित्रों में भारत द्वारा निर्धारित सीमा को दिखाते हैं ? क्या सरकार ने यह जानने का अध्ययन किया है कि कौन-कौन से देश भारतीय सीमा को स्वीकार करते हैं और कौन इसको अस्वीकार करते हैं ? क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि भारत की ठीक-ठीक सीमा क्या है ? क्या वे मेरे साथ इस बात पर सहमत होंगे कि इस प्रकार हमारी सीमाओं को स्वीकार करने वाले हमारे मित्र देश होंगे अन्यथा शत्रु देश ? क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र के मानचित्र में अकसिन चिन, नेफा तथा मैकमोहन रेखा को भारत और चीन की सीमा दिखाया गया है ?

क्या रूस संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य और भारत का मित्र होने के नाते संयुक्त राष्ट्र के मानचित्रों का अनुकरण नहीं करता ? क्या रूस द्वारा उत्तर न देना तथा मानचित्रों को शुद्ध न करना यह बताता है कि वह हमारे दावों और विरोधों को गम्भीरता से नहीं ले रहा है ? यदि हां, तो इस कठिन स्थिति का सुधार किस प्रकार किया जायेगा ? वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के एक अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया था कि हाल ही में वैदेशिक सचिव की रूस यात्रा के दौरान उनको दिखाए गए रूसी मानचित्रों के प्रति भारत सरकार का विरोध नहीं है । जब भारत सरकार बिन्दु वाली रेखा के प्रति यह दृष्टिकोण अपनाती है तो इसका यह तात्पर्य है कि चीनी दावा सही है तथा हमारा यह कहना निरर्थक है कि चीन हम पर आक्रमण के लिए दोषी है ? मैं जान सकता हूँ कि वे विरोध कब किए गए थे ? क्या इसको शुद्ध करने के लिए 15 वर्ष लगेंगे ? क्या मानचित्रों को गलत दिखाना यह नहीं बताता है कि वे हमारी प्रादेशिक अखंडता की पूर्णतया उपेक्षा कर रहे हैं ? मेरे विचार में सरकार ने यह उत्तर दिया था कि वह भी इस बारे में चिन्तित है, यदि हां, तो अब सरकार यह क्यों कहती है कि रूस द्वारा इस समय मानचित्रों को दिखाए जाने में कुछ सुधार है ? मुझे आशा है कि वह मेरी बातों पर विचार करेगी तथा इस मामले में सभा को बतायेगी ।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने मेरे 9 नवम्बर के उत्तर का पूरा पाठ नहीं पढ़ा है, उन्होंने केवल पहला वाक्य पढ़ा है । इसको मैं पूरा करूंगा । प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मैंने यह कहा था कि रूसी सरकार ने हमारे अभ्यावेदनों पर विचार करने का आश्वासन दिया था । उन्होंने दिल्ली स्थित अपने राजदूत द्वारा यह सूचित किया था कि वे शीघ्र ही एक नया मानचित्र प्रकाशित कर रहे हैं जिसमें चीन-भारत की सीमा को अनिश्चित सीमा बताया जायेगा । मैंने 9 नवम्बर को यह उत्तर दिया था तथा मैं इस पर दृढ़ हूँ । मानचित्रों के प्रकाशन होने के बाद उन्होंने यह आश्वासन दिया था । इस आश्वासन को खण्डन करना.....

श्री नाथ पाई : मैंने इसका खण्डन नहीं किया है । मैंने कहा था कि उन्होंने अपने पहले के उत्तर में भी ऐसा कहा था । मैंने इसका खंडन नहीं किया था ।

श्री स्वर्ण सिंह : नौ नवम्बर के उत्तर में मैंने कहा था कि रूस की सरकार ने नई दिल्ली स्थित अपने राजदूत द्वारा यह आश्वासन दिया था कि वे नया मानचित्र प्रकाशित कर रहे हैं तथा

पहले वाले मानचित्रों पर विचार करने से कोई लाभ नहीं है जो कि इस आश्वासन के पूर्व प्रकाशित हुए थे।

श्री नाथपाई : यह एक ऐसा मामला है जो कि गलत समझा जा रहा है अथवा गलत ढंग से बताया जा रहा है। इस प्रकार यह सभा सही मामले की सत्यता को कभी न जान पायेगी। उनका कहना है कि अक्तूबर 1970 से पूर्व के मानचित्रों में अक्षत रेखा दिखाई गई है। मैं इसे गलत कहता हूँ। मेरे पास 1970 से पूर्व मानचित्र का बृहत् कोष है तथा इसमें भी बिन्दु वाली रेखा दिखाई गई है। यह कहना गलत है कि वर्तमान मानचित्र में बिन्दु वाली रेखा दिखाई गई है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री नाथ पाई : उन्होंने सभा को गुमराह किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुख्य बात यह है कि माननीय सदस्य ने मेरा 9 नवम्बर का उत्तर पढ़ कर सुनाया है। अब उनका कहना है कि मेरा आज का वक्तव्य भी ठीक नहीं है। आज मैंने दूसरे पैरा में कहा है कि अक्तूबर 1970 में प्रकाशित मानचित्र में पश्चिमी क्षेत्र में भारत और चीन की सीमा को खंडित रेखा में दिखाया गया है जिसका तात्पर्य यह है कि सीमा निश्चित नहीं है, मैं अपने इस वक्तव्य पर दृढ़ हूँ। यह सही है।

श्री नाथ पाई : मेरे पास 1967 का मानचित्र है जिसमें बिन्दु वाली रेखा दिखाई गई है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने 9 नवम्बर को दिए गए उत्तर का उद्धरण दिया है। वह वक्तव्य बिल्कुल सही है। आज मैंने जो कहा है वह भी सही है। दूसरे संस्करण में पश्चिमी क्षेत्र में जो सीमाएं दिखाई गई हैं वे खंडित रूप में हैं।

श्री नाथ पाई : वक्तव्य के चौथे पैरा में कहा गया है कि "इस सीमा तक कुछ सुधार किया गया है।"

श्री स्वर्ण सिंह : इसमें सुधार किया गया है। इन सभी मानचित्रों में कई पृष्ठ हैं तथा यहां विभिन्न प्रकार के मानचित्र हैं। इस प्रश्नोत्तर काल में सारा ब्यौरा देना कठिन है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह सभा मन्त्री महोदय से इस बारे में जानना चाहती है कि बिन्दु वाली रेखा को पूर्व स्थिति की अपेक्षा सुधार कैसे कहा जा सकता है। मन्त्री महोदय इसको स्पष्ट करें।

श्री स्वर्ण सिंह : इस मामले पर विस्तार से विचार किया गया था। मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि यहाँ सर्वसम्मति से व्यक्त किए विचारों से हम इस मामले को रूस के पास उठाने में समर्थ हो सकेंगे, इसका अच्छा परिणाम निकला क्योंकि उनकी सरकार ने अपने राजदूत द्वारा हमें यह आश्वासन दिया है कि वे एक नया मानचित्र निकाल रहे हैं। हमारी यह ठोस उपलब्धि है। जिन मानचित्रों की यहाँ चर्चा की जा रही है वे आश्वासन देने के पूर्व के हैं। मैंने इसके बारे में जांच

की थी और यह पाया था कि इन मानचित्र की मूल सामग्री मुद्रण के लिए इस वर्ष के अप्रैल में गई थी तथा हमें आश्वासन 8 नवम्बर को दिया गया था और मैंने 9 नवम्बर को वक्तव्य दिया था। चूंकि यह सामग्री मुद्रण के लिए अप्रैल के महीने में गई थी इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वह इसमें नहीं है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि इसमें कुछ सुधार हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह सुधार क्या किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि ये मानचित्र पहले के हैं। उन्होंने सभा को आश्वासन 9 नवम्बर को दिया था कि इन मानचित्रों में शुद्धि की जाएगी। ये उस तिथि से पूर्व मुद्रित हुए थे।

श्री नाथ पाई : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के पुस्तकालय में रखे हुए विश्वकोष ग्रन्थ में इन बिंदु वाली रेखा को दिखाया गया है या नहीं ? दूसरी बात, ये बिंदु वाली रेखा कोई नई बात नहीं है, यह तो हमेशा वहां रही है। यदि वे इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो कम से कम वे मेरे विशिष्ट प्रश्न का उत्तर दें।

श्री स्वर्ण सिंह : मुख्य बात यह है कि 8 नवम्बर को रूस की सरकार ने अपने राजदूत द्वारा हमें आश्वासन दिया था कि वे एक नया मानचित्र निकालेंगे, मेरे विचार में मैंने 9 नवम्बर को यह वक्तव्य दे दिया था। यदि वे यह कहना चाहें कि पहले के मानचित्रों में इस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है तो वे ऐसा कह सकते हैं। मुझे स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि वे नया मानचित्र निकालेंगे। यदि उन्होंने हमें संतुष्ट कर दिया है तो इस मामले को गम्भीर रूप से उठाने में कोई तुक नहीं है। महत्त्व की बात केवल यह है कि रूस की सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वे एक नया मानचित्र निकालेंगे। मुझे इस बात से कोई संबन्ध नहीं है कि मानचित्रों में क्या दिखाया गया है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री नाथ पाई ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है जिसका मन्त्री महोदय ने उत्तर देने से इन्कार कर दिया है। सम्भवतः उनके विचार में आश्वासन भी "सुधार" है। परन्तु अन्य विशिष्ट प्रश्न का क्या उत्तर है ?

श्री नाथ पाई : क्या कोई लिखित उत्तर दिए गया है ? हमारे विचार में इस सम्बन्ध में हमने चार ज्ञापन तथा दो विरोध-पत्र भेजे हैं। क्या सरकार को इन सभी का लिखित उत्तर मिला है ? हमने कितने ज्ञापन और विरोध-पत्र भेजे हैं ? यह पहला प्रश्न है।

श्री स्वर्ण सिंह : मेरा इसका उत्तर नकारात्मक है।

श्री नाथ पाई : क्या बिंदु वाली रेखा चीन के दावे को बताती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : बिंदु वाली रेखा हमारे काम की नहीं है अतएव हम इसको परिवर्तित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। मैं इस ब्यौरे में नहीं जाऊंगा कि यह क्या संकेत करती है। हमें आशा है कि नया मानचित्र हमारी आवश्यकता को पूरा करेगा।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम): प्रश्न यह है कि क्या बिंदु वाली रेखा चीनी दावे को बताती है ? यह प्रश्न पूछा गया था परन्तु इसका कोई उत्तर नहीं आया है ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने सितम्बर में इस सभा के समक्ष यह स्पष्ट रूप से कहा था कि रूस के मानचित्रों में चीनी रेखा दिखाई गई थी यथा स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में चीनी रेखा दिखाई गई थी तो बाद में उन्होंने इसमें सुधार करके इसे बिन्दु वाली रेखा के रूप में दिखाया जिसका तात्पर्य है कि यह सीमा निश्चित नहीं की गई है ।

श्री नाथ पाई : क्या सरकार ने यह जानने के लिए सुचारु रूप से अध्ययन किया है कि कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने सरकारी मानचित्रों में हमारी सीमाओं के बारे में भारत की स्थिति को दिखाया है तथा किन देशों ने इसे विवादग्रस्त माना है ।

श्री स्वर्ण सिंह : हमने हाल ही में अपने मिशनों को लिखा है तथा वहां से उत्तर प्राप्त हो रहे हैं । मेरे पास अभी इसकी स्पष्ट तस्वीर नहीं है ।

श्री नाथ पाई : भारत की ठीक-ठीक सीमा क्या है तथा कौन-कौन से देश इसको स्वीकार करते हैं । मैं भारतीय प्रदेश का सही वर्ग मील क्षेत्र जानना चाहता हूँ । संयुक्त राष्ट्र ने मानचित्र प्रकाशित किये हैं जिसमें काश्मीर को छोड़कर हमारी सीमाओं को मान्यता दी गई है । रूस इसका अनुसरण क्यों नहीं करता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : भारत का क्षेत्र तथा संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों में इसके उल्लेख के बारे में यहां चर्चा हुई थी । इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । जहां तक अन्य देशों के मानचित्रों में भारत की निर्धारित सीमा दिखाने का प्रश्न है वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

Shri Deven Sen (Asansol) : Any country can show Indian territory in their own way and our Government is unable to protect it. In the first para of the statement it has been stated that northern boundaries with China with a firm line implies the boundaries as definite and delimited. But in the second para it says that in the second volume of the same work which appeared later this year about October 1970, boundaries between India and China in the Western Sector were clearly shown with broken or interrupted lines. Since our President and Prime Minister visited Soviet Russia and had talks with their Government but they have not given any attention therein. So we do not believe easily when our Hon. Minister say that Soviet Russia will issue a new map. We fear that Soviet Russia has decided to favour China in the matter of boundary. The Hon. Minister has stated that the dotted line is some improvement over the Firm line. I want to know how they say so. We would like that a statement issued on behalf of U.S.S.R. should be placed on the Table of the House, otherwise we will think that this statement has been put to cheat the Members of Parliament.

श्री स्वर्ण सिंह : अपने पूरे भाषण में सदस्य महोदय ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या बिन्दु-कित रेखा गहरी रेखा के मुकाबले में अधिक सुधार है । अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के अनुसार यह एक सुधार है क्योंकि बिन्दुकित रेखा यह संकेत करती है कि बिन्दुओं से चित्रित सीमा विवादग्रस्त है । इस दृष्टि से यह सुधार अवश्य है । जहां तक यह संदेह करने का सम्बन्ध है कि रूस अपने

आश्वासन को पूरा नहीं करेगा । किन्तु हम किसी देश की सरकार की बात पर संदेह की बजाय विश्वास ही करते हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Mr. Speaker, after hearing hon. Minister I am of the firm opinion that Government have totally failed to get any improvement in maps in which India's boundary has been wrongly depicted during last 15 years. In this respect Government are deliberately suppressing the facts. They are highlighting Russia for the map in which there is no improvement. The Minister might have clearly said that the dotted is favourable to China. Why did he not say like this ? I think the Minister is acting as stooge of Russian Government. You have sent a number of protest notes to Russia, but Russia never replied in writing. Is there any conspiracy behind ? Is it a fact that Russia wants to please China at India's cost. The Minister has used 'more fully' in his statement. I would like to know what it means. Lastly, I would like to know whether Government will put a ban on November issue of encyclopaedia like one banned earlier.

श्री स्वर्ण सिंह : क्या माननीय सदस्य के लिए यह उचित था कि वह 'स्टूज' (कठपुतली) शब्द का मेरे लिए प्रयोग करे । यदि मैं भी उनके लिए इसी शब्द का प्रयोग करूं तो वह शायद बुरा मानेंगे । उन्हें थोड़ी जिम्मेदारी का अनुभव करते हुए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : मुझे खेद है उन्हें यह शब्द प्रयोग में नहीं लाना चाहिए था । (**अन्तर्बाधायें**)

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमान, मेरे पास जो संगत जानकारी थी, वह मैंने अपने वक्तव्य में दे दी है । जो बात वक्तव्य में है ही, उसके बारे में मैं क्या करूं ? जहां तक रूस द्वारा लिखित में उत्तर न दिए जाने की बात है मैंने यह माना है कि वहां से लिखित उत्तर नहीं आया । किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा में कुछ निर्णय राजनयिक के माध्यम से संप्रेषित कर दिए जाते हैं । इस पर चिन्तित होने की कोई आवश्यकता नहीं है । जहां तक 'अधिकांशतः' (मोर फुली) शब्द का सम्बन्ध है उससे तात्पर्य यह है कि उन्होंने इस बार अपने नक्शे में हमारी सीमा को स्थिर के बजाय विवादग्रस्त दिखाया है । हम आशा करते हैं अपने अगले नक्शे में वे हमारी बात को और अधिक मानेंगे । समझ में नहीं आता कि श्री कंवरलाल गुप्त इस शब्द को इतना अधिक महत्त्व क्यों दे रहे हैं ।

जहां तक यह प्रश्न है कि क्या अन्य पूर्व यूरोपीय देशों ने भी रूस का अनुसरण करते हुए अपने यहां से प्रकाशित चित्रों में भारतीय सीमा को उसी भांति चित्रित किया है जैसे रूसी नक्शों में है । वस्तुतः बात यह है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, कि यह स्वतंत्रता-पूर्व की स्थिति है जबकि रूस ने भारत की सीमा के सम्बन्ध में ब्रिटेन के पक्ष की तुलना में चीनी पक्ष को स्वीकार कर लिया था । तभी से यह स्थिति चली आ रही है । उस समय ब्रिटेन द्वारा शासित भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा मान ली गई थी कुछ अन्य देशों ने भी उसे मान लिया । इसमें रूस का अनुसरण करने का कोई प्रश्न ही नहीं है । हमारी यह सुविचारित नीति है कि हम अमरीका, रूस तथा अन्य सभी देशों तथा बड़ी शक्तियों से मित्रता बनाये रखना चाहते हैं । साथ ही मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि रूस ने कुछ आधारभूत आर्थिक तथा प्रतिरक्षा और जम्मू तथा काश्मीर जैसे राजनीतिक मामलों में भारत का समर्थन किया है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

संसद कार्य और पोत-परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 16 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत पोत परिवहन विकास निधि समिति के वर्ष 1968-69 के प्रतिवेदन की एक प्रति तथा प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4480/70]**

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आर० के० गणेश) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से सरकारी उपक्रमों में जनसम्पर्क तथा प्रचार सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या 4481/70]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि 17 नवम्बर, 1970 को लोक-सभा द्वारा पास किए कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1970 के सम्बन्ध में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-काय और पोत-परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं आज सभा में घोषणा करता हूँ कि सोमवार, 7 दिसम्बर, 1970 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा—

(1) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद विधेयक, 1970, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में **(आगे विचार तथा पास करना)**

(2) वर्ष 1968-69 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(3) वर्ष 1970-71 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(4) वर्ष 1968-69 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान।

(5) वर्ष 1970-71 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान ।

(6) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 में रूपभेद करने के प्रस्तावों पर विचार ।

(7) समाचार-पत्र वित्त निगम विधेयक, 1970 (**विचार तथा पास करना**)

(8) विमान निगम (संशोधन) विधेयक, 1970, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में (**विचार तथा पास करना**)

(9) पश्चिमी बंगाल (हिंसात्मक गतिविधियों का निवारण) अधिनियम, 1970 के निरसन के लिए श्री ज्योतिर्मय बसु तथा अन्य सदस्यों के संकल्प पर **गुरुवार, 10 दिसम्बर 1970 को चर्चा ।**

(10) मद्य निषेध सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन से सम्बन्धित प्रस्ताव पर **गुरुवार, 10 दिसम्बर, 1970 को 5 बजे म० प० पर आगे चर्चा ।**

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, in the Minister's statement dates, on which the business mentioned therein will be brought in the House, have not been mentioned.

Mr. Speaker : It will be decided in the Business Advisory Committee and hon. Member is the Member of the Committee.

Shri Atal Bihari Vajpayee : We want that the report of Chandra-Chura Commission on Dindayal Upadhyaya's murder should be discussed in this Session.

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi-Sadar) : The Aligarh University Bill should be soon brought in the House.

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : लेखा-परीक्षा के कुछ कार्य को दिल्ली से विदेशों से लन्दन तथा अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित किये जाने के बारे में जो निर्णय किया जाने वाला है उससे बहुत अधिक विदेशी मुद्रा भारत को खर्च करनी पड़ेगी । ऐसा निर्णय क्यों लिया जा रहा है ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, according to the rule textile mill are supposed to produce 25 per cent controlled varities of cloth. But they are not at all producing such cloth and they escape by making payment of fine at the rate 6 paise per metre. This is a very serious matter. I want that this matter should be discussed in the House in the next week.

श्री समर गुह (कन्टाई) : कलकत्ते के एक 'जंबानी' नामक समाचार पत्र में यह छपा था कि राज भवन से एक महिला द्वारा वारेन हेस्टिंग्ज तथा वेन्टिक के युग के बहुमूल्य चित्र – पुरातन वस्तुएं तथा दरियां आदि इलाहाबाद पहुंचाई जा रही हैं । मैं चाहता हूँ कि इस मामले पर अगले सप्ताह सभा में विचार किया जाये । गत सत्र में शरणार्थियों के प्रश्न पर सभा में विचार नहीं किया गया था । अतः उस प्रश्न पर इस सभा में विचार किया जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं यह चाहता हूँ कि सूती कपड़ा आयोग के बारे में गत सप्ताह जो चर्चा अधूरी रह गई थी, उसे इस सप्ताह में पूरा किया जाये। मैं अनुरोध करता हूँ कि पटसन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल में 7 तारीख से शुरू होने वाली हड़ताल के बारे में श्रम तथा पुनर्वास मंत्री एक वक्तव्य दें। साथ ही, यह भी अनुरोध है कि वित्त मंत्री केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की 30 तारीख की सांकेतिक हड़ताल के जो उन्होंने अपर्याप्त अन्तरिम सहायता के प्रश्न को लेकर की थी, बारे में वक्तव्य दें। प्रतिरक्षा के उन 7000 कर्मचारियों के, जिनके श्रमिक कालोनियों से एक सप्ताह में निकाले जाने की सम्भावना है, बारे में प्रतिरक्षा मन्त्री वक्तव्य दें, ताकि सम्बन्धित लोगों का भय दूर हो जाये। दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल किये जाने के बारे में भी सरकार की ओर से वक्तव्य आना चाहिए।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : जो कपड़ा मिल नियंत्रित कपड़े का उत्पादन नहीं कर रहे हैं और दूसरे प्रकार के कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं जिस पर उन्हें अधिक लाभ होता है, उनके बारे में सभा में चर्चा की जानी चाहिए। ये मिल सरकार द्वारा लगाये गये नियंत्रणों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये मिल अनियंत्रित कपड़े पर 40-50 पैसे प्रति मीटर का लाभ कमा रहे हैं और अधिकांश जनता जो नियंत्रित कपड़े खरीदती है, परेशान हो रही है।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : No mention has been made of the Fourth Five Year Plan in the programme announced for the next week. I want to submit that two or three days may be fixed for having discussion on the Fourth Plan.

I want to submit further that Bill regarding Newspaper Finance Corporation may be referred to Select Committee. Discussion on the Atomic policy of the Government should also be held.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Shri Ram Niwas Mirdha had stated that all the papers relating to the death of Shri Lal Bahadur Shastri will be placed on the Table of the House. That has not been done so far. All the papers should be placed on the Table of the House and discussion on the theme should be held next week.

The Parliament should take a decision in regard to defection at an early date. This matter should also be taken up next week.

We should also be given an opportunity to discuss the functioning of A.I.R. so that it may not be used in the interest of any single party.

श्री अमियनाथ बोस (आराम बाग) : मैं संसद कार्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के आचरण के बारे में चर्चा हेतु समय नियत करें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न राज्यों के महाधिवक्ताओं को भूतपूर्व नरेशों के मामले में उपस्थित होने का निदेश दिया गया था। उनकी सहायता के लिए एक स्थायी परिषद का नाम राज्यपाल को भेजा गया था। प्रथा के विरुद्ध राज्यपाल ने उसको अस्वीकार कर दिया। इसके स्थान पर श्री सिद्धार्थ शंकर राय को महाधिवक्ता की सहायतार्थ भेजा गया और उन्हें 1600 रुपये प्रतिदिन दिये गये। मैं जानना चाहता हूं कि प्रथा में परिवर्तन करने का कारण क्या है। मैं चाहता हूं कि राज्यपाल के आचरण पर आगामी सप्ताह सभा में चर्चा की जाये।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The unemployment problem has taken serious proportions. It should be solved expeditiously otherwise whole of the country will turn into another Bengal.

May I know what will be the ceiling on income to farmers and high officials, and Governors etc. respectively.

I want to submit that we should speak in our own language and not in English.

Shri Ram Charan (Khurja) : Cases against eleven or twelve hundred policmen are pending in the Delhi Courts. Out of them about seven hundred are Harijans. Decision about them should be taken before the end of the present session.

Elections to the Scheduled Castes and Scheduled Tribe Committee are not being held. We want that elections to this Committee should be held at an early date.

श्री रंगा : सुना था कि दलबदलुओं के बारे में सरकार ने विधेयक तैयार कर लिया है। क्या इस विधेयक को इस सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा। हम इस बारे में भी कुछ जानकारी चाहते हैं कि क्या सभा के सत्र को दो दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है? गलत मतदान के बारे में चर्चा करने हेतु हमने नोटिस दिया था।

श्री रघुरामैया : दलबदलुओं के प्रश्न पर चर्चा करने हेतु प्रधान मन्त्री 10 तारीख को विरोधी दलों के नेता से मिल रही हैं। इस बारे में आमन्त्रित नेताओं को एक परिपत्र भी जारी किया गया है।

14 तारीख से आरम्भ होने वाले सप्ताह में चौथी पंच वर्षीय योजना पर चर्चा की जायेगी। अन्य कई सुझाव दिये गये हैं। मैं उनको सम्बन्धित मन्त्रियों को भेज दूंगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I rise on a point of order. The Minister of Parliamentary Affairs should have full control over the Government business. He should not act like post office. You please direct him likewise.

Mr. Speaker : There is no point of order. All the business should be conducted during the fixed time by sitting late by one hour daily. Otherwise you can extend the House by a day or so.

श्री रघुरामैया : यह ठीक है कि मुझे विनिर्णय देने का कोई अधिकार नहीं है। यह विशेषाधिकार अध्यक्ष महोदय को प्राप्त है। मैं सब मामलों के बारे में बिना किसी से परामर्श किए यह नहीं बता सकता कि उनको किस-किस तारीख को लिया जायेगा। जिनके बारे में मुझे निश्चित रूप से पता है उनके बारे में मैंने बता दिया है।

श्री समर गुह ने कल कहा था कि उनको फोन पर धमकी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा था कि यह धमकी उनको सत्तारूढ़ दल के एक नेता से मिली है। मेरे विचार में उन्होंने श्री सिद्धार्थ

शंकर राय का उल्लेख किया था। श्री राय ने मुझे यह कहने का अधिकार दिया है कि श्री समर गुह का यह वक्तव्य पूर्णतया झूठा है।

श्री समर गुह : यह बिल्कुल सच है।

श्री रघुरामैया : माननीय व्यक्ति अपनी रक्षा के लिये यहां पर उपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका नाम पुनः यहां पर नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री रघुरामैया : आज श्री अमीय नाथ बोस ने भी इसका उल्लेख किया है। श्री राय ने मुझे कुछ तथ्यों से अवगत कराया है। मैं वे तथ्य सभा के समक्ष रखता हूँ।

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल श्री रणधीर सिंह तथा अन्य माननीय सदस्यों ने मुझे 'इण्डियन एक्सप्रैस' से पढ़ने नहीं दिया था। अतः उनको कोई वक्तव्य पढ़ने का अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अमीय नाथ बोस : किसी अन्य व्यक्ति के वक्तव्य को माननीय मंत्री किस प्रकार पढ़ सकते हैं। इससे पूर्व कि आप माननीय मंत्री को कुछ कहने की अनुमति दें, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की अनुमति नहीं दे सकता कि आप अधिकारियों तथा ऐसे व्यक्तियों का यहां पर उल्लेख करें जो यहां पर अपनी रक्षा नहीं कर सकते।

श्री समर गुह : मैंने सिद्धार्थ शंकर राय के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। मैंने राज्यपाल पर आरोप लगाया है। राज्यपाल के वक्तव्य को सभा के समक्ष रखा जाये।

Shri Ram Sevak Yadav (Barabanki) : May I know whether the statement of any person who is not the Member of the House can be read by any other Member in the House ?

अध्यक्ष महोदय : किसी अन्य व्यक्ति का वक्तव्य यहां पर नहीं पढ़ा जा सकता।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : The hon. Minister is not stating anything about the business of the House. He is taking up other matters.

श्री रघुरामैया : श्री सिद्धार्थ शंकर राय को किसी राजनैतिक कारणों हेतु इस मामले में नहीं भेजा गया था। उन्होंने इस मामले में एक पैसा भी नहीं लिया है।

श्री समर गुह : यह सच नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को याद रखना चाहिए कि मुझे अन्य भी अनेक मामले निपटाने हैं।

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत व्याख्या

Personal Explanation by Member

श्री सन्त बख्श सिंह (फतेहपुर) : निर्माण तथा आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री द्वारा 23 नवम्बर को लोक सभा में बताया गया था कि मेरी ओर किराये की राशि शेष है। यह वक्तव्य अनेक समाचार पत्रों में छपा है और इससे गलत प्रभाव उत्पन्न हुआ है। मैंने कोई किराया नहीं देना है। सम्बन्धित सदस्य से पूछे बिना इस प्रकार का वक्तव्य देना मन्त्री महोदय के लिए उचित नहीं है। मुझे किसी बकाया राशि के लिए कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ है, माननीय मन्त्री को इस बारे में अपने विभाग से पुष्टि करनी चाहिए।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : जहाँ तक श्री सन्त बख्श सिंह, संसद सदस्य का सम्बन्ध है इनके किराये के बिल सम्पदा निदेशालय द्वारा लोक सभा के पे एण्ड अकाउन्ट्स आफिसर को भेजे जाते हैं। उनके नाम पर 1748.58 पैसे की राशि दिखाई गई थी। श्री सिंह द्वारा इस मामले को यहाँ पर उठाये जाने के पश्चात् मामले की विस्तृत जांच की गई थी। यह पता लगा है कि श्री सिंह ने इस राशि का भुगतान 1967-68, 68-69, 69-70 और 1970-71 में कर दिया था। मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को परेशानी का सामना करना पड़ा।

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : सत्र के समय को बढ़ाने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में समय नहीं बढ़ाया जायेगा क्योंकि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि वह अपने कार्य को उपलब्ध समय में ही समाप्त कर लेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या ** बारे में आपने कोई निर्णय किया है ?

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : इस प्रकार का वक्तव्य यहां पर नहीं दिया जाना चाहिए। इसको सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसको रिकार्ड में शामिल नहीं किया जायेगा। सभा मध्यान्ह भोजन के लिए स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर पैंतालीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Forty-five minutes past Fourteen of the Clock.

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

** Expunged as ordered by the chair.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पचास मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fifty minutes past Fourteen of the Clock.

{ **श्री प्रकाशवीर शास्त्री पीठासीन हुए** / **Shri Prakashvir Shastri** *in the chair* }

समाचार पत्र वित्त निगम विधेयक

Newspaper Finance Corporation Bill

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) : मैं श्री सत्य नारायण सिन्हा की ओर से यह प्रस्ताव करता हूं कि लघु और मध्यम समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए समाचार-पत्र वित्त निगम के स्थापन और उससे समस्त या उसके आनुसंगिक विषयों का उपबन्ध करनें वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I rise to oppose this Bill. This Bill is being brought here to encourage the monopoly of press. It is wrong to say that it is being brought here to help the small and medium newspapers. It has been stated that this Bill is in accordance with the recommendations of the Enquiry Committee on small and medium newspaper. A small newspaper is one whose circulation does not exceed 20,000 according to the definition given in the report of the Sen's Committee. But in the Financial Memorandum small newspaper has been defined as having circulation of not exceeding than 80,000 copies. All the main newspapers i.e. Hindustan Times, Indian Express etc. are having less than circulation of fifty thousand copies. In this way the Government is going to help all these newspapers. I would, therefore, request that this Bill should not be allowed to be introduced in the House. If at all it is allowed to be introduced there I will request that it may be referred to Joint Select Committee. No assistance should be provided to those newspapers whose circulation is more than ten thousand copies. Government is misleading the House while saying that this Bill is in accordance with the recommendations of the said Committee. The funds will be drawn for this purpose from the Consolidated Fund of India but the consent of the President has not been sought in accordance with Article 173 of the Constitution.

श्री ई० कु० गुजराल : विधेयक के पृष्ठ 2 उपखंड (ङ) में लघु समाचार पत्र की परिभाषा दी गई है । दैनिक समाचार पत्र के मामले में कहा गया है कि उसका परिचालन पांच हजार प्रतियां होना चाहिए परन्तु वह पन्द्रह हजार प्रतियों से अधिक नहीं होना चाहिए । इसी प्रकार मध्यम समाचार पत्र की परिभाषा में कहा गया है कि उनका परिचालन पन्द्रह हजार प्रतियां तथा पचास हजार प्रतियों से अधिक नहीं होना चाहिए । इसमें वही शब्द प्रयोग में लाये गये हैं जो कि प्रेस आयोग के प्रतिवेदन में प्रयोग किये गये हैं ।

Mr. Chairman : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a Newspaper Finance Corporation for rendering financial assistance to small and medium newspapers and for matters connected therewith or incidental thereto."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री ई० कु० गुजराल : मैं विधेयक पूरा स्थापित करता हूं ।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् विधेयक

INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL BILL

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मैं प्रस्ताव करता हूं

> "कि भारतीय चिकित्सा की एक केन्द्रीय परिषद् के गठन और भारतीय चिकित्सा का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखे जाने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

राज्य सभा में सर्वप्रथम 27 दिसम्बर 1968 को भारतीय चिकित्सा तथा होमियोपेथिस्ट केन्द्रीय परिषद् विधेयक पेश किया गया था । श्री एम० पी० भार्गव द्वारा इस विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश किया गया था । संयुक्त समिति ने इस विधेयक के उपबन्धों पर विस्तृत रूप से विचार किया था । समिति का प्रतिवेदन माननीय सदस्यों में परिचालित कर दिया गया है । समिति ने 30 सदस्यों का साक्ष्य लिया और दो अध्ययन ग्रुप नियत किए । समिति ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह की थी कि होमोपेथी को विधेयक के क्षेत्राधिकार से निकाल दिया जाये । समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि चिकित्सा का तीनों पद्धतियों के उचित विकास हेतु दो स्वतन्त्र परिषदों का गठन किया जाये । अतः राज्य सभा ने विधेयक में संशोधन कर दिया है । अब इस विधेयक में केवल भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् के गठन के लिए व्यवस्था की गई है । होमोपेथी के लिए एक पृथक् विधेयक राज्य सभा के वर्तमान सत्र में पेश किया जायेगा ।

राज्य सभा ने केन्द्रीय परिषद् के चुनाव के बारे में विधेयक में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है । ऐसे अनेक व्यवसायी हैं जिन्होंने शुरू से ही शिक्षा प्राप्त की है और जिनके पास कोई प्रमाणपत्र आदि नहीं है ।

Mr. Chairman : You can continue your speech afterwards.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 69 वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

Motion re. Sixty-ninth report of Committee on Private Members' Bill and Resolutions

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उनहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो 2 दिसम्बर 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है ।"

Mr. Chairman : The question is :

"That this House do agree with the Sixty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 2nd December, 1970.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTIONS Re. PRICES OF ESSENTIAL ARTICLES—*Contd.*

Mr. Chairman : Two hours have been fixed for holding discussion on this resolution. Shri Indrajit Gupta may continue his speech.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस संकल्प द्वारा मैं सरकार तथा जनता का ध्यान ऐसे महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि गम्भीर रूप धारण करता जा रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए तुरन्त उपाय किये जाने चाहिए अन्यथा इसके अनेक आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव होंगे।

इस बारे में कोई मतभेद नहीं है कि मूल्य चिन्ताजनक ढंग से बढ़ रहे हैं।

सरकार द्वारा अनेक आश्वासन दिये जाने के बावजूद सभी ओर से इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि यह समस्या गम्भीर रूप ग्रहण कर गई है। श्री चव्हाण ने अभी राज्य सभा में बताया है 10 मई 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में मूल्यों के सूचकांक में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन आंकड़ों से गरीब तथा सामान्य लोगों द्वारा उठाये जा रहे दुखों पर प्रकाश नहीं पड़ता है। 1961-62 से 1969-70 के आठ वर्षों में थोक मूल्यों के सूचकांक में 71.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस प्रकार रुपये का मूल्य 42 पैसे गिर गया है।

बैंकों ने कुछ सतर्कता बरती है तथा नियंत्रण स्थापित किया है ऐसा हमें बताया गया है।

गत मई में श्री खाडिलकर ने कहा था कि इस समय अनाज की स्थिति काफी संतोषजनक है और उसका मूल्य भी लगभग स्थिर है। फिर अगस्त में श्री चव्हाण ने सभा को आश्वासन दिया था हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि समाज के निर्धन वर्ग को कोई कठिनाई न हो। गत दो या तीन महीनों में मूल्यों में असाधारण वृद्धि को देखते हुए उपर्युक्त आश्वासन गलत सिद्ध हुए हैं।

थोक मूल्य सूचकांक से इस बात का संकेत नहीं मिलता कि खुदरा मूल्यों में वास्तव में कितनी वृद्धि हुई है। वस्तुतः उपभोक्ता तक पहुंचते-पहुंचते मूल्यों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। खाद्य पदार्थों के संयुक्त मूल्य सूचकांक से पता चलता है कि थोक के मूल्यों में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, खाद्य तेलों में 16.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है, दूध तथा दुग्ध पदार्थों में

11.2 प्रतिशत, फल तथा सब्जियों में 13.8 प्रतिशत, काफी में 40.7 प्रतिशत, आलू में 64 प्रतिशत, प्याज में 17.4 प्रतिशत और केले में 16 प्रतिशत वृद्धि हुई है। हमें इस के कारणों का पता लगाना है। इन खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त अन्य अनेक निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है और वे सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। सरकार इस मूल्य वृद्धि के लिए कभी श्रमिकों तथा किसानों को अधिक उपज न करने का दोषी ठहराती है और कभी उद्योगपतियों पर आरोप लगाती है कि वे अधिक मूल्य की मांग करते हैं। वह कभी भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी नीति में कोई दोष है। सरकार ने स्वयं इस वर्ष 20 जुलाई को सब प्रकार के साबुनों के मूल्यों में 4-11 प्रतिशत तक की वृद्धि की अनुमति दी है।

इस सम्बन्ध में उनका कहना है कि ऐसा चर्बी की कमी के कारण करना पड़ा है। जिन मूल्यों की मंजूरी दी जाती है, उपभोक्ता को उस से कहीं अधिक मूल्य देना पड़ता है। एक वर्ष में मूंगफली के तेल के मूल्यों में चार बार वृद्धि की गई है। इसी प्रकार बिजली के पंखों आदि में सरकार की अनुमति से वृद्धि की गई है जबकि इस मद में निर्माताओं को 50-60 प्रतिशत लाभ मिलता है। "दी स्टेट्समैन" में उनके वित्तीय संवाददाता द्वारा प्रकाशित समाचार के अनुसार कपड़े में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मिलों को कुछ निर्धारित अनुपात में मोटा कपड़ा तैयार करना होता है परन्तु वह उसके बदले में जुर्माना देना अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि वे अच्छी किस्म का कपड़ा तैयार करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि मोटे कपड़े की कमी हो जाती है और उसके मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। श्री डी० आर० चव्हाण ने अभी कल कहा है कि पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों में और वृद्धि होने वाली है।

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैंने कहा था कि यह मामला अभी विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। यदि कोई गलत समाचार प्रकाशित करे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : बर्मा शैल तथा कालटैक्स ने सरकार को मूल्य बढ़ाने के लिए कहा है। उनका तर्क यह है कि ईरान ने अशोधित तेल का मूल्य बढ़ा दिया है और इस तेल का उपयोग इस देश के तेल शोधक कारखानों में होने के कारण इस मूल्य वृद्धि का बोझ उपभोक्ता पर पड़ना चाहिए। मंत्री महोदय का कहना है कि यह मामला विचाराधीन है। सरकार सदा मालिकों के दबाव के आगे झुकी है। अब इस्पात और कोयला खानों के मालिक भी मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें श्रमिकों को अधिक मजूरी, बोनस या महंगाई भत्ता देना पड़ेगा। जब भी मूल्य बढ़ाने की अनुमति मांगी जाती है सरकार उसके लिए सहमत हो जाती है। इसका मूल कारण सरकार का अनुत्पादक व्यय है। अभी मंत्री महोदय कहेंगे कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दी है और वह भी गैर-विकास कार्य सम्बन्धी व्यय का महत्त्वपूर्ण अंग है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ता या अन्तरिम सहायता नहीं चाहते परन्तु क्या सरकार उनके लिए निश्चित मूल्य वाली दुकानें खोलने के लिए तैयार है जहां दिन प्रतिदिन उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध की जा सकें। परन्तु ऐसा नहीं किया जाएगा। अजीब बात यह है कि हमें सदा यही बताया जाता है कि यदि उत्पादन बढ़ जाएगा तो मूल्य कम हो जाएंगे। परन्तु स्थिति

यह है कि चार वर्ष निरन्तर अत्यधिक फसल के बावजूद मूल्यों में कोई कमी नहीं हुई है। इस कृषि आन्दोलन, जिसका अत्यधिक प्रचार किया जा रहा है, के बावजूद प्रतिव्यक्ति अनाज की उपलब्धता वर्ष 1968 में 452.9 ग्राम थी जो वर्ष 1969 में घटकर 438 ग्राम रह गई। अतः वास्तव में इस का कारण कुछ और है।

31 मार्च 1969 से 9 जनवरी 1970 तक मुद्रा परिचालन में 326 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जबकि इसी अवधि में गत वर्ष 96 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। इस मुद्रास्फीति का यह मूल कारण है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की क्या स्थिति है ? गत वर्ष 31 अक्तूबर से इस वर्ष 30 जून तक बैंक ऋण 712 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। गत वर्ष यह ऋण 475 करोड़ रुपये था। सट्टेबाजी, स्टाक जमा करने, लाभ अधिक कमाने आदि के लिए बैंक ऋणों का सदा दुरुपयोग किया जाता रहा है। शायद ऐसी कोई व्यवस्था जिसके द्वारा इस बात का पता लगाया जा सके कि जिस प्रयोजन के लिए ऋण दिया जाता है उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाए न कि अन्य कार्यों के लिए। यह समझा जाता है कि केवल रिजर्व बैंक को ही, जो एक स्वायत्त संगठन है, इस मामले पर नियंत्रण रखना चाहिए। रिजर्व बैंक को सरकार के अधीनस्थ विभाग के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि इसे आर्थिक नीति को क्रियान्वित करने का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक के अधिकारी ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनकी उन सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों में निष्ठा हो जिनके लिए सरकार वचनबद्ध है। अन्यथा हो यह रहा है कि यहां पर कुछ नीतियां तथा उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और रिजर्व बैंक बिल्कुल भिन्न नीति का अनुसरण करता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यभारी अधिकारियों को ही कस्टोडियन बना दिया गया है। इन बैंकों के चेयरमैन तथा निदेशक वही लोग हैं जो वहां पर पहले से कार्य कर रहे थे। उनकी सरकार के सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है। सरकार को इन में से कुछ लोगों को बदल कर ऐसे लोग नियुक्त करने चाहिए जो सरकार की नीति से सहमत हों।

क्या यह सच नहीं है कि अब सट्टेबाज तथा साहूकार औद्योगिक कच्चे माल में पूंजी लगाना अधिक लाभप्रद समझते हैं ? उनके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। इसकी जांच की जानी चाहिए। वर्ष 1969-70 में सरकार की प्रतिभूतियों में लगी अपनी पूंजी में से इन बैंकों ने 102 करोड़ रुपये निकाले थे। यह पूंजी व्यापार तथा वाणिज्य के वित्तपोषण के लिए लगाई गई थी जो सट्टेबाजी और अनुचित लाभ कमाने का एक दूसरा नाम है। कृषि मूल्य आयोग ने निरन्तर अच्छी फसल पैदा होते समय सिफारिश की थी कि अनाज के वसूली मूल्य में कुछ कमी की जानी चाहिए। मैं सहायक मूल्य की बात नहीं कर रहा। मैं वसूली मूल्य की बात कर रहा हूं। पर इस पर भी सरकार ने मालदार किसान के दबाव में आकर कोई ध्यान नहीं दिया। रुपया गांवों में जा रहा है पर उसका लाभ गरीब किसानों को न मिलकर अमीर किसानों को हो रहा है।

अन्त में इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहले तो यह कम से कम कुछ समय के लिए मुद्रा की सप्लाई को पूरी तरह रोक देना चाहिए। दूसरे, हमें काले धन को प्रकाश में लाने के लिए साहस से और हिम्मत से काम लेना चाहिए तथा पुराने नोटों को नये नोटों में बदलने पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाना चाहिए। यदि आप इस सम्बन्ध में वास्तव में गम्भीर

हैं तो सरकारी कर्मचारियों के लिए उचित दर की दुकानें खोलें। चौथे, अमीर किसानों पर कृषि कर लगाया जाए। इसी कार्य के द्वारा ग्रामों में काले धन को बढ़ने से रोका जा सकता है। पांचवे, बैंक में ऋण देने के कार्य को बड़ी सतर्कता से चलाया जाना चाहिए तथा हमें उन्हीं लोगों के हाथों में सौंपा जाना चाहिए जो इस नीति से सहमत हैं। और बड़े व्यापार के हितों को ही न देखें। जमा करने वालों और मुनाफा कमाने वालों को सख्त सजाएं दी जायें। वसूली कीमतों का कम से कम पुनरीक्षण तो किया ही जाना चाहिए तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए परती सरकारी भूमि तथा सूखी भूमि को गरीब और इच्छुक किसानों को खेती के लिए दिया जाना चाहिए। अन्त में रिजर्व बैंक के अधिकारियों को मनमानी करने की छूट नहीं होनी चाहिए तथा उन्हें वही कार्य करने चाहिए जिनके लिए सरकार वचनबद्ध है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

That in the resolution,—

for "effective measures be taken to hold the price-line"

substitute—

"dynamic changes be made in the economic policy of the Government to achieve 10 per cent rate of growth so that essential articles of popular consumption may be available for all at reasonable rates."

[कि संकल्प में,—

"मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं"
के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये :

"उत्पादन में 10 प्रतिशत की वृद्धि-दर लाने के लिए सरकार की आर्थिक नीति में गतिशील परिवर्तन किए जायें जिससे आम उपभोग की अत्यावश्यक वस्तुएं सभी लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध हो सकें "] (1)

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :

That in the resolution,—

for "and demands that effective measures be taken to hold the price-line"

substitute—

"other than agricultural products and demands that effective measures be taken to check the increase in the prices of these commodities and to hold the prices of agricultural products at a fair level."

[मांग करती है कि

"मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावकारी उपाय अपनाए जायें" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय।

"कृषिजन्य वस्तुओं के अतिरिक्त तथा इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए तथा कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्य समुचित स्तर पर बनाये रखने के लिए प्रभावकारी उपाय अपनाए जाएं ।"] (2)

श्री शिव चन्द्र झा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

That in the resolution,—

after "measures"

insert—

"like control of deficit finance, etc."

[कि संकल्प में,—

"रोकने के लिए" के **पश्चात्** यह **अन्तःस्थापित** किया जाए—
"घाटे की वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण रखने आदि उपायों के समान" ।] (3)

श्री विभूति मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

That in the resolution,—

for "demands that effective measures be taken to hold the price-line"

substitue—

"recommends that production of all essential goods of common use be stepped up, consumption of such articles be regulated and price control be enforced effectively."

[कि संकल्प में,—

"मांग करती है कि मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए :

"सिफारिश करती है कि आम उपभोग की सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाया जाए, ऐसी वस्तुओं के उपभोग को विनियमित किया जाए और प्रभावी ढंग से मूल्य नियंत्रण लागू किया जाए ।"] (4)

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

That in the resolution,—

for "effective measures be taken to hold the price-line"

substitute—

"the Essential Commodities Act and other relevant laws in force be suitably modified to provide for a greater and stricter control by the appropriate Government on the regulation of prices of essential Commodities and to provide for a minimum of one year's rigorous

imprisonment together with fine and a maximum of ten years' rigorous imprisonment together with fine for contravention of the provisions of the above mentioned laws, to curb the possibilities of an inflationary tendency."

[कि संकल्प में,—

"मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाए" **के स्थान पर** यह **प्रतिस्थापित** किया जाए—"अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों के विनियमन पर सम्बद्ध सरकार द्वारा अधिकाधिक तथा कठोरतर नियंत्रण की तथा मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति की सम्भावनाओं को रोकने के लिए अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम तथा तत्सम्बन्धी प्रवृत्त विधियों के उपबन्धों का उल्लंघन किए जाने पर कम से कम एक वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माना तथा अधिक से अधिक दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माना करने की व्यवस्था करने के उपर्युक्त विधियों में उपयुक्त रूप भेद किया जाए।"] (6)

चौधरी रणधीर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

That in the resolution,—

(i) **for** "views with grave concern the galloping prices"

substitute—

"takes note of the recent trend in the prices" ; and

(ii) **for** "and demands that effective measures be taken to hold the price line"

substitute—

"and the measures already taken by the Government to check the trend and urges that all possible steps should be taken to ensure the maximum degree of restraint on increases in prices."

[कि संकल्प में,—

(एक) "मूल्यों में अति तेज गति से हो रही वृद्धि पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है"

के स्थान पर यह **प्रतिस्थापित** किया जाए—"मूल्यों की हाल ही की प्रवृत्ति पर" ; और

(दो) "और मांग करती है कि मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं"

के स्थान पर यह **प्रतिस्थापित** किया जाए— "और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर विचार करती है तथा आग्रह करती है कि मूल्यों में हो रही वृद्धि पर अधिकतम अंकुश रखने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए जायें।"] (8)

Shri P. G. Sen (Purnia) : Prices of Kerosene oil, Petrol, Tea, Cigarette are increasing and Government is not paying any attention towards that fact. Villagers are not getting Kerosene for lightening their lamps. But on the other hand Ministers travel in cars and waste petrol.

The Prices of the medicines are increasing. A poor man cannot use allopathy drugs due to their high prices and they do not get them in Government hospitals. Poor man use Homeopathy and Ayurvedic medicines but Government do not give any grant to such hospitals using these drugs.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : देश के गरीब किसान सदियों से इस देश में सताए जा रहे हैं।

विरोधी पक्ष की यह आदत रही है कि वह प्रत्येक बात के लिए सरकार को ही जिम्मेदार बताता है। मूल्य वृद्धि कोई भारत में ही नहीं हुई है वरन् यह वृद्धि संसार के अन्य भागों में भी हुई है।

भारत पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था का अनुकरण नहीं कर रहा है। हम देश में समाजवाद लाकर उनका विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें कि गरीब से गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके।

कीमतें बढ़ी हैं और बढ़ रही हैं। पर मैं श्री इन्द्रजीत गुप्ता द्वारा दिए गए आंकड़ों से सहमत नहीं। हमें मजदूरी बढ़ाने के लिए हड़तालों आदि जैसे तरीके नहीं अपनाने चाहिएं। मैं यह भी नहीं कहता कि वेतनों आदि मूल्यों को एकदम स्थिर कर देना चाहिए। ऐसा करना आसान नहीं है। सरकार स्थिति से भलीभांति अवगत है, और इसे विरोध के बावजूद समस्याओं को सुलझाना है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आंकड़े आदि देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब लोग इसके कारणों, मुद्रा-स्फीति आदि से परिचित हैं। माननीय वित्त मन्त्री ने भी इस तथ्य को परामर्श-दात्री समिति के सम्मुख माना है।

हरित क्रान्ति के कारण रुपया गांवों में जा रहा है। मेरे बहुत से माननीय मित्र इस बात से प्रसन्न हैं और कृषि सम्पत्ति कर लगाना चाहते हैं पर उन्हें इस बात का दुःख भी है कि इससे अधिक कुछ प्राप्त नहीं होगा। जैसे अधिक आय वाले कुछ प्रशिक्षित मजदूर होते हैं, वैसे ही कुछ मालदार किस्म के भी होते हैं। उनका यह कहना क्या सही है कि वसूली मूल्य घटा देना चाहिए जबकि वे यह नहीं चाहेंगे कि कर्मचारियों के वेतनों को स्थिर कर दिया जाए, उन्हें और अन्तरिम सहायता न दी जाए, वेतन आयोग की मांगों को न माना जाए। यह सब सम्भव नहीं है, इसी प्रकार उन्हें किसानों की कठिनाइयों को भी समझना चाहिए, उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए।

चीनी के अत्यधिक भण्डार को देख कर यह कहा जाता है कि इससे सट्टा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। उसे जमना या गंगा में फेंका तो नहीं जा सकता। कोई न कोई उसका भण्डार रखेगा ही फिर चाहे वह सरकार रखे या मिल मालिक।

ऐसा कहा गया है कि वसूली मूल्य पहले ही अधिक है। पर यह सही नहीं है। आप कहीं भी देख लें आजकल वसूली मूल्य सभी जगह कम हैं। जबकि आप सब यह मांग करते हैं कि

कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए फिर चाहे वे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हों अथवा उनसे ऊंचे स्तर के कर्मचारी ।

आप अधिक उत्पादन चाहते हैं पर क्या आप कर्मचारियों को यह सलाह देते हैं कि वे घेराव, हड़ताल आदि के चक्कर में न पड़ें । जबकि वे लोग हड़तालों और घेराव के चक्कर में पड़े हैं हजारों लाखों किसान रात-दिन उत्पादन बढ़ाने में लगे हैं । हर कोई इस बात को मानता है कि आजकल पहले से कई गुना ज्यादा चीनी पैदा होती है । उसकी कीमतें गिर रही हैं । अन्य वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ा है और बढ़ रहा है । जबकि हमारे साम्यवादी मित्र कर्मचारियों को उत्पादन की ओर ध्यान न देने की सलाह देते हैं । हमें किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए । पर होता ठीक उसके विपरीत है । साम्यवादी और सरकार मिल कर उन पर करों का भार डालते जा रहे हैं । उनका किसी को ध्यान नहीं है ।

तब इसका हल क्या है । यह कहा गया है कि विकासेतर खर्च को कम किया जाए । पर साथ ही इस बात के लिए राजी नहीं कि अतिरिक्त कर्मचारियों की छंटनी की जाए । यह कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में काला धन आ गया है । पर मैं देखता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में रुपये की कमी है । यदि कस्बों के लोग गांव में पैसा लगायेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा । यदि वह काला धन है तो उसे रोकने का काम सरकार का है ।

यहां कहा गया है कि जमाखोरों को सजा दी जाए । साम्यवादी और सरकार इस बात के लिए राज्य सरकारों पर दबाव डाल रही है कि भूमि की सीमा को घटाया जाए और अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन लोगों में बांटा जाए । हम उनसे सहमत हैं पर क्या इससे समस्या हल हो जायेगी । सारी सरकारी भूमि को बांटा जाए ।

मेरे मित्र रिजर्व बैंक, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीयकृत बैंकों को एक कठ-पुतली बनाना चाहते हैं ।

बैंकों के साथ-साथ अन्य चीजों को भी राष्ट्रीयकरण करने की बात कही गई है । मैं इस सबके लिए राजी हूँ यदि वह देश के लिए लाभदायक हो ।

मैं अपने मित्रों को चेतावनी देना चाहूँगा कि वे अपने आपको किसानों से दूर रखें । वे मालदार नहीं हैं । बल्कि दूसरी ओर उनके उत्पादों की कीमतें उन्हें बहुत कम मिल रही हैं । यह इस कारण होता है क्योंकि वे देशभक्त हैं, मेहनती हैं, तथा सहयोग देने वाले हैं । मूल्य वृद्धि को रोकने का एक मात्र साधन अधिक से अधिक उत्पादन करना है । मैं चाहता हूँ कि मेरे साम्यवादी मित्र भी इसमें किसान का हाथ बटाएं, उद्योगपति का हाथ बटाएं, सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन दें ।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : When Shri Indrajit Gupta referred to the farmers, he was speaking according to the political motives of his party. His party believes in Proletarian revolution, they do not believe whether farmers would also bring about a resolution in the country. They support all the strikes.

Seventy-five or eighty per cent of the total population comprises of the farmers who are leading a miserable life today. They cannot organise themselves. Their representatives

in the assemblies and in the Parliament are not so much vocal as the labour or trade union representatives are. There is little or no discussion on the matters relating to the interests of farmers in the Parliament.

I do not know how this had been stated that people in the villages are growing richer and hence the tax should be levied on them. There is ceiling on land holdings in almost all the States of the country. The public as well as the Government are well aware of the fact that prices of all the commodities are fixed on the basis of the cost of production. No cost of production has been calculated for the cereals produced by the farmers. The farmers have also to purchase bricks, iron, cement etc. for the construction of their houses at higher prices. Similarly, the prices of vegetables, eggs and fishes etc. have gone high.

When you raise a demand to levy a tax on farmers who are growing richer, the persons who are getting Rs. 3,000/- or Rs. 5,000/- p.m. should also pay more tax. The M.P's allowance should also be subject to tax. I would like to warn the Government that labourers and Government employees are already against the Government ; the business community is abused day and night, hence they are also against the Government. The lower and the middle class which is not against the Government, should not be wronged.

I, therefore, strongly protest against the suggestions contained in the resolution. I would suggest that workers should be paid their wages partly in the form of food-grains and cloths at subsidised rates so that there may not be any demands for more wages. The farmers and others should also be provided commodities at subsidised rates.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह बहस किसानों और मजदूरों के हितों के बीच कशमकश के रूप में परिवर्तित हो गई है। वास्तविक समस्या जो है उससे सभी देशवासी ग्रस्त हैं और यह एक मान्य तथ्य है कि मध्य वर्ग और निर्धन वर्ग पर बढ़ते मूल्यों का अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हम यह जानना चाहेंगे कि कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

वर्ष 1970 मुद्रा-स्फीति का वर्ष कहा जा सकता है। अगर अब तक की नीतियों का कुछ परिणाम निकला है, तो वह यह है कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ कीमतों में वृद्धि होती रही है। पिछले कई वर्षों की मुख्य विशेषता कीमतों में लगातार वृद्धि रही है। ऋण नीति घाटे की अर्थ-व्यवस्था और उदारतापूर्वक धन का उपलब्ध होना तीन मुख्य कारण हैं।

जीवन-निर्वाह व्यय और मूल्यों में वृद्धि होने के कारण योजनाओं के व्यय-अनुमानों में भी वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार सारी योजना अव्यवस्थित हो जाती है। समाचार-पत्रों से पता चलता है कि योजना आयोग और वित्त मन्त्री के बीच खींचतान चल रही है। समाजवादी वित्त मन्त्री प्रस्ताव पेश करता है कि साधन उपलब्ध न होने की वजह से योजना में कटौती कर दी जाए। परन्तु यह समस्या का समाधान नहीं है।

बजट में घाटा बढ़ता जा रहा है। क्या उसे कम करने के लिए कोई उपाय किया गया है ? चालू व्यस्त मौसम में यह घाटा पिछले वर्ष की अपेक्षा 150 करोड़ रुपये अधिक रहा है। आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्य सरकारों ने इस वर्ष 204 करोड़ का घाटा दिखाया था, जो पिछले वर्ष 1969-70 में 146 करोड़ था।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने के बाचजूद भी परम्परागत ऋण प्राप्तकर्त्ताओं को ही ऋण मिलता रहा है। क्या छोटे उद्यमकर्त्ताओं को कोई लाभ पहुंचा है ? रिजर्व बैंक के निदेशक बोर्ड में बड़े पूंजीपतियों और एकाधिकार-गृहों का प्रतिनिधित्व है। यही वजह है कि चोर बाजारी जमाखोरी और एकाधिकार से लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को अभी भी ऋण मिलना जारी है। इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि संसाधनों के अभाव की वजह से उसे ग्रामीण जनता और कृषक समुदाय की ओर कर लगाने की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यह ग्रामीण और कृषक समुदाय युगों से शोषित होता रहा हैं।

प्रो० रंगा ने बड़े किसानों के हित की वकालत की। लेकिन बड़े-बड़े पूंजीपति, बड़े-बड़े बाग और बड़े-बड़े फार्म गांवों में क्यों खरीद रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनके पास काला धन है और वे गरीब किसानों का शोषण करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी कानून को कहीं पर भी क्रियान्वित नहीं किया गया है और आज भी कुछ व्यक्तियों के पास हजारों एकड़ जमीन है। कानून में निर्धारित अधिकतम सीमा को भी कम करने की आवश्यकता है।

दूसरा प्रश्न उत्पादन से सम्बन्धित है। सिद्धान्त तो यह है कि उत्पादन में वृद्धि होने पर मूल्यों में स्वतः ही कमी होनी चाहिए। क्या खाद्यान्न का इस वर्ष सर्वाधिक उत्पादन नहीं हुआ है। परन्तु, जब भी खाद्यान्नों के मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। कृषि उत्पादों का मूल्य कभी भी उत्पादन-लागत के आधार पर निर्धारित नहीं किया गया है। क्या कभी भी राज्य व्यापार निगम ने फसल के समय निर्धारित मूल्य पर किसान से खाद्यान्न की खरीद करने के लिए कार्यवाही की है ? किसान के पास से अनाज चला जाता है और जब कीमतें बढ़ जाती हैं, तो बिचौलियों को उसका लाभ मिलता है। इस प्रकार मूल्य नीति से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है।

मैं वेतनों को स्थिर करने का समर्थक नहीं हूँ ; क्योंकि तर्क-संगत वेतन और मूल्य-नीति के अभाव में वेतन स्थिर करने की बात समग्र आर्थिक नीति का गलत मूल्यांकन है।

संसद की समितियों की सिफारिशों और लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष प्रति वर्ष बताई गई त्रुटियों को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है। अगर इनका कार्यान्वियन किया जाए, तो निश्चित रूप से व्यय में भारी कमी होगी।

ऋण-प्रणाली को विनियमित करने और धन उपलब्ध करने के अधिकार सरकार के पास होने के बावजूद भी मूल्य-वृद्धि से पीड़ित निर्धन और मध्य वर्ग की सहायता के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं चाहता हूँ कि सरकार अपनी असफलताओं के कारण बताए और मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा दे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi, Sadar) : The main reason for the spiralling prices is the wrong economic policies of the Government. During the last 22 years, prices have gone

higher and higher almost every year. I am not in favour of Gheraos and violent activities and I am also against any kind of wage freeze or retrenchment. The prices have risen to the highest extent during the last year.

The hon'ble Minister has stated that whole-sale price index has risen only by five per cent. In my view the prices of consumer goods have risen by twenty to twenty-five per cent during the last nine months. The Minister had stated today morning that in a developing country, price rise is unavoidable. The price rise has not taken place at such a rapid rate in other developing countries except two countries. Since 1964-65 to 1968-69, in our country consumer price index has risen on an average at a rate of 8.9 per cent per annum, whereas for Geylon, Kenya, Pakistan and Thailand, the figures for the corresponding period are 1.7, 1.5, 4.1 and 1.9 per cent per annum.

There is no price policy. There is no policy for the increase in production.

{ श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए }

{ **Shri K. N. Tiwary** *in the chair* }

If this situation continues to go on, the position would be explosive in a few years. The consumer price index would be doubled in the next five years. The total consumption of the twenty per cent of the total population i.e, 10-11 crores of people was only 8% for the last year. It has further gone down to 7% this year. If price rise continues at this rate, it would further go down to 5 per cent of the total consumption.

Now what is the solution to check price rise. Firstly, non-productive expenditure should be drastically cut. The plan allocations should be revised to give priority to minor irrigation projects and small scale industries.

In the villages, a feudal class has grown, which has been benefited on account of so-called green revolution. The Government would not levy taxes on them, because they are supporter of the Government.

It is necessary that Government should have ambitious plans, but it should allocate more money for the landless labour, small farmers, shopkeepers and minor irrigation projects as well as cottage industries.

If the Government is in favour of the poorer section of the society, it should check the price-rise at least in case of essential commodities such as food-grains, cloth, salt and oil etc. If the prices continue to grow on, the Government should provide commodities at subsidised rates to the persons who fall in the income group below Rs. 300/- p.m. Mere slogans would not serve any purpose.

There should be a statutory Price Stability Board to assess the trends of price and to study its effects on the poorer section of the society. It would also devise the measures to check the price rise.

Our present rate of growth is merely 2.5 per cent. According to the plan target, the rate of growth has been fixed at 5.5 per cent. Even for maintaining the present level of employment and production, the rate of growth should at least be ten per cent. If it continues to be five and a half per cent, nearly five crores of people would be unemployed.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The problem of price-rise could only be tackled, if there is an integrated Price Board. A resolution to this effect moved by me had been passed in the Delhi Session of All India Congress Committee. The cost of production of essential consumer's goods should be found out and there should be some sort of co-ordination between cost of production and their prevailing prices in the market.

The middle man takes full advantage of agricultural as well as of industrial goods. There should be some protection to the consumers and to the farmers from the middleman.

I would like to warn the Government that it should check the price rise and it should make its administrative machinery more effective to help check price rise and to protect the interests of the poor.

So far as Bank credit is concerned, small farmers and small entrepreneurs are unable to get loans. The arrangements should be made so that small farmers could get Bank-credit easily at low rate of interest.

The industrial goods should be distributed equitably so that all the people may be able to get them. It should also be ensured that fair price is charged from the people.

All the people should be able to get the essential consumers' goods. Through the resolutions are passed year after year to this effect, yet they are implemented rarely. The The Government should make its machinery more effective for the proper implementation of the resolutions.

It is absolutely necessary to have a price control of all types of goods. There should be price control not only of agricultural goods but also of industrial goods. For that purpose, the composition of Integrated Price Board is absolutely essential.

Shri Satya Narain Singh (Varanasi) : The prices of essential consumer goods have been rising sky-high and there is growing unrest in the whole country. Today's discussion in the House is merely a reflection of that wide-spread unrest in the country.

The socialism is the only path by which we can bring about happiness in the country. In spite of our declared system of socialism, the feudal and capitalist system has been growing on in the country for the last 22 years and capital has been concentrated in their hands. These people bring about dearness in the country by raising the prices of goods arbitrarily.

Our aim for the nationalisation of banks has not been fulfilled. The farmers are not able to get the things at a cheaper rate. The prices of essential goods could not be checked after nationalisation of the Banks.

The Finance Minister mentioned today to the danger of inflation, if the current trend of price rise continues to go on. When the price rise takes place and essential goods are not available at fair price, people and workers demand more wages. When their demands are not met, there is discontentment and strikes and subsequently people are suppressed. This is not the path of socialism. If you want to check price rise, the people responsible for hoarding and black marketing should be put to the task.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : दोनों गुप्ता—सर्वश्री इन्द्रजीत गुप्ता और कंवरलाल गुप्ता यद्यपि—दो विरोधी विचारधाराओं के अनुयायी हैं, परन्तु दोनों ने ही सारा दोष सरकार के माथे मढ़ने का प्रयास किया है और सरकार की नीतियों की निन्दा की है।

मुझे श्री कंवर लाल गुप्त का भाषण चुनाव अभियान के समय दिए गए भाषण जैसा प्रतीत हुआ, अतः उस पर कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है । श्री इन्द्रजीत गुप्ता के भाषण के कुछ उन अंशों को छोड़कर जिनमें उन्होंने आर्थिक सिद्धान्तों और नियमों का मिश्रण अपनी राजनैतिक विचारधारा के साथ किया है, सराहनीय रहा ।

अर्थशास्त्र के नियम किसी भी राजनैतिक सिद्धान्त तथा राजनैतिक मतान्धता के अनुयायी नहीं हो सकते । बढ़ती हुई कीमतें, निश्चित ही चिन्ता का विषय है । इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी दुखद स्थिति में बहुत देर से चली आ रही है । मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि बढ़ती हुई कीमतें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं परन्तु इसके साथ ही मैं इसके लिए सरकार को दोष रहित नहीं कह सकता । मूल्य-वृद्धि रोकने के लिए सरकार से कहना ही पड़ता है कि वह यथासम्भव आवश्यक कार्यवाही करे । बढ़ती हुई कीमतों ने हम सभी के जीवन में कठिनाई पैदा कर दी है । वही आदमी सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है जिसने भ्रष्टाचार से अत्यधिक सम्पदा एकत्र कर ली है । सामान्य व्यक्तियों को अपना पेट कसना पड़ता है और कई वर्ष से ये व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं । सच्चे और ईमानदार करदाताओं को भी अपना पेट कसना पड़ता है, उन्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसका परिणाम यह निकलता है कि इस प्रकार के सच्चे व्यक्तियों का लोप होता जा रहा है ।

विकासशील अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ना आवश्यक है । परन्तु हमारी अर्थव्यवस्था का वास्तविक दोष यह है कि हमारी आय मूल्य-वृद्धि से अधिक नहीं बढ़ पाई और यही कारण है कि हम इतनी दरिद्रता तथा दुःख का सामना कर रहे हैं ।

कुछ ही दिन पहले कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं । हमें इस समस्या के प्रति बहुत सजग रहने की आवश्यकता है नहीं तो देश की आर्थिक दशा शीघ्र ही विनाश की सीमा तक पहुंच जाएगी । यह बताया जा चुका है कि जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, जैसे दूध, दूध से बनी वस्तुयें, खाद्यान्न तथा खाने के तेल की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गयी हैं । हाल ही में दूध तथा दूध से बनी वस्तुओं की कीमतों में 14.2 प्रतिशत, खाने के तेलों में 16.3 प्रतिशत, वनस्पति तथा फलों में 13 से 14 प्रतिशत और काफी में 40 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई है । यह एक ऐसी समस्या है जिसे पूरी शक्ति से हल किया जाना चाहिए ।

यदि 1960 को आधार वर्ष मान लिया जाय तो अखिल भारतीय मजदूर वर्ग उपभोक्ताओं का मूल्य सूचकांक 1973 के मध्य तक 186 बढ़ा है और यदि 1949 को आधार वर्ष लिया जाय तो यह 226 होता है । किसी भी विकासशील देश की अर्थव्यवस्था के किसी भी स्तर के लोगों के लिए यह एक ऐसा मसला है जिसको गम्भीर रूप में लिया जाना चाहिए । इसी वर्ष हाल ही में कीमतों में 7.7 प्रतिशत वृद्धि हुई । यदि इसका और अधिक विश्लेषण किया जाय तो पता चलेगा कि खाद्यान्नों की अच्छी फसल होने पर भी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि 6 प्रतिशत, निर्मित

वस्तुओं में 7.81 प्रतिशत किन्तु औद्योगिक कच्चे माल के सम्बन्ध में इसमें वास्तव में तेजी से वृद्धि हुई है जो कि लगभग 11 प्रतिशत है। यह तब हुआ है जब फसल अच्छी हुई है।

मेरे विचार से इस प्रकार की मूल्य-वृद्धि के चार कारण हैं। पहला कारण उद्योगपतियों का अपने उद्योगों के प्रति अत्यन्त लालचपूर्ण दृष्टिकोण है। वे अपने उद्योगों को अपनी सट्टेबाजी में सहायक के रूप में मानते हैं ; एक ऐसे दायित्व के रूप में नहीं जिसके अन्तर्गत उनका कार्य उत्पादन की क्षमता को बनाये रखना तथा उसमें वृद्धि करना है। यदि लाभ के अनुपात में ही ये उद्योगपति उत्पादन को भी बढ़ाये तो मुझे विश्वास है कि उत्पादन में 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि हो जायगी और मुद्रास्फीति को बढ़ावा नहीं मिलेगा।

दूसरा कारण है मजदूरी लागत में असाधारण वृद्धि। आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन देने का कोई हल निकाला जाना चाहिए। कर्मचारियों के लिए उचित दर दूकान खोलने का सुझाव दिया गया है। मैं भी इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। ऐसा हो जाने पर भी क्या कर्मचारी वर्ग केवल तीन घन्टे तक सच्चाई से कार्य करेगा। कर्मचारी वर्ग अपने कार्य तथा कार्य-क्षमता के विषय में चिन्तित नहीं है। अत्यधिक कारारोपण को रोका जाना चाहिए। 1967 से 1970 के बीच करारोपण में 6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि अप्रत्यक्ष कर लगाये ही न जायें, लगाये जाने चाहिए क्योंकि हमें वेतन-वृद्धि के बिलों का भुगतान करना होता है, प्रतिरक्षात्मक व्यय को पूरा करना होता है तथा अन्य भी अनेकों खर्चे होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य तो यह है कि ऐसे कर जो प्रत्यक्षतः मूल्य-वृद्धि में सहायक होते हैं उन्हें रोका जाना चाहिए।

मूल्यवृद्धि का तीसरा कारण है धन आपूर्ति। 2700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि जनता के हाथों में है जबकि माल तथा पूर्ति का क्षेत्र लगभग सीमित है। यदि ऐसी स्थिति है तो मूल्यों में वृद्धि अवश्य ही होगी।

जहां तक मूल्य कम करने के उपायों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में जो आर्थिक या वित्तीय कदम उठाये गये हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। ऋणों पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक पर निर्भर रहना अथवा वेतन-स्थिरीकरण की बात करना अव्यावहारिक है। पहला कार्य उत्पादन में वृद्धि करना है। यदि कोई उद्यमी मिल या उद्योग लगाना चाहता है तो उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। वेतन को उत्पादन से सम्बद्ध करना होगा। बचत को प्रोत्साहन देना होगा। यदि आप उत्पादन बढ़ाने के बारे में चिन्तित हैं तो 1000 रु० से अधिक वेतन पाने वालों के लिए हड़तालें दण्डनीय अपराध घोषित की जानी चाहिए।

मुत्तु गौंडर (तिरुपत्तूर) : आवश्यक वस्तुओं, जैसे, खाद्यपदार्थ, दूध से बनाई जाने वाली वस्तुयें, कपड़ा तथा मकान निर्माण सम्बन्धी सामग्री आदि के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। यदि हम मूल्यों को कम करने का निश्चय करलें तो ऐसा किया जा सकता है। चार-पाँच वर्ष पहले इसी सदन में चीनी की कीमतें कम करने तथा उपभोक्ताओं को पर्याप्त चीनी उपलब्ध कराने का निश्चय किया गया था। हमने इस उद्देश्य में तो सफलता प्राप्त कर ही ली और अब हम चीनी के निर्यात के लिए बाजार प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

हमारे पास रूई तथा तिलहन जैसी व्यापारिक फसलों की कमी है और यही कारण है कि खाद्य-तेलों, जैसे मूंगफली के तेल आदि की कीमतें बढ़ रही हैं। हमारे पास रूई का उत्पादन कम है और इसी कारण से खाद्य तेलों, जैसे मूँगफली का तेल आदि के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। हमारे यहाँ कपास का उत्पादन भी बहुत कम है और इसी कारण कुछ मालिक अपनी रूई मिलों को बन्द करना चाहते हैं। मैं एक अनुभवी किसान होने के नाते यह कह सकता हूँ कि दो-तीन वर्षों के अन्दर हम कपास का इतना अधिक उत्पादन कर सकते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को पूरी करके उसके निर्यात की बात भी सोच सकते हैं। यह ठीक है कि अपेक्षित जलवायु न मिल सकने के कारण हम लम्बे रेशे वाली रूई का उत्पादन न कर सकें परन्तु दूसरे प्रकार की रूई पर्याप्त मात्रा में अवश्य पैदा कर सकते हैं।

जहां तक खाद्य तेलों का प्रश्न है, दो वर्ष पहले मूंगफली को कोई पूछता तक नहीं था और इसका मूल्य 200 रुपये प्रति क्विंटल था और अब इसका मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। अधिक पैदावार देने वाले बीजों का उपयोग किये जाने के कारण अगले वर्ष मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि हो जायेगी। मद्रास राज्य में हमने टी० एम-7 तथा टी० एम-10 प्रकार की मूंगफली के उत्पादन का आरम्भ किया है। इसका उत्पादन पहले से दुगना होने की सम्भावना है। अतः भविष्य में खाद्य तेलों की इतनी कमी की सम्भावना नहीं है।

किसानों द्वारा कृषि के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं की कीमतें निरन्तर बढ़ रही हैं और यह हमारे नियंत्रण से परे की बात है। उर्वरक, कृषि उपकरण ट्रेक्टर, तेलचालित इंजिन, मोटर पम्प आदि के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो रही है और यही कारण है कृषि उत्पादों पर अधिक लागत आती है। इसे कम करना उद्योगपतियों तथा मजदूरों के हाथों में है। यदि कृषि सम्बन्धी उपकरणों के मूल्य कम हो जायें तो कृषि उत्पादों की कीमत भी कम हो जायेंगी।

मैं सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की आलोचना तो नहीं करता परन्तु ये उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता का 50 या 60 प्रतिशत ही उत्पादन कर रहे हैं। इन उद्योगों को इतना उत्पादन अवश्य देना चाहिए जितना इनकी क्षमता है। किसान देश की आवश्यकता तथा खाद्य स्थिति को ध्यान में रखकर अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न करता है परन्तु उद्योगों तथा मजदूरों के झगड़ों के कारण अधिक उत्पादन में सफल नहीं हो पाता है।

कारखानों में मजदूरों को 10 से 12 तथा 14 रुपये तक वेतन दिया जाता है जबकि एक मध्यम श्रेणी के किसान को 3 या 4 रुपये प्रतिदिन ही प्राप्त हो पाते हैं। सरकार तथा अन्य राजनैतिक दलों से मेरा अनुरोध यह है कि वे औद्योगिक क्षेत्र से कृषि सम्बन्धी उपकरण, बिजली के खम्बे तथा बिजली सम्बन्धी अन्य उपकरणों को उचित ढंग से उपलब्ध करने का प्रबन्ध करें।

उर्वरकों के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। जापान, यूगोस्लाविया तथा अन्य दूसरे देश यूरिया का उत्पादन सस्ते मूल्य पर कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते ? इस्पात के मूल्यों में भी बहुत वृद्धि हो गई है। मैं किसानों की तरफ से यह अनुरोध करता हूँ कि सरकार पाइप, मोटर तथा इस्पात की अन्य दूसरी वस्तुओं की कीमत को कम करे। किसान अधिक उत्पादन करेंगे और कृषि उत्पादों के मूल्यों को नीचे लाने का प्रयत्न करेंगे।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : It is not only India in the world which is suffering from the malady of price rise. I have been to countries abroad and studied the prices of certain commodities like bananas and bushirts. It is very much high in European countries. Whole of the world is suffering from this phenomenon, India is not the only sufferer. I agree with the fact that India is more poor as compared to the countries of the world. But what is way out to bring down the prices and remove poverty ? We should improve our planning and increase production.

The Government should pay its attention towards the villages they want to increase the production. We should arrange for irrigation facilities, good and cheap fertilizers, and high yielding seeds etc. It is only then we can't increase our production and find ourselves enable of bring prices down.

The Government should make a plan of rural electrification which would helpful in providing irrigation facilities and employment to the down-trodden. Trade monopolies should be abolished and the backward classes should be financially assisted to enable them to establish certain small trades.

The people of the villages should be provided more facilities in order to remove disparities between urban and rural life. More and more people would like to live in villages and which would ultimately lead to increase in production.

There should be development boards for the backward areas and these should be financed from the centre.

The industrialists are getting more and more profits for their products whereas the agricultural products are being sold at comparatively lesser prices. There should be a parity between agricultural and non-agricultural goods. Industrial goods should be made available at cheaper rates. We should give preferential treatment to our country side. We are to encourage the residents therein. It is only then we would be able to bring down prices.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : There is no doubt that real trouble is that the price rise, but for this also, the present Government is responsible.

Mr. Chairman : Hon. Member may speak next time.

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पुनः आरम्भ किये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा

HALF AN HOUR DISCUSSION Re. RESUMPTION OF TRADE BETWEEN INDIA AND PAKISTAN

Shri Bhogendra Jha (Jay Nagar) : The question is related to the resumption of trade between India and Pakistan. The question arises out of the statement made by Shri Rehman, a Minister in Pakistan that the hinderances or blockade between the trade in India and Pakistan should be removed and trade should be resumed.

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस नाम का वहां कोई मंत्री नहीं है । वह वहां के व्यापार तथा उद्योग मंडल के सभापति हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मामला यहीं समाप्त हो जाता है ।

Shri Bhogendra Jha : The matter does not end here, but it begins. The rising conscience of East Pakistan and the statement made by Shri Rehman both go prove that they are very much eager to develop their trade relations with India and that is why the attitude of Pakistan towards India has been comparatively softened. The recent Pakistan delegation to India has also expressed their views and supported the idea of resumption of trade between India and Pakistan. The Government of India has taken no action in this matter. They have said in reply that there is encouraging response from Pakistan.

Last year Prime Minister has visited Afghanistan and after few days of her return it was said in a joint communique that the future is bright as regard trade with Afghanistan. We were also negotiating with Iran on the matter but no concrete result has so far been achieved. Had we been able to develop our trade with Afghanistan and Iran it would have definitely made better trade relations between India and Pakistan. But nothing concrete could be achieved in this direction because there are certain elements in both the countries which are pressuring the Governments against the move. Now the people in Pakistan are realising that they should develop their trades with India, therefore, there is a good climate and we should not let the opportunity go.

If we succeed in developing our trades with Pakistan, then we would be able to spare a considerable amount of foreign exchange. We may have certain commodities like Jute and Fishes from Pakistan and supply coal etc. in return thereof.

The Government of India should initiate talks with Pakistan on the subject. The trade relations between India and Pakistan should be resumed once again and it would be beneficial for both the countries. India should invite, if necessary, Pakistani team to discuss the matter on trade relations and the Government should ensure that our trade with Pakistan, if no more, would be brought to pre 1965 position in near future.

Shri Beni Shanker Sharma (Banka): Mr. Chairman, Sir, the hon. member has referred about two things—the public opinion in East Pakistan and initiation of trade talks by India. As regards public opinion of East Pakistan, I would like to mention, that Pakistan Government does not attach any importance to the public opinion of East Pakistan. They cannot exercise their will against the attitudes of the Government. Had there been any importance given to the East Pakistan public opinion, East Pakistan would have been united with India long ago.

So far as the question of initiating trade talks with Pakistan is concerned, I am of the opinion that India has always initiated discussions whenever it has been considered necessary. India has always respected all the pacts and agreements, be it, Nehru-Liaquat Pact, Nehru-Nun Pact or Tashkent agreement. The goods seized by India during Indo-Pak conflict have been returned to Pakistan whereas Pakistan did not respond accordingly. Whosoever blames India, despite this fact, is not making any justice to the country. The hon. Minister should ensure that the steps now taken would be reciprocal, Pakistan would correspondingly respond, the steps taken by India.

We want to establish cordial relations with Pakistan, the question is whether Pakistan would respond to it. There is heavy influx of refugees from East Pakistan and we are trying to develop our trade relations with them. How far it is justified ? Recently, there was an annihilating cyclone in East Pakistan and we wanted to help the country. But they did not allow our planes to reach there and also refused our offer to start an

hospital for the victims. Such the attitudes of the Pakistan Government would it better for us to resume trade relations with Pakistan in these circumstances ? Would the hon. Minister ensure that unless Pakistan discharge its responsibilities sincerely towards Tashkent agreement, they would not initiate talks on resumption of trade with Pakistan ?

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : There should be a comnon market between India and Pakistan. Ceylon and Burma should also be associated with this market. If the creation of such a market is not possible the Government of India should try to reach on some agreement regarding the trade of Jute, Fishes and Coal etc. the commodities which both the countries are in need of. The Government of India should also discuss with Pakistan as to how the smuggling on borders can be checked ? In case Pakistan does not respond to these proposals sincerely, would the Government raise the matter in a meeting of commonwealth countries ; so that Pakistan might be instructed to lift the trade ban ?

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I agree to the fact that we should have cordial relations with our neighbours. But one sided action in the matter is futile. India has so many times tried to make our relations cordial, to develop our trades but all the efforts have been of no avail.

India is humiliated by Pakistan. Pacts are violated by her. If India intends to revive the trade relations, she should make it clear to Pakistan that if she create any problem, it will be paid back in the same coin. Will hon. Minister ensure that until the property worth crores of rupees confiscated by Pakistan is returned as per Tashkent declaration, India will not take any initiative in resuming trade relations ? Whether Government is prepared to ensure that they will not take any action against the national interest of our country ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : प्रश्न यह है कि हमने इस दिशा में क्या कार्य किया है और क्या किया जाना है । माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार फिर से आरम्भ किया जाये । ताशकन्द समझौते में भी यही निर्णय किया गया था । हमने औपचारिक तथा अनौपचारिक ढंग से पाकिस्तान से इस सम्बन्ध में बात की है । 26 मई, 1966 को सरकार ने एक निर्णय लिया जिसके अनुसार भारत ने 27 मई, 1966 से व्यापार पर एकतरफा प्रतिबन्ध हटा दिया और पाकिस्तान सरकार को भी निर्णय के आशय की सूचना दे दी । हमें आशा थी कि पाकिस्तान सरकार भी इस निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ । जहाँ तक भारत द्वारा पहल करने का सम्बन्ध है, सरकार ने व्यापार पर प्रतिबन्ध हटाकर पहल की है । परन्तु एक हाथ से ताली नहीं बजती । व्यापार तभी शुरू हो सकता है, जब दोनों देश सहमत हों । सम्भवत: पाकिस्तान के वाणिज्य मंडल एवं उद्योग के अध्यक्ष की यह इच्छा रही हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पुन: चालू हो और भारत से कोयला आदि वस्तुएं आसानी से कम मूल्य पर खरीदी जा सकें ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने पहले ही बता दिया है कि भारत सरकार व्यापार शुरू करने के लिये हर समय तैयार और इच्छुक है । इससे अधिक पहल क्या की जा सकती है ?

माननीय सदस्य ने कहा है कि पाकिस्तान में चुनाव होने के बाद स्थिति बदल सकती है। मेरे विचार में यह सोचना उस देश का काम है, हमारे देश का नहीं। भारत व्यापार को पुनः चालू करने के लिए हर वक्त तैयार है। परन्तु पाकिस्तान का रवैया व्यापार को पुनः चालू करने का नहीं है। पाकिस्तान आर्थिक सम्बन्धों को राजनीतिक सम्बन्धों से जोड़ रहा है। वह चाहता है कि जब तक कश्मीर तथा फरक्का बांध आदि पर संतोषजनक समझौता नहीं होता तब तक आर्थिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किये जायेंगे। हमारी नीति तो बिल्कुल स्पष्ट है। आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में भारत को यदि असफलता मिली है तो इसका कारण यह नहीं है कि हम पाकिस्तान से बात करने में हिचकते हैं या हम गतिरोध-वादी हैं बल्कि असफलता का मुख्य कारण पाकिस्तान द्वारा गतिरोध उत्पन्न करना है। चुनाव के बाद यह गतिरोध समाप्त हो जाएगा—इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या सरकार ईरान और अफगानिस्तान सरकार के साथ स्थल मार्ग से व्यापार करने के सम्बन्ध में बातचीत करने का कोई प्रयास करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापार करने के लिए स्थल-मार्ग का प्रयोग करने के सम्बन्ध में हमने अपनी रुचि प्रकट की है। परन्तु ईरान और अफगानिस्तान तथा भारत के बीच पाकिस्तान है और जब तक वह सहमत नहीं होता तब तक कोई प्रगति नहीं की जा सकती। पाकिस्तान इस बात के लिए तो राजी हो गया है कि अफगानिस्तान से ताजा फल आदि वस्तुएं भारत में आ सकती हैं परन्तु भारत से पाकिस्तान होकर अफगानिस्तान वस्तुएं भेजने के लिए राजी नहीं हुआ है। पाकिस्तान द्वारा नकारात्मक रवैया अपनाये जाने के कारण भारत ईरान और अफगानिस्तान के साथ स्थल-मार्ग से व्यापार करने की स्थिति में नहीं है। हमें आशा है कि कुछ समय पश्चात् ईरान और अफगानिस्तान यातायात के उद्देश्य से स्थल-मार्ग का प्रयोग करने में बुद्धिमत्ता समझेंगे। हम भी इस दिशा में प्रयत्न करेंगे, परन्तु पाकिस्तान की प्रतिक्रिया जाने बिना एकपक्षीय वक्तव्य देने से कोई लाभ नहीं। हमने पाकिस्तान के साथ सम्पर्क स्थापित किया हुआ है। मैं इस समय यह कहकर, कि इस दिशा में सफलता मिलने की सम्भावना है, सदन में भ्रांति उत्पन्न करना नहीं चाहता। यदि पाकिस्तान में नई सरकार बन जाती है या पुरानी सरकार बनी रहती है तो उसके बाद ही सरकार बता सकती है कि इस दिशा में सफलता मिलने की सम्भावना है या नहीं।

माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा ने कहा है कि सरकार अमरीका तथा अन्य पूंजीवादी देशों के दबाव में आकर पाकिस्तान के सीमा पार अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापार चालू करने में कम रुचि दिखा रही है। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अमरीका ने औपचारिक अथवा अनौपचारिक ढंग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई दबाव नहीं डाला। माननीय सदस्य द्वारा लगाया गया आरोप सारहीन है। अतः मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। हमारी इच्छा है कि भारत-पाकिस्तान के बीच आर्थिक सम्बन्ध उसी स्थिति में आ जायें जिस प्रकार कि 1965 से पूर्व थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने व्यापार पर एकपक्षीय प्रतिबन्ध हटा दिया था। मछली, पटसन आदि कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आयात-निर्यात हो सकता है। परन्तु यह सब तभी सम्भव है जब पाकिस्तान सरकार इस मामले में रुचि ले। श्री योगेन्द्र शर्मा ने सुझाव

दिया था कि व्यापार तब तक चालू न किया जाये जब तक पाकिस्तान ताशकन्द समझौते का पालन न करे। इस सम्बन्ध में हमारा सदैव यही प्रयत्न रहा है कि आपसी गुत्थियों को सुलझाया जाये। श्री शिव चन्द्र झा ने पूछा था कि क्या साझा बाजार की कोई सम्भावना है ? इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय तो पाकिस्तान के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध नहीं हैं। अतः इस समय कुछ भी कहना सम्भव नहीं। आर्थिक सम्बन्ध स्थापित होने तथा व्यापार शुरू होने के बाद ही साझा बाजार की कल्पना की जा सकती है। साझा बाजार ही एक ऐसी नीति है जिसकी सहायता से व्यापार के आर्थिक पहलू को नियन्त्रण में रखा जा सकता है। माननीय सदस्य ने यह भी सुझाव दिया है कि भारत-पाकिस्तान के बीच हो रहे तस्कर-व्यापार का मामला कॉमनवैल्थ प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में उठाना चाहिए। परन्तु सरकार ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगी क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिसे दोनों देश आपसी बातचीत द्वारा सुलझा सकते हैं।

सरकार का उद्देश्य राष्ट्र-हित की रक्षा करना है। सरकार ऐसी नीति अपनाना चाहती है जिससे भारत तथा पाकिस्तान की जनता को लाभ हो क्योंकि मेरा विश्वास है कि पाकिस्तान के नेताओं का रवैया चाहे भारत के प्रति कैसा भी हो, दोनों देश के लोग अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहते हैं। कुछ वर्ग ऐसे हैं, जो अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिये तनाव की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। हमें फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा। वस्तुतः हमें तनाव को कम करने के लिए और आर्थिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहना होगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 7 दिसम्बर, 1970/16 अग्रहायण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Monday, December 7, 1970/Agrahayana 16, 1892 (Saka).

———

Printed at : Shahdara Printing Press, K-18, Navin Shahdara, Delhi-32 4-12-1970